

विनियोग लेखे

2010-11

उत्तर प्रदेश सरकार

प्रस्तावना	(v)
विनियोग लेखे का सारांश	1-23

vuqku ; k fofu; ks dh I a[; k rFkk uke

1. आबकारी विभाग	25
2. आवास विभाग	26-30
3. उद्योग विभाग(लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	31-34
4. उद्योग विभाग(खानें और खनिज)	35-37
5. उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	38-39
6. उद्योग विभाग(हथकरघा उद्योग)	40-41
7. उद्योग विभाग(भारी एवं मध्यम उद्योग)	42-45
8. उद्योग विभाग(मुद्रण तथा लेखन-सामग्री)	46
9. ऊर्जा विभाग	47-50
10. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	51-54
11. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	55-67
12. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	68-70
13. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	71-79
14. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	80-85
15. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	86-90
16. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	91-92
17. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	93-94
18. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	95-96
19. कार्मिक विभाग(प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	97-98
20. कार्मिक विभाग(लोक सेवा आयोग)	99
21. खाद्य तथा रसद विभाग	100-103
22. खेल विभाग	104-108
23. गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	109-111
24. गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	112-113
25. गृह विभाग (कारागार)	114-118
26. गृह विभाग (पुलिस)	119-134
27. गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	135-138
28. गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	139-142
29. गोपन विभाग(राज्यपाल सचिवालय)	143-144
30. गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	145
31. चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	146-148

32. चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	149-157
33. चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं युनानी चिकित्सा)	158-161
34. चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	162-163
35. चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	164-166
36. चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	167-168
37. नगर विकास विभाग	169-174
38. नागरिक उड्डयन विभाग	175-177
39. भाषा विभाग	178-181
40. नियोजन विभाग	182-190
41. निर्वाचन विभाग	191-193
42. न्याय विभाग	194-202
43. परिवहन विभाग	203-205
44. पर्यटन विभाग	206-209
45. पर्यावरण विभाग	210
46. प्रशासनिक सुधार विभाग	211-213
47. प्राविधिक शिक्षा विभाग	214-222
48. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	223-228
49. महिला एवं बाल कल्याण विभाग	229-232
50. राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	233-237
51. राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	238-241
52. राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	242-248
53. राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	249-250
54. लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	251-253
55. लोक निर्माण विभाग (भवन)	254-258
56. लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	259
57. लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु)	260-262
58. लोक निर्माण विभाग (संचार साधन –सडकें)	263-272
59. लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	273-277
60. वन विभाग	278-280
61. वित्त विभाग(ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	281-289
62. वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	290-292
63. वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	293-295
65. वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	296-300
66. वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	301
67. विधान परिषद सचिवालय	302-303
68. विधान सभा सचिवालय	304-307
70. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	308

71. शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	309-315
72. शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	316-325
73. शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	326-335
75. शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	336-339
76. श्रम विभाग(श्रम कल्याण)	340-343
77. श्रम विभाग(सेवायोजन)	344-346
78. सचिवालय प्रशासन विभाग	347-352
79. समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	353-357
80. समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	358-362
81. समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	363-367
82. सतर्कता विभाग	368-370
83. समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	371-382
84. सामान्य प्रशासन विभाग	383-384
85. सार्वजनिक उद्यम विभाग	385
86. सूचना विभाग	386-387
87. सैनिक कल्याण विभाग	388-390
88. संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	391
89. संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	392-394
90. संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	395
91. संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	396-397
92. संस्कृति विभाग	398-400
94. सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	401-417
95. सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	418-420

i f j f ' k " V

i " B I a ; k

परिशिष्ट I- आकस्मिकता निधि से वर्ष 2010-11 की अवधि में स्वीकृत अग्रिमों से किये गये व्यय, जिनकी वर्ष के अन्त तक निधि में आपूर्ति नहीं की गयी, के ब्यौरे	421
परिशिष्ट II- वसूलियों के अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों का, जिन्हे व्यय में से कटौती करके लेखाओं में समायोजित किया गया है, अनुदान वार विवरण	422-426
परिशिष्ट III- उचन्त लेन-देन, अनुदान संख्या 94- सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) राजस्व प्रभाग	427
परिशिष्ट IV- निदेशन एवं प्रशासन और मशीनरी एवं उपस्कर संयंत्र प्रभार (2010-11)	428-431
परिशिष्ट V- उचन्त लेन-देन, अनुदान संख्या 94- सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूंजीगत प्रभाग	432-433

Index

उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2010-11 के विनियोग लेखे के इस संकलन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित किये गये विनियोग अधिनियमों से संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों से तुलना करते हुए, 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेखे प्रस्तुत किये गये हैं।

इस लेखे में:-

“मूल” से तात्पर्य मूल अनुदान या विनियोग से है।

“पूरक” से तात्पर्य पूरक अनुदान या विनियोग से है।

“पुनर्वि०” से तात्पर्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोगों, वापसियों अथवा अभ्यर्पणों से है।

प्रभारित विनियोग और व्यय तिरछे अंको में दर्शाये गये हैं।

Hkkj r ds fu; æd&egkys[kki jh{k d dk i æk.k i =

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे वर्ष की सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखे के साथ वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किये गये हैं तथा उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों, तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाउचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय, तथा अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबन्धित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिये मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतंत्र संगठन हैं जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग लाईनें तथा प्रबंधन ढांचा है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जांच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले उत्तर प्रदेश सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।

f nukd%
ubl fnYyh

(foukn jk;)
Hkkj r ds fu; æd&egkys[kki jh{k d

fofu; ksx ys[ks dk I kjkd k

vunpku ; k fofu; ksx dh I [; k vkj uke	dy vunpku ; k fofu; ksx	0; ;	<u>dy vunpku@fofu; ksx dh nyuk es 0;</u> cpr	vf/kd 0; ;
¼ gtkj #lk; ka es ½				
1. आबकारी विभाग— राजस्व—				
दत्तमत	86,31,20	85,53,76	77,44	..
प्रभारित	20,00	18,20	1,80	..
पूजीगत—				
दत्तमत	10,38,00	10,34,13	3,87	..
2. आवास विभाग— राजस्व—				
दत्तमत	41,73,02	35,60,71	6,12,31	..
प्रभारित	5,44,26	5,44,24	2	..
पूजीगत—				
दत्तमत	13,02,61,92	13,58,98,40	..	56,36,48 (563647766)
प्रभारित	8,85,54	8,85,53	1	..
3. उद्योग विभाग(लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)— राजस्व—				
दत्तमत	1,06,05,85	1,02,11,94	3,93,91	..
प्रभारित	4,00	5	3,95	..
पूजीगत—				
दत्तमत	2,39,31	1,94,30	45,01	..
4. उद्योग विभाग(खानें और खनिज)— राजस्व—				
दत्तमत	18,37,82	17,96,90	40,92	..
पूजीगत—				
दत्तमत	7,00,00	6,18,65	81,35	..
5. उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)— राजस्व—				
दत्तमत	1,23,52,05	46,63,57	76,88,48	..
6. उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)— राजस्व—				
दत्तमत	37,47,53	29,35,52	8,12,01	..

(2)

	वृणकु ; क फोफु; क्ख दह ल ढ; क वक्ज उके	द्वय वृणकु ; क फोफु; क्ख	0; ;	<u>द्वय वृणकु@फोफु; क्ख दह र्णुक ए 0;</u> cpr	vf/kd 0; ;
					$\frac{1}{2}$ g tkj #lk; k es $\frac{1}{2}$
7.	उद्योग विभाग(भारी एवं मध्यम उद्योग)– राजस्व–				
	दत्तमत	2,65,03,44	36,61,28	2,28,42,16	..
	पूजीगत–				
	दत्तमत	2,17,52,86	1,56,65,69	60,87,17	..
8	उद्योग विभाग(मुद्रण एवं लेखन सामग्री)– राजस्व–				
	दत्तमत	1,13,21,16	1,10,96,47	2,24,69	..
	पूजीगत–				
	दत्तमत	50,00	49,90	10	..
9.	उर्जा विभाग– राजस्व–				
	दत्तमत	30,13,63,66	27,47,10,23	2,66,53,43	..
	प्रभारित	29,25,75	29,25,75
	पूजीगत–				
	दत्तमत	48,95,00,01	42,63,52,40	6,31,47,61	..
	प्रभारित	6,39,96	6,39,96
10.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)– राजस्व–				
	दत्तमत	1,44,54,61	1,32,46,36	12,08,25	..
	प्रभारित	83,54	84,15	..	61
	पूजीगत–				(61086)
	दत्तमत	2,10,00	2,16,20	..	6,20
11.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)– राजस्व–				(619591)
	दत्तमत	23,91,35,26	21,73,68,41	2,17,66,85	..
	प्रभारित	15,10	3,01	12,09	..
	पूजीगत–				
	दत्तमत	6,17,70,38	5,67,40,22	50,30,16	..

	vunpku ; k fofu; ksx dh l a; k vkj uke	dy vunpku ; k fofu; ksx	0; ;	<u>dy vunpku@fofu; ksx dh riyuk es 0;</u> cpr	vf/kd 0; ;
				$\frac{1}{4}$ g tkj #lk; ka ea $\frac{1}{2}$	
12.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)– राजस्व– दत्तमत	2,66,24,05	1,73,19,28	93,04,77	..
	पूजीगत– दत्तमत	75,00,00	55	74,99,45	..
13.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)– राजस्व– दत्तमत	20,18,52,90	18,69,58,50	1,48,94,40	..
	प्रभारित	14,00	10,38	3,62	..
	पूजीगत– दत्तमत	12,56,39,55	12,07,76,31	48,63,24	..
14.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)– राजस्व– दत्तमत	21,15,81,63	18,88,89,37	2,26,92,26	..
	पूजीगत– दत्तमत	5,72,66,10	5,83,50,20	..	10,84,10
15.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)– राजस्व– दत्तमत	4,22,83,05	4,02,67,67	20,15,38	..
	प्रभारित	13,79	11,37	2,42	..
	पूजीगत– दत्तमत	17,50,61	8,40,33	9,10,28	..
16.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)– राजस्व– दत्तमत	41,39,85	31,41,81	9,98,04	..
	प्रभारित	10	..	10	..
17.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)– राजस्व– दत्तमत	58,00,67	45,75,52	12,25,15	..

	vunpku ; k fofu; ksx dh l [; k vkj uke	dy vunpku ; k fofu; ksx	0; ;	<u>dy vunpku@fofu; ksx dh rnyuk es 0;</u> cpr	vf/kd 0; ;	
						$\frac{1}{4}$ g tkj #lk; ka ea $\frac{1}{2}$
18.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)– राजस्व–					
	दत्तमत	1,98,05,58	1,77,70,99	20,34,59	..	
	प्रभारित	4,77,88	4,56,37	21,51	..	
	पूजीगत–					
	दत्तमत	4,90,00	4,90,00	
	प्रभारित	10,63,82	10,52,29	11,53	..	
19.	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)– राजस्व–					
	दत्तमत	7,60,06	4,72,56	2,87,50	..	
20.	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)– राजस्व–					
	दत्तमत	1,77,47	1,75,24	2,23	..	
	प्रभारित	27,05,09	27,04,95	14	..	
	पूजीगत–					
	प्रभारित	19,05	19,05	
21.	खाद्य तथा रसद विभाग– राजस्व–					
	दत्तमत	46,11,14	44,17,29	1,93,85	..	
	पूजीगत–					
	दत्तमत	1,06,24,21,75	66,61,21,84	39,62,99,91	..	
	प्रभारित	28,62,04,00	13,52,71,96	15,09,32,04	..	
22.	खेल विभाग– राजस्व–					
	दत्तमत	43,44,17	40,06,79	3,37,38	..	
	पूजीगत–					
	दत्तमत	54,79,06	52,16,28	2,62,78	..	

	vunku ; k fofu; ksx dh l ; k vkj uke	dy vunku ; k fofu; ksx	0; ;	<u>dy vunku@fofu; ksx dh riyuk es 0;</u> cpr	vf/kd 0; ;
23.	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)– राजस्व–			$\frac{1}{4}$ g tkj #lk; ks es $\frac{1}{2}$	
	दत्तमत	1,49,32,22	1,21,54,24	27,77,98	..
	प्रभारित	1,50	3,66	..	2,16
	पूजीगत–				(216483)
	दत्तमत	18,49,00	18,49,00
24.	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)– राजस्व–				
	दत्तमत	47,58,05	44,98,33	2,59,72	..
	पूजीगत–				
	दत्तमत	18,00,00	18,00,00
25.	गृह विभाग (कारागार)– राजस्व–				
	दत्तमत	3,21,90,94	3,21,99,13	..	8,19 (818586)
	प्रभारित	10,00	..	10,00	..
	पूजीगत–				
	दत्तमत	6,48,17,30	5,23,97,45	1,24,19,85	..
26.	गृह विभाग (पुलिस)– राजस्व–				
	दत्तमत	68,29,58,93	66,79,92,02	1,49,66,91	..
	प्रभारित	75,00	3,84	71,16	..
	पूजीगत–				
	दत्तमत	6,14,38,25	2,58,25,66	3,56,12,59	..
27.	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)– राजस्व–				
	दत्तमत	3,67,53,45	3,57,22,07	10,31,38	..
	पूजीगत–				
	दत्तमत	10,21,81	1,39,45	8,82,36	..
28.	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)– राजस्व–				
	दत्तमत	1,03,19,15	96,25,37	6,93,78	..
	पूजीगत–				
	दत्तमत	30,00	..	30,00	..

	vunpu ; k fofu; ksx dh l a; k vks uke	dy vunpu ; k fofu; ksx	0; ;	<u>dy vunpu@fofu; ksx dh rnyuk es 0;</u> cpr	vf/kd 0; ;
29.	गोपन विभाग(राज्यपाल सचिवालय)- राजस्व-			$\frac{1}{4}$ g tkj #lk; ka ea $\frac{1}{2}$	
	प्रभारित	8,05,21	7,72,68	32,53	..
30.	गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)- राजस्व-				
	दत्तमत	2,79,36	3,67,59	..	88,23
31.	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)- राजस्व-				(8823044)
	दत्तमत	8,37,18,25	8,22,18,81	14,99,44	..
	पूजीगत-				
	दत्तमत	4,98,89,66	4,63,91,59	34,98,07	..
32.	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)- राजस्व-				
	दत्तमत	24,31,26,58	22,27,64,44	2,03,62,14	..
	प्रभारित	20,00	1,14	18,86	..
	पूजीगत-				
	दत्तमत	3,03,47,40	2,64,17,03	39,30,37	..
33.	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)- राजस्व-				
	दत्तमत	3,80,43,87	3,49,32,22	31,11,65	..
	पूजीगत-				
	दत्तमत	30,40,00	30,18,80	21,20	..
34.	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)- राजस्व-				
	दत्तमत	1,65,12,36	1,61,31,70	3,80,66	..
	पूजीगत-				
	दत्तमत	85,76	..	85,76	..
35.	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)- राजस्व-				
	दत्तमत	14,08,71,65	13,69,93,20	38,78,45	..
	प्रभारित	15,00	50	14,50	..
	पूजीगत-				
	दत्तमत	5,57,91	1,82,66	3,75,25	..

	vunpku ; k fofu; ksx dh l [; k vkj uke	dy vunpku ; k fofu; ksx	0; ;	<u>dy vunpku@fofu; ksx dh rnyuk es 0;</u> cpr	vf/kd 0; ;
				$\frac{1}{4}$ g tkj #lk; ka es $\frac{1}{2}$	
36.	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)– राजस्व–				
	दत्तमत	5,86,84,22	3,91,48,14	1,95,36,08	..
	प्रभारित	1,00	..	1,00	..
37.	नगर विकास विभाग– राजस्व–				
	दत्तमत	13,28,30,12	6,16,50,95	7,11,79,17	..
	पूजीगत–				
	दत्तमत	20,60,14,21	13,73,01,90	6,87,12,31	..
38.	नागरिक उड्डयन विभाग– राजस्व–				
	दत्तमत	26,97,59	24,52,96	2,44,63	..
	पूजीगत–				
	दत्तमत	41,40,02	33,23,22	8,16,80	..
39.	भाषा विभाग– राजस्व–				
	दत्तमत	10,38,90	9,57,56	81,34	..
40.	नियोजन विभाग– राजस्व–				
	दत्तमत	3,58,02,07	1,74,30,76	1,83,71,31	..
	पूजीगत–				
	दत्तमत	11,68,46,46	2,87,70,72	8,80,75,74	..
41.	निर्वाचन विभाग– राजस्व–				
	दत्तमत	83,86,67	75,41,61	8,45,06	..
42.	न्याय विभाग– राजस्व–				
	दत्तमत	10,09,41,56	7,78,83,01	2,30,58,55	..
	प्रभारित	1,67,12,72	1,44,37,96	22,74,76	..
	पूजीगत–				
	दत्तमत	1,61,39,44	65,30,31	96,09,13	..

	vunpku ; k fofu; ksx dh l [; k vkj uke	dy vunpku ; k fofu; ksx	0; ;	<u>dy vunpku@fofu; ksx dh rgyuk es 0;</u> cpr	vf/kd 0; ;
				$\frac{1}{4}$ g tkj #lk; ka es $\frac{1}{2}$	
43.	परिवहन विभाग— राजस्व— दत्तमत	90,78,15	86,35,21	4,42,94	..
	पूजीगत— दत्तमत	86,54	86,52	2	..
44.	पर्यटन विभाग— राजस्व— दत्तमत	21,12,75	16,13,22	4,99,53	..
	पूजीगत— दत्तमत	1,44,99,92	1,00,98,79	44,01,13	..
45.	पर्यावरण विभाग— राजस्व— दत्तमत	9,66,12	3,10,68	6,55,44	..
46.	प्रशासनिक सुधार विभाग— राजस्व— दत्तमत	7,10,40	7,18,04	..	7,64
	पूजीगत— दत्तमत	15,05,36	5,36	15,00,00	(764348) ..
47.	प्राविधिक शिक्षा विभाग— राजस्व— दत्तमत	3,44,40,34	3,01,87,33	42,53,01	..
	प्रभारित	1,02	..	1,02	..
	पूजीगत— दत्तमत	2,28,62,93	2,04,52,30	24,10,63	..
48.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग— राजस्व— दत्तमत	8,11,49,82	5,39,49,53	2,72,00,29	..
	प्रभारित	2,05	1,50	55	..
	पूजीगत— दत्तमत	4,27,50,04	2,61,93,83	1,65,56,21	..
49.	महिला एवं बाल कल्याण विभाग— राजस्व— दत्तमत	35,22,55,41	33,41,93,04	1,80,62,37	..
	प्रभारित	10	..	10	..

	vunpu ; k fofu; ksx dh l [; k vkj uke	dy vunpu ; k fofu; ksx	0; ;	<u>dy vunpu@fofu; ksx dh rnyuk es 0;</u> cpr	vf/kd 0; ;
				$\frac{1}{4}$ g tkj #lk; ka ea $\frac{1}{2}$	
	पूजीगत-				
	दत्तमत	1,29,00	..	1,29,00	..
50.	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)-				
	राजस्व-				
	दत्तमत	4,91,20,24	4,58,25,39	32,94,85	..
	प्रभारित	17,54	1,16	16,38	..
	पूजीगत-				
	दत्तमत	87,48,37	81,17,97	6,30,40	..
51.	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)-				
	राजस्व-				
	दत्तमत	7,48,45,68	9,22,80,64	..	1,74,34,96 (1743496340)
	पूजीगत-				
	दत्तमत	25,00,00	5,00,00	20,00,00	..
52.	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)-				
	राजस्व-				
	दत्तमत	15,76,81,63	14,72,42,25	1,04,39,38	..
	प्रभारित	69,56	25,97	43,59	..
	पूजीगत-				
	दत्तमत	25,09,15	91,75	24,17,40	..
	प्रभारित	10,05	..	10,05	..
53.	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग-				
	राजस्व-				
	दत्तमत	1,07,62	81,89	25,73	..
	पूजीगत-				
	दत्तमत	1,00	..	1,00	..
54.	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)-				
	राजस्व-				
	दत्तमत	11,21,43,42	7,24,87,79	3,96,55,63	..
	प्रभारित	4,00	3,48	52	..

	vunpu ; k fofu; ksx dh l d; k vkj uke	dy vunpu ; k fofu; ksx	0; ;	<u>dy vunpu@fofu; ksx dh rnyuk es 0;</u> cpr	vf/kd 0; ;
				$\frac{1}{4}$ g tkj #lk; ka ea $\frac{1}{2}$	
55.	लोक निर्माण विभाग (भवन)– राजस्व–				
	दत्तमत	35,67,19	37,14,22	..	1,47,03 (14702947)
	प्रभारित	2,65,37	2,57,54	7,83	..
	पूजीगत–				
	दत्तमत	21,78,20	1,65,98,29	..	1,44,20,09 (1442009092)
	प्रभारित	83,00	62,67	20,33	..
56.	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)– पूजीगत–				
	दत्तमत	1,98,00,00	1,96,08,44	1,91,56	..
57.	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु)– राजस्व–				
	दत्तमत	11,00,00	11,78,90	..	78,90 (7890319)
	पूजीगत–				
	दत्तमत	8,05,70,00	8,09,95,85	..	4,25,85 (42584871)
58.	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन –सडकें)– राजस्व–				
	दत्तमत	14,81,37,87	16,02,74,61	..	1,21,36,74 (1213674369)
	प्रभारित	5,00	..	5,00	..
	पूजीगत–				
	दत्तमत	32,17,82,03	43,69,96,00	..	11,52,13,97 (11521397113)
	प्रभारित	5,06,00	1,36,35	3,69,65	..
59.	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)– राजस्व–				
	दत्तमत	98,17,08	96,53,10	1,63,98	..
	पूजीगत–				
	दत्तमत	89,02,70	88,14,09	88,61	..

	vunpku ; k fofu; ksx dh l [; k vkj uke	diy vunpku ; k fofu; ksx	0; ;	<u>diy vunpku@fofu; ksx dh rnyuk es 0;</u> cpr	vf/kd 0; ;
				$\frac{1}{4}$ g tkj #lk; ka ea $\frac{1}{2}$	
60.	वन विभाग— राजस्व— दत्तमत प्रभारित पूजीगत— दत्तमत	3,56,67,78 13,70 1,25,73,57	3,51,35,94 1,60 82,10,41	5,31,84 12,10 43,63,16
61.	वित्त विभाग(ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)— राजस्व— दत्तमत प्रभारित पूजीगत— दत्तमत प्रभारित	53,06,56,87 2,06,62,82,72 5,19,00,50 1,56,45,36,15	52,29,30,58 2,12,78,34,28 3,65,96,19 63,57,30,09	77,26,29 .. 1,53,04,31 92,88,06,06	.. 6,15,51,56 (6155156187)
62.	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)— राजस्व— दत्तमत प्रभारित पूजीगत— दत्तमत	99,74,60,43 16,51,39 1,50,00,00	99,05,63,77 14,34,64 1,46,52,60	68,96,66 2,16,75 3,47,40
63.	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)— राजस्व— दत्तमत पूजीगत— दत्तमत	1,56,53,65 8,80,08	1,32,48,01 5,41,73	24,05,64 3,38,35
65.	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)— राजस्व— दत्तमत पूजीगत— दत्तमत	1,58,06,60 2,00	1,43,66,36 1,91	14,40,24 9

	vunpku ; k fofu; ksx dh l [; k vkj uke	dy vunpku ; k fofu; ksx	0; ;	<u>dy vunpku@fofu; ksx dh rnyuk es 0;</u> cpr	vf/kd 0; ;
				$\frac{1}{4}$ g tkj #lk; ka es $\frac{1}{2}$	
66.	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)– राजस्व–				
	दत्तमत	2,44,81	2,40,72	4,09	..
	प्रभारित	1,46,01,49	1,41,17,02	4,84,47	..
67.	विधान परिषद सचिवालय– राजस्व–				
	दत्तमत	23,78,03	23,00,55	77,48	..
	प्रभारित	47,31	29,04	18,27	..
	पूँजीगत–				
	दत्तमत	6,00	..	6,00	..
68.	विधान सभा सचिवालय– राजस्व–				
	दत्तमत	71,73,70	65,30,20	6,43,50	..
	प्रभारित	66,01	41,35	24,66	..
	पूँजीगत–				
	दत्तमत	2,00,64	1,75,52	25,12	..
70.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग– राजस्व–				
	दत्तमत	55,79,36	50,79,28	5,00,08	..
71.	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)– राजस्व–				
	दत्तमत	1,44,51,16,72	1,44,76,60,99	..	25,44,27
	पूँजीगत–				(254427221)
	दत्तमत	73,97	9,32	64,65	..
72.	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)– राजस्व–				
	दत्तमत	65,43,93,64	57,58,09,34	7,85,84,30	..
	प्रभारित	2,70	..	2,70	..
	पूँजीगत–				
	दत्तमत	37,51,93	38,68,57	..	1,16,64 (11664329)

	vunpu ; k fofu; ksx dh l d; k vkj uke	dy vunpu ; k fofu; ksx	0; ;	<u>dy vunpu@fofu; ksx dh rnyuk es 0;</u> cpr	vf/kd 0; ;
				$\frac{1}{4}$ g tkj #lk; ks es $\frac{1}{2}$	
73.	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)– राजस्व– दत्तमत प्रभारित पूजीगत– दत्तमत	18,96,25,06 1,00 2,53,71,02	13,24,35,57 .. 2,26,44,43	5,71,89,49 1,00 27,26,59
75.	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)– राजस्व– दत्तमत पूजीगत– दत्तमत	98,17,48 10,04	83,74,94 21,70	14,42,54 11,66
76.	श्रम विभाग(श्रम कल्याण)– राजस्व– दत्तमत	1,72,49,66	1,70,82,55	1,67,11	.. (1165953)
77.	श्रम विभाग(सेवायोजन)– राजस्व– दत्तमत पूजीगत– दत्तमत	47,85,74 19,25	46,68,01 28,80	1,17,73 9,55 (954650)
78.	सचिवालय प्रशासन विभाग– राजस्व– दत्तमत पूजीगत– दत्तमत	3,98,51,02 47,00,00	3,76,88,77 79,36	21,62,25 46,20,64
79.	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)– राजस्व– दत्तमत पूजीगत– दत्तमत	13,65,40,25 2,05,25,74	13,49,46,40 1,34,71,53	15,93,85 70,54,21

	vunpku ; k fofu; ksx dh l [; k vkj uke	dy vunpku ; k fofu; ksx	0; ;	<u>dy vunpku@fofu; ksx dh rnyuk es 0;</u> cpr	vf/kd 0; ;
					$\frac{1}{4}$ g tkj #lk; ks es $\frac{1}{2}$
80.	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)– राजस्व– दत्तमत	31,72,75,98	30,24,75,99	1,47,99,99	..
81.	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)– राजस्व– दत्तमत प्रभारित	42,31,87 10	27,04,64 ..	15,27,23 10
	पूँजीगत– दत्तमत	39,18,75	12,77,44	26,41,31	..
82.	सतर्कता विभाग– राजस्व– दत्तमत प्रभारित	31,03,24 2,48,43	29,09,03 2,78,51	1,94,21 30,08
	पूँजीगत– दत्तमत	12,31,84	3,24,97	9,06,87	.. (3007862)
83.	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)– राजस्व– दत्तमत	54,02,01,57	52,91,68,33	1,10,33,24	..
	पूँजीगत– दत्तमत	39,64,68,04	38,61,06,32	1,03,61,72	..
84.	सामान्य प्रशासन विभाग– राजस्व– दत्तमत	2,91,11,74	2,21,81,91	69,29,83	..
85.	सार्वजनिक उद्यम विभाग– राजस्व– दत्तमत	4,20,80	4,06,69	14,11	..
86.	सूचना विभाग– राजस्व– दत्तमत	1,47,90,97	78,54,79	69,36,18	..

	vunpku ; k fofu; ksx dh l [; k vkj uke	dy vunpku ; k fofu; ksx	0; ;	<u>dy vunpku@fofu; ksx dh rnyuk es 0;</u> cpr	vf/kd 0; ;
				$\frac{1}{4}$ g tkj #lk; ka ea $\frac{1}{2}$	
87.	सैनिक कल्याण विभाग— राजस्व— दत्तमत प्रभारित पूजीगत— दत्तमत	46,60,01 10 90,00	40,59,48 .. 89,60	6,00,53 10 40
88.	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)— राजस्व— दत्तमत	4,80,54	5,61,63	..	81,09 (8108523)
89.	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)— राजस्व— दत्तमत प्रभारित पूजीगत— दत्तमत	4,08,88,39 65,44,39 22,24,94	4,08,05,04 65,34,81 21,96,43	83,35 9,58 28,51
90.	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)— राजस्व— दत्तमत	67,02,04	63,95,81	3,06,23	..
91.	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)— राजस्व— दत्तमत प्रभारित पूजीगत— दत्तमत	1,45,68,73 4 2,82,68	1,47,89,48 .. 2,65,87	.. 4 16,81	2,20,75
92.	संस्कृति विभाग— राजस्व— दत्तमत प्रभारित पूजीगत— दत्तमत	30,32,92 5 17,59,06	27,95,55 .. 15,36,21	2,37,37 5 2,22,85

vupku ; k fofu; ksx dh l [; k vkj uke	dy vupku ; k fofu; ksx	0; ;	<u>dy vupku@fofu; ksx dh rnyuk es 0;</u>	
			cpr	vf/kd 0; ;
			<u>¼ gtkj #lk; ks es ½</u>	
94. सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)–				
राजस्व–				
दत्तमत	14,14,89,50	12,62,52,72	1,52,36,78	..
पूँजीगत–				
दत्तमत	41,80,56,45	30,94,29,93	10,86,26,52	..
प्रभारित	18,40,00	12,81,52	5,58,48	..
95. सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)–				
राजस्व–				
दत्तमत	19,83,79,69	19,69,09,07	14,70,62	..
प्रभारित	50,00	7,72	42,28	..
पूँजीगत–				
दत्तमत	..	6,15	..	6,15 (615230)
dy jktLo&				
दत्तमत	9,26,55,24,62	8,65,41,42,26	64,41,30,16	3,27,47,80
			<u>-61,13,82,36</u>	
प्रभारित	2,11,43,18,01	2,17,25,46,87	33,55,55	6,15,84,41
			<u>5,82,28,86</u>	
dy i thxr&				
दत्तमत	4,01,19,58,51	3,25,26,07,37	89,62,81,83	13,69,30,69
			<u>-75,93,51,14</u>	
प्रभारित	1,85,57,87,57	77,50,79,42	1,08,07,08,15	..
			<u>-1,08,07,08,15</u>	
egk; ksx&	17,24,75,88,71	14,85,43,75,92	2,63,19,75,69	23,87,62,90
			<u>-2,39,32,12,79</u>	

निम्नलिखित दत्तमत अनुदानों में अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है:-

¼ #lk; ka ea ½

(jktLo Hkkx)

(i)	30	गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	88,23,044
(ii)	51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	1,72,25,59,628
(iii)	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	2,19,09,609

(i wthxr Hkkx)

(i)	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	5,84,912
(ii)	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	12,84,59,857
(iii)	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन –सड़कें)	9,19,33,78,397

निम्नलिखित प्रभारित विनियोगों में अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है:-

(jktLo Hkkx)

(i)	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	61,086
(ii)	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	2,16,483
(iii)	61	वित्त विभाग(ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	5,94,70,57,755
(iv)	82	सतर्कता विभाग	30,07,862

निम्नलिखित प्रकरणों में भी दत्तमत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय हुआ किन्तु यह अधिक व्यय उचन्त लेखे के समायोजन के कारण था जैसी कि सम्बन्धित अनुदानों में टिप्पणी की गयी है, जिसमें अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित नहीं है:-

(jktLo nRrer)

(i)	25	गृह विभाग (कारागार)
(ii)	46	प्रशासनिक सुधार विभाग
(iii)	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)
(iv)	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

वर्ष 2010-11 के विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के वित्त लेखे में दिखाये गये कुल व्यय का समाधान नीचे दिया गया है:-

	i Hkkfjr		nRrer	
	jktLo	i wthxr	jktLo	i wthxr
	(g tkj #i ; k a e a)			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	2,17,25,46,87	77,50,79,42	8,65,41,42,26	3,25,26,07,37
घटाइये-परिशिष्ट-II में दिखाई गई कुल वसूलियां	5,91,28,30	1,16,52,76,86
कुल-निवल व्यय	2,17,25,46,87	77,50,79,42	8,59,50,13,96	2,08,73,30,51
वित्त लेखे के विवरण संख्या 10 में दर्शाया गया कुल निवल व्यय	2,17,25.47	77,50.80	8,59,50.14	2,08,73.30
	(d j k M # i ; k a e a)			

vunpku l a[; k 1&vkcdkj h foHkkx

ed[; 'kh"KZ

dy vunpku
; k
fofu; kx

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

(g tkj ₹ ee)

jktLo&

2039- राज्य उत्पाद शुल्क,

2059- लोक निर्माण कार्य तथा

2216- आवास

nRrer&

मूल	80,83,50]	86,31,20	85,53,76	-77,44
पूरक	5,47,70				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)					1,12,59

i Hkkfjr&

मूल	20,00]	20,00	18,20	-1,80
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)					27

i thxr&

4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	..]	10,38,00	10,34,13	-3,87
पूरक	10,38,00				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)					3,86

वृत्तगत व्यय का विवरण

वर्ष	व्यय	अनुमानित व्यय	अनुमानित व्यय	अनुमानित व्यय
2029-	भू-राजस्व,			
2049-	ब्याज अदायगियां,			
2070-	अन्य प्रशासनिक सेवायें,			
2205-	कला एवं संस्कृति,			
2217-	शहरी विकास तथा			
3475-	अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें			
	मूल	41,73,02		
	पूरक	..		
	वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)		41,73,02	35,60,71
				-6,12,31
	मूल	5,44,26		
	पूरक	..		
	वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)		5,44,26	5,44,24
				-2
	मूल	8,11,68,76		
	पूरक	4,90,93,16		
	वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)		13,02,61,92	13,58,98,40
				+56,36,48
				9,00

(गतक ₹ में)

ed; 'kh"lz	diy vuqku ; k fofu; ksx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr&
------------	-------------------------------	--------------	-----------------------

(gtkj ₹ ea)

i Hkkfjr&				
मूल	8,85,54	8,85,54	8,85,53	-1
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)				1

fVli f.k; ka , oa VhdK; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 6,12.31 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 4,20.17 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गयी।

(ii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः

निम्न के अधीन हुई:-

'kh"lz	diy vuqku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr&
--------	-----------	--------------	-----------------------

(yklk ₹ ea)

2029- भू-राजस्व,

001- निदेशन एवं प्रशासन-

03- कलेक्टरों के कार्यालय (नजूल) 65.89 47.32 -18.57

2205- कला एवं संस्कृति-

800- अन्य व्यय-

06- अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश-

मूल 11,70.81 8,12.15 1,77.74 -6,34.41

पुनर्वि० -3,58.66

₹ 3,58.66 लाख के अभ्यर्पण के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2217- शहरी विकास-

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

04- अवशेषों का भुगतान-

मूल 4,70.84 4,66.41 2,49.10 -2,17.31

पुनर्वि० -4.43

₹ 4.43 लाख के अभ्यर्पण के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(iii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

(yk[k ₹ ee)

3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-

201- भूमि सीमारोपण (कृषि भूमि को छोड़कर)-

03- शहरी भूमि सीमारोपण

5,30.24

11,84.88

+6,54.64

वास्तविक व्यय में ₹ 20.51 लाख वर्ष 2001-02,2002-03,2003-04 और 2004-05 के उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

lkwthxr&

nrRrer&

(iv) वास्तविक व्यय में ₹ 56,71.00 लाख वर्ष 1998-99 और 2002-03 के उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित हैं। अन्तिम बचत ₹ 34.52 लाख (₹ 56,71.00 लाख-₹ 56,36.48 लाख) में से मात्र ₹ 9.00 लाख अभ्यर्पित किये गये।

(v) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-

01- राज्य की राजधानी का विकास-

051- निर्माण-

03- लखनऊ नगर का समग्र विकास-

मूल

4,56,58.96

2,91,96.96

2,82,03.89

-9,93.07

पुनर्वि०

-1,64,62.00

प्रावधान में की गई ₹ 1,64,62.00 लाख की कुल कमी में से, ₹ 70,00.00 लाख की कमी परिपक्व प्रस्ताव उपलब्ध न होने के कारण की गई और ₹ 94,62.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh" kZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

(yk[k ₹ e#)

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय—

01- राज्य की राजधानी का विकास—

051- निर्माण—

05- गोमती नदी के दायें तटबंध से लामार्टीनियर तक

भूमि का अधिग्रहण एवं विकास—

मूल 77,37.70

1,77,07.99

1,77,07.99

..

पुनर्वि० 99,70.29

प्रावधान में ₹ 99,70.29 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 20,00.00 लाख की वृद्धि वित्त व्यय समिति द्वारा अनुमोदित लागत के अनुसार धनराशि की स्वीकृति के कारण की गई और ₹ 79,70.29 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

06- मान्यवर श्री कांशीराम जी ग्रीन (ईको)

गार्डन का निर्माण—

मूल 2,24,75.02

6,84,16.42

6,84,16.42

..

पूरक 4,09,41.80

पुनर्वि० 50,00.00

प्रावधान में ₹ 50,00.00 लाख की वृद्धि वित्त व्यय समिति द्वारा अनुमोदित लागत के अनुसार धनराशि की स्वीकृति के कारण की गई।

6216- आवास के लिये कर्ज—

80- सामान्य—

800- अन्य कर्ज—

01- विकास प्राधिकरणों को कर्ज

..

43,71.00

+43,71.00

वास्तविक व्यय वर्ष 1998-99 के उचन्त लेखे के समाशोधन से सम्बन्धित है।

6217- शहरी विकास के लिये कर्ज—

02- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र—

800- अन्य कर्ज—

04- मेट्रोपोलिटन शहरी तथा राष्ट्रीय महत्व

के क्षेत्रों के संगठित नगर विकास के

लिये ऋण (एन०सी०आर० प्लानिंग बोर्ड

से पोषित) (75%)

..

13,00.00

+13,00.00

वास्तविक व्यय ₹ 13,00.00 लाख वर्ष 2002-03 के उचन्त लेखे के समाशोधन से सम्बन्धित है।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत लघु व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"lz dly vupku okLrfod 0 ; ; vf/kd 0 ; ; \$ cpr&

(yk[k ₹ es)

2851- ग्राम एवं लघु उद्योग-

102- लघु उद्योग-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	8,25.59	}	3,79.06	3,69.47	-9.59
पुनर्वि०	-4,46.53				

₹ 4,46.53 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 1,65.00 लाख की प्रावधान में कमी और ₹ 1.45 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ। ₹ 2,80.08 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश न मिलने के कारण हुआ।

20- उद्यमिता विकास संस्थान

को अनुदान-

मूल	25.00	}
पुनर्वि०	-25.00				

प्रावधान में ₹ 25.00 लाख की कुल कमी में से, ₹ 14.41 लाख की प्रावधान में कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं और ₹ 10.57 लाख की प्रावधान में कमी प्रेसीडेन्ट उद्यमिता विकास संस्थान का पद खाली रहने के कारण हुआ। ₹ 0.02 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक देय के आधार पर हुआ।

800- अन्य व्यय-

14- हवाई जहाज किराया

सहायता योजना-

मूल	40.00	}	24.00	20.00	-4.00
पुनर्वि०	-16.00				

₹ 16.00 लाख की कुल बचत में से, ₹ 9.43 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा कमी वास्तविक देयों के आधार पर और ₹ 6.57 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

(iv) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"kl

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

(ykl/k ₹ e)

2851- ग्राम एवं लघु उद्योग-

102- लघु उद्योग-

19- राज्य पूंजी उपादान-

मूल

0.01

9.43

13.44

+4.01

पुनर्वि०

9.42

₹ 9.42 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 9.43 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा वृद्धि बजट से अधिक मांग के कारण और ₹ 0.01 लाख का अभ्यर्पण सांकेतिक प्रावधान के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

07- निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो कार्यालय

की स्थापना-

मूल

25.47

27.87

27.87

..

पुनर्वि०

2.40

₹ 2.40 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा वृद्धि बजट की अपेक्षा मजदूरी के भुगतान के लिये निधि की अधिक मांग के कारण हुई।

2852- उद्योग

80- सामान्य-

001- निदेशन और प्रशासन-

03- मुख्यालय-

मूल

24,39.87

26,10.01

26,10.70

+0.69

पुनर्वि०

1,70.14

प्रावधान में ₹ 1,70.14 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 1,65.00 लाख की वृद्धि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में वेतन के भुगतान के कारण, ₹ 14.41 लाख की वृद्धि वाहन की खरीदारी के कारण और प्रावधान में ₹ 2.40 लाख की कमी तथा ₹ 17.44 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक देयों के आधार पर हुआ। ₹ 10.57 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

in thx r &

nRrer &

(v) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl

clgy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

(yk[k ₹ es)

4851- ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत

परिव्यय-

800- अन्य व्यय-

04- जनपद रामपुर में हस्तशिल्प सामान्य

सुविधा एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना-

मूल	45.00			
-----	-------	--	--	--

पुनर्वि०	-45.00			
----------	--------	--	--	--

₹ 45.00 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति न मिलने के कारण हुआ।

वृत्तिका 4 & m | कस फोहक ([क्का वक] [क्फु त])

एक ; ' क्क' क

द्वय वृत्तिका क्लरफोद 0 ; ;

वफ/कद 0 ; ; \$
cpr &

(g t k j ₹ e)

j k t L o &

2853- अलौह खनन तथा
धातु कर्म उद्योग

n R r e r &

मूल	17,24,16]	18,37,82	17,96,90	-40,92
पूरक	1,13,66				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि					..

i n t h x r &

4853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग पर
पर पूंजीगत परिव्यय-

n R r e r &

मूल	7,00,00]	7,00,00	6,18,65	-81,35
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि					..

f v l i f . k ; k a , o a V h d k ; &

j k t L o &

n R r e r &

- (i) ₹ 40.92 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 1,13.66 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) ₹ 40.92 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(iii) बचत(एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः
निम्न के अधीन हुई:-

'kh"z dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

(yk[k ₹ e#)

2853- अलौह खनन तथा

धातु कर्म उद्योग-

02- खानों का विनियमन तथा विकास-

001- निदेशन एवे प्रशासन-

03- खनन प्रशासन की योजना-

मूल	4,79.88			
पूरक	1,13.66	5,87.53	5,32.30	-55.23
पुनर्वि०	-6.01			

₹ 6.01 लाख की शुद्ध प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 46.71 लाख की वृद्धि मुख्यतया ए०सी०पी० स्कीम और पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने के कारण हुई। ₹ 52.72 लाख की प्रावधान में कमी आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुई।

06- खनिज विकास की

योजनायें	1,00.00	87.69		-12.31
----------	---------	-------	--	--------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

2853- अलौह खनन तथा

धातु कर्म उद्योग-

02- खानों का विनियमन तथा विकास-

004- अनुसंधान तथा विकास-

03- खनिज अन्वेषण-

मूल	9,22.00			
पुनर्वि०	3.11	9,25.11	9,51.74	+26.63

प्रावधान में ₹ 3.11 लाख की शुद्ध वृद्धि में से ₹ 7.72 लाख की वृद्धि कम्प्यूटर और रख रखाव के लम्बित दायित्व के कारण और ₹ 4.61 लाख की प्रावधान में कमी आर्थिक मितव्ययिता और आवश्यकता न होने के कारण हुई।

i thxr&
nRrer&

(v) ₹ 81.35 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vi) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh" kZ

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

(yk[k ₹ e#)

4853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग पर
पर पूंजीगत परिव्यय-

01- खनिज अन्वेषण तथा विकास-

800- अन्य व्यय-

04- खनिज विकास की योजनायें

7,00.00

6,18.65

-81.35

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

वृत्तिका I अ; क 5&m | क्ख फोह्कख ([क्कन्ह , ओा ख्केक्स| क्ख)

एक; 'क्क'कz द्य वृत्तिका ओलरफोद 0; ; वर/कद 0; ; \$
 (ग्क/क ₹ ए०)

ज्कतलो&

- 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण और
 2851- ग्राम एवं लघु उद्योग

नररर&

मूल	1,23,51,65	}	1,23,52,05	46,63,57	-76,88,48
पूरक	40				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)					
					76,62,98

वृत्तिका I क, ओा वृत्तिका &

ज्कतलो&

नररर&

- (i) ₹ 76,88.48 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2010 में प्राप्त ₹ 0.40 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
 (ii) ₹ 76,88.48 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 76,62.98 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित की जा सकी।
 (iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत लघु व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन हुई:-

'क्क'कz द्य वृत्तिका ओलरफोद 0; ; वर/कद 0; ; \$
 cpr&

(ग्क/क ₹ ए०)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग-

105- खादी ग्रामोद्योग-

04- गांधी जयन्ती के अवसर पर

खादी की बिक्री पर छूट-

मूल	80,00.00	}	8,00.00	8,00.00	..
पुनर्वि०	-72,00.00				

₹ 72,00.00 लाख का अभ्यर्पण वित्त विभाग द्वारा धनराशि स्थगित करने के कारण हुआ।

(iii) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ—

'kh"KZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

(yk[k ₹ ea)

2851- ग्राम एवं लघु उद्योग—

103- हथकरघा उद्योग—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें—

मूल

22,50.02

13,26.72

14,61.55

+1,34.83

पुनर्वि०

-9,23.30

वास्तविक व्यय में ₹ 1,34.83 लाख वर्ष 2001-02 के उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित हैं।

₹ 9,23.30 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

वृत्तिका 1 अ; क 7&m | kx foHkkx (Hkkjh , oa e/; e m | kx)

ए; 'kh"z

दय वृत्तिका okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

(gtkj ₹ e)

jktLo&

- 2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें,
2220- सूचना तथा प्रचार,
2852- उद्योग,
2885- उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय और
3451- सचिवालय-आर्थिक सेवायें

nRrer&

मूल	2,64,53,44
पूरक	50,00

2,65,03,44 36,61,28 -2,28,42,16

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

1,94,94,00

i thxr&

- 4885- उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य
पूजीगत परिव्यय,
6860- उपभोक्ता उद्योग के लिये कर्ज एवं
6885- उद्योग और खनिज के लिये अन्य कर्ज

nRrer&

मूल	1,83,52,86
पूरक	34,00,00

2,17,52,86 1,56,65,69 -60,87,17

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

60,87,17

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 2,28,42.16 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 1,94,94.00 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गयी।
(ii) ₹ 2,28,42.16 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 50.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन हुई:-

'kh"z dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$ cpr&

(yk[k ₹ e)

2852- उद्योग-

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

04- निजी क्षेत्र के सहयोग से
एक्सप्रेस-वे परियोजनायें-

मूल 15,00.00]

पुनर्वि० -15,00.00]

₹ 15,00.00 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृत धनराशि का आहरण न होने के कारण हुआ।

09- नेशनल-ई-गवर्नेन्स एक्शन

प्लान 60,00.00 26,53.30 -33,46.70

10- भारी उद्योग निवेश नीति के अन्तर्गत
औद्योगिक ईकाइयों को प्रोत्साहन-

मूल 1,80,00.00]

पुनर्वि० -1,80,00.00]

₹ 1,80,00.00 लाख की कुल बचत में से, ₹ 1,79,85.00 लाख का अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष में धनराशि का उपयोग न होने के कारण किया गया और पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 15.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

2852- उद्योग-

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

06- न्यायालयों में वादों की पैरवी-

मूल 15,00]

पुनर्वि० 15.00]

पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में ₹ 15.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपर्युक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

i thxr&

nRrer&

(v) ₹ 60,87.17 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 34,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) बचत निम्न के अधीन हुई:-

' kh"kl

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

(yk[k ₹ e)

4885- उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य

पूजीगत परिव्यय-

60- अन्य-

800- अन्य व्यय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें

मूल

2,00.00

पुनर्वि०

-2,00.00

₹ 2,00.00 लाख का अभ्यर्पण केन्द्रांश की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।

6885- उद्योग तथा खनिज के लिये अन्य कर्ज-

01- औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं

को कर्ज-

190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों

को कर्ज-

04- प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन को

व्यापार कर आस्थागन की सुविधा प्राप्त रुग्ण

औद्योगिक इकाइयों को आस्थागन के स्थान पर

ब्याज रहित ऋण योजना के अन्तर्गत

ऋण-

मूल

10,00.00

9,87.02

99.86

-8,87.16

पुनर्वि०

-12.98

पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में ₹ 12.98 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

(45)

' kh" kZ

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

(yk[k ₹ ee)

60- अन्य-

190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों
को कर्ज-

03- भारी उद्योग निवेश नीति के अन्तर्गत
औद्योगिक ईकाइयों को प्रोत्साहन-

मूल	50,00.00
पुनर्वि०	-50,00.00

..

₹ 50,00.00 लाख का अभ्यर्पण इस वित्तीय वर्ष में धनराशि का उपयोग न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

वृत्तिका I अ; क 8&m | ksx foHkkx (epz.k rFkk ys[ku I kexh)

ed; 'kh"z dgy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

(gtkj ₹ ee)

jktLo&

2058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण

nRrer&

मूल	1,13,21,16]	1,13,21,16	1,10,96,47	-2,24,69
पूरक	..				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

1,61,00

i thxr&

4058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर
पूजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	50,00]	50,00	49,90	-10
पूरक	..				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

10

वृत्तगत व्यय ; क 9 & आंकड़ों का विवरण

वर्ष : 2011-12
 विवरण : व्यय ; क 9
 अंकित : 9
 संख्या : 9

(गतक ₹ में)

वृत्तगत

- 2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क,
 2049- ब्याज अदायगियां,
 2059- लोक निर्माण कार्य,
 2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ और
 2801- बिजली

वृत्तगत

मूल	30,05,08,66	30,13,63,66	27,47,10,23	-2,66,53,43
पूरक	8,55,00			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)				32,41

वृत्तगत

मूल	29,25,75	29,25,75	29,25,75	..
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				..

वृत्तगत

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा
 6003- राज्य सरकार का आन्तरिक कर्ज

मूल	47,95,00,01	48,95,00,01	42,63,52,40	-6,31,47,61
पूरक	1,00,00,00			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)				6,31,47,91

वृत्तगत

मूल	..	6,39,96	6,39,96	..
पूरक	6,39,96			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				..

fVlif.k; ka , oa fVdk; &
jktLo&
nRrer&

- (i) अन्तिम बचत ₹ 2,66,53.43 लाख के विरुद्ध, मात्र ₹ 32.41 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित की जा सकी।
- (ii) अन्तिम बचत ₹ 2,66,53.43 लाख को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 8,55.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (iii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh"lz	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&
		(yk[k ₹ e)	

2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति

लाभ-

01- सिविल-

200- अन्य पेंशन-

03- राज्य विद्युत परिषद् के विघटन पूर्व कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवा नैवृत्तिक सुविधाएं उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर

तथा शुल्क-

103- संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क-

03- विद्युत सुरक्षा निदेशालय-

मूल 12,91.59

14,26.32 14,33.09 +6.77

पुनर्वि० 1,34.73

प्रावधान में ₹ 1,34.73 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 1,66.94 लाख की वृद्धि का कारण ए०सी०पी० का भुगतान और रिक्त पदों का भरना तथा ₹ 32.21 लाख का अभ्यर्पण आर्थिक मितव्ययिता, आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने तथा प्रतिपूर्ति के दावों को प्रस्तुत न किये जाने के कारण हुआ।

' kh"kl

dly vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

(yk[k ₹ e)

2801- बिजली-

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

04- पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत
परिषद के कार्मिकों के भविष्य
निधियों की संचित देयताओं का
उत्तर प्रदेश उर्जा क्षेत्र कार्मिक
न्यास को भुगतान-

मूल	2,20,66.00	}	2,18,99.06	2,40,99.06	+22,00.00
पुनर्वि०	-1,66.94				

प्रावधान में ₹ 1,66.94 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा कमी प्रक्रिया पूरी न होने के कारण, धनराशि की स्वीकृति न होने के कारण हुआ।

i thxr&

nRrer&

(v) अन्तिम बचत ₹ 6,31,47.61 लाख को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 1,00,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

02- ताप विद्युतशक्ति उत्पादन-

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य
उपक्रमों में निवेश-

10- उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० को अनपरा
"डी"(2*600 मे०वा०) विस्तार हेतु

अंशपूंजी	3,00,00.00	..	-3,00,00.00
----------	------------	----	-------------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

14- उ०प्र०विद्युत निर्माण निगम लिमिटेड-

मूल	8,95,60.00	}	2,70,60.00	2,70,60.00	..
पुनर्वि०	-6,25,00.00				

₹ 4,30,00.00 लाख का अभ्यर्पण ई०टी०एफ० की स्वीकृति न होने परियोजना की स्वीकृति न होने,स्थान का परिवर्तन और डी०पी०आर० लागू न होने के कारण हुआ। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,95,00.00 लाख की कमी परियोजना की स्वीकृति न होने के कारण हुई।

' kh"KZ dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

(yk[k ₹ ee)

06- ग्रामीण विद्युतीकरण-

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य
उपक्रमों में निवेश-

03- त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (राजीव गांधी ग्रामीण
विद्युतीकरण कार्यक्रम) हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम में
अंशपूंजी विनियोजन(के-100)-

मूल	3,00,00.00	}	98,52.10	98,52.10	..
पुनर्वि०	-2,01,47.90				

₹ 2,01,47.90 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण हुआ।

(vii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

02- ताप विद्युतशक्ति उत्पादन-

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य
उपक्रमों में निवेश-

11- अनपरा 'डी' 2*500 मेगावाट के विस्तार हेतु
उ०प्र० उत्पादन निगम लि० को अंशपूंजी
विनियोजन

.. 3,00,00.00 +3,00,00.00

05- संचरण एवं वितरण-

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य
उपक्रमों में निवेश-

08- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड को वितरण
नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु अंशपूंजी-

मूल	12,16,00.00	}	14,11,00.00	14,11,00.00	..
पुनर्वि०	1,95,00.00				

प्रावधान में ₹ 1,95,00.00 लाख की वृद्धि वर्ष के दौरान अपरिहार्य वितरण के कारण हुई।

वृत्तिका 10 (कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिस्यय) (कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिस्यय)

वृत्तिका 10 (कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिस्यय)	वृत्तिका 10 (कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिस्यय)	वृत्तिका 10 (कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिस्यय)	वृत्तिका 10 (कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिस्यय)

वृत्तिका 10

2401- फसल कृषि-कर्म ,
2406- वानिकी तथा वन्य जीवन ,
2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा तथा
2851- ग्राम तथा लघु उद्योग

वृत्तिका 10

मूल	1,42,04,60	1,44,54,61	1,32,46,36	-12,08,25
पूरक	2,50,01			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)				
				11,54,51

वृत्तिका 10

मूल	83,54	83,54	84,15	+61
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)				
				1,88

वृत्तिका 10

4401- फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिस्यय

वृत्तिका 10

मूल	2,10,00	2,10,00	2,16,20	+6,20
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				
				..

वृत्तिका 10 (कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिस्यय)

वृत्तिका 10

वृत्तिका 10

- ₹ 12,08.25 लाख की अन्तिम बचत में से, ₹ 11,54.51 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गयी।
- ₹ 12,08.25 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 2,50.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

' kh"kl	diy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
¼ yk[k ₹ ea ½			
2401- फसल कृषि-कर्म -			
111- कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र			
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-			
मूल	66.72	51.92	51.68
पुनर्वि०	-14.80		
₹ 14.80 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			

119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र			
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-			
मूल	19,25.00	11,53.19	11,46.89
पूरक	2,50.00		
पुनर्वि०	-10,21.81		
₹ 10,21.81 लाख की कुल बचत में से, प्रावधान में ₹ 1,25.00 लाख की कमी प्रासंगिक योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त न होने के कारण थी। ₹ 8,96.81 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			

(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

2406- वानिकी तथा वन्य जीवन -

02- पर्यावरणीय वानिकी तथा
वन्य जीवन -

112- सार्वजनिक उद्यान-

03- उद्यान-			
मूल	13,15.75	13,58.34	13,57.94
पूरक	0.01		
पुनर्वि०	42.58		
प्रावधान में ₹ 42.58 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 69.00 लाख की वृद्धि सरकार द्वारा ए० सी० पी० का लाभ दिये जाने तथा मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि के कारण था। प्रावधान में ₹ 3.18 लाख की कमी जिला अधिकारियों द्वारा धनराशि का अभ्यर्पण किये जाने के कारण था। ₹ 23.24 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			

' kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	
2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा –			
80- सामान्य–			
004- अनुसंधान –			
06- प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र –			
मूल	5,90.80		
पुनर्वि०	6.56	5,97.36	5,96.20 -1.16
प्रावधान में ₹ 6.56 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 16.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 9.44 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
07- राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान–			
मूल	79.00		
पुनर्वि०	-0.78	78.22	88.90 +10.68
₹ 0.78 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
2851- ग्राम तथा लघु उद्योग–			
107- रेशम उत्पादन उद्योग–			
04- नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रेशम उत्पादन द्वारा रोजगार सृजन–			
मूल	0.05		
पुनर्वि०	-0.05	..	6.02 +6.02
₹ 0.05 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।			

i Hkkfj r&

(v) व्यय प्रभारित विनियोग से ₹ 61,086 अधिक हुआ, अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है।

(vi) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:–

' kh"kl	dy fofu; ksx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

2401- फसल कृषि-कर्म –

119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें–

03- नर्सरी–

मूल	74.79	74.79	77.02 +2.23
-----	-------	-------	-------------

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

i wthxr&
nRrer&

(vii) ₹ 2,16,19,591 वास्तविक व्यय में वर्ष 2004-05 तथा 2008-09 के उच्चतम समाशोधन के ₹ 34,679 की धनराशि सम्मिलित हैं। व्यय दत्तमत अनुदान से ₹ 5,84,912 (₹ 6,19,591 - ₹ 34,679) अधिक हुआ, अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है।

(viii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

' kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	
4401- फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय-			
103- बीज-			
03- रोग रहित आलू के बीज, पौध, कांटेदार बाड़ के खम्भे की लागत, प्रासंगिक व्यय सहित (मैदानी क्षेत्र)-			
मूल	2,10.00	2,10.00	2,16.20
			+6.20

वास्तविक व्यय में वर्ष 2004-05 तथा 2008-09 के उच्चतम समाशोधन के ₹ 0.35 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'kh"lz	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
			¼ yk[k ₹ ea ½
2401- फसल कृषि-कर्म-			
102- खाद्यान फसलें-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-			
मूल 1,45,14.03	1,07,53.48	1,04,39.32	-3,14.16
पुनर्वि० -37,60.55			
₹ 37,60.55 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 8,97.15 लाख के अभ्यर्पण मुख्यतः भारत सरकार की अधिक प्रशासनिक स्वीकृति के कारण था। प्रावधान में ₹ 28,63.40 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
103- बीज-			
04- प्रमाणित बीजों पर अनुदान-			
मूल 70,00.00	55,49.92	47,87.92	-7,62.00
पुनर्वि० -14,50.08			
₹ 14,50.08 लाख का अभ्यर्पण संकर धान बीज लक्ष्य से अवितरण के कारण हुआ।			
105- खाद तथा उर्वरक-			
05- प्रदेश के कृषकों को अनुदानित दर पर जिंक सल्फेट का वितरण-			
मूल 12,00.00	12,00.00	11,99.86	-0.14
पूरक 6,00.00			
पुनर्वि० -6,00.00			
प्रावधान में ₹ 6,00.00 लाख की कमी अभ्यर्पण मुख्यतः रवि फसल की बोआई समाप्ति के कारण जिंक सल्फेट की आवश्यकता होने के कारण हुआ।			
107- वनस्पति रक्षण -			
04- विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियन्त्रण-			
मूल 42,90.50	31,42.05	31,38.12	-3.93
पुनर्वि० -11,48.45			
₹ 11,48.45 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 6,23.45 लाख के अभ्यर्पण मुख्यतः कार्य योजना की प्रशासनिक स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण हुआ। जबकि प्रावधान में ₹ 5,25.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			

½ yk[k ₹ ea ½

108- वाणिज्यिक फसलें—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	1,45.58
पुनर्वि०	-96.07

49.51

45.61

-3.90

₹ 96.07 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार की अधिक प्रशासनिक स्वीकृति के कारण था।

109- विस्तार तथा किसानों
को प्रशिक्षण—01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	9,10.00
पुनर्वि०	-2,80.00

6,30.00

3,58.77

-2,71.23

₹ 2,80.00 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार की अधिक प्रशासनिक स्वीकृति के कारण था।

05- किसान मित्र योजना—

मूल	58,35.76
पुनर्वि०	-4,00.00

54,35.76

36,58.16

-17,77.60

₹ 4,00.00 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

110- फसल बीमा —

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

पूरक	4,10.16
------	---------

4,10.16

2,19.82

-1,90.34

111- कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	6,91.45
पुनर्वि०	-15.75

6,75.70

4,77.63

-1,98.07

₹ 15.75 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः मितव्ययिता तथा आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

04- कृषि विभाग में कृषि सांख्यिकी तथा प्रबन्ध व्यवस्था के सम्बन्ध में कम्प्यूटराइजेशन का अध्ययन एवं डिजाइन तैयार करना—

मूल	5,34.81	}
पुनर्वि०	-5,23.04	

11.77

12.49

+0.72

₹ 5,23.04 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने तथा वित्तीय व्यय समिति से योजना स्वीकृति न होने के कारण हुआ।

05- फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों का डाटा बैंक—

मूल	4,56.80	}
पुनर्वि०	-2,62.30	

1,94.50

1,64.42

-30.08

₹ 2,62.30 लाख का अभ्यर्पण संविदा पर कर्मचारियों की स्वीकृति न होने के कारण हुआ।

112- दालों का विकास—

03- रबी दलहन उत्पादन कार्यक्रम—

मूल	31,40.90	}
पुनर्वि०	-7,77.51	

23,63.39

..

-23,63.39

₹ 7,77.51 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 67.51 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण था जबकि प्रावधान में ₹ 7,10.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	3,44.00	}
पुनर्वि०	-3,44.00	

..

5.83

+5.83

₹ 3,44.00 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार द्वारा धनराशि निर्गत न होने के कारण हुआ।

2402- मृदा तथा जल संरक्षण —

001- निदेशन तथा प्रशासन—

03- अधिष्ठान व्यय—

मूल	3,58.24	}
पुनर्वि०	-18.11	

3,40.13

3,04.39

-35.74

₹ 18.11 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने के कारण हुआ।

' kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ ea½

101- मृदा-संरक्षण तथा परीक्षण-

05- जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं

का सदृढीकरण/जैव उर्वरकों के

प्रयोग को प्रोत्साहित करने का

कार्यक्रम-

मूल 2,65.05]

2,31.85

1,19.16

-1,12.69

पुनर्वि० -33.20]

₹ 33.20 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

103- भूमि सुधार तथा विकास-

97- बाह्य सहायतित योजनायें-

मूल 1,22,95.74]

85,18.00

85,18.00

..

पुनर्वि० -37,77.74]

₹ 37,77.74 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-

01- फसल कृषि कर्म-

277- शिक्षा-

03- राजकीय कृषि विद्यालय-

मूल 3,65.73]

2,61.97

2,57.91

-4.06

पुनर्वि० -1,03.76]

₹ 1,03.76 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने के कारण हुआ।

80- सामान्य-

120- अन्य संस्थाओं को सहायता-

20- राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की

आडिट फीस के लिए व्यवस्था-

मूल 2.32.50]

1,97.71

1,97.71

..

पुनर्वि० -34.79]

₹ 34.79 लाख के अभ्यर्पण व्यय न होने के कारण हुआ।

23- कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों

में शोध कार्यक्रम-

मूल 3,00.00]

..

..

..

पुनर्वि० -3,00.00]

₹ 3,00.00 लाख के अभ्यर्पण समुचित प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ।

24- कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में कृषि प्रसार योजना—				
मूल	2,00.00] 1,34.00	1,34.00	..
पुनर्वि०	-66.00			
₹ 66.00 लाख के अभ्यर्पण समुचित प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ।				
26- उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद में कृषि शोध सुविधाओं का सुदृढीकरण—				
मूल	2,00.00]
पुनर्वि०	-2,00.00			
₹ 2,00.00 लाख के अभ्यर्पण समुचित प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ।				
27- कृषि विश्वविद्यालय, बांदा की स्थापना—				
मूल	2,16.70] 84.18	84.76	+0.58
पुनर्वि०	-1,32.52			
₹ 1,32.52 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।				
800- अन्य व्यय—				
03- अवशेषों का भुगतान—				
मूल	24,07.67] 19,15.39	19,15.39	..
पुनर्वि०	-4,92.28			
प्रावधान में ₹ 4,92.28 लाख की कमी माँग न होने के कारण हुई।				
2435- अन्य कृषि कार्यक्रम—				
01- विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण—				
101- विपणन सुविधाएं—				
04- बाजार विनियमन एवं प्रशिक्षण केन्द्र—				
मूल	1,31.86] 1,14.62	1,15.56	+0.94
पुनर्वि०	-17.24			
₹ 17.24 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 6.93 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर, माँग न होने तथा मितव्ययिता के कारण था जबकि प्रावधान में ₹ 1.69 लाख की वृद्धि तथा प्रावधान में ₹ 12.00 कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr &
				% yk[k ₹ ea %
2401- फसल कृषि-कर्म-				
001- निदेशन तथा प्रशासन-				
03- कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान-				
मूल	20,41.04	22,47.43	22,65.28	+17.85
पुनर्वि०	2,06.39			
प्रावधान में ₹ 2,06.39 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 2,13.40 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 7.01 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने के कारण हुआ।				
05- जिला संगठन-				
मूल	41,53.06	49,89.02	50,39.79	+50.77
पूरक	0.02			
पुनर्वि०	8,35.94			
प्रावधान में ₹ 8,35.94 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 8,61.60 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 25.66 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने के कारण हुआ।				
103- बीज-				
03- प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र -				
मूल	20,82.11	20,80.00	21,11.06	+31.06
पुनर्वि०	-2.11			
₹ 2.11 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने के कारण हुआ।				
110- फसल बीमा -				
04- फसल बीमा हेतु :				
कृषि बीमा कम्पनी लिमिटेड				
को प्रीमियम का भुगतान		50,00.00	50,42.42	+42.42
2402- मृदा तथा जल संरक्षण-				
101- मृदा-संरक्षण तथा परीक्षण-				
03- मृदा, सर्वेक्षण व परीक्षण-				
कार्यक्रम -				
मूल	1,28,20.85	1,28,16.97	1,30,96.72	+2,79.75
पुनर्वि०	-3.88			
₹ 3.88 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने के कारण हुआ।				

' kh" kZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

04- प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि
परीक्षण प्रयोगशालाओं की
राइजीवियम कल्चर उत्पादन
हेतु सुदृढीकरण योजना—

मूल	96.25	}
पुनर्वि०	-1.15	

95.10

1,10.05

+14.95

₹ 1.15 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने के कारण हुआ।

102- मृदा-संरक्षण —

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	1,92.00	}
पुनर्वि०	-1,92.00	

..

21,87.93

+21,87.93

₹ 1,92.00 लाख का अभ्यर्पण योजना न होने के कारण हुआ।

05- मृदा स्वास्थ्य का सदृढीकरण —

पुनर्वि०	5,23.05
----------	---------

5,23.05

2,90.54

-2,32.51

प्रावधान में ₹ 5,23.05 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 7,10.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 1,86.95 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने के कारण हुआ।

11- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना—

मूल	82,99.97	}
पूरक	29,00.00	
पुनर्वि०	-17,91.61	

94,08.36

1,16,69.29

+22,60.93

₹ 17,91.61 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने के कारण हुआ।

103- भूमि सुधार तथा विकास—

04- किसान हित योजना

11,48.00

13,51.15

+2,03.15

2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा—

80- सामान्य—

120- अन्य संस्थाओं को सहायता—

04- उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय,
कानपुर को अनुदान—

मूल	19,65.63	}
पुनर्वि०	1,35.00	

21,00.63

21,00.85

+0.22

प्रावधान में ₹ 1,35.00 लाख की वृद्धि मद में प्रावधान पर्याप्त न होने के कारण हुआ।

05- उ० प्र० कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद को सहायक अनुदान—				
मूल	11,33.94] 12,63.94	12,63.94	..
पुनर्वि०	1,30.00			
प्रावधान में ₹ 1,30.00 लाख की वृद्धि मद में प्रावधान पर्याप्त न होने के कारण हुआ।				
06- उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद् को अनुदान—				
मूल	55.00] 97.28	97.28	..
पुनर्वि०	42.28			
प्रावधान में ₹ 42.28 लाख की वृद्धि मद में प्रावधान पर्याप्त न होने के कारण हुआ।				
09- इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट को अनुदान—				
मूल	4,82.05] 5,42.05	5,42.05	..
पुनर्वि०	60.00			
प्रावधान में ₹ 60.00 लाख की वृद्धि मद में प्रावधान पर्याप्त न होने के कारण हुआ।				
12- कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम मेरठ की स्थापना—				
मूल	6,75.00] 8,00.00	8,00.00	..
पुनर्वि०	1,25.00			
प्रावधान में ₹ 1,25.00 लाख की वृद्धि मद में प्रावधान पर्याप्त न होने के कारण हुआ।				
2435- अन्य कृषि कार्यक्रम—				
01- विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण—				
101- विपणन सुविधाएं—				
03- कृषि उत्पादन का व्यापार संगठन—				
मूल	6,62.80] 6,87.97	6,88.03	+0.06
पुनर्वि०	25.17			
प्रावधान में ₹ 25.17 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 50.66 लाख की वृद्धि तथा प्रावधान में ₹ 14.50 कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 10.99 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने, वास्तविक व्यय के आधार पर तथा मितव्ययता के कारण हुआ। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।				

i Hkkfj r&

- (v) ₹ 12.09 लाख की अन्तिम बचत में से , मात्र ₹ 2.51 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(vi) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'kh"kl	dy; fofu; ks	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

2401- फसल कृषि-कर्म-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- कृषि निदेशालय का सामान्य
अधिष्ठान-

मूल	15.00	}	12.58	3.01	-9.57
पुनर्वि०	-2.42				

₹ 2.42 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

i wthxr&

nRrer&

(vii) ₹ 50,30.16 लाख की अन्तिम बचत में से , मात्र ₹ 40,37.23 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(viii) ₹ 50,30.16 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 24,63.02 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ix) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'kh"kl	dy; vuqku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

4401- फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत

परिव्यय-

102- खाद्यान्नों की फसलें-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	2,00.00	}
पुनर्वि०	-2,00.00				

₹ 2,00.00 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

105- खाद तथा उर्वरक-

03- देश में निर्मित रसायनिक

उर्वरकों की लागत एवं

प्रासंगिक व्यय-

मूल	5.00]	4.09	-2.64	-6.73
पुनर्वि०	-0.91				

₹ 0.91 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने के कारण हुआ।

107- वनस्पति संरक्षण-

04- विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों

द्वारा कीट/रोग नियंत्रण-

मूल	4,00.60]	1,38.60	37.77	-1,00.83
पुनर्वि०	-2,62.00				

₹ 2,62.00 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः कार्ययोजना की प्रशासनिक स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण हुआ।

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा

अन्य उपक्रमों में निवेश-

03- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-

मूल	35,00.00]	34,99.22	26,14.48	-8,84.74
पुनर्वि०	-0.78				

₹ 0.78 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

03- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-

मूल	44,00.00]	30,90.67	29,98.62	-92.05
पुनर्वि०	-13,09.33				

₹ 13,09.33 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने के कारण हुआ।

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर

पूँजीगत परिव्यय -

05- मछली पालन-

277- शिक्षा-

03- मत्स्य महाविद्यालय,

इटावा-

मूल	2,00.00]
पुनर्वि०	-2,00.00				

₹ 2,00.00 लाख का अभ्यर्पण प्रस्ताव की स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण हुआ।

80- सामान्य—

277- शिक्षा—

06- जनपद मेरठ में पशु चिकित्सा

विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय

की स्थापना

10,00.00

5,00.00

-5,00.00

07- उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय

फैजाबाद के अन्तर्गत डा0 राम

मनोहर लोहिया प्लान्ट बायोडाइवर्सिटी

एंड बायोटेक्नालाजी महाविद्यालय का

निर्माण—

मूल 3,00.00

88.67

88.67

..

पुनर्वि0 -2,11.33

₹ 2,11.33 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 1,70.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं जबकि ₹ 41.33 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता से अधिक प्रावधान होने के कारण हुआ।

12- कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के

अन्तर्गत कालेज आफ बेसिक

साइंस का निर्माण—

मूल 2,00.00

1,42.39

1,42.39

..

पुनर्वि0 -57.61

₹ 57.61 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता से अधिक प्रावधान होने के कारण हुआ।

18- कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में

प्राशसनिक भवन का निर्माण—

मूल 10,42.66

9,30.66

9,30.66

..

पुनर्वि0 -1,12.00

₹ 1,12.00 लाख का अभ्यर्पण निर्माण कार्य की लागत का पॉच प्रतिशत धनराशि के आहरण की अनुमति न होने के कारण हुआ।

20- कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में

आवासीय भवनों का सुदृढीकरण—

पुनर्वि0 1,70.00

1,70.00

..

-1,70.00

प्रावधान में ₹ 1,70.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

27- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मोदीपुरम् मेरठ—

मूल	31,48.65] 27,50.05	23,44.15	-4,05.90
पुनर्वि०	-3,98.60			

₹ 3,98.60 लाख के अभ्यर्पण आवश्यकता से अधिक प्रावधान होने तथा समुचित प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(x) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

4401- फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत
परिव्यय—

103- बीज—

04- आधारिक बीज भंडार—

मूल	2,01,71.03] 2,01,67.56	2,02,66.69	+99.13
पुनर्वि०	-3.47			

₹ 3.47 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने के कारण हुआ।

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर
पूंजीगत परिव्यय —

80- सामान्य—

277- शिक्षा—

08- कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद के
अन्तर्गत उद्यान एवं वानिकी
महाविद्यालय की स्थापना —

मूल	7,00.00] 6,09.68	11,09.68	+5,00.00
पुनर्वि०	-90.32			

₹ 90.32 लाख के अभ्यर्पण आवश्यकता से अधिक प्रावधान होने के कारण हुआ।

09- कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद के
अन्तर्गत मत्स्य महाविद्यालय की

स्थापना	49.40	1,35.43	+86.03
---------	-------	---------	--------

28- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
फैजाबाद—

मूल	18,16.31] 21,92.13	23,84.29	+1,92.16
पूरक	3,75.82			

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

vupku l d; k 12&df" k rFkk vU; l Ec) foHkkx
 Hkfe fodkl , oa ty l d k/ku½

e[; 'kh"z

dgy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

½ g tkj ₹ ea½

jktLo&2501- ग्राम विकास के लिए विशेष
कार्यक्रम,

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम तथा

2705- कमान क्षेत्र विकास

nRrer&

मूल 2,15,24,04

पूरक 51,00,01

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

2,66,24,05

1,73,19,28

-93,04,77

93,03,94

i wthxr&4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर
पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल ..

पूरक 75,00,00

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

75,00,00

55

-74,99,45

75,00,00

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 93,04.77 लाख की अन्तिम बचत के विरुद्ध, ₹ 93,03.94 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गयी।

(ii) ₹ 93,04.77 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया
₹ 51,00.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यथावश्यक सांकेतिक प्रावधान से
सीमित किया जा सकता था।

(iii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

' kh"KZ	clg vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr &
				¼ yk[k ₹ ea ½
2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम—				
02- सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम—				
800- अन्य व्यय—				
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—				
मूल	6,49.75			
पुनर्वि०	-3,13.15	3,36.60	3,36.60	..
₹ 3,13.15 लाख का अभ्यर्पण केन्द्रांश की अपेक्षित धनराशि प्राप्त न होने के कारण था।				
05- बंजर भूमि विकास—				
101- राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम—				
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—				
मूल	22,38.43			
पुनर्वि०	-9,99.68	12,38.75	12,38.51	-0.24
₹ 9,99.68 लाख का अभ्यर्पण केन्द्रांश की अपेक्षित धनराशि प्राप्त न होने के कारण था।				
2705- कमान क्षेत्र विकास —				
800- अन्य व्यय—				
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—				
मूल	1,74,30.09			
पूरक	50,00.01	1,44,42.68	1,50,69.90	+6,27.22
पुनर्वि०	-79,87.42			
₹ 79,87.42 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				
03- अवशेषों का भुगतान—				
मूल	11,75.54			
पुनर्वि०	-3.69	11,71.85	5,44.04	-6,27.81
₹ 3.69 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।				

i wthxr&

nRrer&

(iv) ₹ 74,99.45 लाख की अन्तिम बचत के विरुद्ध, ₹ 75,00.00 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गयी।

(v) ₹ 74,99.45 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 75,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

(vi) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

	' kh"kl	dlg vumku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
				cpr &
			½ yk[k ₹ ea ½	
4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—				
800- अन्य व्यय—				
03- जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार—				
पूरक	75,00.00	}	..	0.55
पुनर्वि०	-75,00.00			
₹ 75,00.00 लाख का अभ्यर्पण केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण था।				+0.55

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

वृत्तिका 1 अ; क 13 & दफ्तर रफक वल; 1 ए) फोहकx (xkE; fodkl 1/2

वर्ष; 'क'क	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
(हजार ₹ में)			
जिला			
2013- मंत्रि परिषद्,			
2215- जल पूर्ति तथा सफाई,			
2230- श्रम तथा रोजगार ,			
2501- ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम,			
2505- ग्राम रोजगार,			
2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,			
2702- लघु सिंचाई तथा			
3054- सड़क तथा सेतु			
मूल	18,67,38,66		
पूरक	1,51,14,24		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)	20,18,52,90	18,69,58,50	-1,48,94,40
अनुदान			
मूल	14,00		
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)	14,00	10,38	-3,62
अनुदान			
4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,			
4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय तथा			
5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
मूल	11,56,39,55		
पूरक	1,00,00,00		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)	12,56,39,55	12,07,76,31	-48,63,24
अनुदान			
मूल			
पूरक			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)			49,69,69

वर्षीय; क, ओ, व, ह, क; &

जिला

अनुदान

- (i) ₹ 1,48,94.40 लाख की अन्तिम बचत के विरुद्ध, मात्र ₹ 95,97.66 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गयी।

- (ii) ₹ 1,48,94.40 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 1,51,14.24 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।
- (iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr &	
				½ yk[k ₹ es ½	
2230- श्रम तथा रोजगार –					
01- श्रम –					
103- सामान्य श्रम कल्याण–					
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र					
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–					
मूल	1,55,13.00	}	82,66.38	77,56.25	-5,10.13
पुनर्वि०	-72,46.62				
प्रावधान में ₹ 72,46.62 लाख की कुल कमी में से, प्रावधान में ₹ 7,50.00 लाख की कमी राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत स्मार्ट कार्ड निर्गत न होने तथा प्रावधान में ₹ 64,96.62 लाख कमी होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।					
2501- ग्राम्य विकास के लिये विशेष कार्यक्रम–					
01- समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम–					
800- अन्य व्यय–					
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र					
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–					
मूल	93,52.31	}	64,55.20	65,40.21	+85.01
पूरक	12,83.00				
पुनर्वि०	-41,80.12				
₹ 41,80.12 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।					
2505- ग्राम रोजगार–					
01- राष्ट्रीय कार्यक्रम–					
702- जवाहर ग्राम समृद्धि योजना–					
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र					
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–					
मूल	1,20,00.00	}	1,55,62.15	1,00,51.30	-55,10.85
पूरक	35,48.00				
पुनर्वि०	14.15				
प्रावधान में ₹ 14.15 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 55.99 लाख का अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 70.14 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।					

'kh"lz

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-

102- सामुदायिक विकास-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	1,98.00	}	2,46.18	2,37.90	-8.28
पूरक	2,63.21				
पुनर्वि०	-2,15.03				

₹ 2,15.03 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

08- अम्बेडकर रोजगार योजना-

मूल	16,00.00	}	7,49.05	7,19.65	-29.40
पुनर्वि०	-8,50.95				

₹ 8,50.95 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

800- अन्य व्यय-

04- प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना-

मूल	2,58.46	}	1,94.23	1,94.23	..
पुनर्वि०	-64.23				

₹ 64.23 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2702- लघु सिंचाई-

02- भू-जल-

005- अन्वेषण-

04- भूजल स्रोतों का मानचित्रीकरण

एवं गहरे भूजल स्रोतों पर

पेसामीटर टेस्ट-

मूल	79.00	}	64.93	61.08	-3.85
पुनर्वि०	-14.07				

₹ 14.07 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

80- सामान्य-

799- उचन्त-

04- विविध कार्य अग्रिम .. -1,15.57 -1,15.57

बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित हैं।

टिप्पणी संख्या (v) में उचन्त लेन-देन का व्यौरा को जोड़ा गया है।

'kh"lz

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

800- अन्य व्यय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	2,51.18]	87.93	87.61	-0.32
पुनर्वि०	-1,63.25				

₹ 1,63.25 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

2215- जल पूर्ति तथा सफाई-

01- जलपूर्ति-

102- ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	3,97,25.00]	5,25,30.48	5,25,30.48	..
पूरक	1,00,00.00				
पुनर्वि०	28,05.48				

प्रावधान में ₹ 28,05.48 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 21,21.00 लाख का अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। प्रावधान में ₹ 49,26.48 लाख की वृद्धि केन्द्रांश के बराबर राज्यांश के लिये हुई।

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- विकास आयुक्त (मुख्यालय)-

मूल	6,70.58]	6,77.52	7,75.69	+98.17
पूरक	0.01				
पुनर्वि०	6.93				

प्रावधान में ₹ 6.93 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 15.00 लाख की वृद्धि वित्तीय वर्ष के दौरान मंहगाई भत्ता में अधिक वृद्धि तथा कर्मचारियों को ए० सी० पी० स्वीकृति के कारण हुआ। ₹ 8.07 लाख अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

04- विकास आयुक्त के

क्षेत्रीय कार्यालय-

मूल	6,03.20]	5,73.40	6,48.11	+74.71
पुनर्वि०	-29.80				

₹ 29.80 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

'kh"lz	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr &	
				¼ yk[k ₹ ea ½	
003- प्रशिक्षण-					
03- कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय / जिला ग्राम विकास)-					
मूल	20,51.37	}	20,71.37	22,32.33	+1,60.96
पूरक	20.00				
102- सामुदायिक विकास-					
03- मुख्य अधिष्ठान-					
मूल	3,43,90.85	}	3,43,37.19	3,49,78.53	+6,41.34
पुनर्वि०	-53.66				
₹ 53.66 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।					
06- संग्रहीत जिला कार्यालय-					
मूल	63,49.86	}	66,90.52	66,14.86	-75.66
पुनर्वि०	3,40.66				
प्रावधान में ₹ 3,40.66 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 4,00.00 लाख की वृद्धि वित्तीय वर्ष के दौरान मँहगाई भत्ता में वृद्धि होने तथा कर्मचारियों को ए० सी० पी० स्वीकृति के कारण हुआ। ₹ 59.34 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।					
800- अन्य व्यय-					
01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-					
पुनर्वि०	11.50	11.50	11.76	+0.26	
प्रावधान में ₹ 11.50 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 14,88.50 लाख के अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 15,00.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।					
03- ग्रामीण अभियंत्रण सेवा-					
मूल	1,56,77.67	}	1,56,49.83	1,58,04.10	+1,54.27
पूरक	0.01				
पुनर्वि०	-27.85				
₹ 27.85 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।					
05- महामाया सर्वजन आवास योजना-					
मूल	90,00.00	}	89,19.74	92,75.71	+3,55.97
पुनर्वि०	-80.26				
₹ 80.26 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।					

'kh"lz

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

2702- लघु सिंचाई-

02- भू-जल-

005- अन्वेषण-

03- भू-गर्भ जल सर्वेक्षण का
विकास, आकलन एवं
सुदृढीकरण-

मूल	31,85.08	}	31,67.67	31,97.18	+29.51
पुनर्वि०	-17.41				

₹ 17.41 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

800- अन्य व्यय-

03- ब्लारिस्टिंग यूनिटों के कुओं
को गहरा करने की योजना
(जिला योजना) -

मूल	4.00	}	2.30	14.86	+12.56
पुनर्वि०	-1.70				

₹ 1.70 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

80- सामान्य-

799- उचन्त-

03- भण्डार उचन्त

.. 27.61

+27.61

बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित हैं।
टिप्पणी संख्या (v) में उचन्त लेन-देन का व्यौरे को जोड़ा गया है।

800- अन्य व्यय-

08- डा० अम्बेडकर सामूहिक

नलकूप योजना

2,15.00

2,19.57

+4.57

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/बचत के व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं
(जून 2011)।

(v) mpLr yu&nu &

अनुदान के व्यय में उचन्त के अधीन दर्ज किये गये ₹ -0.88 करोड़ सम्मिलित हैं।

उचन्त लेन-देन का स्वरूप और उनकी लेखा प्रणाली की व्याख्या अनुदान संख्या 94- सिंचाई विभाग
(निर्माण कार्य) के अधीन दी गई है।

वृत्तवार्षिक 14 वीं वित्त वर्ष (1 एप्रिल 2010 से 31 मार्च 2011) का सारांश (अंश 1/2)

वर्ग : 'क'क	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(हजार ₹ में)		
वृत्तवार्षिक			
2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ,			
2204- खेल-कूद तथा युवा सेवाएँ,			
2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम तथा			
2575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम			
निरंतर			
मूल	17,92,18,93	21,15,81,63	18,88,89,37
पूरक	3,23,62,70		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)			-2,26,92,26
			2,41,51,18

वृत्तवार्षिक

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर			
पूंजीगत परिव्यय तथा			
4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर			
पूंजीगत परिव्यय			
निरंतर			
मूल	5,72,66,10	5,72,66,10	5,83,50,20
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)			+10,84,10
			3,47,10

वित्त वर्ष : 2010-11

वृत्तवार्षिक

निरंतर

- (i) ₹ 2,26,92.26 लाख की अन्तिम बचत में से , मात्र ₹ 2,41,51.18 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।
- (ii) ₹ 2,26,92.26 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 3,23,62.70 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन

हुई :-

'kh"KZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

½ yk[k ₹ ea½

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें-

800- अन्य व्यय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल 56,13.00

33,97.20

33,92.90

-4.30

पुनर्वि० -22,15.80

₹ 22,15.80 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 12,68.70 लाख का अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 9,47.10 लाख कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

04- प्रान्तीय रक्षक दल-

मूल 1,50.00

1,16.19

1,13.78

-2.41

पुनर्वि० -33.81

₹ 33.81 लाख का अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

07- अवशेषों का भुगतान-

मूल 2,94.76

2,68.33

2,63.95

-4.38

पुनर्वि० -26.43

₹ 26.43 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 4.89 लाख का अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 21.54 लाख कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2204- खेल-कूद तथा युवा सेवायें-

104- खेलकूद-

03- ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता

का आयोजन

(जिला योजना)-

मूल 56.00

47.09

48.57

+1.48

पुनर्वि० -8.91

₹ 8.91 लाख का अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- पंचायती राज निदेशालय-

मूल 3,20.67

3,28.09

3,81.75

+53.66

पूरक 1,00.01

पुनर्वि० -92.59

₹ 92.59 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 13.60 लाख की कमी अधिनियम तथा शासकीय आदेशों के अनुसार चुनाव कराने के फलस्वरूप लम्बित वादों की कमी के कारण हुई।

₹ 78.99 लाख का अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

101- पंचायती राज –

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–

मूल	1,00,00.00	}	49,49.98	49,93.84	+43.86
पुनर्वि०	-50,50.02				
₹ 50,50.02 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।					

08- ग्रामीण स्वच्छता अभियान के
अन्तर्गत स्वच्छ शौचालयों का
निर्माण–

मूल	44,10.00	}	17,42.10	17,31.49	-10.61
पुनर्वि०	-26,67.90				
₹ 26,67.90 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।					

800- अन्य व्यय–

11- पंचायती राज चुनाव

हेतु व्यवस्था–

मूल	2,25,00.00	}	1,49,86.22	1,49,99.58	+13.36
पुनर्वि०	-75,13.78				
₹ 75,13.78 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 75,03.78 लाख का अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 10.00 लाख कमी त्रि-स्तरीय पंचायत सामान्य चुनाव 2010 के लिए निर्गत धनराशि में सम्भावित बचत के कारण हुई।					

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

2575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम–

02- पिछड़े क्षेत्र–

800- अन्य व्यय–

03- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

पोषित कार्यक्रम–

मूल	63,09.68	}
पुनर्वि०	-63,09.68				
₹ 63,09.68 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।					

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr &
				¼ yk[k ₹ es ½
2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें—				
800- अन्य व्यय—				
03- प्रादेशिक विकास दल—				
मूल	15,08.71			
पूरक	12.21	15,19.98	15,29.65	+9.67
पुनर्वि०	-0.94			
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2006-07 तथा 2008-09 में उचन्त लेखे के समाशोधन की ₹ 12.85 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं ।				
₹ 0.94 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 21.54 लाख की वृद्धि कर्मचारियों के ग्रेड वेतन में वृद्धि, कर्मचारियों को ए० सी० पी० का लाभ आदि के कारण हुई। ₹ 22.48 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				
2204- खेल-कूद तथा युवा सेवायें —				
104- खेल-कूद —				
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—				
मूल	..			
पुनर्वि०	8,60.58	8,60.58	8,37.15	-23.43
प्रावधान में ₹ 8,60.58 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 86.52 लाख का अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 9,47.10 लाख वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				
2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—				
101- पंचायती राज —				
03- जिला पंचायत प्रशासन—				
मूल	17,57.55			
पुनर्वि०	-66.19	16,91.36	18,24.16	+1,32.80
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2005-06, 2006-07 तथा 2008-09 में उचन्त लेखे के समाशोधन की ₹ 1,17.13 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं ।				
₹ 66.19 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				
04- मंडल पंचायत प्रशासन—				
मूल	1,65.01			
पुनर्वि०	4.95	1,69.96	3,38.35	+1,68.39
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2007-08 तथा 2008-09 में उचन्त लेखे के समाशोधन की ₹ 23.81 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं ।				
प्रावधान में ₹ 4.95 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 8.65 लाख का अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 13.60 लाख वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				

800- अन्य व्यय—

04- जिला परिषदों और क्षेत्र

समितियों का लेखा संगठन—

मूल	5,66.32]	5,57.02	6,64.71	+1,07.69
पुनर्वि०	-9.30				

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2003-04, 2004-05, 2006-07 तथा 2009-10 में उचन्त लेखे के समाशोधन की ₹ 98.97 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं ।

₹ 9.30 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

08- राज्य निर्वाचन आयोग—

(जिला स्तरीय)—

मूल	1,17.00]	1,11.24	2,52.17	+1,40.93
पुनर्वि०	-5.76				

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2005-06 तथा 2007-08 में उचन्त लेखे के समाशोधन की ₹ 0.18 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं ।

₹ 5.76 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 10.00 लाख की वृद्धि माह फरवरी 2011 में कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों आहरण न किय जाने के कारण हुई । ₹ 15.76 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

10- ग्रामीण स्थानीय निकायों को

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित

सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों

के वेतन आदि के लिए व्यवस्था—

मूल	1,60,01.30]	1,55,93.15	1,63,01.53	+7,08.38
पुनर्वि०	-4,08.15				

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2005-06 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 में उचन्त लेखे के समाशोधन की ₹ 5,58.22 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं ।

₹ 4,08.15 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

14- 13 वें वित्त आयोग की

संस्तुतियों के परिपेक्ष्य में

व्यवस्था—

मूल	5,89,38.61]	9,11,28.61	9,16,70.18	+5,41.57
पूरक	3,21,90.00				

वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 में उचन्त लेखे के समाशोधन की ₹ 2,43.47 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

in the

of the

- (v) ₹ 5,83,50.20 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2006-07 तथा 2009-10 में उच्च लेखे के समाशोधन के ₹ 14,31.20 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं। ₹ 3,47.10 लाख (₹ 14,31.20 लाख - ₹ 10,84.10 लाख) की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 3,47.10 लाख का अभ्यर्पण की धनराशि प्रत्याशित की जा सकी।
- (vi) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययव्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

		व्यय	अभ्यर्पण	अनुदान	समाशोधन
4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय -					
800- अन्य व्यय-					
03- ग्रामीण स्टेडियमों का निर्माण-					
मूल	18.00	9.00	9.00		
पुनर्वि०	-9.00				
₹ 9.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।					

- (vii) व्ययव्यय निम्न के अधीन हुआ :-

4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-					
02- पिछड़े क्षेत्र-					
800- अन्य व्यय-					
03- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि पोषित कार्यक्रम -					
मूल	5,72,48.10	5,69,10.00	5,83,41.20		+14,31.20
पुनर्वि०	-3,38.10				
वास्तविक व्यय में वर्ष 2006-07 तथा 2009-10 में उच्च लेखे के समाशोधन की ₹ 14,31.20 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं।					
₹ 3,38.10 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।					

वृत्तिका 15 (क) के अन्तर्गत व्यय (1/2)

वर्ष	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
(हजार ₹ में)			
वृत्तिका 15 (क)			
2013- मंत्रि परिषद् तथा			
2403- पशु पालन			
मूल			
	4,20,90,80		
पूरक			
	1,92,25		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)	4,22,83,05	4,02,67,67	-20,15,38
			19,83,93
वृत्तिका 15 (ख)			
मूल			
	13,79		
पूरक			
	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)	13,79	11,37	-2,42
			2,42
वृत्तिका 15 (ग)			
4403- पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
मूल			
	11,89,61		
पूरक			
	5,61,00		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)	17,50,61	8,40,33	-9,10.28
			9,10.28

वृत्तिका 15 (क) , (ख) , (ग)

वृत्तिका 15 (क)

मूल

(i) ₹ 20,15.38 लाख की अन्तिम बचत में से, ₹ 19,83.93 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकती।

(ii) ₹ 20,15.38 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 1,92.25 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

' kh"kl	clg vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		% yk[k ₹ ea ½	

2403- पशु पालन-

101- पशु चिकित्सा सेवायें तथा
पशु स्वास्थ्य-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	26,07.36	15,29.85	15,46.40	+16.55
पुनर्वि०	-10,77.51			

₹ 10,77.51 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 3.01 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा की गयी कमी पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन मद में बचत के कारण हुई। ₹ 10,74.50 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः केन्द्रांश प्राप्त न होने, परिषद का चुनाव न होने, बिल प्राप्त न होने, आवश्यकता न होने, पदों के रिक्त होने के कारण हुआ।

102- पशु तथा भैंस विकास-

04- पैरावेट की योजना

मूल	5,62.99	4,07.92	4,09.22	+1,30
पुनर्वि०	-1,55.07			

₹ 1,55.07 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 11.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा की गयी कमी वास्तविकता के आधार पर बचत, वेतन मद, पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।

₹ 1,44.07 लाख का अभ्यर्पण जिलों द्वारा न्यूनतम धनराशि का अभ्यर्पण, माल का दर कम होने, स्वीकृति कम प्राप्त होने के कारण हुआ।

104- भेड़ तथा ऊन विकास-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

पूरक	23.25
पुनर्वि०	-23.25			

₹ 23.25 लाख का अभ्यर्पण कोषागार द्वारा बिल पास न होने कारण हुआ।

107- चारा और चारागाह विकास-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	5,50.00	..	1.00	+1.00
पुनर्वि०	-5,50.00			

₹ 5,50.00 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 54.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा की गयी कमी भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत बजट प्रावधान के विरुद्ध धनराशि अवमुक्त न होने के कारण था। ₹ 4,96.00 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत न होने कारण हुआ।

i w t h x r &

n R r e r &

- (v) ₹ 9,10.28 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 5,61.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।
- (vi) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

' kh" kZ	dgy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr &
				% yk[k ₹ ea %
4403- पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय-				
101- पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-				
03- पशु चिकित्सालयों का निर्माण (जिला योजना)-				
मूल	2,00.00			
पुनर्वि०	-1,85.75	14.25	14.25	..
प्रावधान में ₹ 1,85.75 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा की गयी कमी भेजे गये प्रस्ताव के विरुद्ध वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होने तथा जिलों द्वारा प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।				
07- पशु सेवा केन्द्र / 'द' श्रेणी पशु औषधालय (जिला योजना)-				
मूल	50.00			
पुनर्वि०	-40.14	9.86	9.86	..
प्रावधान में ₹ 40.14 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा की गयी कमी भेजे गये प्रस्ताव के विरुद्ध वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होने तथा जिलों द्वारा प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।				
08- पशु चिकित्सालयों का निर्माण- आर० आई० डी० एफ० (जिला योजना)-				
मूल	8,00.00			
पुनर्वि०	-8,00.00
₹ 8,00.00 लाख का अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने कारण हुआ।				
106- अन्य पशुधन विकास-				
04- राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र -				
मूल	23.50			
पुनर्वि०	-10.17	13.33	13.33	..
₹ 10.17 लाख का अभ्यर्पण शासकीय स्वीकृति प्राप्त न होने कारण हुआ।				

'kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

½ yk[k ₹ ea ½

107- चारा तथा चारागाह विकास-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल 1,00.00

पुनर्वि० -1,00.00

..

..

..

₹ 1,00.00 लाख का अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृति निर्गत न होने कारण हुआ।

(vii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

4403- पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय-

101- पशु चिकित्सा सेवायें तथा

पशु स्वास्थ्य-

09- बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर में

पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक

की स्थापना-

पूरक 5,56.00

पुनर्वि० 2,25.89

7,81,89

7,81,89

..

प्रावधान में ₹ 2,25.89 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा की गयी वृद्धि ग्राम बादलपुर, जिला गौतमबुद्ध नगर में पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना के लिए भूमि क्रय किये जाने के कारण हुआ।

वृत्तगत 16 वें वित्त वर्ष (2011) के लिए प्रस्तावित
 व्यय और आमदनी का विवरण

विवरण	वृत्तगत व्यय	अनुमानित व्यय	अनुमानित आमदनी	अनुमानित शेष
	₹	₹	₹	₹
2404- डेरी विकास				
नियंत्रण				
मूल	41,39,85	41,39,85	31,41,81	-9,98,04
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)				9,97,32
संशोधन				
मूल	10	10	..	-10
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)				10

विवरण, आधुनिकीकरण

वृत्तगत
नियंत्रण

- ₹ 9,98.04 लाख की अन्तिम बचत में से, ₹ 9,97.32 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकती।
- बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिव्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

विवरण	वृत्तगत व्यय	अनुमानित व्यय	अनुमानित शेष
	₹	₹	₹
2404- डेरी विकास			
191- सहकारी समितियां तथा अन्य निकायों को सहायता-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-			
मूल	21,79.20	91.76	91.76
पुनर्वित्त	-20,87.44		..
प्रावधान में ₹ 20,87.44 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			

(iii) व्याधिव्य निम्न के अधीन हुआ :-

'kh"kz	diy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr &
				¼ yk[k ₹ ea ½
2404- डेरी विकास				
102- डेरी विकास परियोजनायें-				
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-				
पुनर्वि०	1,08.24	1,08.24	1,08.24	..
प्रावधान में ₹ 1,08.24 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				
191- सहकारी समितियों तथा अन्य निकायों को सहायता-				
03- वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना के अन्तर्गत दुग्ध संघों को अनुदान (जिला योजना)				
पुनर्वि०	9,89.60	9,89.60	9,89.60	..

प्रावधान में ₹ 9,89.60 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 19,79.20 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 9,89.60 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति निर्गत न होने के कारण हुआ।

वृत्तिका I अंक 17 के लिए रकम वृत्तिका I के) फॉर्म 1/2

वृत्तिका I अंक	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(हजार ₹ में)		
2405- मछली पालन			
मूल	58,00,67		
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)	58,00,67	45,75,52	-12,25,15
			12,23,20

वृत्तिका I अंक, आ वृत्तिका I

वृत्तिका I

वृत्तिका I

- (i) ₹ 12,25.15 लाख की अन्तिम बचत में से, ₹ 12,23.20 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।
- (ii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

वृत्तिका I अंक	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(हजार ₹ में)		
2405- मछली पालन -			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
03- अवशेषों का भुगतान-			
मूल	5,67.27		
पुनर्वि०	-73.57		
₹ 73.57 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन न होने कारण हुआ।	4,93.70	4,92.80	-0.90

109- विस्तार तथा प्रशिक्षण-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

मूल

1,94.65

पुनर्वि०

-1,94.65

₹ 1,94.65 लाख का अभ्यर्पण केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुआ।

' kh" kZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य
उपक्रमों को सहायता-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल 8,38.92

पुनर्वि० -2,75.28

5,63.64

5,63.31

-0.33

₹ 2,75.28 लाख का अभ्यर्पण केन्द्रांश प्राप्त न होने, पदों के रिक्त रहने तथा आर्थिक मितव्ययता के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल 11,58.66

पुनर्वि० -6,29.50

5,29.16

5,29.16

..

₹ 6,29.50 लाख का अभ्यर्पण केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुआ।

04- प्रादेशिक मत्स्य पालन विकास
अभिकरण की स्थापना -

मूल 66.55

पुनर्वि० -5.67

60.88

59.61

-1.27

₹ 5.67 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः आर्थिक मितव्ययता, वास्तविक व्यय के आधार पर तथा पदों के रिक्त होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

वृत्तगत व्यय (18 वें वित्त वर्ष) के विवरण (1 अप्रैल 2011 तक)

विवरण	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(हजार ₹ में)		
वृत्तगत व्यय			
2013- मंत्रि परिषद्,			
2049- ब्याज अदायगियां तथा			
2425- सहकारिता			
मूल	1,98,05,57		
पूरक	1		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)	1,98,05,58	1,77,70,99	-20,34,59
मूल	4,77,88		
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)	4,77,88	4,56,37	-21,51
मूल	4,90,00		
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि	4,90,00	4,90,00	..
मूल	10,63,82		
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)	10,63,82	10,52,29	-11,53

वृत्तगत व्यय (18 वें वित्त वर्ष) के विवरण (1 अप्रैल 2011 तक)

वृत्तगत व्यय

मूल

- (i) वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 के विभागीय समायोजन उच्चतम लेखे के समाशोधन की ₹ 0.47 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं ।

- (ii) ₹ 20,35.06 लाख (₹ 20,34.59 लाख + ₹ 0.47 लाख) की अन्तिम बचत के विरुद्ध, ₹ 20,34.38 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गयी ।
- (iii) ₹ 20,35.06 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 0.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।
- (iv) बचत (अन्य शीषों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		½ yk[k ₹ ea ½	

2425- सहकारिता

001- निदेशन तथा प्रशासन-

06- उत्तर प्रदेश सहकारी

संस्थागत सेवा मंडल-

मूल	76.42	}	64.83	60.85	-3.98
पुनर्वि०	-11.59				

₹ 11.59 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ ।

800- अन्य व्यय-

05- रासायनिक उर्वरकों का

अग्रिम भण्डारण योजना-

मूल	75,11.00	}	55,20.00	55,20.00	..
पुनर्वि०	-19,91.00				

₹ 19,91.00 लाख का अभ्यर्पण बैंक हैंडलिंग, यातायात व्यय, प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति तथा मंत्रिपरिषद द्वारा 22 जिलों का अन्तरराज्यीय यातायात मदों की स्वीकृति न होने के कारण था ।

- (v) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ :-

2425- सहकारिता

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- सामान्य अधिष्ठान एवं

अधीक्षण-

मूल	58,84.58	}	58,67.07	59,38.34	+71.27
पूरक	0.01				
पुनर्वि०	-17.52				

वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 के विभागीय समायोजन उच्चत लेखे के समाशोधन की ₹ 0.47 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं ।

₹ 17.52 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ ।

वृत्तिका I अ; क 19 अंकित लोकसभा विधेयक संख्या 10; 1/2

अ; क 'क'क दिय वृत्तिका अंकित 0; ; व/क 0; ; +
cpr &

लोकसभा ₹ अ

वृत्तिका

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें

अंकित

मूल	7,60.06]	7,60.06	4,72.56	-2,87.50
पूरक	..				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

2,82.07

विधेयक संख्या 10, अंकित &

वृत्तिका

अंकित

- (i) ₹ 2,87.50 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 2,82.07 लाख का समर्पण किया गया।
(ii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत लघु व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

अ; क 'क'क दिय वृत्तिका अंकित 0; ; व/क 0; ; +
cpr &

लोकसभा ₹ अ

2070- सचिवालय-सामान्य सेवायें-

003- अन्य व्यय-

11- उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन

अकादमी, लखनऊ-

मूल	6,20.59]	3,87.68	3,87.68	..
पुनर्वि०	-2,32.91				

₹ 2,32.91 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः प्रशिक्षणार्थियों की संख्या कम होने, द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आरम्भ 16.03.2011 से होने तथा चतुर्थ चरण के पी सी एस अधिकारियों का प्रशिक्षण वित्तीय वर्ष में सम्पन्न न होने के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

03- अवशेषों का भुगतान-

पूरक	10.91]	11.06	3.83	-7.23
पुनर्वि०	0.15				

' kh"lz

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +
cpr &

lyk[k ₹ e#

04- सेन्टर फार गुड गवर्नेन्स-

मूल

57.90

13.57

15.35

+1.78

पुनर्वि०

-44.33

₹ 44.33 लाख का अभ्यर्पण अधिकारियों की नियुक्ति न होने तथा गुड-गवर्नेन्स केन्द्रों को संचालित न किये जाने, पदों के रिक्त होने तथा आवश्यकता शून्य होने को ध्यान में रखते हुए वित्त विभाग द्वारा आवंटित बजट के सापेक्ष स्वीकृति जारी न किये जाने के कारण हुआ। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

वृत्तिका I अ; क 20 & अक्षर foHkkx ¼ykd I ok vk; ks½

अ; 'kh"z	वृत्तिका ; क fofu; ks	अक्षर 0; ;	वृत्तिका 0; ; + cpr &
¼gtkj ₹ e½			
jkLlo&			
2051- लोक सेवा आयोग			
nRrer&			
मूल	1,77,47	1,77,47	1,75,24
पूरक	..		-2,23
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)			2,21
i Hkkfjr&			
मूल	27,05,08	27,05,09	27,04,95
पूरक	1		-14
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)			13
i wthxr&			
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय तथा			
4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
i Hkkfjr&			
मूल	19,05	19,05	19,05
पूरक
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि			..

vupku l a; k 21& [kk] rFkk j l n foHkkx

eq; 'kh"z

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

; k

cpr &

fofu; ksx

½gtkj ₹ es

jktLo&

2075- विविध सामान्य सेवायें,

3456- सिविल पूर्ति तथा

3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें

nRrer&

मूल 46,04,89

46,11,14

44,17,29

-1,93,85

पूरक 6,25

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

2,19,14

i thxr&

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,

4408- खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार

पर पूंजीगत परिव्यय तथा

6003- राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण

nRrer&

मूल 1,06,22,97,47

1,06,24,21,75

66,61,21,84

-39,62,99,91

पूरक 1,24,28

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

21,88,14

i Hkkfj r&

मूल 28,62,04,00

28,62,04,00

13,52,71,96

-15,09,32,04

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

3,46

fVli f.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

(i) वास्तविक व्यय में उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05 तथा 2006-07 के ₹ 32.66 लाख सम्मिलित है। ₹ 2,26.51 लाख (₹ 1,93.85 लाख + ₹ 32.66 लाख) की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 2,19.14 लाख ही अभ्यर्पण किये जा सके।

(ii) ₹ 2,26.51 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 6.25 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

- (iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +	cpr &
				vyk[k ₹ e#
2075- विविध सामान्य सेवायें-				
800- अन्य व्यय-				
05- अवशेषों का भुगतान-				
मूल	5.67			
पुनर्वि०	-5.67			
		..	1.03	+1.03
वास्तविक व्यय ₹ 1.03 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2000-01, तथा 2001-02 से सम्बन्धित है।				
₹ 5.67 लाख का अभ्यर्पण अवशेषों का भुगतान न होने के कारण हुआ।				

3456- सिविल पूर्ति-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

06- उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान-

मूल	16,71.66			
पूरक	6.25	14,67.61	14,71.01	+3.40
पुनर्वि०	-2,10.30			

वास्तविक व्यय में ₹ 4.88 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के सम्मिलित हैं।

₹ 2,10.30 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 1,34.77 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त होने, मितव्ययिता बरतने के कारण हुआ तथा प्रावधान में ₹ 75.53 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किया गया है।

3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-

106- भार और माप का विनियमन-

03- अधिष्ठान व्यय-

मूल	20,03.58			
पुनर्वि०	-82.25	19,21.33	19,60.20	+38.87

वास्तविक व्यय में ₹ 26.32 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2000-01, 2001-02, 2005-06 तथा 2006-07 के सम्मिलित हैं।

₹ 82.25 लाख की कुल बचत में से, ₹ 75.03 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, मितव्ययिता बरतने के कारण हुआ तथा प्रावधान में ₹ 7.22 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किया गया है।

'kh"KZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +
cpr &

lyk[k ₹ e#

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान—

मूल	2,86.11	}	2,93.31	2,75.31	-18.00
पुनर्वि०	7.20				

प्रावधान में ₹ 7.20 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किया गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ—

2075- विविध सामान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

04- उत्तर प्रदेश सचिवालय खान-पान

निगम—

मूल	4,40.54	}	5,16.07	5,16.07	..
पुनर्वि०	75.53				

प्रावधान में ₹ 75.53 लाख की वृद्धि कम बजट होने के कारण हुआ।

i wthxr&

nrer&

(v) वास्तविक व्यय में ₹ 4,21.96 लाख उच्च लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के सम्मिलित है। ₹ 39,67,21.87 लाख (₹ 39,62,99.91 लाख + ₹ 4,21.96 लाख) की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 21,88.14 लाख ही अभ्यर्पण किये जा सके।

(vi) ₹ 39,67,21.87 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 1,24.28 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन हुई—

4408- खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार

पर पूंजीगत परिव्यय—

01- खाद्य—

001- निदेशन तथा प्रशासन—

03- अधिष्ठान व्यय—

मूल	1,40,79.04	}	1,19,23.37	1,35,21.54	+15,98.17
पूरक	32.47				
पुनर्वि०	-21,88.14				

वास्तविक व्यय में ₹ 40.87 लाख उच्च लेखे के समाशोधन के वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के सम्मिलित हैं।

₹ 21,88.14 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा मितव्ययिता के कारण हुआ।

' kh" kZ

dly vuṅku

okLrfod 0 ; ;

vf/kd 0 ; ; +
cpr &

Nyk[k ₹ e#

101- अधिप्राप्ति तथा पूर्ति—

03- अन्न पूर्ति योजना—

मूल 1,00,00,00.00

पुनर्वि० -3,00.00

99,97,00.00

63,79,95.44

-36,17,04.56

वास्तविक व्यय में ₹ 5,17.44 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के सम्मिलित हैं।

प्रावधान में ₹ 3,00.00 लाख की कमी मशीनरी एवं संयंत्र के अन्तर्गत बचत तथा कम गेहूँ क्रय करने के कारण हुई।

04- विवरण उपलब्ध नहीं—

पुनर्वि० 3,00.00

3,00.00

..

-3,00.00

प्रावधान में ₹ 3,00.00 लाख की वृद्धि कम बजट होने के कारण हुई।

800- अन्य व्यय—

03- खाण्डसारी शक्कर योजना

4,56,00.00

1,21,00.43

-3,34,99.57

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जून 2011)।

04- अन्य व्यय

..

-1,87.40

-1,87.40

वास्तविक व्यय उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02 से सम्बन्धित हैं।

i Hkkfjr&

(viii) ₹ 15,09,32.04 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 3.46 लाख का की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(ix) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:—

' kh" kZ

dly fofu; kx

okLrfod 0 ; ;

vf/kd 0 ; ; +
cpr &

Nyk[k ₹ e#

4408- खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार

पर पूंजीगत परिव्यय—

01- खाद्य—

800- अन्य व्यय—

05- भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों से खाद्यान्नों के क्रय हेतु लिये गये ऋणों पर ब्याज

2,62,00.00

3,52,71.96

-9,28.04

6003- राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण—

107- भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों से कर्ज—

03- खाद्यान्नों के क्रय के लिये प्राप्त

कर्ज का प्रतिदान

25,00,00.00

10,00,00.00

-15,00,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

वृत्तिका I अ; क 22 & [कस्य फोहकस

ए; 'क"क

द्वय वृत्तिका
; क
फोफु; कस

ओलरफोद 0; ;

वफ/कद 0; ; +
cpr &

१/ग्तकज ₹ ए

जक्तलो&

2013- मंत्रि परिषद्,

2059- लोक निर्माण तथा

2204- खेलकूद तथा युवा सेवायें

nRrer&

मूल	42,19,46
पूरक	1,24,71

43,44,17

40,06,79

-3,37,38

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

3,02,68

i thxr&

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत
परिव्यय तथा

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति
पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	36,70,50
पूरक	18,08,56

54,79,06

52,16,28

-2,62,78

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

2,62,78

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &

जक्तलो&

nRrer&

(i) ₹ 3,37.38 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 3,02.68 लाख ही अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित किये जा सके।

(ii) ₹ 3,37.38 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 1,24.71 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +	cpr &
				kyk[k #lk; ka ed
2204- खेलकूद तथा युवा सेवायें-				
104- खेलकूद-				
04- क्रीड़ा छात्रावास के आवासीय खिलाड़ियों पर व्यय (बालिकाओं हेतु)-				
मूल	35.00			
पुनर्वि०	-12.66	22.34	25.34	+3.00
₹ 12.66 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।				
06- क्रीड़ा छात्रावास के आवासीय खिलाड़ियों पर व्यय (बालकों हेतु)-				
मूल	2,00.00			
पूरक	1,23.95	2,38.02	2,06.82	-31.20
पुनर्वि०	-85.93			
₹ 85.93 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 65.00 लाख की कमी स्वीकृति जारी न होने के कारण तथा ₹ 12.93 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।				
09- क्रीड़ांगनों/स्टेडियमों/बहुउद्देशीय हालों/तरणतालों/छात्रावासों एवं भवनों का अनुरक्षण-				
मूल	4,00.00			
पुनर्वि०	-1,03.49	2,96.51	2,82.79	-13.72
₹ 1,03.49 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।				
18- प्रशिक्षण(राज्य सेक्टर)-				
मूल	2,90.00			
पुनर्वि०	-36.81	2,53.19	2,26.53	-26.66
₹ 36.81 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।				
21- राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीम के लिए खेलकूद सामग्री की व्यवस्था-				
मूल	34.00			
पुनर्वि०	-6.07	27.93	20.09	-7.84
₹ 6.07 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।				

' kh"kZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +
cpr &

kyk[k #lk; ka est

23- स्पोर्ट्स कालेज को अनुदान—

मूल	7,80.12
पूरक	0.76
पुनर्वि०	-45.19

7,35.69

6,86.94

-48.75

₹ 45.19 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।

29- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल
प्रतियोगिताओं का आयोजन—

मूल	5.00
पुनर्वि०	-2.50

2.50

..

-2.50

₹ 2.50 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।

35- सैयद मोदी मेमोरियल आल इण्डिया
प्राइजमनी बैडमिन्टन कम्पटीशन हेतु
सहायता—

मूल	25.00
पुनर्वि०	-12.50

12.50

..

-12.50

₹ 12.50 लाख का अभ्यर्पण प्रतिस्पर्धा के आधार पर हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:—

2204- खेलकूद तथा युवा सेवायें—

001- निदेशन तथा प्रशासन—

03- खेलकूद निदेशालय—

मूल	15,27.40
पुनर्वि०	-37.44

14,89.96

15,62.13

+72.17

₹ 37.44 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।

वास्तविक व्यय में ₹ 14.42 लाख उच्चत लेख के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2006-07 तथा 2009-10 के सम्मिलित हैं।

' kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +
cpr &

/yk[k #lk; ka e

104- खेलकूद-

13- राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं
के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार

मूल

2,00.00

2,72.43

2,72.43

+8.00

पुनर्वि०

72.43

प्रावधान में ₹ 72.43 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 65.00 लाख की वृद्धि उत्तर प्रदेश के एशियाड एवं कामनवेथ खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण के कारण थी। ₹ 0.57 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।

800- अन्य व्यय-

03- अवशेषों का भुगतान-

मूल

2,56.73

2,53.04

2,92.95

+39.91

पुनर्वि०

-3.69

₹ 3.69 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

i nRr&

nRr&

(v) ₹ 2,62.78 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 18,08.56 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(vi) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +
cpr &

/yk[k #lk; ka e

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति
पर पूंजीगत परिव्यय-

03- खेलकूद तथा युवा सेवा-

800- अन्य व्यय-

29- के डी सिंह बाबू स्टेडियम का जीर्णोद्धार
एवं फ्लड लाईट की व्यवस्था-

मूल

80.00

..

..

..

पुनर्वि०

-80.00

₹ 80.00 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।

' kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +
cpr &

kyk[k #lk; ka edh

32- बलरामपुर स्टेडियम की चहारदीवारी का
जीर्णोद्धार—

मूल	30.00	}
पुनर्वि०	-5.00	

25.00

25.00

..

₹ 5.00 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।

34- इलाहाबाद के मेयोहाल में ट्यूबवेल एवं
टाइप-3 व 4 के आवासीय भवन का
निर्माण—

मूल	25.00	}
पुनर्वि०	-15.00	

10.00

10.00

..

₹ 15.00 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।

37- संतकबीर नगर में बहुउद्देशीय क्रीड़ा
हाल का निर्माण—

मूल	1,50.00	}
पुनर्वि०	-1,00.00	

50.00

50.00

..

₹ 1,00.00 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।

38- बुलन्दशहर में तरण ताल का निर्माण—

मूल	1,00.00	}
पुनर्वि०	-52.65	

47.35

47.35

..

₹ 52.65 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।

vunpku l a; k 23& xluuk fodkl foHkkx ¼ xluuk ½

ed; 'kh"kl	dlj vunpku ; k fofu; ksx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr -
%gtkj ₹ e#			
jktLo&			
2401- फसल कृषि कर्म			
nRrer&			
मूल	1,49,32,22	1,49,32,22	1,21,54,24
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)			-27,77,98
i Hkkfjr&			
मूल	1,50	1,50	3,66
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)			+2,16
i wthxr&			
5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
nRrer&			
मूल	18,49,00	18,49,00	18,49,00
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि			..
fVli f.k; ka , oa VhdK; &			
jktLo&			
nRrer&			

(i) ₹ 27,77.98 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 27,05.94 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(ii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dlj vunpku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr &
%yk[k ₹ e#			
2401- फसल कृषि कर्म-			
001- निदेशन एवं प्रशासन-			
04- क्षेत्रीय कार्यालय-			
मूल	29.48	23.76	23.67
पुनर्वि०	-5.72		
₹ 5.72 लाख का समर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, आवश्यकता न होने तथा मितव्ययिता के कारण हुआ।			-0.09

'kh"Kz dly vumku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr &

kyk[k #lk; ka e#

108- वाणिज्यिक फसलें-

03- गन्ना आयुक्त (पर्यवेक्षक कर्मचारी वर्ग)-

मूल 56,57.24

47,10.97 46,60.25 -50.72

पुनर्वि० -9,46.27

₹ 9,46.27 लाख की शुद्ध प्रत्याशित बचत में से, ₹ 9,51.27 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त होने, आवश्यकता न होने तथा मितव्ययिता के कारण हुआ तथा प्रावधान में ₹ 5.00 लाख की वृद्धि अतिरिक्त मांग के कारण हुई।

04- गन्ने की खेती का विकास तथा उसका

प्रगाढ़ीकरण-

मूल 57,41.94

44,48.35 44,68.60 +20.25

पुनर्वि० -12,93.59

₹ 12,93.59 लाख की शुद्ध प्रत्याशित बचत में से, ₹ 9,88.29 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्ते रहने, आवश्यकता न होने तथा मितव्ययिता के कारण हुआ तथा प्रावधान में ₹ 3,05.30 लाख की कमी पदों के रिक्त रहने के कारण हुई।

109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें-

मूल 6,80.00

..

पुनर्वि० -6,80.00

₹ 6,80.00 लाख का समर्पण सम्बन्धित योजना को 100 प्रतिशत केन्द्रीय योजना में परिवर्तन के कारण स्वीकृति जारी न होने के कारण हुआ।

111- कृषि अर्थ व्यवस्था तथा सांख्यिकी-

03- गन्ना उत्पादन कार्यक्रम के कार्यों

का अध्ययन एवं उसका आयात -

मूल 22.95

16.64 16.72 +0.08

पुनर्वि० -6.31

₹ 6.31 लाख का समर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, आवश्यकता न होने तथा मितव्ययिता के कारण हुआ।

'kh"z dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr &

1/2y/k[k #lk; ka e#z

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान—

मूल	19,45.92	}	22,13.00	21,68.41	-44.59
पुनर्वि०	2,67.08				

₹ 2,67.08 लाख की प्रावधान में शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 2,98.30 लाख का अभ्यर्पण अतिरिक्त मांग होने के कारण हुआ। ₹ 31.22 लाख का अभ्यर्पण जिलों द्वारा समर्पण के कारण किया गया। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

i Hkkfj r&

(iii) व्यय दत्तमत प्रावधान से ₹ 2,16,483 अधिक हुआ, अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है।

(iv) ₹ 2.16 लाख के अन्तिम व्ययाधिक्य को देखते हुए, ₹ 0.26 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।

(v) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—

'kh"z dly fofu; ksx okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr &

1/2y/k[k #lk; ka e#z

2401- फसल कृषि कर्म—

001- निदेशन एवं प्रशासन—

03- गन्ना आयुक्त का अधिष्ठान—

मूल	1.50	}	1.24	3.66	+2.42
पुनर्वि०	-0.26				

₹ 0.26 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

वृत्तगत व्यय का विवरण 2011-12 के लिए

विवरण	मूल	पूरक	कुल	अनुमानित व्यय	अनुमानित बचत
वृत्तगत व्यय	47,58,05	..	47,58,05	44,98,33	-2,59,72
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)					2,65,34
वृत्तगत व्यय	..	18,00,00	18,00,00	18,00,00	..
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि					..
कुल					

(i) ₹ 2,59.72 लाख की अन्तिम बचत में से, ₹ 2,65.34 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।

(ii) बचत (लघु व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

विवरण	मूल	पूरक	कुल	अनुमानित व्यय	अनुमानित बचत
वृत्तगत व्यय	10,80.38	-2,19.14	8,61.24	8,70.65	+9.41

₹ 2,19.14 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, बिलों के प्राप्त न होने, आवश्यकता न होने, निधि का प्रयोग न करने तथा मितव्ययिता के कारण हुआ।

2852- उद्योग-

08- उपभोक्ता उद्योग-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- चीनी आयुक्त का अधिष्ठान-

मूल 10,80.38

पुनर्वि0 -2,19.14

₹ 2,19.14 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, बिलों के प्राप्त न होने, आवश्यकता न होने, निधि का प्रयोग न करने तथा मितव्ययिता के कारण हुआ।

' kh" kZ

dly vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +
cpr -

lyk[k ₹ e#

201- चीनी-

05- उ0प्र0 कल्याण निधि के अनुरक्षण
तथा प्रवर्तन के लिए विशेष शककर
समिति उ0प्र0को भुगतान-

मूल

3,50.00

3,13.99

3,14.59

+0.60

पुनर्वि0

-36.01

₹ 36.01 लाख का अभ्यर्पण विशेष गन्ना निधि के कर्मचारियों के लिए छठा वेतन आयोग के लागू न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

वृत्तवार्षिक व्यय का विवरण 2011-12

विवरण	वृत्तवार्षिक व्यय	वृत्तवार्षिक व्यय	वृत्तवार्षिक व्यय	वृत्तवार्षिक व्यय
विवरण	₹	₹	₹	₹
2056- जेलें				
मूल	3,09,90,94			
पूरक	12,00,00			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)		3,21,90,94	3,21,99,13	+8,19
				1,32
4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय,				
4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा				
4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय				
मूल	3,96,10,30			
पूरक	2,52,07,00			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि		6,48,17,30	5,23,97,45	-1,24,19,85
				..

- (i) वास्तविक व्यय में ₹ 87.22 लाख उच्चत लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के सम्मिलित हैं। ₹ 79.03 लाख (₹ 87.22 लाख - ₹ 8.19 लाख) की अन्तिम बचत के विरुद्ध, मात्र ₹ 1.32 लाख ही अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित किये जा सके।

i Hkkfjr&

(iv) ₹ 10.00 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि समर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(v) बचत निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dy fofu; ksx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +
			cpr &
			lyk[k ₹ e#

2056- जेलें-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- मुख्य	10.00	..	-10.00
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।			

i thxr&

nrer&

(vi) ₹ 1,24,19.85 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि समर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vii) ₹ 1,24,19.85 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 2,52,07.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(viii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +
			cpr &
			lyk[k ₹ e#

4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय-

80- सामान्य-

051- निर्माण-

03- कारागारों का उच्चीकरण, नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार-

मूल	15,00.00	1,59,07.00	65,15.61	-93,91.39
पूरक	1,44,07.00			

04- कारागारों में जलपूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार-

मूल	10,00.00	9,82.60	2,60.88	-7,21.72
पुनर्वि०	-17.40			

प्रावधान में ₹ 17.40 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

'kh"Kz dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr &

1/2k[k ₹ e#

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय—

800- अन्य व्यय—

08- कारागारों का निर्माण—

मूल	3,50,00.00	}	3,42,54.30	3,25,94.28	-16,60.02
पूरक	1,00,00.00				
पुनर्वि०	-1,07,45.70				

प्रावधान में ₹ 1,07,45.70 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

15- कारागारों में तालाबों के माध्यम से रेन

वाटर हार्वेस्टिंग—

मूल	1,00.00	}	13.15	..	-13.15
पुनर्वि०	-86.85				

प्रावधान में ₹ 86.85 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय—

01- सरकारी रिहायशी भवन—

700- अन्य आवास—

03- कारागार स्टाफ के लिए आवासों का

निर्माण	10,00.00	6,75.19	-3,24.81
---------	----------	---------	----------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(viii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत

परिव्यय—

800- अन्य व्यय—

09- नवसृजित जनपदों में कारागार के

निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिये

एकमुश्त व्यवस्था—

मूल	10,00.00	}	1,25,45.70	1,21,88.00	-3,57.70
पूरक	8,00.00				
पुनर्वि०	1,07,45.70				

प्रावधान में ₹ 1,07,45.70 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

वृत्तवार्षिक 26 वृत्तवार्षिक 1/4 वृत्तवार्षिक 1/2

वृत्तवार्षिक	वृत्तवार्षिक	वृत्तवार्षिक	वृत्तवार्षिक	वृत्तवार्षिक
वृत्तवार्षिक	वृत्तवार्षिक	वृत्तवार्षिक	वृत्तवार्षिक	वृत्तवार्षिक
2013- मंत्रि परिषद्,				
2055- पुलिस,				
2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें,				
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण तथा				
2251- सचिवालय-सामाजिक सेवायें				
वृत्तवार्षिक				
मूल	67,39,08,83			
पूरक	90,50,10			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)		68,29,58,93	66,79,92,02	-1,49,66,91
वृत्तवार्षिक				
मूल	75,00			
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)		75,00	3,84	-71,16
वृत्तवार्षिक				
4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय,				
4070- अन्य प्रशासनिक सेवायें पर पूंजीगत परिव्यय तथा				
5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय				
वृत्तवार्षिक				
मूल	4,95,56,00			
पूरक	1,18,82,25			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)		6,14,38,25	2,58,25,66	-3,56,12,59
				3,32,29,79

अनुदान के राजस्व एवं पूंजीगत प्रभागों के अन्तर्गत व्यय में आकस्मिता निधि से मार्च 2011 एवं अक्टूबर 2010 में स्वीकृत अग्रिमों में से व्यय किये गये किन्तु वर्ष के समाप्ति तक निधि में वापस न किये गये क्रमशः ₹ 4,45,35 हजार तथा ₹ 3,33,00 हजार सम्मिलित नहीं हैं।

वृत्तवार्षिक, वृत्तवार्षिक, वृत्तवार्षिक
वृत्तवार्षिक
वृत्तवार्षिक

(i) वास्तविक व्यय में ₹ 15,03.68 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के सम्मिलित है।

₹ 1,64,70.59 लाख (₹ 1,49,66.91 लाख+₹ 15,03.68 लाख) की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 1,15,15.58 लाख ही अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित किये जा सके।

(ii) ₹ 1,64,70.59 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 90,50.10 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"KZ	diy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +	
			cpr &	
				kyk/k ₹ e#

2055- पुलिस-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

04- शिक्षा और प्रशिक्षण (मुख्य)-

मूल	1,45,61.73			
पूरक	1,55.10	1,32,86.14	1,29,05.21	-3,80.93
पुनर्वि०	-14,30.69			

₹ 14,30.69 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 12,30.25 लाख का अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 2,00.44 लाख की कमी मांग कम होने के कारण हुई।

101- आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता-

03- अभिसूचना अनुभाग-(मुख्य)-

मूल	1,24,84.19			
पूरक	74.85	1,25,61.32	1,20,26.10	-5,35.22
पुनर्वि०	2.28			

प्रावधान में ₹ 2.28 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 1,81.47 लाख का अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 2,60.12 लाख की कमी मांग न होने के कारण हुई। प्रावधान में ₹ 28.16 की वृद्धि लम्बित बिलों का भुगतान करने के कारण हुई तथा ₹ 4,16.61 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

104- विशेष पुलिस-

06- इण्डिया रिजर्व वाहिनी का गठन-

मूल	24,52.24			
पुनर्वि०	-2,01.35	22,50.89	21,73.18	-77.71

₹ 2,01.35 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 3,48.89 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने तथा सांकेतिक प्रावधान के कारण तथा ₹ 1,47.54 लाख की वृद्धि वेतन के लम्बित बिलों का भुगतान के कारण हुई।

07- उत्तर प्रदेश विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा वाहिनी-

पूरक	20,00.00			
पुनर्वि०	-9,15.69	10,84.31	6,39.31	-4,45.00

₹ 9,15.69 लाख का अभ्यर्पण मांग कम होने के कारण हुआ।

'kh"KZ

diy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr &

lyk[k ₹ ed

101- आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता-

04- अनुसंधान अनुभाग-

मूल	1,01,38.20	}	1,16,87.29	1,20,58.07	+3,70.78
पूरक	2,51.15				
पुनर्वि०	12,97.94				

प्रावधान में ₹ 12,97.94 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 2,98.39 लाख का अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 1,10.75 लाख की कमी मांग कम होने के कारण हुई। प्रावधान में ₹ 1,61.88 लाख की वृद्धि लम्बित बिलों का भुगतान होने, निर्माण कार्य तथा मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए 14 बसे क्रय करने के कारण हुई तथा उपरोक्त प्रावधान में ₹ 15,45.20 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

104- विशेष पुलिस-

03- राज्य शस्त्र कान्सटेबुलरी-मुख्य-

मूल	9,16,75.17	}	9,56,48.20	9,60,26.73	+3,78.53
पूरक	1,40.07				
पुनर्वि०	38,32.96				

वास्तविक व्यय में ₹ 2,53.27 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03 2003-04, 2004-05 2007-08 तथा 2008-09 के सम्मिलित है।

प्रावधान में ₹ 38,32.96 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 45,12.87 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 3,92.01 लाख का अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 2,87.90 लाख की किये गये हैं। कमी मांग कम होने के कारण हुई।

108- राज्य मुख्यालय पुलिस-

03- राज्य पुलिस मुख्यालय-

मूल	19,55.61	}	20,19.92	23,26.85	+3,06.93
पूरक	1,30.12				
पुनर्वि०	-65.81				

वास्तविक व्यय में ₹ 72.31 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2002-03, 2004-05, 2006-07 2007-08 तथा 2008-09 के सम्मिलित हैं।

₹ 65.81 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 27.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं तथा ₹ 92.81 लाख का अभ्यर्पण मांग कम होने के कारण हुआ।

109- जिला पुलिस-

03- जिला पुलिस (मुख्य)-

मूल	35,93,62.46	}	36,15,08.38	36,35,69.62	+20,61.24
पूरक	37,13.04				
पुनर्वि०	-15,67.12				

वास्तविक व्यय में ₹ 6,08.99 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के सम्मिलित हैं।

₹ 15,67.12 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 93,80.61 लाख की कमी तथा ₹ 19,05.54 लाख का अभ्यर्पण मांग कम होने के कारण हुआ। उपरोक्त प्रावधान में ₹ 97,19.03 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh" kZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr &

kyk[k ₹ ed

04- राज्य रेडियो अनुभाग—मुख्य—

मूल	1,39,90.01	}	1,73,58.98	1,67,08.66	-6,50.32
पूरक	6,50.00				
पुनर्वि०	27,18.97				

प्रावधान में ₹ 27,18.97 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 28,52.88 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 1,20.68 लाख का का अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 13.23 लाख की कमी मांग कम होने के कारण हुई।

05- मोटर परिवहन अनुभाग—मुख्य—

मूल	1,68,50.21	}	1,88,86.87	1,92,62.29	+3,75.42
पूरक	1,24.61				
पुनर्वि०	19,12.05				

वास्तविक व्यय में ₹ 23.91 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2000-01, 2002-03, 2004-05, 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के सम्मिलित हैं।

प्रावधान में ₹ 19,12.05 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 20,46.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 2,26.35 लाख का अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 7.60 लाख की कमी मांग कम होने तथा लम्बित बिलों के भुगतान करने के कारण हुई।

113- पुलिस कार्मिकों का कल्याण—

04- चिकित्सालय व्यय—

मूल	17,70.63	}	18,60.95	19,06.61	+45.66
पुनर्वि०	90.32				

वास्तविक व्यय में ₹ 10.29 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के सम्मिलित हैं।

प्रावधान में ₹ 90.32 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 1,22.05 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 31.73 लाख का अभ्यर्पण कम मांग होने के कारण हुआ।

114- बेतार और कम्प्यूटर—

03- पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र—

मूल	5,46.58	}	5,78.80	5,65.22	-13.58
पुनर्वि०	32.22				

प्रावधान में ₹ 32.22 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 54.80 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 22.58 लाख का का अभ्यर्पण कम मांग होने के कारण हुआ।

'kh"KZ dy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr &
kyk[k ₹ ed

115- पुलिस बल का आधुनिकीकरण-

03- राज्य सरकार द्वारा वहन किये

जाने वाला व्यय-

मूल	29,38.76	}	32,42.09	32,46.25	+4.16
पुनर्वि०	3,03.33				

वास्तविक व्यय में ₹ 7.61 लाख उचन्त लेखे के समाशाधन के वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04 तथा 2007-08 के सम्मिलित हैं।

प्रावधान में ₹ 3,03.33 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 3,04.18 लाख की वृद्धि लम्बित बिलों, वेतन, आदि का भुगतान होने के कारण हुई। ₹ 0.85 लाख का का अभ्यर्पण कम मांग होने के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

03- भारत सरकार की ओर से रखा

गया पुलिस दल (आपराधिक जाँच
और सतर्कता)-

मूल	13,68.50	}	14,03.50	14,48.16	+44.66
पुनर्वि०	35.00				

वास्तविक व्यय में ₹ 19.02 लाख उचन्त लेखे के समाशाधन के वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के सम्मिलित हैं।

प्रावधान में ₹ 35.00 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 40.43 लाख की वृद्धि लम्बित वेतन बिलों, वेतन, आदि के भुगतान के कारण हुई। ₹ 5.43 लाख का अभ्यर्पण कम मांग होने के कारण हुआ।

05- लोक सभा निर्वाचन

0.06

13.47

+13.47

वास्तविक व्यय में उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2000-01 के सम्मिलित हैं।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
कार्यक्रम-

200- अन्य कार्यक्रम-

03- कर्त्तव्य पालन के दौरान मारे गये/

घायल हुये पुलिस/अग्नि शमन

सेवा के कर्मचारियों के परिवारों को

अनुग्रह भुगतान	1,80.00	1,86.57	+6.57
----------------	---------	---------	-------

वास्तविक व्यय में ₹ 1.99 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2006-07 के सम्मिलित हैं।

i Hkkfjr&

(v) ₹ 71.16 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 7.94 लाख अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित किये जा सके।

(vi) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kz		dy fofu; ksx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +	
				cpr &	
		%yk[k ₹ ed			

2055- पुलिस-

109- जिला पुलिस-

03- जिला पुलिस-मुख्य-

मूल	70.00	}	63.52	3.84	-59.68
पुनाव0	-6.48				

₹ 6.48 लाख का अभ्यर्पण मांग कम होने के कारण हुआ।

2070- अन्य प्रशासनिक सेवार्ये-

108- अग्नि से बचाव तथा नियन्त्रण-

03- प्रशासन-

मूल	5.00	}	3.54	..	-3.54
पुनर्वि0	-1.46				

₹ 1.46 लाख का अभ्यर्पण मांग कम होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

i wthxr&

nRrer&

(vii) वास्तविक व्यय में ₹ 1.59 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2004-05 तथा 2008-09 सम्मिलित है। ₹ 3,56,11.00 लाख (₹ 3,56,12.59 लाख-₹ 1.59 लाख) की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 3,32,29.79 लाख ही अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित किये जा सके।

(viii) ₹ 3,56,11.00 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 1,18,82.25 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ix) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kz		dy vuqku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +	
				cpr &	
		%yk[k ₹ ed			

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-

207- राज्य पुलिस-

03- गृह (पुलिस) विभाग की विभिन्न इकाइयों के निर्माण कार्य हेतु व्यवस्था-

मूल	3,50.00	}	3,47.41	3,33.37	-14.04
पुनर्वि0	-2.59				

वास्तविक व्यय में ₹ 1.59 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2004-05 तथा 2008-09 सम्मिलित हैं। ₹ 2.59 लाख का अभ्यर्पण देर से स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुआ।

' kh" kZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr &

kyk[k ₹ ed

211- पुलिस आवास-

05- पुलिस विभाग की आधुनिकीकरण योजना
के अन्तर्गत आवासीय भवनों का निर्माण-

मूल	64,00.00	}	15,55.81	18,69.38	+3,13.57
पुनर्वि०	-48,44.19				

₹ 48,44.19 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति जारी न होने के कारण हुआ।

06- पुलिस विभाग के आवासीय भवनों
का निर्माण-

मूल	20,00.00	}	7,77.11	5,77.11	-2,00.00
पुनर्वि०	-12,22.89				

₹ 12,22.89 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 4,50.29 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति जारी न होने के कारण हुआ तथा प्रावधान में ₹ 7,72.60 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

07- केन्द्रीय पुलिस बल (आर०ए०एफ०/
सी०आर०पी०एफ०)/राज्य पुलिस बल
के भवनों के लिए भूमि क्रय आदि-

मूल	40,00.00	}	19,59.29	19,59.29	..
पूरक	10,00.00				
पुनर्वि०	-30,40.71				

₹ 30,40.71 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 9,40.71 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति जारी न होने के कारण हुआ तथा प्रावधान में ₹ 2,10.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

08- नव सृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय
एवं अनावासीय भवनों का निर्माण-

मूल	25,00.00	}	11,43.29	11,43.29	..
पुनर्वि०	-13,56.71				

₹ 13,56.71 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 12,31.63 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति जारी न होने के कारण हुआ तथा प्रावधान में ₹ 1,25.08 लाख की कमी मांग कम होने के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित
योजनायें-

मूल	2,00.00	}
पुनर्वि०	-2,00.00				

₹ 2,00.00 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति जारी न होने के कारण हुआ।

' kh" kZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr &

k/kyk [k ₹ ed

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय—

800- अन्य व्यय—

05- अग्नि शमन सेवाओं का सुदृढीकरण—

मूल	5,00.00	}	2,28.62	2,28.25	-0.37
पुनर्वि०	-2,71.38				

₹ 2,71.38 लाख का अभ्यर्पण वाटर टेडर का निर्माण न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय—

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	2,26.00	}
पुनर्वि०	-2,26.00				

₹ 2,26.00 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 26.00 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति देर से प्राप्त होने के कारण हुआ तथा प्रावधान में ₹ 2,00.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

(x) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय—

207- राज्य पुलिस—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	2,00.00	}	4,57.00	4,57.00	..
पुनर्वि०	2,57.00				

प्रावधान में ₹ 2,57.00 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 5,00.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 2,43.00 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति जारी न होने के कारण हुआ।

211- पुलिस आवास—

10- राज्य शस्त्र कान्सटेबुलरी के प्रयोगार्थ वाहनों का क्रय—

मूल	7,50.00	}	15,81.93	17,66.28	+1,84.35
पुनर्वि०	8,31.93				

प्रावधान में ₹ 8,31.93 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 8,99.89 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 67.96 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति जारी न होने के कारण हुआ।

' kh" kZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr &

kyk/k ₹ e#

11- पुलिस विभाग के प्रयोगार्थ वाहनों का कय-

मूल

12,50.00

30,41.01

39,85.70

+9,44.69

पुनर्वि०

17,91.01

प्रावधान में ₹ 17,91.01 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 22,50.52 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 4,59.51 लाख का अभ्यर्पण मांग कम होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

vunpku l a[; k 27& x'g foHkkx ¼ ukxfjd l j {kk ½

ed[; 'kh"lz d'g vunpku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr &
½gtkj ₹ e½

jktLo&

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें तथा

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

nRrer&

मूल 3,65,29,03

पूरक 2,24,42

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

3,67,53,45 3,57,22,07 -10,31,38

6,56,42

i ntlxr&

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय तथा

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत

परिव्यय

nRrer&

मूल 9,61,81

पूरक 60,00

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

10,21,81 1,39,45 -8,82,36

8,82,36

fVli f. k; ka , oa VhdK; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 10,31.38 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 6,56.42 लाख ही अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित किये जा सके।

(ii) ₹ 10,31.38 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 2,24.42 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"lz

d'g vunpku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr &

½yK[k ₹ e½

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें-

106- सिविल रक्षा-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

पूरक 1,34.18

1,34.18

29.09

-1,05.09

तथा स्वीकृति जारी न होने के कारण हुई।

' kh" kZ

dly vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +
cpr &

lyk[k ₹ e

06- होमगार्ड्स विभाग की आधुनिकीकरण
योजना-

मूल

76.81

34.39

34.39

..

पुनर्वि०

-42.42

₹ 42.42 लाख की कुल बचत में से, ₹ 51.70 लाख का अभ्यर्पण निर्धारित समय सीमा के अन्दर कय सामग्री की आपूर्ति न किये जाने, रिवाल्वर के स्थान पर पिस्टल कय करने, वास्तविक व्यय के कारण तथा प्रावधान में ₹ 9.28 लाख की वृद्धि 24 मोटरसाईकिलें कय करने के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून2011)।

vupku l a; k 28& x'g foHkkx ¼ jktuf'rd idku rFkk vU; 0; ; ½

ed; 'kh"Kz dgy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr &

jktLo&

¼gtkj ₹ e½

2014- न्याय प्रशासन,

2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें,

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,

2251- सचिवालय-सामाजिक सेवायें तथा

3055- सड़क परिवहन

nRrer&

मूल 1,03,19,15

1,03,19,15

96,25,37

-6,93,78

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

12,14,47

iHthxr&

4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल 30,00

30,00

..

-30,00

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

30,00

fVli f.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 56,93.78 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, ₹ 12,14.47 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।

(ii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"Kz dgy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr &

¼yktkj ₹ e½

2014- न्याय प्रशासन-

114- विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)-

03- उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय-

मूल 52,08.14

47,13.67

47,70.66

+56.99

पुनर्वि० -4,94.47

₹ 4,94.47 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने, मितव्ययिता तथा स्थानान्तरण सत्र शून्य होने के कारण हुआ।

'kh"lz dgy vupnku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr &
kyk[k ₹ edh

2235-	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-					
60-	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, कार्यक्रम-					
107-	स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना-					
03-	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन-					
	मूल	40,00.00	}	32,17.38	36,30.41	+4,13.03
	पुनर्वि०	-7,82.62				
	वास्तविक व्यय में ₹ 5,60.01 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2005-06, 2006-07, 2008-09 तथा 2009-10 के सम्मिलित हैं।					

प्रावधान में ₹ 7,82.62 लाख की कुल कमी में से, प्रावधान में ₹ 88.05 लाख की कमी तथा ₹ 6,94.57 लाख का अभ्यर्पण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संख्या में कमी तथा मितव्ययिता के कारण हुआ।

2251-	सचिवालय-सामाजिक सेवायें-					
092-	अन्य कार्यक्रम-					
03-	उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद् से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय-					
	मूल	58.91	}	50.75	50.65	-0.10
	पुनर्वि०	-8.16				
	₹ 8.16 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 7.94 लाख का अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 0.22 लाख की कमी मितव्ययिता तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संख्या में कमी के कारण हुई।					

800-	अन्य व्यय-					
03-	अवशेषों का भुगतान-					
	मूल	16.13	}	4.66	4.66	..
	पुनर्वि०	-11.47				
	₹ 11.47 लाख का अभ्यर्पण मितव्ययिता तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संख्या में कमी के कारण हुआ।					

'kh"KZ dgy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr &

kyk[k ₹ edh

3055-	सड़क परिवहन—				
190-	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता—				
04-	उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम को मीसा तथा डी आर आई की इमरजेन्सी के राजनैतिक पेंशनरों को मुफ्त बस यात्रा सुविधा हेतु भुगतान—				
	पुनर्वि०	42.54	42.54	..	-42.54
	प्रावधान में ₹ 42.54 लाख की वृद्धि परिवहन निगम के लम्बित बिलों का भुगतान करने के कारण हुई।				
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।				
(iii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—					
2052-	सचिवालय—सामान्य सेवायें—				
800-	अन्य व्यय—				
03-	अवशेषों का भुगतान—				
	मूल	16.75	16.54	55.10	+38.56
	पुनर्वि०	-0.21			
	वास्तविक व्यय में ₹ 38.56 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2004-05, 2008-09 तथा 2009-10 सम्मिलित हैं।				
	व्यय शून्य होने के कारण ₹ 0.21 लाख के अभ्यर्पण किया गया।				
2235-	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—				
60-	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, कार्यक्रम—				
800-	अन्य व्यय—				
03-	आपातकालीन अवधि में मीसा एवं डी आई आर में बन्द प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों को सम्मान राशि का भुगतान—				
	मूल	0.01	0.23	11.45	+11.22
	पुनर्वि०	0.22			
	वास्तविक व्यय में ₹ 10.26 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2009-10 के सम्मिलित हैं।				
	प्रावधान में ₹ 0.22 लाख की वृद्धि माननीय न्यायालय के निर्णय का पालन करने हेतु मानदेय का भुगतान करने के कारण हुई।				

' kh"lz

dgy vupnku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr &

kyk[k ₹ edh

3055- सडक परिवहन-

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों
को सहायता-03- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को उ0प्र0
राज्य सडक परिवहन निगम की
बसों से निशुल्क यात्रा की सुविधा
के लिए निगम को भुगतान-

मूल 5.00

50.43

92.97

+42.53

पुनर्वि0 45.43

प्रावधान में ₹ 45.43 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 45.51 लाख की वृद्धि परिवहन निगम के लम्बित बिलों का भुगतान करने के कारण हुई। ₹ 0.08 लाख का अभ्यर्पण मितव्ययिता के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)

i wthxr&

nRrer&

4050- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

800- अन्य व्यय-

03- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संस्थान द्वारा
स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के स्मारकों/
स्तम्भों के निर्माण तथा जन्म शताब्दी
आदि के लिए सहायक अनुदान-

मूल 30.00

..

..

..

पुनर्वि0 -30.00

₹ 30.00 लाख का अभ्यर्पण मितव्ययिता तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संख्या में कमी के कारण हुआ।

वृत्तगत व्यय का विवरण 2012-13 के लिए

विवरण 'क' के अंतर्गत व्यय का विवरण 2012-13 के लिए

विवरण

2012- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल,
संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

विवरण

विवरण	2012-13	2011-12	वृद्धि/घटती	प्रतिशत परिवर्तन
मूल	8,05,21	8,05,21	7,72,68	-32,53
पूरक
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)				32,51

विवरण 'क', 'ख', 'ग', 'घ' के अंतर्गत व्यय का विवरण

विवरण

विवरण

- ₹ 32.53 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 32.51 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।
- बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

विवरण 'क' के अंतर्गत व्यय का विवरण 2012-13 के लिए

2012- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल,
संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक-

03- राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक-

090- सचिवालय-

03- अधिष्ठान व्यय-

विवरण	2012-13	2011-12	वृद्धि/घटती	प्रतिशत परिवर्तन
मूल	4,50.32	4,40.54	4,40.53	-0.01
पुनर्वि0	-9.78

₹ 9.78 लाख की कुल बचत में से, ₹ 4.78 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः मितव्ययिता के कारण हुआ। विनियोग में ₹ 5.00 लाख की कमी टेलीफोन के रेट कम होने तथा महामहिम राज्यपाल की गाड़ी कय करने हेतु उनकी पसन्द निर्धारित न हो पाने के कारण हुई।

' kh"KZ

dy; fofu; ksx

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr &

lyk[k ₹ e#

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान—

पूरक

50.00

38.39

38.39

..

पुनर्वि०

-11.61

₹ 11.61 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 6.61 लाख का अभ्यर्पण माननीय राज्यपाल द्वारा गाड़ी का माडल बदलने के कारण तथा विनियोग में ₹ 5.00 लाख की कमी टेलीफोन के रेट कम होने तथा महामहिम राज्यपाल की गाड़ी क्य करने हेतु उनकी पसन्द निर्धारित न हो पाने के कारण हुई।

04- राजभवन में स्वच्छता—

मूल

38.42

30.11

30.10

-0.01

पुनर्वि०

-8.31

₹ 8.31 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पर्दों के रिक्त होने तथा मितव्ययिता के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(iii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ—

2012- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल,
संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक—

03- राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के
प्रशासक—

106- मनोरंजन खर्च—

03- मनोरंजन/सम्मान सत्कार तथा

आतिथ्य व्यय

2.60

4.84

+2.24

108- दौरा खर्च—

03- दौरा खर्च—

मूल

14.09

18.32

20.94

+2.62

पुनर्वि०

4.23

प्रावधान में ₹ 4.23 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 10.00 लाख की वृद्धि माननीय राज्यपाल की हवाई यात्रा की निधि की उपलब्धता न हाने के कारण तथा ₹ 5.77 लाख का अभ्यर्पण मितव्ययिता के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं

(जून 2011)।

vunpku l a[; k 30& xksi u foHkkx ¼ jktLo fof' k"V vfHkl ipuk
funŝkky; rFkk vU; 0; ; ½

ed[; 'kh"kZ dy vunpku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr &
½gtkj ₹ e#

jktLo&

2053- जिला प्रशासन तथा

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें

nRrer&

मूल	2,79,36				
पूरक	..		2,79,36	3,67,59	+88,23

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

21,36

fVli f.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

(i) व्यय दत्तमत प्रावधान से ₹ 88,23,044 अधिक हुआ, अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है।

(ii) ₹ 88.23 लाख के अन्तिम व्ययाधिक्य को देखते हुए, ₹ 21.36 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।

(iii) व्ययाधिक्य (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"kZ dy vunpku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr &

½ykJk ₹ e#

2053- जिला प्रशासन-

093- जिला स्थापनाएं-

03- कलक्टरी स्थापनाएं	1,00.00		2,13.62	+1,13.62
-----------------------	---------	--	---------	----------

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(iv) बचत निम्न के अधीन हुई:-

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें-

800- अन्य व्यय-

03- राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय-

मूल	1,56.01				
पुनर्वि०	-20.58		1,35.43	1,31.40	-4.03

₹ 20.58 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा जरूरी बिलों का भुगतान करने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

वृत्तिका I अ; क 31&fपfdRI क foHkkx (fपfdRI क] f'k{kk , oa i f'k{k.k)

ए; 'kh"kl dly वृत्तिका okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&
(gtkj ₹ e)

jktLo&

2013- मंत्रि परिषद् और

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

nRrer&

मूल	8,36,48,58]	8,37,18,25	8,22,18,81	-14,99,44
पूरक	69,67				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

i thxr&

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	3,05,76,31]	4,98,89,66	4,63,91,59	-34,98,07
पूरक	1,93,13,35				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

fVli f.k; ka , oa Vhd; &

i thxr&

nRrer&

- (i) ₹ 34,98.07 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 34,98.07 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 1,93,13.35 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl dly वृत्तिका okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&
(yk[k ₹ e)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर

पूंजीगत परिव्यय-

03- चिकित्साशिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-

105- एलोपैथी-

03- संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान

संस्थान लखनऊ को अनुदान-

मूल	90,00.00]	1,50,00.00	1,20,42.74	-29,57.26
पूरक	60,00.00				

' kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		(yk[k ₹ ee)	cpr&
05- रुरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई,इटावा में मेडिकल कालेज की स्थापना	35,00.00	30,08.35	-4,91.65
07- सेन्टर आफ बायोमेडिकल मैगनेटिक रेजोनेन्स,लखनऊ	8,00.00	6,07.22	-1,92.78
08- रुरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई,इटावा में पैरा मेडिकल इन्स्टीट्यूट की स्थापना	10,00.00	5,37.12	-4,62.88
22- जे0के0इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	1,00.00	50.00	-50.00
23- राजकीय मेडिकल कालेजों में टीमा सेन्टर की स्थापना—			
मूल	20.00		
पुनर्वि0	-1.10	18.90	..
आवश्यकता न होने के कारण प्रावधान में ₹ 1.10 लाख की कमी की गयी।			-18.90
25- राजकीय मेडिकल कालेजों में आडियोविजुअल की स्थापना	20.00	..	-20.00
51- राजकीय मेडिकल कालेज आजमगढ़—			
मूल	25,00.00		
पुनर्वि0	-13,76.74	11,23.26	10,00.00
प्रावधान में ₹ 13,76.74 लाख की कमी में से, ₹ 10,00.00 लाख की कमी भवन निर्माण के पूर्ण होने के बाद निधि की उपलब्धता के कारण और ₹ 3,76.74 लाख की प्रत्याशित बचत मेडिकल कालेज के पी0पी0पी0 पैटर्न के आधार पर चलाने के कारण हुई।			-1,23.26
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।			
(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—			
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय—			
03- चिकित्साशिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—			
105- एलोपैथी—			

' kh"lz	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		(yk[k ₹ ee)	cpr&
04- डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज,गोमती नगर लखनऊ	55,00.00	57,87.87	+2,87.87
06- छत्रपति शाहू जी महाराज मेडिकल यूनीवर्सिटी, उत्तर प्रदेश—			
मूल 40,00.00	80,00.00	82,02.85	+2,02.85
पूरक 40,00.00			
21- राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा—			
मूल 20,00.01	30,00.01	30,00.00	-0.01
पुनर्वि0 10,00.00			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 10,00.00 लाख की वृद्धि मेडिकल कालेज के निर्माणाधीन भवन के शीघ्र पूर्ण होने के लिए निधि की आवश्यकता के कारण हुई।			
39- गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर—			
मूल 3,10.00	19,00.60	21,04.65	+2,04.05
पूरक 15,90.60			
40- मेडिकल कालेज इलाहाबाद—			
मूल 3,10.00	14,16.98	14,49.85	+32.87
पूरक 11,06.98			
41- मेडिकल कालेज मेरठ—			
मूल 3,10.00	23,42.00	25,53.00	+2,11.00
पूरक 20,32.00			
42- मेडिकल कालेज झांसी—			
मूल 2,60.00	13,58.40	15,68.27	+2,09.87
पूरक 10,98.40			
52- सरकारी मेडिकल कालेजों के पुस्तकालय में इन्टरनेट सुविधा मेडलर पद्धति—			
मूल 30.00	31.10	69.38	+38.28
पुनर्वि0 1.10			
पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1.10 लाख की वृद्धि अपर्याप्त बजट प्रावधान होने के कारण हुई। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।			

वृत्तिका I अ; क 32&fpfdRI क foHkkx (, yki Fkh)

वृत्तिका 'क'क	वृत्तिका	अंशक 0; ;	वृत्तिका 0; ; \$
	; क		cpr&
	fofu; ksx		
(gtlj ₹ ea)			
jkTLo&			
2013- मंत्रि परिषद् तथा			
2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
nRrer&			
मूल	24,31,26,58	24,31,26,58	22,27,64,44
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)			2,05,14,68
iHkkfjr&			
मूल	20,00	20,00	1,14
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)			16,24
iHthxr&			
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर			
पूंजीगत परिव्यय और			
4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
nRrer&			
मूल	2,08,46,34	3,03,47,40	2,64,17,03
पूरक	95,01,06		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)			38,30,87

fVlif.k; ka , oa Vhdk; &

jkTLo&

nRrer&

- (i) ₹ 2,03,62.14 लाख के अन्तिम बचत को देखते हुए, ₹ 2,05,14.68 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।

(ii) बचत(अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&

(yk[k ₹ ee)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी-

110- अस्पताल तथा औषधालय-

04- एलोपैथी एकीकृत चिकित्सालय

और औषधालय-

मूल	9,90,29.90]	8,29,53.08	8,30,75.76	+1,22.68
पुनर्वि०	-1,60,76.82				

प्रावधान में ₹ 1,60,76.82 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹1,28,11.28 लाख का अभ्यर्पण पद रिक्त होने और मितव्ययिता के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 41,03.54 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। प्रावधान में ₹ 8,38.00 लाख की वृद्धि वेतन के भुगतान इत्यादि,लम्बित दायित्व,चिकित्सीय दावे की प्रतिपूर्ति,वास्तविक आवश्यकता के आधार पर और एन०आर०एच०एम० के अन्तर्गत निधि की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

10- जिला/संयुक्त चिकित्सालयों में

विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें-

मूल	6,62.90]	5,88.95	6,24.22	+35.27
पुनर्वि०	-73.95				

₹ 73.95 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

97- बाह्य सहायतित परियोजनायें-

मूल	35,00.00]	2,54.02	2,53.79	-0.23
पुनर्वि०	-32,45.98				

₹ 32,45.98 लाख की कुल बचत में से, ₹ 31,47.99 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ। प्रावधान में ₹ 97.99 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl

dgy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

(yk[k ₹ e)

03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी-

110- अस्पताल तथा औषधालय-

14- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की
स्थापना (जिला योजना)-

मूल	5,11.02	}
पुनर्वि०	-5,11.02				

₹ 5,11.02 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

03- अवशेषों का भुगतान-

मूल	2,77,42.44	}	2,20,31.96	2,20,75.21	+43.25
पुनर्वि०	-57,10.48				

₹ 57,10.48 लाख की कुल बचत में से, ₹ 24,76.48 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ। प्रावधान में ₹ 32,34.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(iii) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी-

110- अस्पताल तथा औषधालय-

10- एलोपैथी अस्पताल और
औषधालय-

मूल	10,72,30.11	}	11,24,58.74	11,24,10.26	-48.48
पुनर्वि०	52,28.63				

प्रावधान में ₹ 52,28.63 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 10,99.37 लाख का अभ्यर्पण आर्थिक मितव्ययिता और वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ। प्रावधान में ₹ 64,28.00 लाख की वृद्धि वेतन के भुगतान इत्यादि, लम्बित दायित्व, चिकित्सीय दावे की प्रतिपूर्ति, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर और एन०आर०एच०एम० के अन्तर्गत धनराशि की प्राप्ति न होना और वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुई। प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

'kh"kl dgy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

(yk[k ₹ ee)

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

06- आरोग्य निधि की

स्थापना	5,00.00	5,10.50	+10.50
---------	---------	---------	--------

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं
(जून 2011)।

i Hkkfjr&

(iv) ₹ 18.86 लाख की अंतिम बचत मे से, मात्र ₹ 16.24 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की जा
सकी।

(v) बचत निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl dgy fofu; ksx okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

(yk[k ₹ ee)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- निदेशन-

मूल	20.00	}	3.76	1.14	-2.62
पुनर्वि०	-16.24				

₹ 16.24 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

i thxr&

nRrer&

(vi) ₹ 39,30.77 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया
₹ 95,01.06 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(vii) ₹ 39,30.37 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 38,30.87 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की
जा सकी।

(viii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$ cpr&

(yk[k ₹ es)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-

01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-

110- अस्पताल तथा औषधालय-

17- मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अधीनस्थ कार्यालय/अपर निदेशक कार्यालय भवन का निर्माण-

मूल	13,00.00]	12,90.66	11,48.05	-1,42.61
पुनर्वि०	-9.34				

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 9.34 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

23- अम्बेडकर नगर में एक 300

शैयायुक्त संयुक्त जिला

चिकित्सालय भवन का निर्माण-

निर्माण-

मूल	3,41.80]	2,31.38	2,31.38	..
पुनर्वि०	-1,10.42				

₹ 1,10.42 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति निर्गत न होने के कारण हुई।

42- जिला पुरुष/महिला चिकित्सालय में सुधार,

विस्तार एवं नवीनीकरण-

मूल	30,00.00]	24,38.48	23,40.48	-98.00
पुनर्वि०	-5,61.52				

₹ 5,61.52 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 19.21 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकतानुसार व्यय के कारण और प्रावधान में ₹ 3,52.08 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। प्रावधान में ₹ 1,90.23 लाख की कमी प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

'kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

(yk[k ₹ e)

46- डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल
चिकित्सालय, लखनऊ में अति
आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की
स्थापना—

मूल	3,00.00	}	61.06	61.06	..
पुनर्वि०	-2,38.94				

₹ 2,38.94 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 1.41 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकतानुसार व्यय के कारण और प्रावधान में ₹ 2,37.53 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

64- जिला/संयुक्त चिकित्सालयों में
विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें—

मूल	30,00.00	}	50,60.40	68,87.87	+18,27.47
पूरक	50,00.00				
पुनर्वि०	-29,39.60				

₹ 29,39.60 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 8,45.49 लाख का अभ्यर्पण क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अभ्यर्पण के कारण और प्रावधान में ₹ 18,73.08 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। प्रावधान में ₹ 2,21.03 लाख की कमी प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

67- जनपद कौशाम्बी में 100 शैय्यायुक्त
संयुक्त चिकित्सालय का भवन निर्माण—

मूल	30.00	}	9.34	9.34	..
पुनर्वि०	-20.66				

₹ 20.66 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 9.34 लाख की वृद्धि और ₹ 30.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

72- 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों की
स्थापना—

मूल	70,00.00	}	46,41.73	41,24.24	-5,17.49
पुनर्वि०	-23,58.27				

₹ 23,58.27 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 10.24 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति निर्गत न होने के कारण और प्रावधान में ₹ 23,14.05 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। प्रावधान में ₹ 33.98 लाख की कमी प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

'kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$ cpr&

(yk[k ₹ ee)

74- ब्लड कम्पोनेन्ट सेपरेशन यूनिट

की स्थापना—

पुनर्वि०	18,27.47	18,27.47	..	-18,27.47
----------	----------	----------	----	-----------

₹ 18,27.47 लाख की कुल वृद्धि में से, ₹ 4,56.87 लाख का अभ्यर्पण क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अभ्यर्पण के कारण और प्रावधान में ₹ 18,73.08 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। प्रावधान में ₹ 4,11.26 लाख की कमी ब्लड कम्पोनेन्ट सेपरेशन यूनिट की शीघ्र स्थापना के कारण हुई।

800- अन्य व्यय—

03- मानसिक स्वास्थ्य संस्थान तथा

अस्पताल, आगरा—

पूरक	19,77.99	4,00.00	4,00.00	..
पुनर्वि०	-15,77.99			

₹ 15,77.99 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति निर्गत न होने के कारण हुआ।

02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें—

110- अस्पताल तथा औषधालय—

07- मिल्कीपुर जनपद फैजाबाद में 100

शैय्या चिकित्सालय भवन का

निर्माण—

मूल	4,42.34	2,21.39	..	-2,21.39
पुनर्वि०	-2,20.95			

₹ 2,20.95 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 1,58.31 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति निर्गत न होने के कारण और प्रावधान में ₹ 62.64 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

09- तरवां जनपद आजमगढ़ में 100 शैय्या

चिकित्सालय भवन का निर्माण—

मूल	50.00
पुनर्वि०	-50.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 50.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl

dgy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

(yk[k ₹ ee)

11- बकेवर जनपद इटावा में 100 शैय्या			
चिकित्सालय भवन का निर्माण-			
मूल	1,00.00		
	
पुनर्वि०	-1,00.00		..
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,00.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
800- अन्य व्यय-			
97- बाह्य सहायतित परियोजनायें-			
मूल	5,00.00		
	
पुनर्वि०	-5,00.00		..
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 5,00.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- सहकारी रिहायशी भवन-			
700- अन्य आवास-			
05- जनपद सोनभद्र में 100 शैय्यायुक्त संयुक्त			
चिकित्सालय हेतु आवासीय भवन-			
मूल	50.00		
	
पुनर्वि०	-50.00		..
₹ 50.00 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 27.16 लाख का अभ्यर्पण और प्रावधान में ₹ 22.84 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
06- जनपद महोबा में 100 शय्यायुक्त संयुक्त			
चिकित्सालय हेतु आवासीय भवन-			
मूल	10.00		
	
पुनर्वि०	-10.00		..
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 10.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			

(ix) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

' kh"kl

dly vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

(yk[k ₹ es)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

पर पूंजीगत परिव्यय-

01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-

110- अस्पताल तथा औषधालय-

08- 100 शय्यायुक्त बाल रोग चिकित्सालय

भवन का निर्माण-

मूल 6,00.00]

23,79.61

23,79.61

..

पुनर्वि० 17,79.61]

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 17,79.61 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

10- चीरघर का निर्माण

50.00

1,92.61

+1,42.61

68- जनपद बागपत में 100 शैय्या

चिकित्सालय भवन का निर्माण-

मूल 1,00.00]

2,45.05

2,45.05

..

पुनर्वि० 1,45.05]

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,45.05 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-

103- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-

04- नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों

का निर्माण (चालू अंश)

(जिला योजना)-

पुनर्वि० 12,13.94

12,13.94

15,34.64

+3,20.70

₹ 12,13.94 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 11.88 लाख का अभ्यर्पण और प्रावधान में

₹ 12,25.82 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

104- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-

03- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों

का भवन निर्माण (चालू अंश)

(जिला योजना)-

पुनर्वि० 99.82

99.82

5,16.50

+4,16.68

प्रावधान में ₹ 99.82 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

वृत्तिका I अ; क 33&fपfdRI क foHkkx (vk; पंd , oa ; wkuh)

वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका
वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका
2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य				
मूल	3,80,43,87			
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)		3,80,43,87	3,49,32,22	-31,11,65
				30,64,80

वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका
वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय				
मूल	30,40,00			
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)		30,40,00	31,18,80	-21,20
				12,47

fVli f. k; ka , oa Vhd; &

वृत्तिका

वृत्तिका

- (i) ₹ 31,11.65 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 30,64.80 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की जा सकी।
- (ii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका
वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका

(yk[k ₹ e)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

02- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य

चिकित्सा पद्धतियां-

101- आयुर्वेद-

03- निदेशन तथा प्रशासन-

मूल	14,54.17			
पुनर्वि०	-4,35.40			
		10,18.77	10,51.38	+32.61

₹ 4,35.40 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समर्पण की सूचना के कारण हुआ।

'kh"kz dty vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

(yk[k ₹ e)

04- विभागीय औषधि विनिर्माण-

मूल	4,99.13	}	4,43.37	4,43.57	+0.20
पुनर्वि०	-55.76				

₹ 55.76 लाख का अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष के अन्त में स्वीकृति निर्गत होने के कारण हुई।

04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां-

103- यूनानी-

03- अस्पताल तथा रुजालय-

मूल	24,39.80	}	19,29.58	19,16.96	-12.62
पुनर्वि०	-5,10.22				

₹ 5,10.22 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 4,49.26 लाख का अभ्यर्पण क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा समर्पण और व्यय की सूचना देने के कारण और ₹ 60.96 लाख की कमी पद रिक्त होने के कारण हुई।

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

03- अवशेषों का भुगतान-

मूल	52,16.11	}	43,89.10	42,78.55	-1,10.55
पुनर्वि०	-8,27.01				

प्रावधान में ₹ 8,27.01 लाख की कुल कमी में से, ₹ 5,46.49 लाख का अभ्यर्पण पद रिक्त रहने के कारण और वास्तविक व्यय के आधार पर तथा क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समर्पण की सूचना के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 2,80.52 लाख की कमी पद रिक्त होने के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं

(जून 2011)।

(iii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

02- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य

चिकित्सा पद्धतियां-

101- आयुर्वेद-

' kh" kZ dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

(yk[k ₹ ee)

06- गैर सरकारी संस्थाओं को
सहायक अनुदान(आयुर्वेद)–

मूल	2.32	}	6.87	6.87	..
पुनर्वि०	4.55				

₹ 4.55 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 0.33 लाख का अभ्यर्पण क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा समर्पण की सूचना देने के कारण और वास्तविक व्यय के आधार पर और पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4.88 लाख की वृद्धि कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के कारण हुई।

103- यूनानी–

03- निदेशन तथा प्रशासन–

मूल	96.22	}	1,01.92	1,02.62	+0.70
पुनर्वि०	5.70				

₹ 5.70 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 12.66 लाख का अभ्यर्पण क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा समर्पण की सूचना देने के कारण और वास्तविक व्यय के आधार पर और पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 18.36 लाख की वृद्धि कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के कारण हुई।

04- विभागीय औषधि विनिर्माण–

मूल	76.19	}	83.37	83.19	-0.18
पुनर्वि०	7.18				

₹ 7.18 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 2.49 लाख का अभ्यर्पण क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा व्यय और समर्पण की सूचना देने के कारण और पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 9.67 लाख की वृद्धि कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के कारण हुई।

05- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण
तथा अनुसंधान–

101- आयुर्वेद–

06- अन्य व्यय–

मूल	26,14.54	}	27,02.92	26,69.22	-33.70
पुनर्वि०	88.38				

₹ 88.38 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 3,23.43 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः वास्तविक व्यय के आधार पर और क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा समर्पण की सूचना देने के कारण और प्रावधान में ₹ 4,11.81 लाख की वृद्धि पदों को भरे जाने के कारण हुई।

' kh"KZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

(yk[k ₹ e)

103- यूनानी-

03- यूनानी कालेजों तथा उनसे सम्बद्ध

अस्पतालों का प्रांतीयकरण-

मूल	8,48.59	}	8,02.83	8,86.04	+83.21
पुनर्वि०	-45.76				

₹ 45.76 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 1,34.76 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः वास्तविक व्यय के आधार पर और क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा समर्पण की सूचना देने के कारण तथा पद रिक्त रहने के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 89.00 लाख की वृद्धि पदों को भरे जाने के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं

(जून 2011)।

vunpku I a[; k 34&fpfdRI k foHkkx (gkE; ki \$Fkd fpfdRI k)

eq[; 'kh"kl dgy vunpku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

(gtlj ₹ ea)

jktLo&

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

nRrer&

मूल	1,65,12,36	}	1,65,12,36	1,61,31,70	-3,80,66
पूरक	..				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

i wthxr&

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर

पूजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	85,76	}	85,76	..	-85,76
पूरक	..				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 3,80.66 लाख की अंतिम बचत मे से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पित नहीं की जा सकी।

(ii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत लघु व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः

निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl

dgy vunpku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

(yk[k ₹ ea)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

03- अवशेषों का भुगतान

26,00.35

21,94.89

-4,05.46

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(iii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

02- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-

अन्य चिकित्सा पद्धतियां-

'kh"KZ dgy vumku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$ cpr&

(yk[k ₹ ee)

102- होम्योपैथी-			
03- निदेशन और प्रशासन	1,33.00	1,40.07	+7.07
04- अस्पताल और औषधालय	15,24.38	16,43.21	+1,18.83
05- चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण और अनुसंधान-			
102- होम्योपैथी-			
03- शिक्षा	11,40.83	11,59.09	+18.26

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

inthr&

nRrer&

(iv) बचत निम्न के अधीन हुआ:-

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूजीगत परिव्यय-			
01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-			
800- अन्य व्यय-			
03- राजकीय नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कालेज, लखनऊ, राजकीय पं० जवाहर लाल नेहरु होम्योपैथी मेडिकल कालेज, कानपुर तथा राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के भवनों का निर्माण	10.00	..	-10.00
04- होमियोपैथिक भवन का निर्माण (जिला योजना)	10.00	..	-10.00
05- होमियोपैथिक चिकित्साधिकारियों के कार्यालय भवन का निर्माण	10.00	..	-10.00
08- होमियोपैथी चिकित्सालय	10.50	..	-10.50
09- राजकीय होमियोपैथी मेडिकल कालेज और अस्पताल	24.00	..	-24.00
02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-			
102- सहायक स्वास्थ्य केन्द्र-			
03- होमियोपैथी औषधि निर्माणशाला/ परीक्षणशाला	10.00	..	-10.00
800- अन्य व्यय-			
04- होमियोपैथी चिकित्सालय	11.26	..	-11.26

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

vunpu I a[; k 35&fpfdRI k foHkkx (i fjokj dY; k.k)

ed[; 'kh"kl	dY; vunpu ; k fofu; ksx	okLrfod 0; ; (gtkj ₹ es)	vf/kd 0; ; \$ cpr&
jktLo&			
2211- परिवार कल्याण			
nRrer&			
मूल	13,93,71,65	14,08,71,65	13,69,93,20
पूरक	15,00,00		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि			
..			
i Hkkfjr&			
मूल	15,00	15,00	50
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि			
..			
i wthxr&			
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
nRrer&			
मूल	..	5,57,91	1,82,66
पूरक	5,57,91		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि			
..			
fVli f. k; ka , oa Vhdk; &			
jktLo&			
nRrer&			

- (i) ₹ 38,78.45 लाख की अंतिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पित नहीं की जा सकी।
(ii) ₹ 38,78.45 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 15,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
(iii) बचत(अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dY; vunpu	okLrfod 0; ; (yk[k ₹ es)	vf/kd 0; ; \$ cpr&
2211- परिवार कल्याण-			
003- प्रशिक्षण-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा			
पुरोनिधानित योजनायें	18,77.92	13,40.87	-5,37.05

' kh"KZ dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$ cpr&

(yk[k ₹ ee)

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा
पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	4,74,94.09	}	4,17,43.09	4,14,13.40	-3,29.69
पूरक	15,00.00				
पुनर्वि०	-72,51.00				

प्रावधान में ₹ 72,51.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुई।

03- अवशेषों का भुगतान 35,27.83 33,88.05 -1,39.78
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—

2211- परिवार कल्याण—

101- ग्रामीण परिवार कल्याण सेवायें—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा
पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	4,02,15.47	}	4,57,16.45	4,47,91.43	-9,25.02
पुनर्वि०	55,00.98				

प्रावधान में ₹ 55,00.98 लाख की वृद्धि शीर्ष के अन्तर्गत भुगतान के कारण हुई।

200- अन्य सेवायें तथा पूर्तियां—

04- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्थित
ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र—

मूल	1,70,14.75	}	1,87,14.32	1,77,48.99	-9,65.33
पुनर्वि०	16,99.57				

प्रावधान में ₹ 16,99.57 लाख की वृद्धि में से, ₹ 17,50.02 लाख की वृद्धि वास्तविक आवश्यकता के आधार पर और प्रावधान में ₹ 50.45 लाख की कमी शीर्ष के अन्तर्गत भुगतान के कारण हुई।

i Hkkfj r&

(v) ₹ 14.50 लाख की अंतिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पित नहीं की जा सकी।

(vi) बचत निम्न के अधीन हुई:-

' kh" kZ

dy fofu; ksx

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

(yk[k ₹ ea)

2211- परिवार कल्याण-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें

10.00

..

-10.00

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

i thxr&

nRrer&

(vii) ₹ 3,75.25 लाख की अंतिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पित नहीं की जा सकी।

(viii) बचत निम्न के अधीन हुई:-

' kh" kZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

(yk[k ₹ ea)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर

पूजीगत परिव्यय-

02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-

101- स्वास्थ्य उप केन्द्र-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें-

पूरक

5,57.91

5,57.91

1,82.66

-3,75.25

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

वृत्तवार्षिक 36 मासों के फल (एकल लोक)

वर्ष : ' 2011	वृत्तवार्षिक ; क फो; क	अनुसूचित जाति ; ;	अनुसूचित जाति ; ; \$ cpr&
---------------	------------------------------	-------------------	------------------------------

(गति ₹)

जल

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

न

मूल	5,86,82,22	5,86,84,22	3,91,48,14	-1,95,36,08
पूरक	2,00			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)				1,91,35,25

ि

मूल	1,00	1,00	..	-1,00
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)				1,00

विवरण : , , ,

जल

न

(i) ₹ 1,95,36.08 लाख की अंतिम बचत के सापेक्ष ₹ 1,91,35.25 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गयी।

(ii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

वर्ष : ' 2011	वृत्तवार्षिक ; क फो; क	अनुसूचित जाति ; ;	अनुसूचित जाति ; ; \$ cpr&
---------------	------------------------------	-------------------	------------------------------

(गति ₹)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

06- लोक स्वास्थ्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- अधिष्ठान व्यय-

मूल	6,16.30	5,32.14	5,31.87	-0.27
पुनर्वि	-84.16			

₹ 84.16 लाख की कुल बचत में से, ₹ 1,94.56 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पद खाली रहने तथा मितव्ययिता के कारण हुआ और प्रावधान में ₹ 1,10.40 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

'kh"kl dty vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

(yk[k ₹ es)

04- खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय की स्थापना—				
मूल	26,85.92] 26,87.92	23,38.35	-3,49.57
पूरक	2.00			
003- प्रशिक्षण—				
04- सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र—				
मूल	5,05.85] 4,30.19	4,29.76	-0.43
पुनर्वि०	-75.66			
₹ 75.66 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पद खाली रहने तथा मितव्ययिता के कारण हुआ।				
101- रोगों का निवारण तथा नियंत्रण—				
03- स्वास्थ्य अधिकारी—				
मूल	4,88,67.81] 3,10,55.10	3,10,69.88	+14.78
पुनर्वि०	-1,78,12.71			
₹ 1,78,12.71 लाख की कुल बचत में से, ₹ 1,79,37.71 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः आर्थिक मितव्ययिता और वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ और प्रावधान में ₹ 1,25.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों के भुगतान के कारण हुआ।				
80- सामान्य—				
800- अन्य व्यय—				
05- अवशेषों का भुगतान—				
मूल	56,78.44] 45,57.72	44,68.61	-89.11
पुनर्वि०	-11,20.72			
₹ 11,20.72 लाख की कुल बचत में से, ₹ 8,85.32 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः वास्तविक आवश्यकता के आधार पर और प्रावधान में ₹ 2,35.40 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्ययाधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।				

वृत्तगत विकास प्रशासनिक सेवाओं के लिए आवंटित राशि

वर्ष	मूल	पूरक	कुल	अनुदान	अनुपूरक	कुल
2015- निर्वाचन,						
2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें,						
2053- जिला प्रशासन,						
2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें,						
2215- जलपूर्ति तथा सफाई,						
2217- शहरी विकास,						
2230- श्रम तथा रोजगार तथा						
3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज						
संस्थाओं को क्षति पूर्ति तथा समनुदेशन						
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)	10,45,05,95	2,83,24,17	13,28,30,12	6,16,50,95	-7,11,79,17	1,73,58,10

वृत्तगत विकास प्रशासनिक सेवाओं के लिए आवंटित राशि

4215- जलपूर्ति तथा सफाई पर						
पूंजीगत परिव्यय,						
4217- शहरी विकास पर पूंजीगत						
परिव्यय तथा						
6215- जलपूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज						
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)	20,40,14,20	20,00,01	20,60,14,21	13,73,01,90	-6,87,12,31	6,79,82,93

वृत्तगत विकास प्रशासनिक सेवाओं के लिए आवंटित राशि

वृत्तगत विकास प्रशासनिक सेवाओं के लिए आवंटित राशि

वृत्तगत विकास प्रशासनिक सेवाओं के लिए आवंटित राशि

- ₹ 7,11,79.17 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 1,73,58.10 की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।
- ₹ 7,11,79.17 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 2,83,24.17 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh" kZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
	% yk[k ₹ ea %		
2015- निर्वाचन-			
800- अन्य व्यय-			
04- स्थानीय निकायों के निर्वाचन हेतु-			
मूल	7,00.00		
पुनर्वि०	-59.00		
	6,41.00	72.69	-5,68.31
₹ 59.00 लाख की प्रत्याशित बचत स्थानीय निकायों के उप निर्वाचन न होने के कारण हुई।			
2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें-			
800- अन्य व्यय-			
03- अवशेषों का भुगतान	2,74.50	1,94.35	-80.15
2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-			
800- अन्य व्यय-			
03- राज्य सफाई कर्मचारी आयोग	36.00	7.90	-28.10
2215- जलपूर्ति तथा सफाई-			
02- मल-जल तथा सफाई-			
106- वायु एवं जल प्रदूषण का निवारण-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-			
मूल	1,03,96.00		
पुनर्वि०	-33,95.61		
	70,00.39	56,99.78	-13,00.61
₹ 33,95.61 लाख नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किये गये।			
2217- शहरी विकास-			
04- मलिन बस्तियों का सुधार-			
800- अन्य व्यय-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	3,41,23.00	1,53,57.83	-1,87,65.17

' kh" kZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

05- अन्य शहरी विकास योजनायें—

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल 5,44,00.00

पूरक 8,33.17

पुनर्वि० -1,38,46.00

4,13,87.17

83,96.57

-3,29,90.60

₹ 1,38,46.00 लाख की शुद्ध प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 1,37,46.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 1,00.00 लाख का अभ्यर्पण प्रस्ताव परिपक्व न होने के कारण हुआ।

80- सामान्य—

191- स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल 1,00.00

पुनर्वि० -17.28

82.72

53.50

-29.22

₹ 17.28 लाख सलाहकार से बीजक समय से प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किये गये।

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल 2,14.16

पुनर्वि० -78.88

1,35.28

1,11.80

-23.48

₹ 78.88 लाख कुछ पदों पर कार्मिकों द्वारा कार्य—भार ग्रहण न करने के कारण अभ्यर्पित किये गये।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011) ।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"KZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

yK[k ₹ ea ½

2015- निर्वाचन-

800- अन्य व्यय-

03- स्थानीय निकायों के निर्वाचन

जिला कर्मचारी वर्ग-

मूल 7,14.18

पुनर्वि० 59.00

7,73.18

7,47.55

-25.63

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 59.00 लाख की वृद्धि कार्मिकों को माह फरवरी 2011 के वेतन तथा मंहगाई भत्ते के भुगतान के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011) ।

i wthxr&

nRrer&

(v) ₹ 6,87,12.31 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 6,79,82.93 की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(vi) ₹ 6,87,12.31 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 20,00.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

4215- जलपूर्ति तथा सफाई पर

पूंजीगत परिव्यय-

01- जलपूर्ति-

101- शहरी जल पूर्ति-

97- वार्ड सहायतित योजनायें-

मूल 3,00,00.00

पुनर्वि० -1,50,00.00

1,50,00.00

1,50,00.00

..

₹ 1,50,00.00 लाख पी०एम०सी० की समस्त प्रक्रिया विलम्बित होने से कार्य में विलम्ब होने के कारण अभ्यर्पित किये गये।

' kh"kl dy vupku okLrfod 0 ; ; vf/kd 0 ; ; \$
cpr &
¼ yk[k ₹ ea ½

02- मल-जल तथा सफाई-

106- मल-जल सेवाएं-

03- उत्तर प्रदेश व्यापार विकास
निधि से व्यय-

मूल	1,20,00.00	}	1,23,38.36	1,19,78.43	-3,59.93
पूरक	20,00.00				
पुनर्वि०	-16,61.64				

₹ 16,61.64 लाख धनराशि स्वीकृति के समय फेसिंग व्यवस्था होने तथा उचित प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किये गये।

800- अन्य व्यय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	6,44.00	}	5,44.29	5,44.29	..
पुनर्वि०	-99.71				

₹ 99.71 लाख भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किये गये।

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-

03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों
का समेकित विकास-

800- अन्य व्यय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	3,26,19.00	}	2,66,26.94	2,65,76.94	-50.00
पुनर्वि०	-59,92.06				

₹ 59,92.06 लाख भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने तथा केन्द्रांश प्राप्ति के प्रकरण में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किये गये।

60- अन्य शहरी विकास योजनायें-

800- अन्य व्यय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	8,00,00.00	}	3,59,58.78	3,48,99.96	-10,58.82
पुनर्वि०	-4,40,41.22				

₹ 4,40,41.22 लाख की शुद्ध प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 6,95.39 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 4,33,45.83 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(viii) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		% yk[k ₹ ea %	

4215- जलपूर्ति तथा सफाई पर

पूँजीगत परिव्यय-

01- जलपूर्ति-

101- शहरी जल पूर्ति-

05- कानपुर में गंगा नदी पर बराज

निर्माण हेतु अध्याप्त भूमि के लिए

क्षतिपूर्ति भुगतान-

पुनर्वि०

2,66.82

2,66.82

2,66.82

..

प्रावधान में ₹ 2,66.82 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये है।

02- मल-जल तथा सफाई-

106- मल-जल सेवाएं-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

पूरक

0.01

4,28.57

14,87.39

+10,58.82

पुनर्वि०

4,28.56

₹ 4,28.56 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 4,28.57 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 0.01 लाख का अभ्यर्पण सांकेतिक प्रावधान के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

वृत्तवार्षिक 38वें वित्त वर्ष के लिए माला सेवाओं के व्यय

वर्ष	अनुमानित व्यय	वास्तविक व्यय	अंतर
2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ,			
2203- तकनीकी शिक्षा तथा			
3053- नागर विमानन			
कुल	26,87,38	26,97,59	-2,44,63
पूरक	10,21		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)			2,82,46
कुल	41,40,02	41,40,02	-8,16,80
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)			8,16,80

वित्त वर्ष के लिए, आवासीय

वृत्तवार्षिक

कुल

- ₹ 2,44.63 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए; ₹ 2,82.46 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।
- ₹ 2,44.63 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 10.21 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"Kz	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
			¼ yk[k ₹ ea ½

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें,

114- वाहन का क्रय तथा

रख रखाव-

03- नागरिक उड्डयन निदेशालय-

मूल	25,55.94	}			
			22,73.22	23,10.99	+37.77
पुनर्वि०	-2,82.72				

₹ 2,82.72 लाख की शुद्ध बचत में से, प्रावधान में ₹ 4.50 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 2,78.22 लाख का अभ्यर्पण अवशेषों के भुगतान, पायलटों/अभियन्ताओं की नियुक्ति विलम्ब से किये जाने तथा यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान किये जाने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें-

800- अन्य व्यय-

03- अवशेषों का भुगतान-

मूल	43.00	}			
			47.50	47.50	..
पुनर्वि०	4.50				

प्रावधान में ₹ 4.50 लाख की वृद्धि निदेशक के वेतनमान को उच्चिकृत किये जाने के फलस्वरूप छठवें वेतन आयोग के एरियर में वृद्धि होने के कारण हुई।

i wthxr&

nRrer&

(v) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-

02- विमान पत्तन-

800- अन्य व्यय-

13- डा0 अम्बेडकर हवाई पट्टी,

मेरठ का विस्तार-

मूल	18,00.00	}			
			1,33.35	5,70.53	+4,37.18
पुनर्वि०	-16,66.65				

₹ 16,66.65 लाख की शुद्ध बचत में से, प्रावधान में ₹ 8,49.87 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 8,16.78 लाख का अभ्यर्पण हवाई पट्टी के विस्तार हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(vi) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-

02- विमान पत्तन-

800- अन्य व्यय-

20- हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार

एवं सुदृढीकरण तथा भूमि अर्जन-

मूल 23,40.00

पुनर्वि० 8,49.87

31,89.87

27,52.69

-4,37.18

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 8,49.87 लाख की वृद्धि हवाई पट्टी गाजीपुर, फर्रुखाबाद, अम्बेडकर नगर हैंगर नं० 2 के सुदृढीकरण कराये जाने तथा चित्रकूट हवाई पट्टी के गेस्ट हाउस निर्माण के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

वृत्तिका I अंक 39 अंकित फोर्क

अंक : 'क'क

द्वि वृत्तिका अंकित 0 ; ;

वर्क/क 0 ; ; \$
cpr &

॥ गतक ₹ ०० ॥

जक्तल

2058- लेखन-सामग्री तथा मुद्रण,

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें तथा

2202- सामान्य शिक्षा

नरर

मूल 10,38,90

पूरक ..

10,38,90

9,57,56

-81,34

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

1,22,38

वर्क/क ; क , ०० वृत्तिका ;

जक्तल

नरर

(i) ₹ 81.34 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, ₹ 1,22.38 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।

(ii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'क'क

द्वि वृत्तिका अंकित 0 ; ;

वर्क/क 0 ; ; \$
cpr &

॥ यक/क ₹ ०० ॥

2058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण-

105- सरकारी प्रकाशन-

03- विभागीय मैनुअलों एवं नियमावलियों

आदि का संकलन तथा प्रकाशन-

मूल 16.81

पुनर्वि ० -7.22

9.59

11.11

+1.52

₹ 7.22 लाख का अभ्यर्पण आर्थिक मितव्ययिता, राजकीय मुद्रणालय से बिल प्राप्त न होने तथा एक कर्मचारी तथा ड्राइवर की मृत्यु के कारण हुआ।

' kh" kZ

dly vuṅku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

2202- सामान्य शिक्षा—

03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा—

104- अराजकीय कालेजों और संस्थानों
को सहायता—

05- उत्तर प्रदेश हिन्दी

संस्थान को अनुदान—

मूल 2,80.39

2,35.57

2,35.57

..

पुनर्वि० -44.82

₹ 44.82 लाख का अभ्यर्पण हिन्दी संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा पुरस्कार वितरण न किये जाने के कारण हुआ।

06- उत्तर प्रदेश संस्कृत

संस्थान को अनुदान—

मूल 1,06.92

81.46

81.46

..

पुनर्वि० -25.46

₹ 25.46 लाख का अभ्यर्पण उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान में पदों के रिक्त होने तथा आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

05- भाषा विकास—

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल 5.00

..

..

..

पुनर्वि० -5.00

₹ 5.00 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुआ।

04- अवशेषों का भुगतान—

मूल 83.05

..

..

..

पुनर्वि० -83.05

₹ 83.05 लाख की कुल बचत में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 49.14 लाख की कमी मुख्यतः किसी संस्थान द्वारा मांग न होने के कारण हुई। ₹ 33.91 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

' kh'kz

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

½ yk[k ₹ ea ½

800- अन्य व्यय—

03- उत्तर प्रदेश हिन्दी उर्दू

साहित्य अवार्ड कमेटी लखनऊ

को इन्टरनेशनल लिट्रेसी फेस्टिवल

एवं सेमिनार के आयोजन के लिये

आवर्तक अनुदान—

मूल

10.00

13.50

13.50

..

पुनर्वि०

3.50

प्रावधान में ₹ 3.50 लाख की वृद्धि हिन्दी-उर्दू साहित्य अवार्ड कमेटी द्वारा साहित्यिक आयोजन हेतु अपर्याप्त धनराशि की पूर्ति के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं
(जून 2011)।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिव्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
			¼ yk[k ₹ ea ½
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-			
02- सामाजिक कल्याण-			
800- अन्य व्यय-			
03- तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का कार्यान्वयन-			
पूरक 1,18,00.00	1,06,20.00	1.10	-1,06,18.90
पुनर्वि० -11,80.00			
₹ 11,80.00 लाख प्रशासनिक कारणों से अभ्यर्पित किये गये।			
2402- मृदा तथा जल संरक्षण-			
103- भूमि सुधार तथा विकास-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-			
मूल 30.00	9.97	10.51	+0.54
पूरक 0.01			
पुनर्वि० -20.04			
₹ 20.04 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 17.54 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुआ। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 2.50 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
04- राज्य भूमि उपयोग परिषद्-			
मूल 1,39.64	1,24.47	1,24.17	-0.30
पुनर्वि० -15.17			
₹ 15.17 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 28.38 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा आर्थिक मितव्ययिताके कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 13.21 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
2575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-			
02- पिछड़े क्षेत्र-			
800- अन्य व्यय-			
03- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-			
मूल 1,20,00.00	1,14.24	3,39.24	+2,25.00
पुनर्वि० -1,18,85.76			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,18,85.76 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			

'kh"KZ	dy vuṅku	okLrfod 0 ; ;	vf/kd 0 ; ; \$	cpr &
				¼ yk[k ₹ ea ½
04- विवरण उपलब्ध नहीं—				
पुनर्वि०	1,18,85.76	1,18,85.76	73,18.42	-45,67.34
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,18,85.76 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				
06- बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम—				
104- पशु तथा भैंस विकास—				
04- प्रजनन सुविधाओं की स्थापना / विस्तार तथा संचालन हेतु				
एकमुश्त व्यवस्था		10.00	..	-10.00
800- अन्य व्यय—				
04- समीक्षा, प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन हेतु एकमुश्त व्यवस्था—				
मूल	40.00			
पुनर्वि०	-36.59	3.41	..	-3.41
₹ 36.59 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि का उपयोग नहीं होने के कारण हुआ।				
3451- सचिवालय-आर्थिक सेवायें—				
092- अन्य कार्यालय—				
03- राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग)—				
मूल	9,58.13			
पुनर्वि०	-1,33.48	8,24.65	8,24.59	-0.06
₹ 1,33.48 लाख पदों के रिक्त रहने, आर्थिक मितव्ययिता तथा आवश्यकतानुसार व्यय के कारण अभ्यर्पित किये गये।				
07- राज्य नियोजन संस्थान (मूल्यांकन प्रभाग) द्वारा विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में विशेषज्ञों की सेवाओं के उपयोग हेतु व्यवस्था—				
मूल	50.00			
पुनर्वि०	-29.52	20.48	20.48	..
₹ 29.52 लाख की शुद्ध बचत में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 27.77 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये। ₹ 1.75 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।				

'kh"KZ	dy vuṅku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr &
				₹ yk[k ₹ ea½
101- योजना आयोग/योजना बोर्ड-				
04- मण्डल/जिला स्तर पर नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण-				
मूल	9,96.76	8,18.81	8,19.40	+0.59
पुनर्वि०	-1,77.95			
₹ 1,77.95 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने तथा आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुआ।				
800- अन्य व्यय-				
06- अवशेषों का भुगतान-				
मूल	5,25.14	4,63.30	4,62.72	-0.58
पुनर्वि०	-61.84			
₹ 61.84 लाख की शुद्ध बचत में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 59.14 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये। ₹ 2.70 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।				
3454- जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-				
02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-				
001- निदेशन तथा प्रशासन-				
03- अर्थ एवं संख्या निदेशालय-				
मूल	48,26.98	46,20.53	46,24.85	+4.32
पूरक	14,70.36			
पुनर्वि०	-16,76.81			
₹ 16,76.81 लाख मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, आर्थिक मितव्ययिता तथा वाहन क्रय न किये जाने के कारण अभ्यर्पित किये गये।				
06- जिला योजना की संरचना (जिला योजना समिति)-				
मूल	18.00	8.85	8.83	-0.02
पुनर्वि०	-9.15			
₹ 9.15 लाख आर्थिक मितव्ययिता तथा योग्य सलाहकारों को सम्मिलित न किये जाने के कारण अभ्यर्पित किये गये।				
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।				

(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"z	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr &
				% yk[k ₹ e#½
2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-				
004- अनुसंधान-				
03- विकास अन्वेषणालय-				
मूल	2,94.91			
पुनर्वि०	51.59	3,46.60	3,47.89	+1.29
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2005-06 के उच्चतम समाशोधन के ₹ 1.42 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं।				
₹ 51.59 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 63.05 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये। ₹ 11.36 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने तथा आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुआ।				
2575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-				
06- बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम-				
101- सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम-				
03- सोलर लाइट/सोलर पम्प/सोलर पावर				
फन्सिंग के लिए एकमुश्त व्यवस्था-				
मूल	1,50.00			
पूरक	1,50.35	3,00.35	3,04.68	+4.33
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।				

i wthxr&

nRrer&

- (v) ₹ 8,80,75.74 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 63.67 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।
- (vi) ₹ 8,80,75.74 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 18,20.85 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथावश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।

(vii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिव्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr &
¼ yk[k ₹ e½				
4575- अन्य विशेष क्षेत्र के कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-				
02- पिछड़े क्षेत्र-				
800- अन्य व्यय-				
03- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं-				
मूल 10,80,00.00	6,22,91.85	47,28.10	-5,75,63.75	
पुनर्वि० -4,57,08.15				
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 4,57,08.15 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				
05- फारेस्टर आवास तथा फारेस्ट गार्ड पोस्ट हेतु एकमुश्त व्यवस्था-				
पुनर्वि० 25,00.00	25,00.00	..	-25,00.00	
सम्पूर्ण पुनर्विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				
06- बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम-				
101- पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-				
03- पशु चिकित्सालय/पशु सेवा केन्द्रों का निर्माण/विस्तार के लिए एकमुश्त व्यवस्था	50.00	19.52	-30.48	
102- ग्रामीण जलपूर्ति-				
03- जलापूर्ति कार्यक्रमों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-				
मूल 2,10.00	2,04.79	1,62.28	-42.51	
पुनर्वि० -5.21				
₹ 5.21 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार द्वारा अवमुक्त सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग नहीं होने के कारण हुआ।				
103- सिविल निर्माण कार्य-				
03- बाढ़ सुरक्षा/बाढ़ निर्माण/विस्तार के लिए एकमुश्त व्यवस्था-				
पूरक 1,64.60	1,64.60	1,13.22	-51.38	
201- बेसिक शिक्षा-				
03- विद्यालय का भवन/विस्तार/बाउन्ड्रीवाल के निर्माण के लिए एकमुश्त व्यवस्था	50.00	20.00	-30.00	

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		¼ yk[k ₹ ea ½	cpr &
207- राज्य पुलिस—			
03- भारत नेपाल सीमा पर स्थित जनपदों में बैरक, सीमा चौकी आदि के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था	1,00.00	..	-1,00.00
337- सड़क निर्माण कार्य—			
03- सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था—			
मूल 14,00.00	16,69.73	13,22.74	-3,46.99
पूरक 2,69.73			
800- अन्य व्यय—			
03- सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप केन्द्रों के भवन निर्माण/विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	1,30.00	29.06	-1,00.94
05- वन रक्षक चौकी एवं वन दरोगा आवास हेतु एकमुश्त व्यवस्था	50.00	34.50	-15.50
07- सामुदायिक भवनों का निर्माण—			
मूल 1,90.00	2,21.39	1,36.55	-84.84
पूरक 31.39			
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।			
(viii) व्याधिव्य निम्न के अधीन हुआ:—			
4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय—			
800- अन्य व्यय—			
05- पूंजीगत विकास कार्यों के लिए व्यवस्था—			
मूल 28,40.00	28,37.52	28,54.43	+16.91
पुनर्वि० -2.48			
वास्तविक व्यय में वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के उच्चत समाशोधन के ₹ 53.32 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं।			
₹ 2.48 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 42.48 लाख जनपदों में नये कार्यों के प्रस्ताव उपलब्ध न होने के कारण अभ्यर्पित किये गये। प्रावधान में ₹ 40.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			

' kh" kZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr &
¼ yk[k ₹ ea½				
4575- अन्य विशेष क्षेत्र के कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय—				
02- पिछड़े क्षेत्र—				
102- ग्रामीण जलपूर्ति—				
03- अन्य योजनायें / कार्यक्रम—				
पुनर्वि०	20,88.00	20,88.00	20,88.17	+0.17
प्रावधान में ₹ 20,88.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				
800- अन्य व्यय—				
04- विवरण उपलब्ध नहीं—				
पुनर्वि०	4,10,70.15	4,10,70.15	1,35,55.76	-2,75,14.39
प्रावधान में ₹ 4,10,70.15 लाख की वृद्धि मुख्यतः नवसृजित जनपद के आवश्यकताओं की पूर्ति, कार्य पूर्ण करने हेतु धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।				
06- बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम—				
106- ग्रामीण विद्युतीकरण—				
03- ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए एकमुश्त व्यवस्था		90.00	1,70.10	+80.10
202- माध्यमिक शिक्षा—				
03- माध्यमिक स्कूल के सुदृढीकरण के लिए एकमुश्त व्यवस्था		..	1,47.26	+1,47.26
800- अन्य व्यय—				
04- होम्योपैथी चिकित्सालय केन्द्रों के भवन निर्माण / विस्तार के लिए एकमुश्त व्यवस्था		50.00	1,09.44	+59.44
06- आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था—				
मूल	70.00	93.20	99.70	+6.50
पूरक	25.20			
पुनर्वि०	-2.00			
₹ 2.00 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार द्वारा अवमुक्त सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग नहीं होने के कारण हुआ।				
08- आयुर्वेदिक औषधालयों का भवन निर्माण		10.00	34.80	+24.80

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		¼ yk[k ₹ ea ½	cpr &

09- सी०सी० रोड एवं के०सी०

ड्रेन निर्माण हेतु एकमुश्त
व्यवस्था—

मूल	1,34.00	}				
पूरक	11,28.85			12,60.52	12,91.40	+30.88
पुनर्वि०	-2.33					

₹ 2.33 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार द्वारा अवमुक्त सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग नहीं होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

वृत्तवार्षिक लेखांकन 2010-11

विवरण	अनुदान	अनुपूरक	कुल	अनुदान
2015- निर्वाचन				
मूल	56,21,67		83,86,67	75,41,61
अनुपूरक	27,65,00			-8,45,06
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				..

विवरण

- ₹ 8,45.06 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- ₹ 8,45.06 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 27,65.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।
- बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिव्यवस्था द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

विवरण	अनुदान	अनुपूरक	कुल	अनुदान
2015- निर्वाचन-				
103- निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण-				
05- निर्वाचन अधिष्ठान व्यय-				
मूल	17,37.16		23,06.61	17,24.97
अनुपूरक	3,15.00			-5,81.64
पुनर्वि०	2,54.45			
प्रावधान में ₹ 2,54.45 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				
06- फोटो पहचान पत्र-				
मूल	7,20.00		5,00.00	4,97.41
पुनर्वि०	-2,20.00			-2.59
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 2,20.00 लाख की कमी जनपदों द्वारा समुचित मांग न होने, लोक सभा उप निर्वाचन न कराये जाने के कारण हुई।				

' kh" kZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

105- संसद के चुनाव कराने
के लिए प्रभार—

03- सामान्य निर्वाचन—

मूल	13,50.01	17,75.67	15,82.02	-1,93.65
पूरक	8,50.00			
पुनर्वि०	-4,24.34			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 4,24.34 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

04- उप निर्वाचन—

मूल	1,23.82	1,02.31	42.62	-59.69
पुनर्वि०	-21.51			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 21.51 लाख की कमी जनपदों द्वारा समुचित मांग न होने, लोक सभा उप निर्वाचन न कराये जाने के कारण हुई।

106- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के
विधानमण्डल के चुनाव
कराने के लिये प्रभार—

09- लोक सभा/विधान सभा उप—

निर्वाचन कार्य में लगाये गये व्यक्तियों का दुर्घटना बीमा	10.00	5.00	-5.00
---	-------	------	-------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:—

2015- निर्वाचन—

103- निर्वाचक नामावली तैयार
करना और मुद्रण—

03- विधान सभा एवं संसद—

मूल	10,00.00	27,00.00	27,05.35	+5.35
पूरक	14,00.00			
पुनर्वि०	3,00.00			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 के उच्चतम समाशोधन के ₹ 13.21 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 3,00.00 लाख की वृद्धि जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों/कार्मिकों के यात्रा हेतु यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान, वार्षिक मानदेय, वाहनों के मरम्मत, डीजल, पेट्रोल आदि के कारण हुई।

' kh" kZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k #i ; ka ea ½

106- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के

विधानमण्डल के चुनाव

कराने के लिये प्रभार-

03- सामान्य निर्वाचन-राज्य

विधान सभा-

मूल 2,30.03]

पूरक 2,00.00]

पुनर्वि० 3.79]

4,33.82

4,34.19

+0.37

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 3.79 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

04- सामान्य निर्वाचन-राज्य

विधान परिषद्-

मूल 32.09]

पुनर्वि० 1,00.86]

1,32.95

1,30.53

-2.42

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,00.86 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

05- उप निर्वाचन-राज्य

विधान सभा-

मूल 1,07.01]

पुनर्वि० 3.99]

1,11.00

1,26.26

+15.26

प्रावधान में ₹ 3.99 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं

(जून 2011)।

वृत्तवार्षिक व्यय का विवरण

विवरण	वृत्तवार्षिक व्यय	अनुमानित व्यय	अनुमानित व्यय	अनुमानित व्यय
	₹	₹	₹	₹
2014- न्याय प्रशासन,				
2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें,				
2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति				
हितलाभ तथा				
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण				
मूल	8,82,36,17	10,09,41,56	7,78,83,01	-2,30,58,55
पूरक	1,27,05,39			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)				2,22,09,42
मूल	1,66,51,72	1,67,12,72	1,44,37,96	-22,74,76
पूरक	61,00			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)				22,38,64
4059- लोक निर्माण कार्य पर				
पूंजीगत परिव्यय,				
4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं				
पर पूंजीगत परिव्यय तथा				
4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय				
मूल	1,56,05,07	1,61,39,44	65,30,31	-96,09,13
पूरक	5,34,37			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)				93,67,94

(i) ₹ 2,30,58.55 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 2,22,09.42 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

- (ii) ₹ 2,30,58.55 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 1,27,05.39 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिव्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई—

' kh" kZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

2014- न्याय प्रशासन—

105- सिविल और सेशन न्यायालय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	3,00.02			
पुनर्वि०	-3,00.02	..	0.05	+0.05

₹ 3,00.02 लाख की शुद्ध बचत में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 3,00.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 0.02 लाख का अभ्यर्पण सांकेतिक प्रावधान के कारण स्वीकृति निर्गत न किये जाने के कारण हुआ।

03- जिला तथा सेशन न्यायाधीश—

मूल	5,15,33.86			
पुनर्वि०	-83,75.93	4,31,57.93	4,29,95.55	-1,62.38

₹ 83,75.93 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 83,72.12 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने तथा आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुआ। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 3.81 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुई।

09- पारिवारिक न्यायालय—

मूल	7,38.59			
पुनर्वि०	-1,92.48	5,46.11	5,36.92	-9.19

₹ 1,92.48 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने तथा आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुआ।

10- तेरहवें वित्त आयोग की

संस्तुतियों का क्रियान्वयन—

पूरक	86,08.00			
पुनर्वि०	-82,52.70	3,55.30	3,51.27	-4.03

₹ 82,52.70 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 62,52.70 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 20,00.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		¼ yk[k ₹ ea ½	cpr &
95- ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन—			
मूल 42,37.07	33,09.90	31,43.73	-1,66.17
पुनर्वि० -9,27.17			
₹ 9,27.17 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।			
106- लघुवाद न्यायालय—			
03- अधिष्ठान—			
मूल 12,66.08	9,25.07	9,17.40	-7.67
पुनर्वि० -3,41.01			
₹ 3,41.01 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने तथा आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुआ।			
108- दण्ड न्यायालय—			
03- नियमित अधिष्ठान—			
मूल 94,43.97	80,58.87	79,97.59	-61.28
पुनर्वि० -13,85.10			
₹ 13,85.10 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 13,88.91 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 3.81 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
04- रेलवे मजिस्ट्रेटों का अधिष्ठान—			
मूल 4,74.72	3,22.98	3,17.07	-5.91
पुनर्वि० -1,51.74			
₹ 1,51.74 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।			
114- विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)—			
06- महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा लखनऊ स्थित पुस्तकालय के सुदृढीकरण एवं विधि पुस्तकों/पत्रिकाओं/जर्नल्स के क्रय एवं वार्षिक चन्दे तथा पुस्तकों की बाइंडिंग के लिए व्यवस्था—			
मूल 20.00	5.05	5.05	..
पुनर्वि० -14.95			
₹ 14.95 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।			

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr &
				¼ yk[k ₹ ea ½
800- अन्य व्यय—				
05- विभागीय भवनों के अनुरक्षण				
हेतु प्रावधान—				
मूल	3,80.00	1,78.39	1,78.40	+0.01
पुनर्वि०	-2,01.61			
₹ 2,01.61 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 1,19.94 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 81.67 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				
09- लोक सेवा अधिकरण—				
मूल	7,41.11	6,65.96	6,65.95	-0.01
पुनर्वि०	-75.15			
₹ 75.15 लाख का अभ्यर्पण कुछ पदों के रिक्त रहने तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।				
10- तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन—				
पूरक	32,18.41	2,75.94	2,75.94	..
पुनर्वि०	-29,42.47			
₹ 29,42.47 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—				
60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम—				
200- अन्य कार्यक्रम—				
05- लोक अदालत—				
मूल	3,86.05	1,76.25	1,85.13	+8.88
पुनर्वि०	-2,09.80			
₹ 2,09.80 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 1,28.25 लाख का अभ्यर्पण पदों का सृजन न होने के कारण हुआ। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 81.55 लाख की कमी वास्तविक व्यय के आधार पर हुई।				
06- अधिवक्ता कल्याण निधि से सम्बन्धित कल्याणकारी स्टाम्पों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति का अधिवक्ता कल्याण निधि हेतु न्यासी समिति को अन्तरण—				
मूल	5,00.00	4,08.59	4,27.29	+18.70
पुनर्वि०	-91.41			
₹ 91.41 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।				

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

10- तेरहवें वित्त आयोग की
संस्तुतियों का क्रियान्वयन—

पूरक	8,18.00]
पुनर्वि०	-8,18.00				

₹ 8,18.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं
(जून 2011)।

(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:—

2014- न्याय प्रशासन—

114- विधि सलाहकार और परामर्शदाता
(काउन्सिल)—

04- विधि परामर्शी तथा
सरकारी अधिवक्ता—

मूल	61,83.38]	84,04.55	83,90.81	-13.74
पुनर्वि०	22,21.17				

₹ 22,21.17 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 23,24.42 लाख की वृद्धि तथा प्रावधान में
₹ 20.49 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 82.76 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक
आवश्यकता के आधार पर हुआ।

800- अन्य व्यय—

06- विभागीय भवनों के अनुरक्षण
हेतु प्रावधान—

मूल	50.00]	1,31.67	1,31.67	..
पुनर्वि०	81.67				

प्रावधान में ₹ 81.67 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

07- राज्य विधि आयोग—

मूल	1,64.95]	1,66.81	1,71.80	+4.99
पुनर्वि०	1.86				

₹ 1.86 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 10.47 लाख की वृद्धि तथा प्रावधान में
₹ 7.30 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 1.31 लाख का अभ्यर्पण
वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें-

091- संलग्न कार्यालय-

03- विधि कोष्ठक उत्तर प्रदेश

भवन, नई दिल्ली

मूल 1,11.24

1,21.52

1,21.50

-0.02

पुनर्वि० 10.28

₹ 10.28 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 12.10 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 1.82 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

i Hkkfjr&

- (v) ₹ 22,74.76 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 22,38.64 की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।
- (vi) ₹ 22,74.76 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 61.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (vii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"KZ	dy fofu; ksx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

2014- न्याय प्रशासन-

102- उच्च न्यायालय-

03- उच्च न्यायालय-

मूल 1,49,97.99

1,30,44.12

1,30,74.26

+30.14

पुनर्वि० -19,53.87

₹ 19,53.87 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 20,40.31 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने तथा आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 86.44 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

04- तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन-

पूरक 61.00

..

..

..

पुनर्वि० -61.00

₹ 61.00 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।

'kh"kZ	clj fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		¼ yk[k ₹ ea ½	cpr &

800- अन्य व्यय—

05- विभागीय भवनों के अनुरक्षण

हेतु प्रावधान—

मूल 15.00

पुनर्वि० -15.00

₹ 15.00 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

12- अवशेषों का भुगतान—

मूल 16,36.91

पुनर्वि० -2,06.95

₹ 2,06.95 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 1,20.51 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ। प्रावधान में ₹ 86.44 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

i wthxr&

nRrer&

(viii) ₹ 65,30.31 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के विभागीय समायोजन उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 7.56 लाख की धनराशि सम्मिलित है। ₹ 96,16.69 लाख (₹ 96,09.13 लाख + ₹ 7.56 लाख) के विरुद्ध, मात्र ₹ 93,67.94 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(ix) ₹ 96,16.69 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 5,34.37 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(x) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea½	

4059- लोक निर्माण कार्य पर

पूँजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	1,18,00.01			
पूरक	2,99.24	33,93.91	28,40.67	-5,53.24
पुनर्वि०	-87,05.34			

₹ 87,05.34 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 87,02.98 लाख का अभ्यर्पण सांकेतिक प्रावधान स्वीकृति निर्गत न होने तथा केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 5,00.00 की वृद्धि कार्यालय भवन हेतु प्रस्ताव अधिक प्राप्त होने के कारण हुआ। ₹ 5,02.36 लाख के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

05- अनावासीय भवनों का निर्माण-

मूल	1,00.01			
पुनर्वि०	-1.24	98.77	88.93	-9.84

₹ 1.24 लाख का अभ्यर्पण सांकेतिक प्रावधान की स्वीकृति निर्गत न होने के कारण हुआ।

60- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

10- तेरहवें वित्त आयोग की

संस्तुतियों का क्रियान्वयन-

पूरक	2,10.59			
पुनर्वि०	-1,63.09	47.50	47.50	..

₹ 1,63.09 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।

4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय-

01- सरकारी रिहायशी भवन-

700- अन्य आवास-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	15,00.00			
पुनर्वि०	-9,96.77	5,03.23	5,03.23	..

₹ 9,96.77 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 4,96.77 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ। प्रावधान में ₹ 5,00.00 लाख की कमी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(xi) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

		द्वय वृण्कु	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
				cpr &
			¼ yk[k ₹ ea ½	
4059- लोक निर्माण कार्य पर				
पूंजीगत परिव्यय-				
01- कार्यालय भवन-				
051- निर्माण-				
04- माननीय उच्च न्यायालय				
में निर्माण-				
मूल	80.00] 1,36.96	6,72.35	+5,35.39
पुनर्वि०	56.96			
₹ 56.96 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 57.00 लाख की वृद्धि माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हाल के निर्माण के कारण हुई। ₹ 0.04 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।				
4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-				
800- अन्य व्यय-				
03- न्यायालय भवनों के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर भुगतान-				
मूल	10,00.00] 14,45.36	12,33.57	-2,11.79
पुनर्वि०	4,45.36			
प्रावधान में ₹ 4,45.36 लाख की वृद्धि भूमि अधिग्रहण हेतु अधिक धनराशि की मांग के कारण हुई।				

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

वृत्तवार्षिक 2010-11 का वार्षिक वित्तवृत्त

विवरण	अनुदान	अनुदान	अनुदान	अनुदान
	₹	₹	₹	₹
2041- वाहन कर,				
2059- लोक निर्माण कार्य,				
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण तथा				
3055- सड़क परिवहन				
मूल	90,78,14	90,78,15	86,35,21	-4,42,94
पूरक	0,01			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)				5,72,63
4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा				
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय				
मूल	86,54	86,54	86,52	-2
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)				2

विवरण, आधुनिकीकरण

वृत्तवार्षिक

विवरण

- ₹ 4,42.94 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, ₹ 5,72.63 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा अनुदान के अन्तर्गत व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।
- ₹ 4,42.94 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 0.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन

हुई:-

'kh"kl	diy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा
कल्याण कार्यक्रम-

200- अन्य कार्यक्रम-

04- बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों
की बस में दुर्घटना हो जाने की
दशा में आर्थिक सहायता-

मूल	30.00	}			
पुनर्वि०	-15.75			14.25	13.10

₹ 15.75 लाख की शुद्ध बचत में से, प्रावधान में ₹ 12.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 3.75 लाख का अभ्यर्पण वित्तीय स्वीकृति निर्गत न किये जाने के कारण हुआ।

2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 24.00 लाख, ₹ 25.20 लाख, ₹ 20.87 लाख तथा ₹ 17.00 लाख की बचत थी।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

3055- सड़क परिवहन-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- अधिष्ठान व्यय-

मूल	79,71.82	}				
पूरक	0.01			73,40.50	74,45.25	+1,04.75
पुनर्वि०	-6,31.33					

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2005-06, 2007-08 तथा 2008-09 के उच्चतम समाशोधन के ₹ 60.50 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 6,31.33 लाख की शुद्ध बचत में से, प्रावधान में ₹ 3,85.92 लाख की कमी तथा प्रावधान में ₹ 2,84.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 5,29.41 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने, आर्थिक मितव्ययिता तथा सांकेतिक प्रावधान के कारण हुआ।

' kh" kZ

dly vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ ee ½

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य

उपक्रमों को सहायता—

03- राज्य सड़क परिवहन निगम

की बसों में संसद सदस्यों की

निःशुल्क यात्रा सुविधा के लिए

निगम को प्रतिकर का भुगतान—

मूल 1.75

23.25

23.25

..

पुनर्वि० 21.50

प्रावधान में ₹ 21.50 लाख की वृद्धि कार्मिकों/अधिकारियों के लम्बित चिकित्सा बिलों के भुगतान के कारण हुई।

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान—

मूल 9,96.77

10,53.11

10,78.55

+25.44

पुनर्वि० 56.34

₹ 56.34 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 92.42 लाख की वृद्धि कार्मिकों/अधिकारियों के वेतन भत्तों के बिलों तथा छठें वेतन आयोग के एरियर का भुगतान किये जाने के कारण हुई। ₹ 36.08 लाख का अभ्यर्पण क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा धनराशि व्यय न किये जाने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

वृत्तिका I अंक 44 & क; Mu foHkkx

वृत्तिका ; 'kh"KZ	वृत्तिका	अनुसूची 0 ; ;	वृत्तिका 0 ; ; \$
			cpr &
		₹ g tkj ₹ ea ½	
jktLo&			
3452- पर्यटन			
nRrer&			
मूल	21,12,75	21,12,75	16,13,22
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)			-4,99,53
			4,98,73
i wthxr&			
5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
nRrer&			
मूल	90,57,65	1,44,99,92	1,00,98,79
पूरक	54,42,27		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)			-44,01,13
			44,01,13

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&
nRrer&

- (i) ₹ 4,99.53 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 4,98.73 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(ii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ e½	

3452- पर्यटन-

80- सामान्य-

104- संवर्धन तथा प्रचार-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	50.00	}			
पुनर्वि०	-50.00				

पुनर्वि०

₹ 50.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

08- पर्यटन पुलिस बल का गठन-

मूल	1,51.75	}			
पुनर्वि०	-71.56				

पुनर्वि०

₹ 71.56 लाख की कुल बचत में से, प्रावधान में ₹ 70.00 लाख की कमी तथा ₹ 1.56 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

09- शिल्पग्राम आगरा का

वर्ष पर्यन्त संचालन-

मूल	2,46.00	}			
पुनर्वि०	-1,71.55				

पुनर्वि०

₹ 1,71.55 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

800- अन्य व्यय-

07- " डिस्कवर योर रूट्स " योजना-

मूल	7.00	}			
पुनर्वि०	-7.00				

पुनर्वि०

₹ 7.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

08- अवशेषों का भुगतान-

मूल	1,80.92	}			
पुनर्वि०	-30.84				

पुनर्वि०

₹ 30.84 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

'kh'kz dly vuqku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
% yk[k ₹ ea%

97- वाह्य सहायतित योजनायें-

मूल	1,00.00	}			
पुनर्वि०	-1,00.00		

₹ 1,00.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-2010 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः

₹ 1,10.00 लाख, ₹ 1,00.00 लाख, ₹ 1,00.00 लाख तथा ₹ 1,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त था।

800- अन्य व्यय-

03- पर्यटन सूचना और प्रचार-

मूल	2,92.00	}			
पुनर्वि०	-89.11			2,02.89	2,08.46

₹ 89.11 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(iii) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

3452- पर्यटन-

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

04- प्रदर्शनियों में भाग लेने

पर व्यय-

मूल	10.00	}			
पुनर्वि०	29.97			39.97	37.35

₹ 29.97 लाख की कुल वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 30.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 0.03 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

i wthxr&

nRrer&

(iv) ₹ 44,01.13 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 54,42.27 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(v) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'khi'kz	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
			¼ yk[k ₹ ea ½
5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-			
80- सामान्य-			
104- संवर्धन तथा प्रचार-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र			
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-			
मूल	61,10.65	27,21.46	27,21.46
पुनर्वि०	-33,89.19		
₹ 33,89.19 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
800- अन्य व्यय-			
97- वाह्य सहायतित योजनायें-			
मूल	10,00.00
पुनर्वि०	-10,00.00		
₹ 10,00.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			

वृत्तिका I अ; क 45&lk; कbj .k foHkkx

वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका
वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका
3435- परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण				
मूल	9,66,12			
पूरक	..	9,66,12	3,10,68	-6,55,44
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)				28,02
वृत्तिका				
वृत्तिका				

(i) ₹ 6,55.44 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 28.02 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(ii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका
वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका
3435- परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-				
04- प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण-				
001- निदेशन तथा प्रशासन-				
03- पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय-				
मूल	1,56.87			
पुनर्वि०	-23.03	1,33.84	1,33.67	-0.17
₹ 23.03 लाख का अभ्यर्पण आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुआ।				
05- पर्यावरण निदेशालय में प्रयोगशाला की स्थापना		26.71	3.31	-23.40
103- वायु तथा जल प्रदूषण का निवारण-				
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें		6,00.00	..	-6,00.00
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।				

वृत्तगत विकास कार्य पर 2011-12 के अंतर्गत व्यय का विवरण

वर्ष: 2011-12 वृत्तगत व्यय का विवरण (अक्टूबर 2011) तक का अंतराल ; \$
 करोड़ों में

वृत्तगत

2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें,
 2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें तथा
 2202- सामान्य शिक्षा

विवरण

मूल	7,10,40	}	7,10,40	7,18,04	+7,64
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)					27,62

वृत्तगत

4059- लोक निर्माण कार्य पर
 पूंजीगत परिव्यय

विवरण

मूल	15,05,36	}	15,05,36	5,36	-15,00,00
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)					15,00,00

वृत्तगत विकास कार्य पर 2011-12 के अंतर्गत व्यय का विवरण

वृत्तगत

विवरण

- (i) वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2009-10 के उच्चतम समाशोधन के ₹ 35.45 लाख की धनराशि सम्मिलित है। ₹ 27.81 लाख (₹ 35.45 लाख - ₹ 7.64 लाख) के विरुद्ध, मात्र ₹ 27.62 लाख अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित किये जा सके।

- (ii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"lz	diy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
	½ yk[k ₹ ea ½		

2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें-

800- अन्य व्यय-

03- अवशेषों का भुगतान-

मूल	1,50.00]			
पुनर्वि०	-19.18			1,30.82	1,32.97

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2009-10 के उच्चत समाशोधन के ₹ 2.15 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 19.18 लाख वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अभ्यर्पित किये गये।

- (iii) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें-

091- संलग्न कार्यालय-

03- कार्यालय निरीक्षणालय-

मूल	1,65.54]			
पुनर्वि०	-3.89			1,61.65	1,63.97

₹ 3.89 लाख मांग न होने तथा आर्थिक मितव्ययिता के कारण अभ्यर्पित किये गये।

04- प्रशासनिक सुधार निदेशालय-

मूल	59.56]			
पुनर्वि०	-2.71			56.85	87.82

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के उच्चत समाशोधन के ₹ 30.98 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 2.71 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, कार्मिकों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग न होने तथा आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

i wthxr&
nRrer&

(iv) बचत निम्न के अधीन हुई:-

' kh"kl

dy vuqku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

4059- लोक निर्माण कार्य पर
पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-

मूल 15,00.00

पुनर्वि० -15,00.00

..

₹ 15,00.00 लाख केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किये गये।

vunqu l a ; k 47&i kfof/kd f'k{kk foHkkx

ef; 'kh"z	dy vunqu ; k fofu; ks	okLrfod 0; ; ; k	vf/kd 0; ; \$ cpr &
<i>½ g tkj ₹ ea ½</i>			
jktLo&			
2203- तकनीकी शिक्षा तथा			
2230- श्रम तथा रोजगार			
nRrer&			
मूल	3,41,88,64	3,44,40,34	3,01,87,33
पूरक	2,51,70		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)			4,29,09
i Hkkfjr&			
मूल	1,02	1,02	..
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि			..
i wthxr&			
4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय,			
4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा			
6202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिये कर्ज			
nRrer&			
मूल	2,16,62,93	2,28,62,93	2,04,52,30
पूरक	12,00,00		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)			9,51,74

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 42,53.01 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 4,29.09 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।
- (ii) ₹ 42,53,01 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 2,51.70 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

		द्वारा व्यय	द्वारा व्यय	द्वारा व्यय
		₹	₹	₹
2203- तकनीकी शिक्षा-				
104- अराजकीय तकनीकी कालेजों तथा संस्थानों को सहायता-				
04- मुरलीधर गजानन्द बहुधन्धी संस्था, हाथरस-				
मूल	1,19.94	61.10	61.10	..
पुनर्वि०	-58.84			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 58.84 लाख की कमी पदों के रिक्त रहने के कारण हुई।				
05- हंडिया बहुधन्धी संस्था, हंडिया-				
मूल	89.52	45.72	45.72	..
पुनर्वि०	-43.80			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 43.80 लाख की कमी पदों के रिक्त रहने के कारण हुई।				
06- चन्दौली बहुधन्धी संस्था, चन्दौली-				
मूल	82.21	41.93	41.93	..
पुनर्वि०	-40.28			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 40.28 लाख की कमी पदों के रिक्त रहने के कारण हुई।				
105- बहुशिल्प (पालीटेक्निक) विद्यालय-				
03- सामान्य पालीटेक्निक-				
मूल	90,06.33	84,49.31	80,45.13	-4,04.18
पुनर्वि०	-5,57.02			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 5,50.20 लाख की कमी पदों के रिक्त रहने, वास्तविक व्यय के आधार पर बचत, गेस्ट फेकल्टी को पारिश्रमिक का भुगतान न किये जाने के कारण हुई। ₹ 6.82 लाख का अभ्यर्पण राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में द्वितीय पाली नवीन प्रशिक्षण योजना के संचालन हेतु आवश्यक व्यय/मानदेय आदि के भुगतान हेतु वास्तविक आहरण/व्यय के कारण हुआ।				

'kh"KZ	dy vuqku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		¼ yk[k ₹ e½	cpr &
06- राजकीय पालीटेक्निक, मऊ—			
मूल	47.51		
पुनर्वि०	-6.71	40.80	40.79
			-0.01
₹ 6.71 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर तथा प्रशिक्षण के कारण हुआ।			
11- राजकीय महिला पालीटेक्निक कुम्हार			
खेड़ा सहारनपुर की स्थापना—			
मूल	9.92		
पुनर्वि०	-6.21	3.71	3.71
			..
₹ 6.21 लाख का अभ्यर्पण पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया लम्बित होने के कारण हुआ।			
12- कु० मायावती राजकीय महिला			
पालीटेक्निक बादलपुर (गौतम बुद्धनगर)			
की स्थापना—			
मूल	10.67		
पूरक	9.65	14.40	14.26
पुनर्वि०	-5.92		
			-0.14
₹ 5.92 लाख का अभ्यर्पण पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया लम्बित होने, विद्युत बिल प्राप्त न होने तथा वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।			
18- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में नवीन			
पालीटेक्निकों (पुरुष/महिला)			
की स्थापना—			
मूल	27.50		
पूरक	0.01	11.98	10.88
पुनर्वि०	-15.53		
			-1.10
₹ 15.53 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति न होने तथा वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।			
112- इंजीनियरी/तकनीकी कालेज			
तथा संस्थान—			
07- कमला नेहरू इन्स्टीट्यूट आफ			
साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी, सुल्तानपुर			
को सहायक अनुदान			
(जिला योजना)	3,07.50	2,57.50	-50.00
11- बुन्देलखण्ड इंजीनियरिंग कालेज,			
झांसी को अनुदान	2,15.05	1,25.05	-90.00
16- उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी			
संस्थान, कानपुर	1,67.76	1,47.76	-20.00

' kh" kZ	dy vu nku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		¼ yk[k ₹ e½	cpr &
17- प्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र में चिकित्सीय, अभियंत्रण संस्थाओं में परास्नातक, स्नातक व डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रवेश तथा फीस निर्धारण हेतु—			
मूल	31.68	7.53	7.53
पुनर्वि०	-24.15		..
₹ 24.15 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
97- विश्व बैंक सहायतित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	20,00.02	65.00	-19,35.02
800- अन्य व्यय—			
04- सावित्री बाई फूले बालिका कल्याण योजना—			
मूल	2,51.00	7.02	7.02
पुनर्वि०	-2,43.98		..
₹ 2,43.98 लाख का अभ्यर्पण शासनादेश के अनुसार योग्य छात्रों की संख्या कम होने के कारण हुआ।			
2230- श्रम तथा रोजगार—			
03- प्रशिक्षण—			
003- शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण—			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	1,07.80	3.20	-1,04.60
10- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना का आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण	7,35.37	5,93.43	-1,41.94
101- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान—			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—			
मूल	1,39.50	24.50	1.99
पुनर्वि०	-1,15.00		-22.51
₹ 1,15.00 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुआ।			

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		¼ yk[k ₹ e½	cpr &
04- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नये व्यवसायिक प्रशिक्षण	43.77	19.67	-24.10
05- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना	3,08.10	55.47	-2,52.63
97- वाह्य सहायतित योजनायें	2,31.89	1,03.02	-1,28.87
800- अन्य व्यय—			
03- सावित्री बाई फूले बालिका शिक्षा सहायता योजना	5,96.00	71.52	-5,24.48
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।			

(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:—

2203- तकनीकी शिक्षा—

001- निदेशन तथा प्रशासन—

04- क्षेत्रीय कार्यालय—

मूल	1,26.52	1,42.07	1,44.87	+2.80
पुनर्वि०	15.55			

₹ 1,44.87 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 9.17 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में ₹ 15.55 लाख की वृद्धि सम्बन्धित मद में पुनर्विनियोग द्वारा अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कम होने के कारण हुई।

05- प्राविधिक शिक्षा निदेशालय—

शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढीकरण—

मूल	1,43.37	1,69.74	1,66.90	-2.84
पुनर्वि०	26.37			

प्रावधान में ₹ 26.37 लाख की वृद्धि सम्बन्धित मद में पुनर्विनियोग द्वारा अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कम होने के कारण हुई।

104- अराजकीय तकनीकी कालेजों तथा संस्थानों को सहायता—

08- इलाहाबाद पालीटेक्निक, इलाहाबाद—

मूल	3,14.28	8,10.74	8,10.74	..
पुनर्वि०	4,96.46			

प्रावधान में ₹ 4,96.46 लाख की वृद्धि चालू वित्तीय वर्ष में ही दो माह के वेतन वितरण के कारण हुई।

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ e½	
15- हीवेट पालीटेक्निक, लखनऊ	1,21.89	1,27.74	+2.85
₹ 1,24.74 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 2.85 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			
16- जहांगीराबाद बुलन्दशहर में बहुधन्धी संस्था की स्थापना—			
मूल 36.78	83.90	83.90	..
पुनर्वि० 47.12			
प्रावधान में ₹ 47.12 लाख की वृद्धि वेतन एवं भत्तों में धनराशि कम होने के कारण हुई।			
22- बलवन्त विद्यापीठ रूरल इस्टीट्यूट बिचपुरी, आगरा—			
मूल 34.35	66.91	66.91	..
पुनर्वि० 32.56			
प्रावधान में ₹ 32.56 लाख की वृद्धि वेतन एवं भत्तों में धनराशि कम होने के कारण हुई।			
24- कानपुर गर्ल्स पालीटेक्निक, कानपुर—			
मूल 31.94	63.86	63.85	-0.01
पुनर्वि० 31.92			
प्रावधान में ₹ 31.92 लाख की वृद्धि वेतन एवं भत्तों में धनराशि कम होने के कारण हुई।			
25- मथुरा में महिला पालीटेक्निक की स्थापना—			
मूल 46.60	77.92	77.92	..
पुनर्वि० 31.32			
प्रावधान में ₹ 31.32 लाख की वृद्धि वेतन एवं भत्तों में धनराशि कम होने के कारण हुई।			
112- इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान—			
06- हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट कानपुर को सहायक अनुदान	4,81.80	6,19.40	+1,37.60
₹ 6,19.40 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 1,67.60 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			

'kh"KZ	dy vuqku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
			¼ yk[k ₹ e½
15- लखनऊ वास्तुकला महाविद्यालय, लखनऊ	59.00	97.87	+38.87
₹ 97.87 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 38.87 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			
800- अन्य व्यय—			
03- तकनीकी शिक्षा परिषद्—			
मूल	3,76.53		
पुनर्वि०	11.82		
	3,88.35	3,99.39	+11.04
₹ 3,99.39 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 12.54 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			
प्रावधान में ₹ 11.82 लाख की वृद्धि सम्बन्धित मद में पुनर्विनियोग द्वारा अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कम होने के कारण हुई।			
2230- श्रम तथा रोजगार—			
03- प्रशिक्षण—			
003- शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण—			
14- दस्तकार प्रशिक्षण योजना	5,23.65	5,32.43	+8.78
101- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान—			
03- अल्प संख्यक बाहुल्य विकास खण्डों एवं अन्य क्षेत्रों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	4,49.27	5,58.73	+1,09.46

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं
(जून 2011)।

i wthxr&

nRrer&

- (v) ₹ 24,10.63 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 9,51.74 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।
- (vi) ₹ 24,10.63 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 12,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

		द्वारा व्यय	अनुदान	अनुदान	\$
		करोड़	करोड़	करोड़	क्र. &
		₹	₹	₹	
4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-					
02- तकनीकी शिक्षा-					
104- बहुशिल्प-					
03- राजकीय पालीटेक्निकों में सी0एन0सी0 मशीनों का क्रय-					
मूल	1,00.00	61.16	61.16	..	
पुनर्वि०	-38.84				
₹ 38.84 लाख का अभ्यर्पण प्रतीक प्रावधान आवश्यक न होने से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।					
50- राजकीय पालीटेक्निकों में विभिन्न निर्माण कार्य (जिला योजना)-					
मूल	2,50.00	1,73.43	1,59.56	-13.87	
पुनर्वि०	-76.57				
₹ 76.57 लाख का अभ्यर्पण आर्थिक मितव्ययिता तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ। कारण हुआ।					
105- इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-					
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-					
मूल	5,00.01	0.01	..	-0.01	
पुनर्वि०	-5,00.00				
₹ 5,00.00 लाख क अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।					
4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-					
203- रोजगार-					
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-					
मूल	17,23.00	14,11.26	5,49.86	-8,61.40	
पुनर्वि०	-3,11.74				
₹ 3,11.74 लाख क अभ्यर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुआ।					

'kh"KZ	diy vuqku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		¼ yk[k ₹ e½	cpr &
06- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में राजकीय औद्योगिक संस्थानों की स्थापना—			
मूल 5,00.00	12,00.00	10,62.96	-1,37.04
पूरक 7,00.00			
12- असेवित विकास खण्डों पर औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु अनुदान	1,00.00	..	-1,00.00
97- बाह्य सहायतित योजनायें	6,16.55	2,67.88	-3,48.67
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।			

(viii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—

4250- अन्य सामाजिक सेवाओं

पर पूंजीगत परिव्यय—

203- रोजगार—

13- प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय भवन

का सुदृढीकरण एवं जीर्णोद्धार

66.43

1,14.15

+47.72

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

वृत्तिका 1 अ; क 48 वृत्तिका 1 अ; द दय; क.क फोहकx

ए; 'क"क

दय वृत्तिका

कलरफोद 0; ;

वफ/कद 0; ; \$

; k

cpr &

फोफु; कx

॥ g tkj ₹ ea ॥

jktLo&

2049- ब्याज अदायगियां,

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें,

2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हितलाभ,

2075- विविध सामान्य सेवायें,

2202- सामान्य शिक्षा,

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित

जनजातियों तथा अन्य पिछड़े

वर्गों का कल्याण,

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण तथा

2250- अन्य सामाजिक सेवायें

nRrer&

मूल 7,14,98,81

8,11,49,82

5,39,49,53

-2,72,00,29

पूरक 96,51,01

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

1,73,85,67

i Hkkfj r&

मूल 2,05

2,05

1,50

-55

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

55

i wthxr&

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति

पर पूंजीगत परिव्यय,

4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित

जनजातियों तथा अन्य पिछड़े

वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत

परिव्यय तथा

एक; 'क'क
 द्य वृणु ओलरुद ०; ; व/कद ०; ; \$
 cpr &

॥ गतक ₹ ए ॥

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
 पर पूंजीगत परिव्यय

नररर&

मूल	3,27,50,04	}	4,27,50,04	2,61,93,83	-1,65,56,21
पूरक	1,00,00,00				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

1,65,55,92

fVl i f. k; ka , oa Vhd k; &

jktLo&

नररर&

- (i) ₹ 2,72,00.29 लाख की अन्तिम बचत में से, ₹ 1,73,85.67 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गयी।
- (ii) ₹ 2,72,00.29 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 96,51.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'क'क
 द्य वृणु ओलरुद ०; ; व/कद ०; ; \$
 cpr &

॥ यक/क ₹ ए ॥

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- अल्प संख्यक कल्याण

निदेशालय-

मूल	1,04.55	}	86.22	89.77	+3.54
पुनर्वि०	-18.33				

₹ 18.33 लाख की कुल बचत में से, ₹ 9.50 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः कतिपय पदों के रिक्त रहने, आर्थिक मितव्ययिता तथा शासन की नीति के अन्तर्गत वास्तविक व्यय आदि के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 8.83 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr &
				½ yk[k ₹ ea ½
06- रजिस्ट्रार/निरीक्षक अरबी				
फारसी मदरसा उत्तर प्रदेश,				
इलाहाबाद-				
मूल	42.11	20.18	20.35	+0.17
पुनर्वि०	-21.93			
₹ 21.93 लाख का अभ्यर्पण कतिपय पदों के रिक्त रहने, कोई प्रकरण न होने तथा वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।				
105- विशेष जांच आयोग-				
04- अल्प संख्यक आयोग				
को अनुदान-				
मूल	1,72.93	96.75	96.32	-0.42
पुनर्वि०	-76.18			
₹ 76.18 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				
2202- सामान्य शिक्षा-				
01- प्रारम्भिक शिक्षा-				
800- अन्य व्यय-				
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र				
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-				
मूल	62,00.00	29,17.65	29,37.88	+20.23
पुनर्वि०	-32,82.35			
₹ 32,82.35 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुआ।				
11- सावित्री बाई फूले बालिका				
शिक्षा सहायता योजना-				
पूरक	18,00.00
पुनर्वि०	-18,00.00			
₹ 18,00.00 लाख के अनुपूरक प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				
80- सामान्य-				
800- अन्य व्यय-				
03- मान्यता प्राप्त अरबी फारसी				
मदरसों में लघु औद्योगिक				
प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना-				
मूल	3,02.40	2,51.47	2,51.36	-0.11
पुनर्वि०	-50.93			
₹ 50.93 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				

'kh"kl	diy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr &
		1/2 yk[k ₹ ea 1/2		
2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण—				
80- सामान्य—				
800- अन्य व्यय—				
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—				
मूल	1,06,56.93			
पूरक	65,48.08	1,51,34.53	1,52,34.31	+99.78
पुनर्वि०	-20,70.48			
₹ 1,52,34.31 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2007-08 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 1,00.00 लाख की धनराशि सम्मिलित है।				
₹ 20,70.48 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—				
02- समाज कल्याण—				
800- अन्य व्यय—				
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—				
मूल	2,00,00.01			
पुनर्वि०	-98,77.53	1,01,22.48	35.53	-1,00,86.95
₹ 98,77.53 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				
2250- अन्य सामाजिक सेवायें—				
800- अन्य व्यय—				
03- प्रान्तीय हज समिति को अनुदान	1,32.35	80.84		-51.51
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।				
(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:—				
2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हितलाभ —				
01- सिविल—				
109- राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन—				
03- पेंशन आदि का भुगतान—				
मूल	2,00.75			
पुनर्वि०	-33.93	1,66.82	2,75.91	+1,09.08
₹ 33.93 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				

' kh" kZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ e½

2075- विविध सामान्य सेवायें—

800- अन्य व्यय—

03- वसीका कार्यालय, लखनऊ—

मूल 24.47

32.82

32.82

..

पुनर्वि० 8.35

प्रावधान में ₹ 8.35 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 8.83 लाख की वृद्धि तथा ₹ 0.48 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2202- सामान्य शिक्षा—

01- प्रारम्भिक शिक्षा—

800- अन्य व्यय—

03- अरेबिया पाठशालाओं

को अनुदान—

मूल 1,52,32.70

1,52,00.40

1,53,97.48

+1,97.08

पुनर्वि० -32.30

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2008-09 तथा 2009-10 के आपत्ति पुस्तिका उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 94.60 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 32.30 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित

जनजातियों तथा अन्य पिछड़े

वर्गों का कल्याण—

80- सामान्य—

800- अन्य व्यय—

03- अल्प संख्यकों का कल्याण—

मूल 1,34,18.01

1,33,68.00

1,34,56.89

+88.89

पुनर्वि० -50.01

₹ 1,34,56.89 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2005-06 तथा 2008-09 में उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 91.19 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 50.01 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिव्य कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

i wthxr&
nRrer&

(v) ₹ 1,65,56.21 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया
₹ 1,00,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा
संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सामान्य शिक्षा-

800- अन्य व्यय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	27,50.00	}			
पुनर्वि०	-27,25.00			25.00	25.00

₹ 27,25.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
पर पूंजीगत परिव्यय-

02- समाज कल्याण-

800- अन्य व्यय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	3,00,00.01	}				
पूरक	1,00,00.00			2,61,69.11	2,61,68.83	-0.28
पुनर्वि०	-1,38,30.90					

₹ 1,38,30.90 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

वृत्तवार्षिक 49^{वा} वित्त वर्ष, 2010-11 का वार्षिक वित्तीय विवरण

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि	वृत्तवार्षिक 49 ^{वा} वित्त वर्ष, 2010-11	वित्त वर्ष 2009-10	वित्त वर्ष 2008-09
	₹	₹	₹
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
निरन्तर			
मूल	35,22,55,37	35,22,55,41	33,41,93,04
पूरक	0,04		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि			..
निर्न्तर			
मूल	10,00	10,00	..
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि			..
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
पर पूंजीगत परिव्यय			
निरन्तर			
मूल	1,29,00	1,29,00	..
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि			..

वित्त वर्ष 2010-11 का वार्षिक वित्तीय विवरण

निरन्तर

निरन्तर

- ₹ 1,80,62.37 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- ₹ 1,80,62.37 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 0.04 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kl"kl	dlj vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		¼ yk[k ₹ ea ½	cpr &
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-			
02- समाज कल्याण-			
102- बाल कल्याण-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-			
मूल 8,59,35.56	8,59,35.59	7,07,12.31	-1,52,23.28
पूरक 0.03			
09- बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड की स्थापना	82.92	71.76	-11.16
14- समन्वित बाल विकास योजना	60,10.03	50,43.05	-9,66.98
15- उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग	2,40.19	89.24	-1,50.95
97- वाह्य सहायतित योजनाये	25.00	-0.06	-25.06
103- महिला कल्याण-			
05- उत्तर प्रदेश महिला निधि	50.00	1.01	-48.99
06- महिला संरक्षण एवं उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ	30.57	0.05	-30.52
09- विधवाओं से विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरस्कार	68.00	46.70	-21.30
11- अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 के अधीन अतिरिक्त उद्धार संगठनों की स्थापना	97.43	81.24	-16.19
15- निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण तथा उनके बच्चों को शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु अनुदान-			
मूल 4,91,31.77	4,92,42.13	4,88,62.39	-3,79.74
पुनर्वि० 1,10.36			
प्रावधान में ₹ 1,10.36 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0 ; ;	vf/kd 0 ; ; \$
		¼ yk[k ₹ e½	cpr &
20- उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग को अनुदान	2,33.53	2,06.77	-26.77
23- न्यूट्रीशन प्रोग्राम फार एडोलसेन्ट गर्ल्स (केन्द्र 90/राज्य 0)	4,55.42	..	-4,55.42
24- स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से वृद्ध महिला आश्रमों की स्थापना			
मूल 5,95.19	4,84.83	2,97.60	-1,87.23
पुनर्वि० -1,10.36			
प्रावधान में ₹ 1,10.36 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
800- अन्य व्यय—			
05- अवशेषों का भुगतान	35,83.35	29,55.80	-6,27.55
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।			
(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:—			
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—			
02- समाज कल्याण—			
102- बाल कल्याण—			
05- किशोर न्याय निधि	25.00	74.88	+49.88
₹ 74.88 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 0.85 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			
08- परिवीक्षा सेवा क्षेत्र—			
मूल 11,79.30	11,79.31	15,92.66	+4,13.35
पूरक 0.01			
₹ 15,92.66 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 8.60 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			
103- महिला कल्याण—			
07- दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को सहायता	10.00	47.80	+37.80
800- अन्य व्यय—			
04- निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान	75.00	95.87	+20.87
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।			

i wthxr&
nRrer&

(v) ₹ 1,29.00 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vi) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
पर पूंजीगत परिव्यय-

02- समाज कल्याण-

103- महिला कल्याण-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

1,29.00

..

-1,29.00

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं
(जून 2011)।

वृत्तवार्षिक 50 करोड़ रुपये के बजट के अंतर्गत 2011-12 के लिए

विवरण	अनुदान संख्या	अनुदान राशि (मार्च 2011)	अनुदान राशि (मार्च 2011)	अनुदान राशि (मार्च 2011)	अनुदान राशि (मार्च 2011)
2053- जिला प्रशासन,					
2059- लोक निर्माण कार्य,					
2216- आवास तथा					
3053- नागर विमानन					
कुल		4,76,49,22	4,91,20,24	4,58,25,39	-32,94,85
पूरक		14,71,02			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)					31,00,57
2059- लोक निर्माण कार्य पर					
पूंजीगत परिव्यय तथा					
4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय					
कुल		17,54	17,54	1,16	-16,38
पूरक		..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)					15,06
4059- लोक निर्माण कार्य पर					
पूंजीगत परिव्यय तथा					
4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय					
कुल		79,00,01	87,48,37	81,17,97	-6,30,40
पूरक		8,48,36			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)					6,29,23

अनुदान के राजस्व प्रभाग के अन्तर्गत व्यय में आकस्मिकता निधि से मार्च 2011 में स्वीकृत अग्रिमों

में से व्यय किये गये किन्तु वर्ष की समाप्ति तक निधि में वापस न किये गये ₹ 1,06 हजार सम्मिलित नहीं हैं।

वृत्तवार्षिक

अनुदान

- (i) ₹ 32,94.85 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 31,00.57 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

- (ii) ₹ 32,94.85 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 14,71.02 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh"kl	dy vunku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

2053- जिला प्रशासन-

800- अन्य व्यय-

03- अवशेषों का भुगतान-

मूल	59,52.19	}	55,27.22	52,63.23	-2,63.99
पुनर्वि०	-4,24.97				

₹ 4,24.97 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

2059- लोक निर्माण कार्य-

80- सामान्य-

053- रखरखाव तथा मरम्मत-

03- मंडल/जनपद/तहसीलों

के अनावासीय भवनों के

अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य-

मूल	17,88.00	}	17,59.84	15,90.44	-1,69.40
पुनर्वि०	-28.16				

₹ 28.16 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

i Hkkfj r&

- (iv) ₹ 16.38 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 15.06 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

- (v) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh"kl	dy fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

2053- जिला प्रशासन-

093- जिला स्थापनाएं

03- कलेक्टरी स्थापना-

मूल	15.54	}	2.48	1.16	-1.32
पुनर्वि०	-13.06				

₹ 13.06 लाख का अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

i wthxr&
nRrer&

- (vi) ₹ 81,17.97 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 1.65 लाख की धनराशि सम्मिलित है।
- (vii) ₹ 6,32.05 लाख (₹ 6,30.40 लाख + ₹ 1.65 लाख) की अन्तिम बचत के विरुद्ध, ₹ 6,29.23 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (viii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"Kz	dy vunku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

4059- लोक निर्माण कार्य पर
पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

10- सोनभद्र कलेक्ट्रेट के कार्यालय
भवन का निर्माण-

मूल	2,00.00	}	37.90	..	-37.90
पुनर्वि०	-1,62.10				

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,62.10 लाख की कमी सोनभद्र कलेक्ट्रेट भवन के निर्माण हेतु धनराशि की आवश्यकता न होने के कारण हुई।

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सरकारी रिहायशी भवन-

106- साधारण पूल आवास-

03- आवासीय भवन-

मूल	4,00.00	}	5,66.24	5,34.14	-32.10
पूरक	2,34.14				
पुनर्वि०	-67.90				

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 67.90 लाख की कमी सोनभद्र कलेक्ट्रेट के आवासीय भवन के निर्माण हेतु धनराशि की आवश्यकता न होने के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(ix) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"kl

dly vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

4059- लोक निर्माण कार्य पर

पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

12- जनपद आजमगढ़ की तहसील

फूलपुर के अनावासीय भवन

का पुनर्निर्माण-

पूरक 0.01

35.01

35.01

..

पुनर्वि० 35.00

प्रावधान में ₹ 35.00 लाख की वृद्धि जनपद आजमगढ़ के तहसील फूलपुर के भवन का पुनर्निर्माण के कारण हुई।

13- जनपद आजमगढ़ की तहसील

लालगंज के अनावासीय भवन

का पुनर्निर्माण-

पूरक 0.01

35.01

35.01

..

पुनर्वि० 35.00

प्रावधान में ₹ 35.00 लाख की वृद्धि जनपद आजमगढ़ के तहसील लालगंज के अनावासीय भवन का पुनर्निर्माण के कारण हुई।

14- जनपद आजमगढ़ की तहसील

सदर के अनावासीय भवन का

पुनर्निर्माण-

पूरक 0.01

35.01

35.01

..

पुनर्वि० 35.00

प्रावधान में ₹ 35.00 लाख की वृद्धि जनपद आजमगढ़ के तहसील सदर के अनावासीय भवन का पुनर्निर्माण के कारण हुई।

15- जनपद आजमगढ़ की तहसील

सगड़ी के अनावासीय भवन का

पुनर्निर्माण-

पूरक 0.01

35.01

35.01

..

पुनर्वि० 35.00

प्रावधान में ₹ 35.00 लाख की वृद्धि जनपद आजमगढ़ के तहसील सगड़ी के अनावासीय भवन का पुनर्निर्माण के कारण हुई।

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr &
				¼ yk[k ₹ ea ½
16- जनपद मऊ की तहसील के अनावासीय भवन का पुनर्निर्माण— पूरक	0.01	0.01	70.01	+70.00
18- जनपद कांशीराम नगर की तहसील सहावर हेतु अर्जित भूमि का प्रतिकर भुगतान— पूरक	0.01	22.11	22.11	..
पुनर्वि०	22.10			
प्रावधान में ₹ 22.10 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				
4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय— 01- सरकारी रिहायशी भवन— 106- साधारण पूल आवास— 07- प्रदेश के मंडल/जनपद/ तहसीलों के आवासीय भवनों के चालू कार्यों एवं भूमि क्रय हेतु— मूल	15,00.00	15,58.47	15,58.47	..
पुनर्वि०	58.47			
₹ 58.47 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 73.27 लाख का अभ्यर्पण अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण न होने के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 1,31.74 लाख की वृद्धि तहसील चकिया (चन्दौली) के अनावासीय भवन के पुनर्निर्माण तथा रमाबाई नगर के कलेक्ट्रेट भवन के आवासीय भवनों एवं पहुंच मार्ग हेतु अर्जित की गई भूमि के प्रतिकर के कारण हुई।				

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिव्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

vupku l a[; k 51&jktLo foHkx ¼ nsh foi fRr; ka ds l ECU/k ea jkgr ½

eq[; 'kh"Kz dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ gtkj ₹ ea ½

jktLo&

2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें,

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण तथा

2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

nRrer&

मूल 6,90,81,68

7,48,45,68

9,22,80,64

+1,74,34,96

पूरक 57,64,00

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

27,94,55

i thxr&

4250- अन्य सामाजिक सेवाओं

पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल 25,00,00

25,00,00

5,00,00

-20,00,00

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

20,00,00

fVli f.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा 2009-10 में उच्चतम लेखे के समाशोधन के ₹ 2,09.37 लाख की धनराशि सम्मिलित है।
- व्यय दत्तमत प्रावधान से ₹ 1,72,25,59,628 (₹ 1,74,34,96,340 - ₹ 2,09,36,712) अधिक हुआ, अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है।
- ₹ 1,72,25.60 लाख के अन्तिम व्ययाधिक्य को देखते हुए, ₹ 27,94.55 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।
- ₹ 1,72,25.60 लाख के अन्तिम व्ययाधिक्य को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 57.64 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- व्ययाधिक्य (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"Kz

dly vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें-

800- अन्य व्यय-

03- अवशेषों का भुगतान

28.79

1,87.76

+1,58.97

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
			% yk[k ₹ ea %
2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत—			
05- आपदा राहत निधि—			
101- आरक्षित निधि और जमा लेखों			
का अन्तरण—आपदा राहत निधि—			
03- आपदा राहत निधि—			
मूल 3,32,75.00			
पुनर्वि० -1,95,97.00			
	1,36,78.00	3,85,39.00	+2,48,61.00
प्रावधान में ₹ 1,95,97.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
800- अन्य व्यय—			
03- आपदा राहत निधि			
से व्यय—			
मूल 3,32,75.00			
पूरक 52,64.00			
पुनर्वि० 1,77,46.98			
	5,62,85.98	5,29,99.50	-32,86.48
₹ 5,29,99.50 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 21.61 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			
₹ 1,77,46.98 लाख के शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 1,95,97.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 18,50.02 लाख का अभ्यर्ण जनपदों द्वारा धनराशि का उपयोग न किये जाने के कारण हुआ।			
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।			
(vi) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:—			
2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत—			
80- सामान्य—			
102- विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक			
विनाश, आकस्मिक योजनाओं			
का प्रबन्ध—			
05- स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन			
फण्ड को अन्तरण	5,00.00	..	-5,00.00

' kh" kZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		vk[kk ₹ ea %	cpr &
06- डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मिटिगेशन			
फण्ड को अन्तरण	5,00.00	..	-5,00.00
800- अन्य व्यय-			
06- उत्तर प्रदेश आपदा			
प्रबन्ध प्राधिकरण-			
मूल	11,61.87		
पुनर्वि०	-7,31.14	4,30.73	5,20.75
			+90.02
<p>₹ 7,31.14 लाख की कुल बचत में से, ₹ 6,41.12 लाख का अभ्यर्पण आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के प्रारम्भ होने तथा कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 90.02 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।</p> <p>2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 11,16.23 लाख, ₹ 11,24.97 लाख तथा ₹ 11,51.70 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त था।</p>			
07- जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण-			
मूल	3,00.00		
पुनर्वि०	-3,00.00
			..
<p>₹ 3,00.00 लाख का अभ्यर्पण डी०डी०एम०ए० का गठन न होने तथा कर्मचारियों की नियुक्ति न होने के कारण हुआ।</p>			
08- विवरण उपलब्ध नहीं-			
पुनर्वि०	90.02	90.02	..
<p>प्रावधान में ₹ 90.02 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।</p>			
09- क्षमता निर्माण-			
पूरक	5,00.00	5,00.00	..
			-5,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

i wthxr&
nRrer&

(vii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		¼ yk[k ₹ ea ½	cpr &
4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-			
101- प्राकृतिक आपदाएं-			
04- आपदा के पूर्व की तैयारी, दैवी आपदा के न्यूनीकरण तथा अपरिहार्य परिस्थिति में पूंजीगत कार्य/दीर्घकालीन मरम्मत/निर्माण/पुनर्निर्माण-			
मूल 10,00.00			
पुनर्वि0 -10,00.00
₹ 10,00.00 लाख का अभ्यर्पण जनपदों द्वारा मांग प्राप्त न होने के कारण हुआ।			
05- स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय-			
मूल 5,00.00			
पुनर्वि0 -5,00.00
₹ 5,00.00 लाख का अभ्यर्पण जनपदों द्वारा मांग प्राप्त न होने के कारण हुआ।			
06- डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय-			
मूल 5,00.00			
पुनर्वि0 -5,00.00
₹ 5,00.00 लाख का अभ्यर्पण जनपदों द्वारा मांग प्राप्त न होने के कारण हुआ।			

वृत्तिका 1 अंक 52- जिल्ला फोहक ¼ जिल्ला इज्जत-रफक वल; 0; ; ½

वर्ष; 'क'क	द्वि वृत्तिका ; क फोह; क	कलरफोद 0; ; ; क fofu; क	वर्ष/कद 0; ; \$ cpr &
<i>¼ g tkj ₹ ea ½</i>			
जिल्ला			
2029- भू-राजस्व,			
2049- ब्याज अदायगियां,			
2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें,			
2059- लोक निर्माण कार्य,			
2075- विविध सामान्य सेवायें,			
2216- आवास,			
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण तथा			
3454- जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
नररर			
मूल	15,73,85,63		
पूरक	2,96,00		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)		15,76,81,63	14,72,42,25
			-1,04,39,38
इज्जत			
मूल	69,56		
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)		69,56	25,97
			-43,59
इतर			
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,			
4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा			
6003- राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण			
नररर			
मूल	1,05,45		
पूरक	24,03,70		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)		25,09,15	91,75
			-24,17,40
इज्जत			
मूल	10,05		
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि		10,05	..
			-10,05
			81,66
			..

fVli f.k; ka , oa Vhcdk; &
jktLo&
nRrer&

- (i) ₹ 1,04,39.38 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 93,52.98 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित की जा सकी।
- (ii) ₹ 1,04,39.38 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 2,96.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिव्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"lz

clg vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

½ yk[k ₹ea ½

2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें-

800- अन्य व्यय-

03- अवशेषों का भुगतान-

मूल 1,50.00

2,02.46

1,22.49

-79.97

पुनर्वि० 52.46

₹ 52.46 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 5.54 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ। प्रावधान में ₹ 58.00 लाख की वृद्धि आवश्यकता से कम बजट प्रावधान होने के कारण हुई।

2075- लोक निर्माण कार्य-

800- सामान्य-

07- उत्तर प्रदेश, अधिकतम जोत

सीमा आरोपण अधिनियम के

अधीन प्रतिकर

5.00

..

-5.00

2216- आवास-

01- सरकारी रिहायशी भवन-

700- अन्य आवास-

03- राजस्व परिषद् के आवासीय

भवनों का अनुरक्षण-

मूल 48.00

42.50

42.50

..

पुनर्वि० -5.50

₹ 5.50 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

04- राजस्व परिषद् के आवासीय

भवनों में लघु निर्माण कार्य-

मूल 81.95

5.46

5.46

..

पुनर्वि० -76.49

₹ 76.49 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

'kh"KZ	dly vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
			% yk[k ₹es %
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—			
60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम—			
110- अन्य बीमा योजनायें—			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—			
मूल	40,00.00		
पुनर्वि०	-34,48.74		
		5,51.26	6,17.76
			+66.50
₹ 34,48.74 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ।			
03- प्रदेश के खातेदार/सहखातेदार कृषकों की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के प्रीमियम हेतु भुगतान—			
मूल	60,00.00		
पुनर्वि०	-34,56.25		
		25,43.75	24,65.56
			-78.19
₹ 34,56.25 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
3454- जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी—			
02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी—			
110- राज्य विवरणिका तथा सांख्यिकीय संस्मरण—			
03- जिला विवरणियों (गजेटियर्स) का पुनरीक्षण—			
मूल	1,00.13		
पुनर्वि०	-24.50		
		75.63	75.63
			..
₹ 24.50 लाख का अभ्यर्पण विभागाध्यक्ष, अन्य अधिकारियों/कार्मिकों के पद रिक्त रहने, आवश्यकता न होने, कार्मिकों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा न लेने तथा धनराशि का उपयोग न किये जाने के कारण हुआ।			
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।			

(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

'k"KZ	dgY vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		¼ yk[k ₹ea ½	cpr &
2029- भू-राजस्व-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
03- भूमि अध्याप्ति-सामान्य			
राजस्व व्यय-			
मूल	23,34.94	23,37.94	23,43.69
पूरक	3.00		
103- भू-अभिलेख-			
03- अधीक्षण-			
मूल	1,59.77	1,46.29	2,01.01
पुनर्वि०	-13.48		

₹ 2,01.01 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2008-09 तथा 2009-10 में उचन्त लेखे के समाशोधन की ₹ 25.40 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 13.48 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें-

099- राजस्व परिषद्-

03- राजस्व परिषद्-

मूल	15,84.53	14,78.05	16,65.85
पूरक	28.00		
पुनर्वि०	-1,34.48		

+1,87.80

₹ 16,65.85 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 में उचन्त लेखे के समाशोधन की ₹ 42.36 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 1,34.48 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 1,57.48 का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ। प्रावधान में ₹ 23.00 लाख की वृद्धि विद्युत देय कम होने के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

i Hkkfj r&

(v) ₹ 43.59 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 9.07 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गयी।

(vi) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

	क्र. सं.	व्यय	अधिक्य	अधिक्य	कुल
2029- भू-राजस्व-					
001- निदेशन तथा प्रशासन-					
03- भूमि अध्याप्ति-सामान्य					
राजस्व व्यय		5.00	..		-5.00
2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 5.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग प्रत्येक वर्ष में अप्रयुक्त था।					
101- संग्रहण प्रभार-					
03- भू-राजस्व (माल गुजारी) तकावी					
नहर और अन्य प्रकीर्ण सरकारी					
देय धनराशियों का संग्रहण प्रभार-					
मूल	10.50				
पुनर्वि०	-6.10				
		4.40	2.55		-1.85
₹ 6.10 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।					
2049- ब्याज अदायगियां-					
01- आन्तरिक ऋण पर ब्याज-					
101- बाजार कर्जों पर ब्याज-					
07- प्रकीर्ण व्यय		50.00	1.23		-48.77
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।					
(vii) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-					
2049- ब्याज अदायगियां-					
01- आन्तरिक ऋण पर ब्याज-					
101- बाजार कर्जों पर ब्याज-					
03- प्रतिकर बन्धों तथा स्टाक					
प्रमाण पत्रों पर ब्याज		0.01	12.43		+12.42
₹ 12.43 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2003-04 में उचन्त लेखे के समाशोधन की ₹ 7.00 लाख की धनराशि सम्मिलित है।					
305- ऋण प्रबन्ध-					
03- प्रतिकर बन्धों तथा पुनर्वासन					
अनुदान बन्धों आदि का					
निर्गमन तथा प्रबन्ध		0.01	4.63		+4.62

'kh"kl	dy fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹es ½	
2075- लोक निर्माण कार्य—			
800- सामान्य—			
11- न्यायालय के आज़ाप्ति के			
समाधान के सम्बन्ध में			
भुगतान—			
मूल	0.01	..	4.70
पुनर्वि०	-0.01		+4.70
₹ 0.01 लाख का अभ्यर्पण जनपदों से मांग प्राप्त न होने के कारण हुआ।			

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

i wthxr&
nRrer&

- (viii) ₹ 24,17.40 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 81.66 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।
- (ix) ₹ 24,17.40 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 24,03.70 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (x) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:—

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹es ½	
4059- लोक निर्माण कार्य पर			
पूँजीगत परिव्यय—			
01- कार्यालय भवन—			
800- अन्य व्यय—			
10- राजस्व परिषद् के अनावासीय			
भवनों में लघु निर्माण कार्य—			
मूल	95.45	13.79	13.80
पुनर्वि०	-81.66		+0.01
₹ 81.66 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।			

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		½ yk[k ₹ea ½	

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं
पर पूंजीगत परिव्यय तथा

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

पूरक	23,35.75	23,35.75	..	-23,35.75
------	----------	----------	----	-----------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

i Hkkfj r&

(xi) ₹ 10.05. लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(xii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:—

'kh"KZ	dy fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		½ yk[k #i; ka ea ½	

6003- राज्य सरकार का
आन्तरिक ऋण—

106- प्रतिकर तथा अन्य
बन्ध पत्र—

05- प्रकीर्ण व्यय	10.00	..	-10.00
-------------------	-------	----	--------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

vupku l a[; k 53- jk"Vh; , dhhdj.k foHkx

ef[; 'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
	% gtkj ₹ ea½		
jktLo&			
2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें तथा			
2202- सामान्य शिक्षा			
nRrer&			
मूल	1,01,92	1,07,62	81,89
पूरक	5,70		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)			24,61
i wthxr&			
6851- ग्राम तथा लघु उद्योगों			
के लिए कर्ज			
nRrer&			
मूल	1,00	1,00	..
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)			1,00

fVli f.k; ka , oa Vhdck; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 25.73 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 24.61 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।
- (ii) ₹ 25.73 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 5.70 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (iii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत लघु व्याधिव्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
	% yk[k ₹ ea½		
2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें-			
800- अन्य व्यय-			
08- महान विभूतियों के जन्मदिन पर			
राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक			
सद्भाव कार्यक्रमों का आयोजन-			
मूल	24.85	16.49	16.56
पुनर्वि०	-8.36		
₹ 8.36 लाख का अभ्यर्पण जनपदों में धनराशि का उपयोग न किये जाने के कारण हुआ।			+0.07

' kh" kZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ e½

14- राज्य एकीकरण परिषद्
के अध्यक्ष को सुविधायें—
मूल

12.95

7.90

7.90

..

पुनर्वि०

-5.05

₹ 5.05 लाख का अभ्यर्पण अध्यक्ष द्वारा मांग न किये जाने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

वृत्तिका I अ; क 54 & यकद फुएकक फोहककx (व/क" Bku 1/2

वृत्तिका; 'क"कZ	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
(हजार रुपयों में)			
2059- लोक निर्माण कार्य			
मूल	11,21,43,42		
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)	11,21,43,42	7,24,87,79	-3,96,55,63
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि			92,13
मूल	4,00		
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि	4,00	3,48	-52
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि			..

वृत्तिका; क, ओ, व, ह, क; &

2059- लोक निर्माण कार्य

- (i) ₹ 3,96,55.63 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 92.13 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।
- (ii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

वृत्तिका	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
2059- लोक निर्माण कार्य-			
80- सामान्य-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
97- बाह्य सहायतित योजनायें-			
मूल	1,01.03		
पुनर्वि०	-59.49		
₹ 59.49 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः आवश्यकता न होने के कारण हुआ।	41.54	40.63	-0.91

003- प्रशिक्षण—

03- प्रशिक्षु (संशोधन) अधिनियम

1973 के अन्तर्गत लोक निर्माण

विभाग में स्नातकों तथा डिप्लोमा

प्राप्त अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण योजना—

मूल 50.00

पुनर्वि० -13.34

36.66

22.75

-13.91

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 13.34 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

004- योजना तथा अनुसंधान—

03- लोक निर्माण विभाग

लोक संस्थान—

मूल 84.92

पुनर्वि० -13.45

71.47

72.73

+1.26

₹ 13.45 लाख का अभ्यर्षण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

800- अन्य व्यय—

07- अधिष्ठान व्यय का अनुपातिक

विवरण

..

-4,34,96.00

-4,34,96.00

ऋणात्मक व्यय प्रोराटा समायोजन के कारण है।

(iii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—

2059- लोक निर्माण कार्य—

80- सामान्य—

001- निदेशन तथा प्रशासन—

04- कार्यकारी—

मूल 7,97,13.61

पुनर्वि० -2,79.94

7,94,33.67

8,31,83.52

+37,49.85

प्रावधान में ₹ 2,79.94 लाख की शुद्ध कमी में से, प्रावधान में ₹ 3,58.65 लाख की कमी तथा

₹ 78.71 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

05- कार्य प्रभारित कर्मचारियों के

मजदूरी भुगतान हेतु—

मूल 1,17,25.16

पुनर्वि० 12,80.21

1,30,05.37

1,31,96.74

+1,91.37

प्रावधान में ₹ 12,80.21 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

'kh"z

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान—

मूल

1,42,46.13

1,34,43.05

1,34,95.06

+52.01

पुनर्वि०

-8,03.08

प्रावधान में ₹ 8,03.08 लाख की कुल कमी में से, प्रावधान में ₹ 7,83.89 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 19.19 लाख का अभ्यर्पण डी० डी० ओ० द्वारा अभ्यर्पित किये गये।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

वृत्तगत व्यय के विवरण के अनुसार 1/2

वर्ष	वृत्तगत व्यय	अनुदान संख्या	व्यय	अनुदान संख्या	व्यय
2059- लोक निर्माण कार्य तथा					
2216- आवास					
मूल	35,67,19		35,67,19	37,14,22	+1,47,03
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)					93
मूल	2,65,37		2,65,37	2,57,54	-7,83
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)					7,66
4059- लोक निर्माण कार्य पर					
पूंजीगत परिव्यय तथा					
4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय					
मूल	17,28,20		21,78,20	1,65,98,29	+1,44,20,09
पूरक	4,50,00				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)					3,02,25
मूल	83,00		83,00	62,67	-20,33
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)					20,34

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

(i) ₹ 37,14.22 लाख के वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 1,59.45 लाख की धनराशि के सम्मिलित है, जिसके लिए अनुदान संख्या 54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) में मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रावधान है।

(ii) ₹ 12.42 लाख (₹ 1,59.45 लाख – ₹ 1,47.03 लाख 1/2 की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 0.93 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

	dy vupku okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
'kh"KZ		cpr &
		% yk[k ₹ ea %

2216- आवास-

01- सरकारी रिहायशी भवन-

700- अन्य आवास-

05- सामान्य एवं विशेष मरम्मत-

मूल	16,67.77			
		16,66.99	16,55.92	-11.07
पुनर्वि०	-0.78			

₹ 0.78 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

2059- लोक निर्माण कार्य-

80- सामान्य-

053- रखरखाव तथा मरम्मत-

06- सर्किट हाऊस निरीक्षण

भवन एवं कार्यालय भवनों

का अनुरक्षण, (सामान्य एवं

विशेष मरम्मत)-

मूल	18,65.42			
		18,65.27	20,26.78	+1,61.51
पुनर्वि०	-0.15			

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 1,55.97 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 0.15 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

i Hkkfjr&

(v) ₹ 7.83 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 7.66 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

i wthxr&

nRrer&

(vi) ₹ 1,65,98.29 लाख के वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 1,71.49 लाख की धनराशि के सम्मिलित है, जिसके लिए अनुदान संख्या 54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) में मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रावधान है।

(vii) व्यय दत्तमत प्रावधान से ₹ 12,84,59,857 (₹ 1,44,20,09,092 - ₹ 1,71,49,235) अधिक हुआ, अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है।

(viii) ₹ 12,84.60 लाख के अन्तिम व्ययधिक्य को देखते हुये, ₹ 3,02.25 लाख का अभ्यर्पण न्याय संगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।

(ix) ₹ 12,84.60 लाख के अन्तिम व्ययधिक्य को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 4,50.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

(x) व्ययधिक्य (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन हुआ :-

'kh"kl dy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$ cpr & % yk/k ₹ ea %

4059- लोक निर्माण कार्य पर
पूंजीगत परिव्यय-

60- अन्य भवन-

799- उचन्त-

03- भण्डार उचन्त .. 83,50.03 +83,50.03

बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित हैं।
टिप्पणी संख्या (xiii) में उचन्त लेन-देन का व्यौरे को जोड़ा गया हैं।

04- विविध कार्य अग्रिम .. 62,16.00 +62,16.00

बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित हैं।
टिप्पणी संख्या (xiii) में उचन्त लेन-देन का व्यौरे को जोड़ा गया हैं।

80- सामान्य-

051- निर्माण-

04- अम्बेडकर नगर में सर्किट

हाउस का निर्माण-

मूल	71.20	}	70.69	77.76	+7.07
पुनर्वि०	-0.51				

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 7.07 लाख की धनराशि सम्मिलित है।
₹ 0.51 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

21- निरीक्षण भवनों/सर्किट

हाउसों का जीर्णोद्धार/निर्माण-

मूल	2,80.00	}	4,41.73	4,86.10	+44.37
पूरक	2,00.00				
पुनर्वि०	-38.27				

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 44.13 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 38.27 लाख की कुल कमी में से, ₹ 59.31 लाख का अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 21.04 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"KZ

dgy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

23- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में

अधिकारी हास्टल/ट्रांजिट

हास्टल का निर्माण (चालू कार्य)-

मूल 2,00.00

1,78.59

1,96.45

+17.86

पुनर्वि० -21.41

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 17.86 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 21.41 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(xi) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

4059- लोक निर्माण कार्य पर

पूँजीगत परिव्यय-

80- सामान्य-

051- निर्माण-

22- राज्य के विभिन्न जनपदों में

अधिकारी हास्टल/ट्रांजिट

हास्टल का निर्माण-

मूल 60.00

45.00

49.50

+4.50

पुनर्वि० -15.00

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 4.50 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 15.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय-

01- सरकारी रिहायशी भवन-

106- साधारण पूल आवास-

03- निर्माण-लोक निर्माण -

मूल 10,15.00

पूरक 2,00.00

9,90.90

10,77.30

+86.40

पुनर्वि० -2,24.10

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 97.94 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 2,24.10 लाख की कुल कमी में से, ₹ 2,03.06 लाख का अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 21.04 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

i Hkkfjr&

(xii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'kh"kl

dy fofo; ksx okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

4059- लोक निर्माण कार्य पर

पूँजीगत परिव्यय-

80- सामान्य-

051- निर्माण-

20- राजभवन, लखनऊ परिसर

में विभिन्न निर्माण कार्य-

मूल

50.00

29.66

29.66

..

पुनर्वि०

-20.34

₹ 20.34 लाख के अभ्यर्पण समय का अभाव, निर्माण कार्य पूरा न होने तथा प्रस्ताव से अधिक धनराशि प्राप्त होने के कारण हुआ।

(xiii) mplr yu&nu %

अनुदान के व्यय में उचन्त के अधीन दर्ज किये गये ₹ 1,45.66 करोड़ सम्मिलित हैं।

उचन्त लेन-देन का स्वरूप और उनकी लेखा प्रणाली की व्याख्या अनुदान संख्या 94- सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अधीन दी गई है।

2010-2011 के दौरान किये गये लेन-देन का विश्लेषण तथा आदि और अन्त शेषों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

mplr 'kh"kl **4059&ykd fuekzk dk; L ij i thxr i fj0; ; ** ds vlrxir
o"kl 2010-2011 ds nkjku fd; s x; s yu&nu dk foj.k

'kh"kl	1 vi &y 2010 dks vkfn 'kšk (ukes + tek &)	ukea	tek	fuoy	31 epl 2011 dk vlr 'kšk (ukes + tek &)
¼ yk[k ₹ ea ½					
उचन्त स्टाक कार्यशाला	-3,68.06	83,50.03	83,83.55	-33.52	-4,01.58
उचन्त विविध निर्माण कार्य पेशगियां	+4,89.93	+4,89.93
	+88,30.94	62,16.00	70,65.16	-8,49.16	+79,81.78
; ksx	+89,52.81	1,45,66.03	1,54,48.71	-8,82.68	+80,70.13

वृत्तिका I अ; क 56 & यकद फुलकक फोहकक ¼ fo'k's'k {ks= dk; lde ½

वृत्तिका; 'kh"kl	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
		¼ gtlj ₹ ea ½	
ivthxr&			
4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय			
nRrer&			
मूल	1,38,00,00		
पूरक	60,00,00		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)		1,98,00,00	1,96,08,44
			-1,91,56
			91,96

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &

ivthxr&

nRrer&

- ₹ 1,91.56 लाख की अन्तिम बचत में से, ₹ 91.96 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।
- ₹ 1,91.56 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 60,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

वृत्तिका 1 अ; क 57&yksd fueZk foHkkx ¼ l pkj l k/ku&l r q ½

वृत्तिका ; 'kh"z	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय + बचत -
	(हजार , में)		
jktLo& 3054- सड़क तथा सेतु			
nRrer& मूल	11,00,00		
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि	11,00,00	11,78,90	+78,90
i wthxr& 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूजीगत परिव्यय			
nRrer& मूल	5,95,70,00		
पूरक	2,10,00,00		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)	8,05,70,00	8,09,95,85	+4,25,85
fVli f. k; ka , oa Vhdk; &			1,44,13,04

jktLo&
nRrer&

- ₹ 11,78.90 लाख के वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 1,07.17 लाख की धनराशि के सम्मिलित है, जिसके लिए अनुदान संख्या 54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) में मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रावधान है।
- ₹ 28.27 लाख (₹ 1,07.17 लाख - ₹ 78.90 लाख ½ की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

'kh"z

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

3054- सड़क तथा सेतु-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

800- अन्य व्यय-

03- नावों के पुल और

नौघाट

4,00.00

4,32.38

+32.38

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 39.31 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

04- पुलों का अनुरक्षण और

मरम्मत

7,00.00

7,46.53

+46.53

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 67.87 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

i wthxr&

nRrer&

- (iv) ₹ 8,09,95.85 लाख के वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 52,12.15 लाख की धनराशि के सम्मिलित है, जिसके लिए अनुदान संख्या 54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) में मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रावधान है।
- (v) ₹ 47,86.30 लाख (₹ 52,12.15 लाख – ₹ 4,25.85 लाख ½ की अन्तिम बचत में से, ₹ 1,44,13.04 लाख की धनराशि का अभ्यर्पण न्याय संगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।
- (vi) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन हुई :-

' kh"KZ

diy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर

पूँजीगत परिव्यय-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

101- सेतु-

34- नाबार्ड पोषित आर0 आई0 डी0

एफ0 के अन्तर्गत स्वीकृत सेतुओं

के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था

78,20.00

65,82.82

-12,37.18

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 5,98.44 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

35- राज्य सेक्टर (सामान्य) निर्माण के

अन्तर्गत नये सेतुओं के निर्माण

कार्यों हेतु एकमुश्त प्रावधान-

मूल 18,40.00

पूरक 30,00.00

पुनर्वि0 -11,55.67

36,84.33

38,74.75

+1,90.42

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 3,52.25 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 11,55.67 लाख का अभ्यर्पण नये निर्माण कार्यों की स्वीकृति न होने तथा फील्ड आफिसर द्वारा अभ्यर्पण के कारण हुआ।

36- प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के

मार्गों पर नये सेतुओं का

निर्माण (नाबार्ड पोषित)-

मूल 1,51,80.00

पुनर्वि0 -1,12,36.70

39,43.30

42,39.28

+2,95.98

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 3,85.39 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 1,12,36.70 लाख का अभ्यर्पण नये निर्माण कार्यों की स्वीकृति न होने तथा फील्ड आफिसर द्वारा अभ्यर्पण के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(vii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

'kh"kl	dy vuqku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr &
				¼ yk[k ₹ ea ½
5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय— 04- जिला तथा अन्य सड़कें— 101- सेतु— 04- सामान्य सेतु निर्माण (राज्य सेक्टर) (01-04-97 के बाद के कार्य)— मूल 1,62,38.00 पूरक 75,00.00 वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 5,44.86 लाख की धनराशि सम्मिलित है।		2,37,38.00	2,91,55.62	+54,17.62
05- रेलवे उपरिगामी सेतु— मूल 1,51,80.00 पूरक 1,05,00.00 वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 32,52.08 लाख की धनराशि सम्मिलित है।		2,56,80.00	3,57,72.92	+1,00,92.92
97- बाह्य सहाययित योजनायें— मूल 5,52.00 पुनर्वि० 2,39.33 वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 79.13 लाख की धनराशि सम्मिलित है। प्रावधान में ₹ 2,39.33 लाख की वृद्धि निर्माण कार्य को अन्तिम रूप देने के लिए की गयी।		7,91.33	8,70.46	+79.13
05- अन्तरराज्यीय सड़कें या आर्थिक महत्त्व— 101- सेतु— 01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें— पुनर्वि० 5,00.00 प्रावधान में ₹ 5,00.00 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 13,17.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 5,77.67 लाख के अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 2,39.33 लाख की कमी कार्य देशी से आरम्भ होने तथा वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद यमुना नदी का लगातार बहाव रहने के कारण थी।		5,00.00	5,00.00	5,00.00 ..

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

वृत्तिका I अ; क 58 & यकद फुएकक फोहकx ¼ I षक I क/कु&I M-द ½

एक; 'क"क	दय वृत्तिका ; क फोफु; कx	ओलरफोद 0; ; ; क fofu; कx	वफ/कद 0; ; \$ cpr &
	¼ gtkj ₹ esa ½		
जकTLo&			
3054- सडक तथा सेतु			
nRrer&			
मूल	14,81,37,87	14,81,37,87	16,02,74,61
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)			23,25,22
i Hkkfj r&			
मूल	5,00	5,00	..
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)			5,00
i wthxr&			
5054- सडकों तथा सेतुओं पर			
पूंजीगत परिव्यय			
nRrer&			
मूल	27,87,82,03	32,17,82,03	43,69,96,00
पूरक	4,30,00,00		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)			2,48,53,51
i Hkkfj r&			
मूल	5,06,00	5,06,00	1,36,35
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)			3,53,05

fVli f. k; ka , oa VhdK; &

जकTLo&
nRrer&

- (i) ₹ 16,02,74.61 लाख के वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 1,45,65.54 लाख की धनराशि सम्मिलित है, जिसके लिए अनुदान संख्या 54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) में मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रावधान है। ₹ 24,28.80 लाख (₹ 1,45,65.54 लाख – ₹ 1,21,36.74 लाख) की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 23,25.22 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी ।

(ii) व्ययाधिक्य (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ :-

' kh"kl dgy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
¼ yk[k ₹ ea ½

3054- सड़क तथा सेतु-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

337- सड़क निर्माण कार्य-

03- अनुरक्षण तथा मरम्मत-

मूल	2,77,68.00	}	2,74,37.15	2,99,78.84	+25,41.69
पुनर्वि०	-3,30.85				

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 13,69.95 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 3,30.85 लाख की कुल बचत में से, प्रावधान में ₹ 3,24.65 लाख की कमी तथा ₹ 6.20 लाख का अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

04- राज्य सड़क निधि के

अन्तर्गत सड़कों का

अनुरक्षण-

मूल	12,00,00.00	}	11,79,56.34	12,98,39.46	+1,18,83.12
पुनर्वि०	-20,43.67				

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 1,18,05.18 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 20,43.67 लाख की शुद्ध बचत में से, प्रावधान में ₹ 2,75.00 लाख की वृद्धि धनराशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। ₹ 23,18.67 लाख का अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

07- अनुरक्षण तथा मरम्मत-

मूल	3,00.01	}	3,49.66	3,85.41	+35.75
पुनर्वि०	49.65				

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 35.04 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में ₹ 49.65 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 3,24.65 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। प्रावधान में ₹ 2,75.00 लाख की कमी आवश्यकता न होने के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

i Hkkfj r&

(iii) बचत निम्न के अधीन हुई :-

'kh"kl	clj fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

3054- सड़क तथा सेतु-

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

04- न्यायालय की आज्ञापतियों

का भुगतान-

मूल

5.00

पुनर्वि०

-5.00

₹ 5.00 लाख के अभ्यर्पण माँग न होने के कारण हुआ ।

(iv) उत्तर प्रदेश सड़क तथा सेतु निधि से किया गया व्यय :-

यह निधि राज्य में सड़कों और संचार साधनों के विकास पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए बनायी गयी थी। यह निधि मोटर गाड़ियों पर करों से होने वाली आय से बनी है जिसे "अनुदान संख्या 43- परिवहन विभाग" के नामे डाल कर इस निधि में जमा किया जाता है। सड़कों और संचार साधनों पर वास्तविक व्यय को इन अनुदानों में की गयी धन व्यवस्था के मुकाबले पहले मुख्य शीर्ष "3054-सड़क तथा सेतु" तथा "3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन" "अनुदान संख्या 2- आवास विभाग" तथा "अनुदान संख्या 14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)" के नामे डाला जाता है तथा बाद में वर्ष के लेखे बन्द होने से पहले उक्त निधि में अन्तरित कर दिया जाता है।

उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण के लिये धन जुटाने के लिए सरकार 21 जुलाई 1956 के बाद यातायात के लिए खोले गये ऐसे स्थायी पुलों से पथ करों की वसूली करती है जो कि राज्य लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण और प्रबन्ध के अधीन है। इनकी प्राप्तियों का मुख्य शीर्ष "1054-सड़क तथा सेतु" में जमा किया जाता है और 1 अप्रैल 1959 से इसके बराबर राशि को इस अनुदान (मुख्य शीर्ष 3054- सड़क तथा सेतु) के नामे डालते हुए उपरोक्त निधि में अन्तरित किया जाता है। पुलों पर वास्तविक व्यय को जिसे इस निधि से पूरा करने का निर्णय किया जाता है, शुरू में इस अनुदान के अधीन पुस्तांकित किया जाता है और बाद में उस वर्ष के लेखे बन्द करने से पहले इस निधि में अन्तरित कर दिया जाता है।

वर्ष के दौरान निधि में न ही कोई धनराशि जमा की गई और न ही निधि से कोई व्यय किया गया।

31 मार्च 2011 का निधि में रुपये 9,98.41 करोड़ जमा शेष था।

(v) केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता :-

मोटर स्पिंट पर उत्पाद एवं आयात शुल्क में वृद्धि से वसूल किया गया अतिरिक्त राजस्व भारत सरकार द्वारा बनायी गयी केन्द्रीय सड़क निधि में जमा किया जाता है, इस निधि में से राज्यों के सड़क विकास की भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं पर व्यय के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त धनराशि को भारत सरकार से प्राप्त कर अनुदानों के रूप में राज्य सरकार के लेखे में जमा किया जाता है और साथ ही साथ इसके बराबर राशि को इस अनुदान (अनुदान संख्या 58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के नामे डालते हुए निक्षेप लेखा " केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता " में जमा किया जाता है।

सड़क विकास योजनाओं पर वास्तविक व्यय को शुरू में इस अनुदान के अधीन पुस्तांकित किया जाता है और बाद में इसे जमा लेखे में अन्तरित कर दिया जाता है।

31 मार्च 2011 का निधि में जमा शेष रूपये 81.08 करोड़ था।

वर्ष के दौरान जमा लेखे में लेन-देन का ब्यौरा वित्त लेखे 2010-11 के विवरण संख्या 18 में दिया गया है।

i wthxr&

nRrer&

- (vi) ₹ 43,69,96,00,113 के वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन ₹ 2,32,80,18,716 की धनराशि के सम्मिलित है, जिसके लिए अनुदान संख्या 54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) में मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रावधान है।
- (vii) व्यय दत्तमत प्रावधान से ₹ 9,19,33,78,397 { ₹ 11,52,13,97,113 – ₹ 2,32,80,18,716 } अधिक हुआ, अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है।
- (viii) ₹ 9,19,33.78 लाख के अन्तिम व्ययाधिक्य को देखते हुए, ₹ 2,48,53.51 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।
- (ix) ₹ 9,19,33.78 लाख के अन्तिम व्ययाधिक्य को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 4,30,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (x) व्ययाधिक्य (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ :-

' kh"kl

clq vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर

पूँजीगत परिव्यय-

03- राज्य राजमार्ग-

337- सड़क निर्माण कार्य-

03- राज्य राज मार्गों का

निर्माण कार्य-

मूल	2,53,00.00			
पूरक	10,00.00			
पुनर्वि०	-5,62.64			

2,57,37.36

2,82,34.41

+24,97.05

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 25,66.76 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में ₹ 5,62.64 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुई।

'kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
½ yk[k ₹ ea ½

799- उचन्त-

03- भण्डार उचन्त	..	7,03,94.22		+7,03,94.22
बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित हैं। टिप्पणी संख्या (xiv) में उचन्त लेन-देन का व्यौरे को जोड़ा गया है।				
04- विविध कार्य अग्रिम	..	6,00,86.89		+6,00,86.89
बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित हैं। टिप्पणी संख्या (xiv) में उचन्त लेन-देन का व्यौरे को जोड़ा गया है।				

800- अन्य व्यय-

03- उत्तर प्रदेश राज्य

राजमार्ग प्राधिकरण-

मूल	9,20.00	}	1,46,07.69	1,46,07.69	..
पूरक	1,00,00.00				
पुनर्वि०	36,87.69				

प्रावधान में ₹ 36,87.69 लाख की वृद्धि धनराशि की आवश्यकता होने के कारण हुई।

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

337- सड़क निर्माण कार्य-

13- एक मुश्त व्यवस्था-

मूल	7,58,13.34	}	9,50,11.45	10,42,95.74	+92,84.29
पूरक	1,75,00.00				
पुनर्वि०	16,98.11				

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 94,81.43 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में ₹ 16,98.11 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 17,32.67 लाख की वृद्धि निर्माण कार्य पूरा करने के लिए धनराशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। ₹ 34.56 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

57- राज्य सड़क निधि के

अन्तर्गत सड़कों का

निर्माण/सुदृढीकरण-

मूल	2,76,00.00	}	3,66,72.31	3,85,94.41	+19,22.10
पूरक	1,00,00.00				
पुनर्वि०	-9,27.69				

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 35,08.58 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में ₹ 9,27.69 लाख की कमी आवश्यकता न होने के कारण हुई।

' kh"kl	dqy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
			¼ yk[k ₹ ea ½
63- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मार्गों तथा लघु सेतुओं के निर्माण के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था—			
मूल	92,00.00		
पुनर्वि०	-9,86.03		
		82,13.97	1,24,22.17
			+42,08.20
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 11,29.31 लाख की धनराशि सम्मिलित है। प्रावधान में ₹ 9,86.03 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुई।			
66- कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों /लघु सेतुओं के नये निर्माण कार्यों हेतु एक मुश्त व्यवस्था (नाबार्ड पोषित) (जिला योजना)—			
मूल	1,70,20.00		
पुनर्वि०	-32,05.87		
		1,38,14.13	1,71,90.13
			+33,76.00
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 15,62.74 लाख की धनराशि सम्मिलित है। ₹ 32,05.87 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
71- एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के बाईपास के निर्माण के नये कार्यों हेतु एक मुश्त व्यवस्था			
		9,20.00	10,48.36
			+1,28.36

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 95.31 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

74- मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना के अन्तर्गत शहरी मार्गों का सुधार /पुनर्निर्माण के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था—			
मूल	0.01		
पुनर्वि०	14.40		
		14.41	65.64
			+51.23
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 5.97 लाख की धनराशि सम्मिलित है। प्रावधान में ₹ 14.40 लाख की वृद्धि चालू कार्यों को पूरा करने के लिए धनराशि की आवश्यकता होने के कारण हुई।			

' kh"kl dgy vupku okLrfod 0; ; vfk/d 0; ; \$
cpr &
½ yk[k ₹ ea ½

76- प्रदेश में नहरों के सेवा
मार्गों (पटरी) को पक्का
करने के चालू कार्यों
हेतु व्यवस्था—

मूल	18,40.00	}	39,67.67	45,50.41	+5,82.74
पूरक	20,00.00				
पुनर्वि०	1,27.67				

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 4,13.67 लाख की धनराशि सम्मिलित है।
प्रावधान में ₹ 1,27.67 लाख की वृद्धि अतिरिक्त माँग होने के कारण हुई।

77- मान्यवर श्री कांशीराम जी
शहरी गरीब आवास योजना
के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों के
निर्माण / पुर्ननिर्माण के नये
कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था

13,80.01 15,00.75 +1,20.74

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 1,36.43 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

800- अन्य व्यय—

04- केन्द्रीय सड़क निधि के
अन्तर्गत निर्माण कार्य—

मूल	4,32,40.00	}	3,60,49.68	3,97,75.52	+37,25.84
पुनर्वि०	-71,90.32				

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 36,15.96 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में ₹ 71,90.32 लाख की कुल कमी में से, प्रावधान में ₹ 12,00.00 लाख की कमी मुख्यतः केन्द्रीय
सड़क निधि के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्माण कार्य का अनुमोदन न होने के कारण हुआ।

₹ 59,90.32 लाख के अभ्यर्पण नये कार्यों की स्वीकृति तथा अनुबन्ध का निष्पादन न होने के कारण
हुआ।

05- सड़के —

337- सड़क निर्माण कार्य—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

पुनर्वि०	12,00.00	12,00.00	12,00.00	..
----------	----------	----------	----------	----

प्रावधान में ₹ 12,00.00 लाख की वृद्धि मुख्यतः अतिरिक्त आवश्यकता के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(xi) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'kh"kl	dgy vunku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr &
			% yk[k ₹ ea ½
5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय—			
04- जिला तथा अन्य सड़कों—			
337- सड़क निर्माण कार्य—			
04- अपर गंगा कैनल के दाएं तट पर एक्सप्रेस वे के किनारे सर्विस रोड निर्माण के लिए भूमि अध्याप्ति	1,16,91.45	..	-1,16,91.45
64- नाबार्ड वित्त पोषित आर0 आई0 डी0 एफ0 योजना के अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं के चालू कार्यो हेतु एक मुश्त व्यवस्था (जिला योजना)—			
मूल	36,15.60		
पुनर्वि0	-75.98		
	35,39.62	19,06.85	-16,32.77
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 1,73.35 लाख की धनराशि सम्मिलित है। ₹ 75.98 लाख के अभ्यर्पण माँग न होने तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अभ्यर्पण किये जाने के कारण हुआ।			
65- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण मार्गों तथा लघु सेतुओं के नये निर्माण कार्यो हेतु एक मुश्त व्यवस्था	36,80.00	6,60.88	-30,19.12
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 60.08 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			
67- मार्गों के सुधार हेतु एक मुश्त व्यवस्था—			
मूल	1,84.00		
पुनर्वि0	-1,84.00		

प्रावधान में ₹ 1,84.00 लाख की कमी प्रस्ताव उपलब्ध न होने के कारण हुई।			
68- पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजनाओं के लिए वायबिलिटी गैप फण्डिंग स्कीम हेतु एक मुश्त व्यवस्था—			
मूल	27,60.00		
पुनर्वि0	-27,60.00		

प्रावधान में ₹ 27,60.00 लाख की कमी आवश्यकता होने के कारण हुई।			

'kh"kl

dqy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

73- मार्गों के सुधार के चालू

कार्यों हेतु व्यवस्था—

मूल 1,84.00]

41.93

39.13

-2.80

पुनर्वि० -1,42.07]

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 3.56 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में ₹ 1,42.07 लाख की कमी धनराशि की आवश्यकता न होने के कारण हुई।

05- अन्तर्राज्यीय या आर्थिक

महत्व की सड़के —

337- सड़क निर्माण कार्य—

97- बाह्य सहायतित

योजनायें—

मूल 2,08,38.00]

55,12.27

60,17.06

+5,04.79

पूरक -1,53,25.73]

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 5,27.04 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 1,53,25.73 लाख के अभ्यर्पण समय का अभाव, विश्व बैंक द्वारा धनराशि स्वीकृति न होने तथा निर्माण

कार्य पूरा करने के कारण हुआ ।

80- सामान्य—

004- अनुसंधान—

04- अनुसंधान संस्थान तथा

क्वालिटी प्रमोशन सेल

की प्रयोगशालाओं का

सुदृढीकरण/उच्चीकरण—

मूल 92.00]

35.76

35.76

..

पुनर्वि० -56.24]

₹ 56.24 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

800- अन्य व्यय—

05- सूचना प्रौद्योगिकी के प्रबन्धन

एवं नियोजन के कार्यों हेतु

एकमुश्त व्यवस्था—

मूल 1,74.80]

10.00

10.00

..

पुनर्वि० -1,64.80]

₹ 1,64.80 लाख के अभ्यर्पण धनराशि शेष होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिव्यय/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

i Hkkfjr&

(xii) ₹ 3,69.65 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 3,53.05 लाख की धनराशि अभ्यर्पण की जा सकी ।

(xiii) बचत निम्न के अधीन हुई :-

'kh"kl	dlg fofu; ksx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर

पूँजीगत परिव्यय-

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

03- अन्य व्यय-

मूल	5,06.00] 1,52.95	1,36.35	-16.60
पुनर्वि०	-3,53.05			

₹ 3,53.05 लाख के अभ्यर्पण स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(xiv) mpLr yu&nu %&

अनुदान के व्यय में उचन्त के अधीन दर्ज किये गये ₹ 13,04.81 करोड़ सम्मिलित हैं।

उचन्त लेन-देन का स्वरूप और उनकी लेखा प्रणाली की व्याख्या अनुदान संख्या 94- सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अधीन दी गई है।

2010-2011 के दौरान किये गये लेन-देन का विश्लेषण तथा आदि और अन्त शेषों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

mpLr 'kh"kl **5054&l Melka rFkk l rpyka ij i wthxr ifj0; ; ** ds vLrxr
o"kl 2010-2011 ds nkjku fd; s x; s yu&nu dk foj .k

'kh"kl	1 vi dy 2010 dks vkfn 'k\$'k (ukes + tek &)	ukes	tek	fuoy	31 epl 2011 dk vLr 'k\$'k (ukes + tek &)
					¼ yk[k ₹ ea ½
उचन्त स्टाक	+73,42.66	7,03,94.22	7,09,37.22	-5,43.00	+67,99.66
विविध निर्माण					
कार्य पेशगियां	+64,73.81	6,00,86.89	5,87,21.00	+13,65.89	+78,39.70
कार्यशाला					
उचन्त	-2,44.75	-2,44.75*
; ksx	+1,35,71.72	13,04,81.11	12,96,58.22	+8,22.89	+1,43,94.61

* ऋणात्मक राशि की राज्य सरकार के साथ जांच की जा रही है।

वृत्तिका I अ; क 59 & ykd fuekZ k foHkkx ½ kT; I Ei fRr funs'kky; ½

ए; 'kh"KZ

dy vृत्तिका okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ gtkj ₹ esa ½

jktLo&

- 2013- मंत्रि परिषद्,
2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें,
2059- लोक निर्माण कार्य,
2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें,
2215- जलपूर्ति तथा सफाई तथा
2216- आवास

nRrer&

मूल	98,17,08	}	98,17,08	96,53,10	-1,63,98
पूरक	..				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

6,25,72

i wthxr&

- 4059- लोक निर्माण कार्य पर
पूंजीगत परिव्यय तथा
4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	69,68,71	}	89,02,70	88,14,09	-88,61
पूरक	19,33,99				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

88,61

अनुदान के पूंजीगत प्रभाग के अन्तर्गत व्यय में आकस्मिकता निधि से मार्च 2011 में स्वीकृत अग्रिमों में से व्यय किये गये किन्तु वर्ष के समाप्ति तक निधि में वापस किये गये ₹ 20,12,60 हजार सम्मिलित नहीं हैं।

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 1,63.98 लाख की अन्तिम बचत में से, ₹ 6,25.72 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।

(ii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
	% yk[k ₹ ea %		cpr &
2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें-			
090- सचिवालय-			
04- राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा			
अधिकारियों को वाहन			
व्यवस्था-			
मूल	1,18.00		
पुनर्वि०	-18.00		
प्रावधान में ₹ 18.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
800- अन्य व्यय-			
03- अवशेषों का भुगतान	2,50.00	1,63.89	-86.11
2059- लोक निर्माण कार्य-			
01- कार्यालय भवन-			
053- रखरखाव तथा मरम्मत-			
04- विधान भवन तथा परिसर			
में स्थित अन्य भवन-			
मूल	8,85.98		
पुनर्वि०	-2,81.83		
₹ 2,81.83 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 2,81.15 लाख की कमी मुख्यतः परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ। ₹ 0.68 लाख का अभ्यर्पण धनराशि का उपयोग न होने के कारण हुआ।			
06- बापू भवन	1,51.45	1,25.45	-26.00
60- अन्य भवन-			
053- रखरखाव तथा मरम्मत-			
04- दिल्ली स्थित अतिथि गृहों			
के लिए व्यवस्था-			
मूल	4,03.98		
पुनर्वि०	1.26		
प्रावधान में ₹ 1.26 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 4.65 लाख की वृद्धि बजट कम होने तथा प्रावधान में ₹ 3.00 लाख की कमी मुख्यतः परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ। ₹ 0.39 लाख का अभ्यर्पण बिल प्राप्त न होने तथा आर्थिक मितव्ययता के कारण हुआ।			

' kh" kZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें—

800- अन्य व्यय—

04- पूंजीगत हानि को बट्टेखाते

में डाला जाना

50.00

..

-50.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(iii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—

2013- मंत्रि परिषद्—

800- अन्य व्यय—

03- मंत्रियों, राज्यमंत्रियों तथा उप

मंत्रियों के प्रकीर्ण व्यय—

मूल 11,30.00

10,23.69

10,25.94

+2.25

पुनर्वि० -1,06.31

प्रावधान में ₹ 1,06.31 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

06- मुख्यमंत्री आवास पर साज—

सज्जा एवं अनुरक्षण—

मूल 1,10.00

2,41.15

2,41.15

..

पुनर्वि० 1,31.15

प्रावधान में ₹ 1,31.15 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें—

090- सचिवालय—

03- राज्य सम्पत्ति विभाग—

मूल 25,05.28

25,63.28

26,65.12

+1,01.84

पुनर्वि० 58.00

₹ 58.00 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 78.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 20.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2059- लोक निर्माण कार्य—

01- कार्यालय भवन—

053- रखरखाव तथा मरम्मत—

09- जवाहर भवन एवं इन्दिरा

भवन परिसर—

मूल 5,62.01

6,60.88

6,52.27

-8.61

पुनर्वि० 98.87

₹ 98.87 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 99.16 लाख की वृद्धि बजट कम होने के कारण हुई। ₹ 10.29 लाख का अभ्यर्पण धनराशि का उपयोग न होने के कारण हुआ।

' kh" kZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

60- अन्य भवन—

053- रखरखाव तथा मरम्मत—

03- लखनऊ स्थित अतिथि गृहों

के लिए व्यवस्था—

मूल	2,09.26	}	2,08.43	2,30.23	+21.80
पुनर्वि०	-0.83				

₹ 0.83 लाख का अभ्यर्पण धनराशि का उपयोग न होने, बिल प्राप्त न होने तथा आर्थिक मितव्ययता के कारण हुआ।

05- अन्य अतिथि गृहों के लिए

व्यवस्था (मुम्बई एवं कलकत्ता)—

मूल	12.25	}	17.46	14.46	-3.00
पुनर्वि०	5.21				

₹ 5.21 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 5.50 लाख की वृद्धि बजट कम होने के कारण हुई। ₹ 0.29 लाख का अभ्यर्पण बिल प्राप्त न होने तथा आर्थिक मितव्ययता के कारण हुआ।

2216- आवास—

01- सरकारी रिहायशी भवन—

106- साधारण पूल आवास—

03- सरकारी कर्मचारी /

अधिकारी के सरकारी

आवास—

मूल	7,48.28	}	8,94.28	8,94.27	-0.01
पुनर्वि०	1,46.00				

₹ 1,46.00 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 1,50.00 लाख की वृद्धि बजट कम होने के कारण हुई। ₹ 4.00 लाख का अभ्यर्पण धनराशि का उपयोग न होने के कारण हुआ।

700- अन्य आवास—

09- विधायकों को आवंटित

आवास—

मूल	8,45.55	}	2,50.00	9,30.57	+6,80.57
पुनर्वि०	-5,95.55				

₹ 5,95.55 लाख का अभ्यर्पण धनराशि का उपयोग न होने तथा आर्थिक मितव्ययता के कारण हुआ। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिव्यय/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

i wthxr&

nRrer&

(iv) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

' kh" kZ

dgy vupku okLrfod 0 ; ;

vf/kd 0 ; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

4059- लोक निर्माण कार्य पर

पूंजीगत परिव्यय-

80- सामान्य-

051- निर्माण-

10- बटलर पैलेस क्लब का उन्नयन /

जीर्णोधार तथा डालीबाग क्लब

का निर्माण-

मूल 46.00]

26.93

3.04

-23.89

पुनर्वि० -19.07]

प्रावधान में ₹ 19.07 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(v) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

4059- लोक निर्माण कार्य पर

पूंजीगत परिव्यय-

80- सामान्य-

051- निर्माण-

07- उत्तर प्रदेश भवन / उत्तर

प्रदेश सदन एवं अन्य अतिथि

गृहों का जीर्णोद्धार / सौन्दर्यीकरण-

मूल 3,68.00]

3,87.07

3,87.07

..

पुनर्वि० 19.07]

प्रावधान में ₹ 19.07 लाख की वृद्धि बजट कम होने के कारण हुई।

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सरकारी रिहायशी भवन-

700- अन्य आवास-

05- निर्माण-अन्य-

मूल 27,38.70]

पूरक 19,33.99]

45,95.80

46,19.69

+23.89

पुनर्वि० -76.89]

₹ 76.89 लाख का अभ्यर्पण धनराशि का उपयोग न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

वृत्तगत विकास कार्य 2010-11 का विवरण

विवरण : 'क' श्रेणी के विकास कार्य के लिए आवंटित राशि (मार्च 2011) के अंतर्गत व्यय और बाकी राशि का विवरण

विवरण

- 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,
 2406- वानिकी तथा वन्य जीव,
 2407- बागान,
 2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा एवं
 3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज
 संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

विवरण

मूल	3,47,46,30	3,56,67,78	3,51,35,94	-5,31,84
पूरक	9,21,48			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)				
				6,22,88

विवरण

मूल	13,70	13,70	1,60	-12,10
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)				
				1,55

विवरण

- 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत
 परिव्यय,
 4216- आवास पर पूंजीगत पर परिव्यय,
 4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर
 पूंजीगत परिव्यय,
 4407- बागानों पर पूंजीगत परिव्यय एवं
 4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर
 पूंजीगत परिव्यय

विवरण

मूल	1,22,96,53	1,25,73,57	82,10,41	-43,63,16
पूरक	2,77,04			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)				
				43,63,14

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

i Hkkfjr&

(i) ₹ 12.10 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 1.55 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की जा सकी ।

(ii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh"kl

dy fofu; ks okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

¼ yk[k ₹ e#

2406- वानिकी तथा वन्य जीव-

01- वानिकी-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

04- अधिष्ठान-

मूल	13.70]	12.15	1.60	-10.55
पुनर्वि०	-1.55				

₹ 1.55 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

उपरोक्त (जून 2011) ।

i thxr&

nRrer&

(iii) ₹ 43,63.16 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 2,77.04 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

(iv) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिव्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित मुख्यतः) निम्न के अधीन हुई:-

' kh"kl

dy vunku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

¼ yk[k ₹ e#

4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर

पूंजीगत परिव्यय-

01- वानिकी-

800- अन्य व्यय-

97- वाह्य सहायतित योजना-

मूल	94,70.00]	47,35.00	47,35.00	..
पुनर्वि०	-47,35.00				

₹ 47,35.00 लाख की कुल बचत में से, पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में ₹ 4,30.00 लाख की कमी उ० प्र० सहभागिता वन व्यवस्था और गरीबी उन्मूलन परियोजना में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर की गई और ₹ 43,05.00 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के कारण हुआ ।

' kh"KZ

dy/vunpu okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

¼ yk[k ₹ e#

02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-

110- वन्य जीव परिरक्षण-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	6,06.56	}	5,24.54	5,05.36	-19.18
पूरक	0.04				
पुनर्वि०	-82.06				

प्रावधान में ₹ 82.06 लाख की कुल कमी में से, पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 35.92 लाख की कमी पक्षी विहार और पार्क का विकास तथा बाघ परियोजना की योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता का उपयोग करने के कारण हुआ । ₹ 46.14 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार द्वारा जारी की गई केन्द्रीय सहायता योजना की सीमा के अंतर्गत वयय के कारण हुआ ।

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(v) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर

पूँजीगत परिव्यय-

01- वानिकी-

102- सामाजिक तथा फार्म वानिकी-

16- वृहद वनों का सुन्दरीकरण-

पुनर्वि०	4,22.00	4,22.00	4,22.00	..
----------	---------	---------	---------	----

प्रावधान में की गई ₹ 4,22.00 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 4,30.00 लाख की वृद्धि भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत जारी की गई धनराशि के उपयोग के लिए धन की आवश्यकता के कारण की गई । ₹ 8.00 लाख का समर्पण योजनान्तर्गत अनुमोदित कार्यों के अनुसार पुनर्विनियोग की स्वीकृति न किये जाने के कारण हुआ ।

800- अन्य व्यय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	98.31	}	1,34.23	1,53.39	+19.16
पुनर्वि०	35.92				

प्रावधान में ₹ 35.92 लाख की वृद्धि समन्वित वन संरक्षक योजनान्तर्गत जारी केन्द्रीय सहायता की द्वितीय किश्त के उपयोग हेतु धन की आवश्यकता के कारण की गई ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

vupku l a; k 61 &foRr foHkkx ¼.k l ok rFkk vU; 0; ; ½

ed; 'kh"z

djy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

; k

cpr&

fofu; ksx

¼ gtkj ₹ ea ½

jktLo&

2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर,

2048- ऋण घटाने या उसका परिहार

करने के लिये विनियोजन,

2049- ब्याज अदायगियां,

2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें,

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें,

2075- विविध-सामान्य सेवायें,

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण और

3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज

संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

nRrer&

मूल 53,06,56,87

53,06,56,87

52,29,30,58

-77,26,29

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

57,59,93

i Hkkfj r&

मूल 2,06,62,82,72

2,06,62,82,72

2,12,78,34,28

+6,15,51,56

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

i wthxr&

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,

4075- विविध-सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत

परिव्यय,

6003- राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण,

6004- केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम,

6075- विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज एवं

7610- सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि

nRrer&

मूल 5,19,00,50

5,19,00,50

3,65,96,19

-1,53,04,31

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

97,08,74

		द्वय वृत्त	अल्पवर्ष 0 ; ;	वर्ष/वर्ष 0 ; ; \$
		; k		cpr&
		वर्ष; क		
			₹ १००	
i Hkkfj r&				
मूल	1,56,45,36,15			
		1,56,45,36,15	63,57,30,09	-92,88,06,06
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)				92,87,64,28
fVli f. k; ka , oa Vhdk; &				
jktLo&				
nRrer&				

(i) ₹ 77,26.29 लाख की अन्तिम बचत में से ₹ 57,59.93 लाख का ही अभ्यर्पण किया गया था ।

(ii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः

निम्न के अधीन हुई:-

		द्वय वृत्त	अल्पवर्ष 0 ; ;	वर्ष/वर्ष 0 ; ; \$
				cpr&
			₹ १००	
' kh" kZ				

2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें-

800- अन्य व्यय-

03- अवशेषों का भुगतान-

मूल	25.85			
		16.01	17.80	+1.79
पुनर्वि०	-9.84			

₹ 9.84 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से ₹ 9.11 लाख प्रावधान में की गई कमी तथा ₹ 0.73 लाख के समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें-

105- विशेष जाँच आयोग-

06- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग

(पंचायती राज्य एवं स्थानीय निकाय)-

मूल	1,00.50			
	
पूरक	-1,00.50			

₹ 1,00.50 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ था ।

' kh"kz

dgy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

½ yk[k ₹ es ½

2075- विविध-सामान्य सेवायें-

190- सरकारी /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/
स्वायत्त संस्थाओं को सहायता-03- राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों/
निगमों/स्वायतशासी संस्थाओं तथा
सहकारी संस्थाओं के पुनर्वासन
हेतु अनुदान-

मूल 5,00.00

पुनर्वि० -5,00.00

..

₹ 5,00.00 लाख का अभ्यर्पण विभागों से स्वीकृति हेतु परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ ।

(iii) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें-

091- संलग्न कार्यालय-

03- वित्तीय प्रबन्ध एवं बजट निदेशालय -

मूल 58.25

पुनर्वि० 4.65

62.90

63.34

+0.44

प्रावधान में ₹ 4.65 लाख की शुद्ध वृद्धि में ₹ 10.95 लाख की वृद्धि पुराने वाहन को नये वाहन से पुनर्स्थापित किये जाने एवं वेतन आदि के भुगतान के कारण हुई। प्रावधान में ₹ 2.34 लाख की कमी एवं ₹ 3.96 लाख के समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2075- विविध-सामान्य सेवायें-

800- अन्य व्यय-

03- कालवाधित सरकारी प्रतिभूतियों

पर ब्याज का भुगतान-

0.01

31.50

+31.49

वास्तविक व्यय में ₹ 18.90 लाख वर्ष 2001-02,2002-03,2003-04,2004-05,2005-06 और 2006-07 के उच्चत लेखे के समाशोधन के सम्मिलित हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

' kh"kl dly vuqku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

¼ yk[k ₹ ee ½

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

200- अन्य कार्यक्रम-

03- मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को
सहायता-

मूल	1,00.00	}	76.58	76.58	..
पुनर्वि०	-23.42				

₹ 23.42 लाख का अभ्यर्पण प्रस्तावों के परिपक्व न होने के कारण हुआ ।

i Hkkfj r&

(iv) वास्तविक व्यय ₹ 2,12,78,34,28,187 में वर्ष 2001-02,2002-03,2003-04,2007-08,2008-09 और 2009-10 के उच्चतम लेखों के समाशोधन के ₹ 20,80,98,432 सम्मिलित है ।

(v) व्यय प्रभारित विनियोग से ₹ 5,94,70,57,755; (₹ 6,15,51,56,187-₹ 20,80,98,432) अधिक हुआ अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है ।

(vi) व्ययाधिक्य (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

' kh"kl dly okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
fofu; ksx cpr&

¼ yk[k ₹ ee ½

2049- ब्याज अदायगियां-

01- आन्तरिक ऋण पर ब्याज-

101-- बाजार कर्जों पर ब्याज-

10- 11.50 % उ० प्र० राज्य विकास

ऋण 2011(18-06-1990)- 25,06.02 30,01.89 +4,95.87

11- 11.50 % उ० प्र० राज्य विकास

ऋण 2011(8-07-1991)- 22,36.42 1,05,46.75 +83,10.33

22- 10.82 % उ० प्र० राज्य विकास

ऋण 2011 32,68.15 57,65.36 +24,97.21

23- वित्तीय वर्ष 2001-2002 में जारी

बाजार ऋणों पर ब्याज 2,20,88.15 2,37,34.00 +16,45.85

26- वित्तीय वर्ष 2003-04 में जारी

बाजार ऋणों पर ब्याज 3,29,08.28 3,41,95.82 +12,87.54

'kh"lz	dy fofu; ksx	okLrfod 0; ; ½ yk[k ₹ es ½	vf/kd 0; ; \$ cpr&
28- वित्तीय वर्ष 2005-06 में जारी बाजार ऋणों पर ब्याज	2,37,47.26	4,27,26.67	+1,89,79.41
30- वित्तीय वर्ष 2007-08 में जारी बाजार ऋणों पर ब्याज	3,62,23.50	4,90,28.50	+1,28,05.00
31- वित्तीय वर्ष 2008-09 में जारी बाजार ऋणों पर ब्याज	10,69,67.70	11,28,52.83	+58,85.13
32- वित्तीय वर्ष 2009-10 में जारी बाजार ऋणों पर ब्याज	11,38,65.38	12,17,68.80	+79,03.42
123- राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज—			
04- राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज—			
मूल 46,29,65.10	46,87,69.92	47,02,10.44	+14,40.52
पुनर्वि० 58,04.82			
प्रावधान में पुनर्वियोग द्वारा ₹ 58,04.82 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।			
305- ऋण प्रबन्ध—			
03- ऋण प्रबन्ध पर व्यय—			
मूल 10,00.00	14,60.37	14,61.00	+0.63
पुनर्वि० 4,60.37			
₹ 4,60.37 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा विनियोग में की गयी वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।			
03- अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज—			
104- राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज—			
03- भविष्य निधियाँ	12,30,00.00	14,51,76.58	+2,21,76.58
07- सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों की भविष्य निधियों पर ब्याज	6,00,00.00	6,95,42.45	+95,42.45
वास्तविक व्यय में वर्ष 2007-08,2008-09 एवं 2009-10 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 18,10.07 लाख सम्मिलित हैं ।			

' kh"lz	dy	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
	fofu; ksx		cpr&
		½ yk[k ₹ es ½	

60- अन्य दायित्वों पर ब्याज—

101- जमाओं पर ब्याज—

03- उ0प्र0 सार्वजनिक पुस्तकालय निधि पर

देय ब्याज—

0.01

60.61

+60.60

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 52.36 लाख सम्मिलित हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्यायधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(vii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई—

2049- ब्याज अदायगियां—

01- आन्तरिक ऋण पर ब्याज—

200- अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज—

03- रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये अल्पकालिक

ऋणों पर ब्याज—

मूल 5,00.00

34,90

2,53.87

+2,18.97

पुनर्वि0 -4,65.10

₹ 4,65.10 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गयी कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

11- मोन्टेक सिंह अहलूवालिया समिति की

संस्तुतियों के क्रम में जारी ऊर्जा बंध

पत्रों (धनराशि ₹ 5871.86 करोड़) पर

ब्याज

3,11,94.25

1,49,73.24

-1,62,21.01

03- अल्प बचतों/भविष्य निधियों आदि पर ब्याज—

104- राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज—

04- भारतीय सिविल सर्विस

भविष्य निधि पर ब्याज

20,00.00

10,25.92

-9,74.08

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्यायधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये

हैं (जून 2011)।

i thxr&

nRrer&

(viii) ₹ 1,53,04.31 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 97,08.74 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिये

प्रत्याशित की जा सकी ।

(ix) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत लघु व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"lz	dy	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
	vupku		cpr&

¼ yk[k ₹ ea ½

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

800- अन्य व्यय-

03- परियोजनाओं के संबंध में किये जाने वाले सर्वेक्षण कार्य, फीजिबिलिटी रिपोर्ट, डीपीआर आदि पर होने वाला व्यय

50,00.00	..	-50,00.00
----------	----	-----------

4075- विविध-सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

190- सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-

03- राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा सहकारी संस्थाओं के पुनर्वासन हेतु अंशपूजी विनियोजन-

मूल	5,00.00	}
पुनर्वि०	-5,00.00				

₹ 5,00.00 लाख का अभ्यर्पण विभागों से स्वीकृति हेतु परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ ।

6075- विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज-

190- सार्वजनिक / सरकारी क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-

03- राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा सहकारी संस्थाओं के पुनर्वासन हेतु अंशपूजी में विनियोजन-

मूल	40,00.00	}	7,01.37	7,01.37	..
पुनर्वि०	-32,98.63				

₹ 32,98.63 लाख का अभ्यर्पण विभागों से स्वीकृति हेतु परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ ।

'kh"lz	dy vunku	okLrfod 0; ; ½ yk[k ₹ es ½	vf/kd 0; ; \$ cpr&
800- अन्य कर्ज—			
03- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के वित्तीय पुनर्गठन के लिए ऋण सहायता—			
मूल	3,00,00.00	2,50,89.60	2,50,89.60
पुनर्वि०	-49,10.40		..
₹ 49,10.40 लाख का अभ्यर्पण विभागों से स्वीकृति हेतु परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ।			
7610- सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि—			
201- भवन निर्माण अग्रिम—			
04- भवन निर्माण या क्रय के लिए अग्रिम—			
मूल	70,00.00	68,68.77	65,11.42
पुनर्वि०	-1,31.23		+3,57.35
₹ 1,31.23 लाख का अभ्यर्पण विभागों से स्वीकृति हेतु परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ।			
05- भवन मरम्मत या विस्तार के लिये अग्रिम—			
मूल	40,00.00	36,91.31	34,20.57
पुनर्वि०	-3,08.69		-2,70.74
₹ 3,08.69 लाख का अभ्यर्पण अग्रिम से सम्बन्धित औपचारिकतायें पूरी न होने के कारण हुआ।			
202- मोटर वाहन का क्रय करने के लिये अग्रिम—			
03- राज्य कर्मचारियों को मोटर वाहन क्रय करने लिए अग्रिम—			
मूल	12,00.00	7,37.11	6,28.45
पुनर्वि०	-4,62.89		-1,08.66
₹ 4,62.89 लाख का अभ्यर्पण अग्रिम से सम्बन्धित औपचारिकतायें पूरी न होने के कारण हुआ।			

' kh"kl	dy vunku	okLrfod 0; ; ½ yk[k ₹ ea ½	vf/kd 0; ; \$ cpr&
---------	-------------	-------------------------------	-----------------------

204- कम्प्यूटरों का क्रय करने के
लिये अग्रिम—

03- राज्य कर्मचारियों को व्यक्तिगत
कम्प्यूटर क्रय हेतु अग्रिम—

मूल	1,00.00	54.30	48.20	-6.10
पुनर्वि०	-45.70			

₹ 45.70 लाख का अभ्यर्पण अग्रिम से सम्बन्धित औपचारिकतायें पूरी न होने के कारण हुआ।
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं
(जून 2011)।

(x) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:—

7610- सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि—

201- भवन निर्माण अग्रिम—

03- आखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को
भवन क्रय,निर्माण/मरम्मत या विस्तार के
लिये अग्रिम—

मूल	1,00.00	49.30	1.96.59	+1,47.29
पुनर्वि०	-50.70			

₹ 50.70 लाख का अभ्यर्पण विभागों से स्वीकृति हेतु परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ।

i Hkkfjr&

(xi) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:—

' kh"kl	dy foFu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr&
---------	-------------	--------------	-----------------------

½ yk[k ₹ ea ½

6003- राज्य सरकार का आन्तरिक
ऋण—

110- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय
अग्रिम—

03- अर्थोपाय अग्रिम का प्रतिदान—

मूल	1,00,00,00.00	7,13,88.00	7,13,88.00	..
पुनर्वि०	-92,86,12.00			

₹ 92,86,12.00 लाख का अभ्यर्पण अर्थोपाय अग्रिम के कम भुगतान के कारण हुआ।

वृत्तिका 1 अंक 62 और फोहक वरुकोकल हकर्स रफक इकुल

एक; 'क'क	द्व वृत्तिका	ओलरफोड 0; ;	वृ/कड 0; ; \$
	; क		कप्र&
	फोफु; कख		
		वृग्तक ₹ ए	

जक्तलो&

2049- ब्याज अदायगियां,

2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ एवं

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

नरर&

मूल	99,73,80,45	}	99,74,60,43	99,05,63,77	-68,96,66
पूरक	79,98				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)					
					1,30,95,69

इहकफ्र&

मूल	16,51,37	}	16,51,39	14,34,64	-2,16,75
पूरक	2				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)					
					2,63,16

इथ्र&

6075- विविध समान्य सेवाओं के लिए कर्ज

नरर&

मूल	1,50,00,00	}	1,50,00,00	1,46,52,60	-3,47,40
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)					
					3,47,40

वृल्लि.क; का, ओ वृहक; &

जक्तलो&

नरर&

- (i) ₹ 68,96.66 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 1,30,95.69 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।
- (ii) ₹ 68,96.66 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 79.98 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

इहकफ्र&

- (iii) ₹ 2,16.75 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 2,63.16 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।

(iv) ₹ 2,16.75 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 0.02 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(v) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"lz dly fofu; kx okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$ cpr&

¼ yk[k ₹ e#

2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ-

01- सिविल-

106- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन प्रभार-

03- पेंशन तथा उपादान के अंशदान-

मूल	1,50.00	}
पुनर्वि०	1,50.00	

₹ 1,50.00 लाख का अभ्यर्पण माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन के कम भुगतान के कारण हुआ।

(vi) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ :-

2049- ब्याज अदायगियां-

60- अन्य दायित्वों पर ब्याज-

701- विविध-

03- मृत्यु/सेवानिवृत्ति उपादान के देर से अदायगी के कारण ब्याज का

भुगतान .. 47.60 +47.60

वास्तविक व्यय में ₹ 30.50 लाख वर्ष 2001-02 और 2009-10 के उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित हैं।

अन्तिम व्ययाधिक्य ₹ 17.10 लाख (₹ 47.60 लाख - ₹ 30.50 लाख) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

i thxr&
nRrer&

(vii) बचत निम्न के अधीन हुई:-

'kh"z

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

¼ yk[k ₹ e

6075- विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज-

800- अन्य ऋण-

03- रूग्ण निगमों आदि को स्वैच्छिक सेवा

निवृत्ति योजना हेतु कर्ज-

मूल 1,50,00.00

1,46,52.60 1,46,52.60

..

पुनर्वि0 -3,47.40

₹ 3,47.40 लाख का समर्पण विभागो से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण किया गया ।

वृत्त 1 अंक 63 & फॉर फॉर

वर्ष 2010-11 का बजट

वर्ष 2010-11

वृत्त 1 अंक 63

वर्ष 2010-11

रुपये

₹

वृत्त

2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन

वृत्त

मूल	1,52,92,00]	1,56,53,65	1,32,48,01	-24,05,64
पूरक	3,61,65				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)					24,79,38

वृत्त

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय तथा
4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

वृत्त

मूल	8,30,08]	8,80,08	5,41,73	-3,38,35
पूरक	50,00				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)					3,18,22

वृत्त 1 अंक 63

वृत्त

वृत्त

- (i) ₹ 24,05.64 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 24,79.38 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की जा सकी ।
- (ii) ₹ 24,05.64 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 3,61.65 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः
निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

¼ yk[k ₹ ed

2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन-

095- लेखा तथा खजाना निदेशालय-

03- कोषागार निदेशालय-

मूल	3,14.42	}	2,98.63	3,00.42	+2.34
पुनर्वि०	-16.34				

₹ 16.34 लाख का समर्पण मितव्ययिता के कारण किया गया ।

097- खजाना स्थापना -

03- मुख्य -

मूल	1,28,34.46	}	1,08,06.10	1,08,93.76	+87.66
पूरक	3,61.65				
पुनर्वि०	-23,90.01				

₹ 23,90.01 लाख का समर्पण मितव्ययिता के कारण किया गया ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं
(जून 2011)।

i thxr&

nRrer&

(iv) ₹ 3,38.35 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 3,18.22 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी ।

(v) ₹ 3,38.35 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 50.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुई ।

(vi) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

03- प्रदेश के विभिन्न कोषागारों / उपकोषागारों में विविध

निर्माण / नवीनीकरण कार्य-

मूल	82.08	}	97.62	97.62	..
पूरक	50.00				
पुनर्वि०	-34.46				

₹ 34.46 लाख की कुल बचत में से, ₹ 9.46 लाख का समर्पण इलाहाबाद में अतिथिगृह / डारमेट्री के निर्माण हेतु मूल्यांकन खंड द्वारा कम अनुमान लगाये जाने के कारण हुआ। ₹ 25.00 लाख की प्रावधान में की गई कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

'kh"z

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

yk[k ₹ e

60- अन्य भवन-

051- निर्माण-

04- वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान

उत्तर प्रदेश में प्रेक्षागृह का निर्माण-

मूल	7,48.00	}	4,44.11	4,44.11	..
पुनर्वि०	-3,03.89				

₹ 3,03.89 लाख का समर्पण सम्बंधित निर्माण यूनिट द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11की अवधि में निर्माण कार्य पूरा न किये जाने के कारण हुआ ।

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

052- मशीनरी एवं उपकरण-

03- राज्य के कोषागारों/उपकोषागारों में मशीनरी

एवं उपकरण की व्यवस्था-

पुनर्वि०	20.13	20.13	..	-20.13
----------	-------	-------	----	--------

₹ 20.13 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 4.87 लाख का समर्पण नवसृजित छत्रपति साहूजी महाराज कोषागार के कम्प्यूटरीकरण के कारण किया गया। प्रावधान में ₹ 25.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

वृत्तिका 1 अ; क 65 और फोहकx 1/2स[क i jh{kk} vYi cpr vkfn½

ए; 'kh"KZ dly वृत्तिका okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

1/2gtkj ₹e½

jktLo&

- 2013- मंत्रि परिषद्,
2047- अन्य राजकोषीय सेवायें,
2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें,
2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन,
2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें,
2075- विविध-सामान्य सेवायें,
2425- सहकारिता एवं
3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें

nRrer&

मूल	1,57,43,60	}	1,58,06,60	1,43,66,36	-14,40,24
पूरक	63,00				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)					14,92,99

iwthxr&

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	2,00	}	2,00	1,91	-9
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)					9

fVli f. k; ka , oa VhdK; &

jktLo

nRrer&

(i) ₹ 14,40.24 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 14,92.99 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था ।

(ii) ₹ 14,40.24 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 63.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

		dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	
	'kh"lz				cpr&
					¼ yk[k ₹ e#
2047- अन्य राजकोषीय सेवायें-					
103- अल्प बचतों की अभिवृद्धि-					
03- राज्य अल्प बचत संगठन-					
मूल	15,48.46	14,58.91	15,02.25	+43.34	
पुनर्वि०	-89.55				
₹ 89.55 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त होने, समय से परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने, मितव्ययिता तथा स्टेशनरी की खरीदारी कम होने के कारण हुआ ।					
04- अवशेषों का भुगतान-					
मूल	2,07.18	2,04.92	1,53.22	-51.70	
पुनर्वि०	-2.26				
प्रावधान में ₹ 2.26 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।					
2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें-					
090- सेवायें-					
03- वित्त विभाग के अनुभागों का कम्प्यूटरीकरण-					
मूल	14.00	6.13	6.13	..	
पुनर्वि०	-7.87				
₹ 7.87 लाख का अभ्यर्पण उपयोग न होने कारण हुआ ।					
091- संलग्न कार्यालय-					
03- वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय-					
मूल	1,09.28	1,04.00	1,04.00	..	
पुनर्वि०	-5.28				
₹ 5.28 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने तथा मितव्ययिता के कारण हुआ ।					
04- डाइरेक्ट्रेट आफ फिस्कल प्लानिंग एण्ड रिसोर्सेज-					
मूल	11,65.95	1,66.95	1,44.29	-22.66	
पुनर्वि०	-9,99.00				
₹ 9,99.00 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ ।					

'kh"lz dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

¼ yk[k ₹ e½

05- अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो-

मूल	87.15	}	79.39	81.01	+1.62
पुनर्वि०	-7.76				

₹ 7.76 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन-

095- लेखा तथा खजाना निदेशालय-

03- आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय-

मूल	1,91.60	}	1,77.09	1,80.04	+2.95
पुनर्वि०	-14.51				

₹ 14.51 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने तथा वास्तविक भुगतान के आधार पर था।

800- अन्य व्यय-

03- पेंशन निदेशालय-

मूल	4,48.54	}	3,78.57	4,12.62	+34.05
पुनर्वि०	-69.97				

प्रावधान में ₹ 69.97 लाख की शुद्ध कमी में से, ₹ 64.98 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने, मितव्ययिता तथा कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 15.49 लाख की कमी पदों के रिक्त रहने के कारण की गई तथा प्रावधान में ₹ 10.50 लाख की वृद्धि अतिरिक्त आवश्यकता के कारण की गई।

04- अवशेषों का भुगतान-

मूल	6,52.41	}	6,79.77	6,42.32	-37.45
पूरक	24.30				
पुनर्वि०	3.06				

₹ 3.06 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर किया गया।

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें-

105- विशेष जांच आयोग-

03- राज्य आयोग और समितियां-

मूल	96.02	}	82.30	89.27	+6.97
पुनर्वि०	-13.72				

₹ 13.72 लाख की कुल बचत में से, ₹ 9.72 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 4.00 लाख की कमी मुख्यतः संविदा के आधार पर कर्मचारियों की तैनाती न किये जाने के कारण की गई।

(300)

'kh"lz

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

¼ yk[k ₹ e½

098- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा—

03- अधिष्ठान व्यय—

मूल	35,89.62	}	36,60.63	36,59.10	-1.53
पुनर्वि०	71.01				

प्रावधान में की गई ₹ 71.01 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 10.99 लाख का समर्पण वास्तविक आवश्यकता पर आधारित था तथा प्रावधान में ₹ 82.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें—

200- अन्य कारोबार उपक्रमों का विनियमन—

03- भारतीय भागिता अधिनियम,सोसाइटीज
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ० प्र०
चिट फण्ड्स अधिनियम का कार्यान्वयन—

मूल	5,41.93	}	5,40.44	5,73.27	+32.83
पुनर्वि०	-1.49				

₹ 1.49 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार किया गया।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं
(जून 2011)।

vunqu l d; k 66 & foRr foHkkx % kefgd chek%

ed; 'kh"kl	dy vunqu	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
	; k		cpr&
	fofu; ksx		

%gtkj ₹ e%

jktLo&

2049- ब्याज अदायगियां तथा

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

nRrer&

मूल	2,44,81	}	2,44,81	2,40,72	-4,09
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)					4,03

i Hkkfjr&

मूल	1,46,01,49	}	1,46,01,49	1,41,17,02	-4,84,47
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)					4,80,01

fVli f. k; ka , oa Vhck; &

jktLo&

i Hkkfjr&

(i) ₹ 4,84.47 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 4,80.01 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी ।

(ii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dy fofu; ksx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&

% yk[k ₹ e%

2049- ब्याज अदायगियां-

03- अल्प बचतों , भविष्य निधियों
आदि पर ब्याज-

108- बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज-

03- कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना
पर ब्याज-

मूल	1,46,01.48	}	1,41,21.48	1,41,17.02	-4.46
पुनर्वि०	-4,80.00				

₹ 4,80.00 लाख का समर्पण कर्मचारियों के वेतन की योजना की प्राप्ति में कमी और भुगतान के पूर्वानुमान के कारण हुआ ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011) ।

वृत्तवार्षिक 67 व वित्तवर्ष 2011-12 का सार

वृत्तवार्षिक	वृत्तवार्षिक	वित्तवर्ष 2011-12	वित्तवर्ष 2010-11
का	का	का	का
वृत्तवार्षिक	वृत्तवार्षिक	वित्तवर्ष 2011-12	वित्तवर्ष 2010-11
का	का	का	का
वृत्तवार्षिक	वृत्तवार्षिक	वित्तवर्ष 2011-12	वित्तवर्ष 2010-11
का	का	का	का

वृत्तवार्षिक

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल,

2059- लोक निर्माण कार्य एवं

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

वृत्तवार्षिक

मूल	23,78,03]	23,78,03	23,00,55	-77,48
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)					
					77,47

वृत्तवार्षिक

मूल	47,31]	47.31	29,04	-18,27
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)					
					18,27

वृत्तवार्षिक

7610- सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि

वृत्तवार्षिक

मूल	6,00]	6,00	..	-6,00
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)					
					6,00

वृत्तवार्षिक, का, वित्तवर्ष 2011-12

वृत्तवार्षिक

वृत्तवार्षिक

(i) ₹ 77.48 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 77.47 लाख ही अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित किये जा सके ।

(ii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh" kZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&

% yk[k ₹ e#

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

200- अन्य कार्यक्रम-

03- सदस्यता की अवधि के दौरान मृत विधान परिषद् सदस्यों के आश्रितों को एकमुश्त वित्तीय सहायता-

मूल 10.00

पुनर्वि0 -10.00

परिवार पेंशन की व्यवस्था के कारण प्रावधान में ₹ 10.00 लाख की कमी की गई।

(iii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान

मंडल-

02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल-

102- विधान परिषद्-

03- विधान परिषद्-

मूल 10,15.39

पुनर्वि0 -13.60

10,01.79

10,32.70

+30.91

₹ 13.60 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर तथा माननीय सदस्यों के कैबिनेट में शामिल न किये जाने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

i hkkfj r&

(iv) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh" kZ	dy fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&

% yk[k ₹ e#

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

विधान मंडल-

02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल-

102- विधान परिषद्-

03- विधान परिषद्-

मूल 47.31

पुनर्वि0 -18.27

29.04

29.04

..

₹ 18.27 लाख का अभ्यर्पण मा0 उपाध्यक्ष महोदय का पद रिक्त रहने के कारण हुआ।

vunqu I a[; k 68 & fo/kku I Hkk I fpoky;

eq[; 'kh"kZ

dyj vunqu okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

; k

cpr&

fofu; ksx

½gtkj ₹ e½

jktLo&

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

विधान मंडल,

2059- लोक निर्माण कार्य और

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

nRrer&

मूल 63,04,68

71,73,70

65,30,20

-6,43,50

पूरक 8,69,02

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

6,44,46

i Hkkfjr&

मूल 66,01

66,01

41,35

-24,66

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

23,73

i wthxr&

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,

6075- विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज और

7610- सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि

nRrer&

मूल 1,71,60

2,00,64

1,75,52

-25,12

पूरक 29,04

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

25,12

fVli f.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 6,43.50 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया

₹ 8,69.02 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

(ii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई—

'kh"KZ	dlj vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&
		¼ yk[k ₹ e#	

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल—

02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल—

101- विधान सभा—

03- विधान सभा—

मूल	40,01.26	}	42,90.27	42,89.22	-1,05
पूरक	8,66.77				
पुनर्वि०	-5,77.76				

माननीय सदस्यों द्वारा सुविधा का उपयोग न किये जाने के कारण ₹ 5,77.76 लाख का समर्पण किया गया ।

103- विधान मंडल सचिवालय—

03- विधान सभा सचिवालय—

मूल	19,29.45	}	18,85.04	18,87.05	+2.01
पूरक	2.25				
पुनर्वि०	-46.66				

₹ 46.66 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर, मितव्ययिता के कारण तथा आवश्यकता न होने के कारण किया गया ।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम—

200- अन्य कार्यक्रम—

05- सदस्यता की अवधि के दौरान मृत विधान सभा सदस्यों के आश्रितों को एकमुश्त वित्तीय सहायता—

मूल	25.00	}	5.00	5.00	..
पुनर्वि०	-20.00				

₹ 20.00 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ ।

i Hkkfj r&

(iii) ₹ 24.66 लाख की कुल बचत में से, ₹ 23.73 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित थी ।

(iv) बचत निम्न के अधीन हुई:-

'kh"KZ

dy fofu; ks okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

¼ yk[k ₹ e#

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

विधान मंडल-

02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल-

101- विधान सभा-

03- विधान सभा-

मूल

66.01

42.28

41.35

-0.93

पुनर्वि०

-23.73

₹ 23.73 लाख का अभ्यर्पण माननीय उपसभापति महोदय का पद रिक्त रहने के कारण हुआ ।

i wthxr&

nrRrer&

(v) ₹ 25.12 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए अगस्त 2010 में प्राप्त ₹ 29.04 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

(vi) बचत निम्न के अधीन हुई:-

'kh"KZ

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

¼ yk[k ₹ e#

6075- विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज -

800- अन्य कर्ज-

03- विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों

की एस जी पी जी आई में चिकित्सा सुविधा हेतु

गठित रिवाल्विंग फण्ड हेतु ब्याज रहित ऋण-

पूरक

10.00

..

..

..

पुनर्वि०

-10.00

सम्बंधित नियमों में शामिल न किये जाने के कारण ₹ 10.00 लाख का समर्पण किया गया ।

7610- सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि-

201- भवन निर्माण अग्रिम-

03- राज्य विधान सभा के सदस्यों/भूतपूर्व

सदस्यों को आवास हेतु ऋण-

मूल

6.00

..

..

..

पुनर्वि०

-6.00

₹ 6.00 लाख का अभ्यर्पण माननीय सदस्यों से मांग प्राप्त न होने के कारण हुआ ।

'kh"KZ

dly vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

¼ yk[k ₹ e#

202- मोटर वाहन का कय करने के
लिये अग्रिम-

03- राज्य विधान सभा के सदस्यों/भूतपूर्व
सदस्यों को वाहनों की खरीद के लिए ऋण-

मूल

6.00

..

..

..

पुनर्वि०

-6.00

₹ 6.00 लाख का अभ्यर्पण माननीय सदस्यों से मांग प्राप्त न होने के कारण हुआ।

वृत्तिका 1 अंक 70 & फोकस, आर्किटेक्चरल फोकस

वर्ग; 'क'क	द्वि वृत्तिका	ओलरफोड 0; ;	वर्ग/कड 0; ; \$
			कप्र&
%गतीक र एड			
जक्तलो&			
2810- नयी और नवीकृत ऊर्जा तथा			
3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
नररर&			
मूल	55,79,36	55,79,36	50,79,28
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)			1,53,63
वर्ग/कड 0; ; \$			
जक्तलो&			
नरररर&			

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

1,53,63

वर्ग/कड 0; ; \$

जक्तलो&

नरररर&

(i) ₹ 5,00.08 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 1,53.63 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(ii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

वर्ग; 'क'क	द्वि वृत्तिका	ओलरफोड 0; ;	वर्ग/कड 0; ; \$
			कप्र&
%यक [क र एड			
2810- नयी और नवीकृत ऊर्जा –			
02- सौर–			
101- सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम–			
03- विज्ञान एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत–			
मूल	26,49,59	25,07.03	22,78.25
पुनर्वि०	-1,42.56		
₹ 1,42.56 लाख का अभ्यर्पण केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण किया गया ।			-2,28.78
60- अन्य–			
800- अन्य व्यय–			
03- अवशेषों का भुगतान	79.80	..	-79.80
3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान–			
60- अन्य–			
200- अन्य वैज्ञानिक निकायों की सहायता–			
06- अवशेषों का भुगतान	37.87	..	-37.87

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011) ।

vunpku l a; k 71 & f' k{kk foHkkx %i kFkfed f' k{kk½

ed; 'kh"kl

dgj vunpku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

%gtkj ₹ e½

jktLo&

2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ,

2202- सामान्य शिक्षा तथा

2204- खेलकूद तथा युवा सेवायें

nRrer&

मूल	1,44,40,11,71]	1,44,51,16,72	1,44,76,60,99	+25,44,27
पूरक	15,05,01				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

1,50,67,25

i thxr&

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा

संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	73,97]	73,97	9,32	-64,65
पूरक	..				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

fVli f. k; ka , oa VhdK; &

jktLo&

nRrer&

(i) वास्तविक व्यय ₹ 1,44,76,60.99 लाख में वर्ष 2001-02,2002-03,2003-04,2004-05,2005-06 2006-07,2007-08,2008-09 और 2009-10 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 78,49.19 लाख की धनराशि सम्मिलित है । ₹ 53,04.92 लाख (₹ 78,49.19लाख –₹ 25,44.27 लाख) की अन्तिम बचत को देखते हुए न्याय संगत नहीं था और व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था ।

(ii) ₹ 53,04.92 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 15,05.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः : निम्न के अधीन हुई:-

'kl'kz dgy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$ cpr&

¼ yk[k ₹ e#

2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्रारम्भिक शिक्षा-

053- भवनों का अनुरक्षण-

04- प्राइमरी तथा जू0 हा0 स्कूलों के भवनों के रख रखाव हेतु

एकमुश्त प्रावधान-

मूल	5,00.00	}	..	0.71	+0.71
पुनर्वि0	5,00.00				

प्रावधान में ₹ 5,00.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

14- सहायता प्राप्त उ0मा0

विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी

प्रभाग को सहायक अनुदान-

मूल	47,61.35	}	45,86.51	34,45.02	-11,41.49
पुनर्वि0	-1,74.84				

₹ 1,74.84 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ ।

24- सामान्य वर्ग के बालकों

को निःशुल्क पाठ्य

पुस्तकों का वितरण -

मूल	20,04.00	}	27,53.30	27,79.64	+26.34
पूरक	11,05.00				
पुनर्वि0	-3,55.70				

₹ 3,55.70 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ ।

27- सामान्य वर्ग के 6 कक्षा 8 से

तक के बालकों को निःशुल्क

पाठ्य पुस्तकों का वितरण -

मूल	16,88.00	}	16,60.90	16,70.44	+9.54
पुनर्वि0	-27.10				

₹ 27.10 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ ।

31- कम्प्यूटरों की निःशुल्क शिक्षा-

पूरक	4,00.00	4,00.00	..	-4,00.00
------	---------	---------	----	----------

'kh"kZ	clg vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr&
% yk[k ₹ e#				
111- सर्व शिक्षा अभियान—				
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना—				
मूल	14,60,00.00	10,95,00.00	10,95,00.00	..
पुनर्वि०	-3,65,00.00			
प्रावधान में ₹ 3,65,00.00 लाख कमी सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में की गई ।				
112- विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम —				
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—				
मूल	18,66,00.00	13,12,00.00	12,44,00.63	-67,99.37
पुनर्वि०	-5.54,00.00			
प्रावधान में ₹ 5,54,00.00 लाख की कमी छात्रों की संख्या कम होने, योजना का संचालन कम अवधि तक किये जाने एवं किचेन शेड की कम आवश्यकता होने के कारण की गई ।				
800- अन्य व्यय—				
04- अवशेषों का भुगतान—				
मूल	12,91,14.47	9,76,99.88	10,18,63.04	+41,63.16
पुनर्वि०	-3,14,14.59			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 3,14,14.59 लाख की कुल कमी में से ₹ 3,07,00.00 लाख की कमी उच्चाधिकारियों द्वारा लिये गये निर्णय के फलस्वरूप तथा वित्तीय स्वीकृति जारी न किये जाने के कारण की गई । ₹ 7,14.59 लाख के समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं । उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।				
80- सामान्य—				
800- अन्य व्यय—				
06- परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों एवं विद्यालयों की डिजिटल फोटोग्राफी—				
मूल	2,00.00
पुनर्वि०	-2,00.00			
₹ 2,00.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।				

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"KZ

dly vupku okLrfod 0 ;

vf/kd 0 ; ; \$
cpr&

¼ yk[k ₹ e#

2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ-

01- सिविल-

109- राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं
के कर्मचारियों को पेंशन-

03- पेंशन आदि का भुगतान-

मूल 20,13,00.00

19,73,21.59

21,24,48.40

+1,51,26.81

पुनर्वि० -39,78.41

प्रावधान में ₹ 39,78.41 लाख की कुल कमी में से ₹ 30,00.00 लाख की कमी नकदीकरण के सम्बंध में उच्चाधिकारियों द्वारा लिये गये निर्णय के फलस्वरूप तथा वित्तीय स्वीकृति निर्गत न किये जाने के कारण की गई। ₹ 7,98.41 लाख का समर्पण बकाया के देयकों के देरी से प्राप्त होने के कारण हुआ ।

(जून 2011)।

2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्रारम्भिक शिक्षा-

001- निदेशन तथा प्रशासन -

03- निदेशालय अधिष्ठान-

मूल 24,27.15

पूरक 0.01

26,33.09

26,78.76

+45.67

पुनर्वि० 2,05.93

वास्तविक व्यय में ₹ 6.35 लाख वर्ष 2001-02,2002-03,2004-05,2008-09 और 2009-10 के उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है ।

प्रावधान में ₹ 2,05.93 लाख की शुद्ध वृद्धि में से प्रावधान में से ₹ 3,65.24 लाख की वृद्धि देयताओं के कारण की गई तथा ₹ 1,59.31 लाख का समर्पण जिलों द्वारा समर्पण के कारण हुआ ।

102- अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों
को सहायता-

05- मा० कांशीराम जी शहरी समग्र

विकास योजना

0.01

2,08.86

+2,08.85

वास्तविक व्यय में ₹ 2,06.48 लाख वर्ष 2001-02 एवं 2008-09 के उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित हैं ।

'kh"KZ

dgy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

¼ yk[k ₹ e#

07- बे० शि० परिषद के मुख्यालयों/क्षेत्रीय
कार्यालयों तथा प्रा० विद्यालयों और सहायता
प्राप्त जू० हा० वि० एवं के० जी०/नर्सरी
विद्यालयों को सहायता—

मूल	75,10,35.10	}	79,33,67.30	80,30,66.34	+96,99.04
पुनर्वि०	4,23,32.20				

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,23,32.20 लाख की वृद्धि में से ₹ 5,54,00.00 लाख की वृद्धि
वेतन आदि के भुगतान के कारण की गई। ₹ 11,47.23 लाख का समर्पण मांग न होने एवं
जिलों से समर्पण के कारण किया गया ।

10- उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर

शिक्षा	0.01	7,99.72	+7,99.71
--------	------	---------	----------

वास्तविक व्यय में ₹ 7,99.71 लाख वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 के उचन्त लेखे के समाशोधन
के सम्मिलित हैं ।

15- गैर सरकारी मा० विद्यालयों से संबद्ध
प्राइमरी कक्षाओं हेतु सहायक अनुदान
(बालक)–

मूल	54,00.22	}	52,61.53	62,89.16	+10,27.63
पुनर्वि०	-1,38.69				

वास्तविक व्यय में ₹ 7.99 लाख वर्ष 2001-02,2002-03,2007-08 और 2008-09 के उचन्त लेखे
के समाशोधन के सम्मिलित हैं ।

₹ 1,38.69 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ ।

23- शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान
(जिला योजना)–

मूल	40,00.01	}	51,43.00	50,81.17	-61.83
पुनर्वि०	11,42.99				

वास्तविक व्यय में ₹ 21.03 लाख वर्ष 2006-07,2008-09 और 2009-10 के उचन्त लेखे
के समाशोधन के सम्मिलित हैं ।

प्रावधान में ₹ 11,42.99 लाख की शुद्ध वृद्धि में से प्रावधान में ₹ 11,59.99 लाख की वृद्धि
शिक्षामित्रों को मानदेय के भुगतान के कारण तथा ₹ 17.00 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने
के कारण हुआ ।

'kh"KZ dgy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

¼ yk[k ₹ e#

104- निरीक्षण –

03- क्षेत्रीय निरीक्षण कर्मचारी वर्ग (पुरुष)–

मूल	54,13.17	}	52,80.63	55,83.33	+3,02.70
पुनर्वि०	-1,32.54				

वास्तविक व्यय में ₹ 59.86 लाख वर्ष 2001-02,2002-03,2003-04,2005-06, 2008-09 और 2009-10 के उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित हैं ।

₹ 1.32.54 लाख की बचत में से ₹ 3,72.54 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं तथा प्रावधान में ₹ 2,40.00 लाख की वृद्धि देयताओं के कारण की गई ।

109- छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन–

04- प्रत्येक जिले में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पन्द्रह रुपये प्रतिमाह की दर से 3 वर्ष के लिये योग्यता

छात्रवृत्ति (जिला योजना)–

मूल	40.00	}	..	44.70	+44.70
पुनर्वि०	-40.00				

वास्तविक व्यय में ₹ 0.28 लाख वर्ष 2001-02 और 2009-10 के उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित हैं ।

₹ 40.00 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ ।

800- अन्य व्यय–

03- गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की सामूहिक बीमा योजना में राज्य सरकार का अंशदान

43.78	36,16.06	+35,72.28
-------	----------	-----------

06- प्राथमिक विद्यालयों में बालचर (स्काउटिंग) कार्यक्रमों हेतु अनुदान–

मूल	3.00	}	2.21	14,82.06	+14,79.85
पुनर्वि०	-0.79				

07- 13 वें वित्तआयोग की संस्तुतियों

हेतु अनुदान–

पुनर्वि०	7,02,00.00	7,02,00.00	5,96,46.42	-1,05,53.58
----------	------------	------------	------------	-------------

प्रावधान में ₹ 7,02,00.00 लाख की वृद्धि वेतन आदि के भुगतान के कारण हुई ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

i wthxr&
nRrer&

(v) वास्तविक व्यय ₹ 9.32 लाख वर्ष 2009-10 के उचन्त लेखे के समाशोधन से सम्बंधित हैं।

₹ 73.97 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान इस शीर्ष के अन्तर्गत अप्रयुक्त था और कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vi) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl

dg y vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

¼ yk[k ₹ e#

4202- शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति
पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सामान्य शिक्षा-

201- प्रारम्भिक शिक्षा-

03- जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों
के कार्यालय भवनों का निर्माण
(जिला योजना)

73.95

..

73.95

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(vii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति
पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सामान्य शिक्षा-

201- प्रारम्भिक शिक्षा-

04- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में
हैण्डपम्प लगाने, विद्युतीकरण, चहारदीवारी
व शौचालय के निर्माण हेतु

अनुदान

0.01

9.32

+9.31

वास्तविक व्यय वर्ष 2009-10 के उचन्त लेखे के समाशोधन से सम्बंधित हैं।

vupku l a ; k 72 & f'k{kk foHkkx %ek/; fed f'k{kk½

eq; 'kh"KZ	dy vupku ; k fofu; ksx	okLrfod 0; ; ; k	vf/kd 0; ; \$ cpr&
<i>%gtkj ₹ e#</i>			
jktLo&			
2013- मंत्रि परिषद,			
2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ,			
2202- सामान्य शिक्षा,			
2204- खेलकूद तथा युवा सेवायें तथा			
2205- कला एवं संस्कृति			
nRrer&			
मूल	63,02,81,80		
पूरक	2,41,11,84		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)		65,43,93,64	57,58,09,34
			-7,85,84,30
			8,34,21,91
i Hkkfjr&			
मूल	2,70		
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)		2,70	..
			-2,70
			2,70
i wthxr&			
4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
nRrer&			
मूल	37,51,93		
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)		37,51,93	38,68,57
			+1,16,64
			3,75,35

fVl i f. k; ka , oa VhdK; &

jktLo&

nRrer&

- (i) वास्तविक व्यय ₹ 57,58,09.34 लाख में वर्ष 2001-02,2002-03,2003-04,2004-05,2005-06, 2006-07,2007-08 2008-09 और 2009-10 के उच्चतम समाशोधन के ₹ 44,54.06 लाख सम्मिलित हैं। अन्तिम बचत ₹ 8,30,38.36 लाख (₹ 7,85,84.30 लाख + ₹ 44,54.60 लाख) में से ₹ 8,34,21.91 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।
- (ii) ₹ 8,30,38.36 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 2,41,11.84 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl dty vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$ cpr&

¼ yk[k ₹ e#

2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ-

01- सिविल-

109- राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थओं के कर्मचारियों का पेंशन-

03- सैनिक स्कूल लखनऊ के कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान

1,00.00 12.12 -87.88

2202- सामान्य शिक्षा-

02- माध्यमिक शिक्षा-

101- निदेशन तथा प्रशासन-

05- व्यावसायिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत शिक्षा निदेशालय में व्यावसायिक प्रकोष्ठ की स्थापना-

मूल	20.99	}	..	11.84	+11.84
पूरक	-20.99				

₹ 20.99 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये है ।

11- ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक स्तर (कक्षा 9-10) के प्रतिभावान छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां-

मूल	24.00	}	4.73	4.60	-0.13
पुनर्वि०	-19.27				

₹ 19.27 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ ।

13- हाई स्कूल और इन्टर की छात्र वृत्तियों की दरों में वृद्धि-

मूल	40.00	}	10.10	10.07	-0.03
पुनर्वि०	-29.90				

₹ 29.90 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ ।

'kh"lz

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

¼ yk[k ₹ e#

14- मा0 शिक्षा परिषद की हाई स्कूल तथा
इण्टर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त
करने वाले परीक्षार्थियों को विशेष
शैक्षिक सुविधायें-

मूल	6.96	}			
पुनर्वि0	-6.96				

₹ 6.96 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ ।

18- प्रदेश के मैदानी जिले में कक्षा 6-8 में
15 रुपये प्रतिमास की दर से 3 वर्ष के
लिये योग्यता छात्रवृत्ति-

मूल	45.00	}			
पुनर्वि0	-45.00				

₹ 45.00 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ ।

109- राजकीय माध्यमिक विद्यालय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा
पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	10,77.00	}			
पुनर्वि0	-3,60.89				

₹ 3,60.89 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ ।

03- बालक एवं बालिका-

मूल	4,08,48.1	}			
पुनर्वि0	-32,37.74				

वास्तविक व्यय में ₹ 1,17.79 लाख वर्ष 2001-02,2002-03,2003-04,2004-05,2006-07,
2008-09 और 2009-10 के उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित हैं । प्रावधान में ₹ 32,37.74
लाख की शुद्ध कमी में से ₹ 38,15.72 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।
प्रावधान प्रावधान में ₹ 5,77.98 लाख की वृद्धि माननीय उच्चन्यायालय के आदेशों के अनुपालन के
कारण हुई ।

7,16.11

7,16.78

+0.68

3,76,10.36

3,77,49.00

+1,38.64

'kh"lz

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

¼ yk[k ₹ e#

04- सन्त रविदास नगर एवं अम्बेडकर

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,

हरेवली, बिजनौर का प्रान्तीयकरण-

मूल 97.62

59.97

60.76

+0.79

पुनर्वि० -37.65

₹ 37.65 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

06- राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों

में अतिरिक्त अनुभागों का खोला जाना

तथा नये विषयों का समावेश

(जिला योजना)-

मूल 53.99

26.18

27.60

+1.42

पुनर्वि० -27.81

₹ 27.81 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

08- राजकीय हाईस्कूलों का इंटर

स्तर तक उच्चीकरण (जिला योजना)-

मूल 70,45.31

33,16.55

32,21.18

-95.37

पुनर्वि० -37,28.76

₹ 37,28.76 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

26- असेवित क्षेत्रों में ब्लाक स्तर पर राजकीय

हाईस्कूल (बालक/बालिका)की स्थापना

तथा राजकीय कन्या जू० हाई स्कूल

(बालक/बालिका)का हाईस्कूल स्तर

पर उच्चीकरण (जिला योजना)-

मूल 94.62

46.77

43.24

-3.53

पुनर्वि० -47.85

₹ 47.85 लाख अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

'kh"lz

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

¼ yk[k ₹ e#

110- गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों
को सहायता-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा
पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	43.49	}	2,40,94.63	38,86.53	-2,02,08.10
पूरक	2,06,11.83				
पुनर्वि०	-8,66.20				

₹ 8,66.20 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ ।

03- गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों
को सहायक अनुदान (बालक)-

मूल	43,38,45.98	}	34,70,80.52	37,09,94.06	+2,39,53.14
पूरक	-8,67,65.46				

वास्तविक व्यय में ₹ 34,05.88 लाख वर्ष 2002-03,2003-04,2004-05,2005-06,2006-07,2008-09 और 2009-10 के उच्चत लेखे के समाशोधन के सम्मिलित हैं। प्रावधान में ₹ 8,67,65.46 लाख की कुल कमी में से ₹ 6,66,42.14 लाख के समर्पण एवं प्रावधान में ₹ 1,23.32 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं । ₹ 2,00,00.00 लाख की कमी मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुई ।

04- ग्रामीण क्षेत्रों में बालको से

सहायता प्राप्त उ०मा० विद्यालयों
में पढ़ रही बालिकाओं के लिये
विशेष सुविधा हेतु अनावर्तक अनुदान
(जिला योजना)-

मूल	42.00	}	25.80	24.60	-1.20
पुनर्वि०	-16.20				

₹ 16.20 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये है ।

05- सहायता प्राप्त उच्चतर

माध्यमिक विद्यालयों के
शिक्षकों का शैक्षिक भ्रमण-

मूल	5.00	}	..	6.82	+6.82
पुनर्वि०	-5.00				

₹ 5.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये है ।

'kh"lz

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

¼ yk[k ₹ e#

06- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण— मूल	20,00.00				
पुनर्वि०	-20,00.00				
₹ 14,22.02 लाख के अभ्यर्पण एवं ₹ 5,77.98 लाख की प्रावधान में कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।					
08- अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विषय विशेषज्ञों को मानदेय के भुगतान हेतु व्यवस्था (जिला योजना)— मूल	50.00				
पूरक	-50.00				
₹ 50.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये है ।					
800- अन्य व्यय—					
06- व्यावसायिक शिक्षा के पाठकर्मों के अध्यापन हेतु अतिथि विषय विशेषज्ञों को मानदेय— मूल	10,00.00				
पूरक	35,00.00	45,00.00	42,97.74		-2,02.26
20- अवशेषों का भुगतान— मूल	6,89,98.27				
पुनर्वि०	-42,16.82	6,47,81.45	6,33,36.65		-14,44.80
₹ 42,16.82 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।					
2204- खेल कूद तथा युवा सेवार्ये—					
102- विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम—					
04- राष्ट्रीय सेना छात्र दल— मूल	49,07.82				
पुनर्वि०	-5,34.15	43,73.67	43,44.40		-29.27
₹ 5,34.15 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।					

'kh"lz dty vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$ cpr&

¼ yk[k ₹ e#

104- अध्यापक तथा अन्य सेवार्ये-

04- माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन

बोर्ड की स्थापना-

मूल	0.01	}	..	49.35	+49.35
पुनर्वि०	-0.01				

वास्तविक व्यय में ₹ 1,01.43 लाख वर्ष 2001-02 और 2003-04 उचन्त लेखे के समाशोधन से सम्बंधित है।

108- परीक्षाएं-

03- माध्यमिक शिक्षा परिषद्-

मूल	1,09,58.58	}	1,07,93.89	1,19,28.10	+11,34.21
पुनर्वि०	-1,64.69				

वास्तविक व्यय में ₹ 39.99 लाख वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2005-06, 2006-07 2008-09 और 2009-10 के उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित हैं।

प्रावधान में ₹ 10.50 लाख की कमी एवं ₹ 1,54.19 लाख के समर्पण के कारण सूचित नहीं किये हैं।

04- माध्यमिक शिक्षा परिषद्

के क्षेत्रीय कार्यालय-

मूल	24,71.36	}	22,65.14	24,88.41	+2,23.27
पुनर्वि०	-2,06.22				

वास्तविक में ₹ 2,29.45 लाख वर्ष 2001-02, 2003-04, 2006-07 और 2009-10 के उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित हैं।

₹ 2,06.22 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

800- अन्य व्यय-

03- गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों

में सामूहिक बीमा योजना हेतु

राज्य सरकार का अंशदान	23.76	1,80.84	+1,57.08
-----------------------	-------	---------	----------

07- बिड़ला विद्या मन्दिर

नैनीताल को अनुदान-

मूल	0.01	}	..	8,54.83	+8,54.83
पुनर्वि०	-0.01				

(vi) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

¼ yk[k ₹ e#

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा
संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सामान्य शिक्षा-

202- माध्यमिक शिक्षा-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित
योजनायें-

मूल	2,00.00	}			
पुनर्वि०	-2,00.00		

₹ 2,00.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

06- जिला स्तर पर शिक्षा कार्यालय तथा
आवासीय भवनों का निर्माण (जिला योजना)-

मूल	1,37.80	}			
पुनर्वि०	-94.80			43.00	43.00

₹ 94.80 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

(vii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा
संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सामान्य शिक्षा-

202- माध्यमिक शिक्षा-

05- राजकीय उ०मा० विद्यालयों का भवन निर्माण, विस्तार
विद्युतीकरण एवं भूमि/भवन क्रय (जिला योजना)-

मूल	30,00.00	}			
पुनर्वि०	-60.83			29,39.17	34,21.17

वास्तविक व्यय में ₹ 12,02.00 लाख वर्ष 2008-09 के उच्चत लेखे के समाशोधन के सम्मिलित हैं ।

₹ 60.83 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

वृत्तिका I अ; क 73 & फ'क{kk foHkkx ¼mPp f' k{kk½

ef; 'kh"z		dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	
		; k		cpr&	
		fofu; ksx			
			¼gtkj ₹ e#		
jktLo&					
2013- मंत्रि परिषद,					
2202- सामान्य शिक्षा तथा					
2204- खेलकूद तथा युवा सेवायें					
nRrer&					
मूल	18,71,25,06]	18,96,25,06	13,24,35,57	-5,71,89,49
पूरक	25,00,00				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)					5,83,73,05
i Hkkfj r&					
मूल	1,00]	1,00	..	-1,00
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि					..
i thxr&					
4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा					
संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय					
nRrer&					
मूल	76,01,02]	2,53,71,02	2,26,44,43	-27,26,59
पूरक	1,77,70,00				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)					28,71,48
fVli f. k; ka , oa Vhdk; &					
jktLo&					
nRrer&					

- (i) वास्तविक व्यय में ₹ 14,60.55 लाख के वर्ष 2001-02,2002-03,2003-04,2004-05,2005-06, 2006-07,2007-08,2008-09 और 2009-10 के उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित हैं। अन्तिम बचत ₹ 5,86,50.04 लाख (₹ 5,71,89.49 लाख + ₹ 14,60.55 लाख) में से ₹ 5,83,73.05 लाख ही अभ्यर्पित किये जा सके।
- (ii) ₹ 5,86,50.04 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 25,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&
lyk[k ₹ est

2202- सामान्य शिक्षा-

03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-

102- विश्वविद्यालयों को सहायता-

06- विश्वविद्यालयों में आन लाइन शिक्षा संचालन-

मूल	4,00.00	}	3,96.92	..	-3,96.92
पुनर्वि०	-3.08				

₹ 3.08 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

07- विश्वविद्यालयों में एकेडमिक

स्टाफ कालेज के माध्यम

से प्रशिक्षण कार्यक्रम-

मूल	3,00.00	}	1,50.68	43.80	-1,06.88
पुनर्वि०	-1,49.32				

₹ 1,49.32 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

23- इन्टरनल क्वालटी एश्योरेन्स

सेल एवं उत्तर प्रदेश राज्य

उच्च शिक्षा परिषद् में मानीटरिंग

सेल की स्थापना-

मूल	50.00	}
पुनर्वि०	-50.00				

₹ 50.00 लाख के अभ्यर्पण पिछले वर्ष के दौरान व्यय न होने के कारण हुआ।

32- इन्टर यूनिवर्सिटी यूथ

फेस्टिवल हेतु अनुदान

10.00 5.00 -5.00

40- राज्य विश्वविद्यालयों की आर्थिक

कठिनाइयोंके निराकरण हेतु

अतिरिक्त अनुरक्षण अनुदान-

मूल	3,52.49	}	3,52.48	2,88.93	-63.55
पुनर्वि०	-0.01				

₹ 0.01 लाख का अभ्यर्पण पिछले वर्ष के दौरान व्यय न होने के कारण हुआ।

'kh"kl

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

1/yk[k ₹ est

42- सम्मपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
में उपलब्ध हस्तलिखित पाण्डुलिपियों
के प्रकाशन हेतु अनुदान—

मूल	1,00.00	}
पुनर्वि०	-1,00.00				

₹ 1,00.00 लाख का अभ्यर्पण विश्वविद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ ।

48- इम्प्लायमेन्ट ब्यूरो/गाइडेंस सेल/
प्लेसमेन्ट सेल की स्थापना—

मूल	3,00.00	}	1,82.26	1,65.59	-16.67
पुनर्वि०	-1,17.74				

₹ 1,17.74 लाख का अभ्यर्पण विश्वविद्यालय से समुचित प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ ।

49- सेण्टर फार एक्सीलेंस की स्थापना —

मूल	7,50.00	}	5,58.79	5,43.79	-15.00
पुनर्वि०	-1,91.21				

₹ 1,91.21 लाख का अभ्यर्पण विश्वविद्यालय से समुचित प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ ।

50- राज्य विश्वविद्यालयों हेतु

ब्लॉक ग्रांट में वृद्धि—

पूरक	25,00.00	}
पुनर्वि०	-25,00.00				

₹ 25,00.00 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति निर्गत न होने के कारण हुआ ।

103- राजकीय कालेज तथा संस्थान—

06- राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना —

मूल	7,84.17	}	5,37.47	5,38.56	-1.09
पुनर्वि०	-2,46.70				

₹ 2,46.70 लाख की प्रत्याशित बचत में से प्रावधान में ₹ 1,86.70 लाख की कमी तथा ₹ 60.00 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त होने तथा आवश्यकता न होने के कारण हुआ ।

' kh"kl

dly vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

lyk[k ₹ e#

800- अन्य व्यय—

05- अवशेषों का भुगतान—

मूल	8,00,69.83] 2,48,43.28	1,74,48.44	-73,94.84
पुनर्वि०	-5,52,26.55			

₹ 5,52,26.55 लाख की प्रत्याशित बचत में से प्रावधान में ₹ 15,43,42.95 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ तथा ₹ 8,83.60 लाख की कमी वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव न प्राप्त होने के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:—

2202- सामान्य शिक्षा—

03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा—

001- निदेशन तथा प्रशासन—

03- उच्च शिक्षा निदेशालय—

मूल	4,53.12] 4,70.29	4,77.09	+6.80
पुनर्वि०	17.17			

प्रावधान में ₹ 17.17 लाख की शुद्ध वृद्धि में से ₹ 27.00 लाख की वृद्धि ए सी पी के बकाये एवं वेतन, आदि के भुगतान के कारण हुई तथा ₹ 9.83 लाख का समर्पण मुख्यतः विद्युत एवं टेलीफोन के बिलों के न मिलने,स्टाक द्वारा रियायती यात्रा सुविधा का उपयोग न किये जाने तथा शासन के निर्देशानुसार चिकित्सा व्यय मद को वेतन आदि में शामिल किये जाने के कारण हुआ।

04- उच्च शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय,

लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, बरेली,

वाराणसी, झाँसी, आगरा और मेरठ—

मूल	2,18.87] 2,33.94	2,24.90	-9.04
पुनर्वि०	15.07			

₹ 15.07 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 9.93 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ तथा प्रावधान में ₹ 25.00 लाख की वृद्धि छठे वेतन आयोग के लागू किये जाने के कारण वेतन में वृद्धि के परिणामस्वरूप की गई।

102- विश्वविद्यालयों को सहायता—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	0.02] ..	3,96.92	+3,96.92
पुनर्वि०	-0.02			

₹ 0.02 लाख की सांकेतिक अनुदान अभ्यर्पित की गई थी।

'kh"kl

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

lyk[k ₹ est

04- लखनऊ विश्वविद्यालय-

मूल	17,10.04]	16,14.41	33,74.92	+17,60.51
पुनर्वि०	-95.63				

प्रावधान में ₹ 95.63 लाख की कुल कमी में से ₹ 0.01 लाख का समर्पण सांकेतिक अनुदान के कारण किया गया तथा ₹ 95.62 लाख के समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

08- गोरखपुर विश्वविद्यालय-

मूल	10,16.92]	9,60.05	11,50.00	+1,89.95
पुनर्वि०	-56.87				

₹ 56.87 लाख के कुल अभ्यर्पण में से ₹ 0.01 लाख का अभ्यर्पण सांकेतिक अनुदान के कारण किया गया तथा ₹ 56.86 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

09- सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय-

मूल	5,34.39]	5,04.50	10,47.17	+5,42.67
पुनर्वि०	-29.89				

₹ 29.89 लाख के कुल अभ्यर्पण में से ₹ 0.01 लाख का अभ्यर्पण सांकेतिक अनुदान के कारण किया गया तथा ₹ 29.88 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

11- चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय-

मूल	3,23.09]	3,05.01	5,21.92	+2,16.91
पुनर्वि०	-18.08				

₹ 18.08 लाख के कुल अभ्यर्पण में से ₹ 0.01 लाख का अभ्यर्पण सांकेतिक अनुदान के कारण किया गया तथा प्रावधान में ₹ 18.07 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

12- काशी विद्यापीठ-

मूल	4,16.50]	3,93.20	14,75.63	+10,82.43
पुनर्वि०	-23.30				

₹ 23.30 लाख के कुल अभ्यर्पण में से ₹ 0.01 लाख का अभ्यर्पण सांकेतिक अनुदान के कारण था तथा ₹ 23.29 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

'kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$ cpr&

lyk[k ₹ e

13- जनपद लखनऊ में अरबी-फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना -					
मूल	0.01]	..	1,00.14	+1,00.14
पुनर्वि०	-0.01				
₹ 0.01 लाख की सांकेतिक अनुदान अभ्यर्पित की गयी ।					
20- लखनऊ विश्वविद्यालय को कला एवं शिल्प महाविद्यालय हेतु अनुदान-					
मूल	1,05.06]	1,05.05	1,25.58	+20.53
पुनर्वि०	-0.01				
₹ 0.01 लाख की सांकेतिक अनुदान अभ्यर्पित की गयी ।					
37- राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना-					
मूल	1,04.41]	76.26	1,09.41	+33.15
पुनर्वि०	-28.15				

₹ 28.15 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

103- राजकीय कालेज तथा संस्थान-

03- राजकीय उपाधि महाविद्यालय -					
मूल	1,10,91.07]	1,17,19.05	1,20,38.41	+3,19.46
पुनर्वि०	6,27.98				

प्रावधान में ₹ 6,27.98 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 8,71.00 लाख की वृद्धि मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि होने, कर्मचारियों को ए सी पी स्वीकृत किये जाने और अवशेष का भुगतान तथा चिकित्सीकीय दावे के कारण हुआ । प्रावधान में ₹ 52.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर की गयी और ₹ 1,91.02d का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने कारण हुआ ।

' kh"kl

dly vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

lyk[k ₹ e

04- राजकीय महाविद्यालयों का

सुदृढीकरण एवं उन्नयन तथा

नये संकायों एवं विषयों का समावेश—

मूल 4,46.34

5,01.59

4,88.64

-12.95

पुनर्वि० 55.25

₹ 55.25 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 60.00 लाख की वृद्धि अतिरिक्त अध्यापकों आदि का पद भरे होने और कम बजट प्रावधान के कारण हुआ । ₹ 4.75 लाख के अभ्यर्पण के कोई विशेष कारण नहीं दिये गये हैं ।

104- अराजकीय कालेजों और

संस्थानों को सहायता—

03- गैर सरकारी महाविद्यालयों को

सहायता (पुरुष—महिलायें)—

मूल 8,40,57.66

8,39,23.47

8,81,63.24

+42,39.77

पुनर्वि० -1,34.19

₹ 1,34.19 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

05- पंचशील डिग्री कालेज आगरा—

मूल 99.00

..

2,15.63

+2,15.63

पुनर्वि० -99.00

₹ 99.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

06- प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों

में सेमिनार तथा सिम्पोजियम—

मूल 16.50

14.90

25.90

+11.00

पुनर्वि० -1.60

₹ 1.60 लाख का अभ्यर्पण कुछ स्नातक महाविद्यालयों द्वारा सेमिनार आयोजित न करने के कारण हुआ ।

800- अन्य व्यय—

03- उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा

सेवा आयोग को अनुदान

35.00

57.28

+22.28

' kh"kl

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

lyk[k ₹ e

2204- खेलकूद तथा युवा सेवायें-

102- विद्यार्थियों के लिये युवा कल्याण कार्यक्रम-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	6,49.77	}	6,54.57	6,92.57	+38.00
पुनर्वि०	4.80				

₹ 4.80 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 12.60 लाख की वृद्धि कर्मचारियों को ए सी पी स्वीकृत किये जाने, वेतन आयोग के बकाये के भुगतान किये जाने एवं पदों के भरे होने के कारण हुआ।

₹ 7.80 लाख के समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

i thxr&

nRrer&

(v) ₹ 27,26.59 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये , अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया

₹ 1,77,70.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन हुई:-

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सामान्य शिक्षा-

203- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा-

04- नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना-

मूल	5,00.00	}	2,80.40	1,86.88	-93.52
पुनर्वि०	-2,19.60				

₹ 2,19.60 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी सरकारी महाविद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव परिपक्व न होने के कारण हुआ।

06- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी

कार्यालय हेतु भूमि क्रय/भवन निर्माण 1,00.00 .. -1,00.00

09- राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का

निर्माण, विस्तार एवं विद्युतीकरण-

मूल	5,00.00	}	4,28.09	4,28.09	..
पुनर्वि०	-71.91				

₹ 71.91 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl

dly vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

lyk[k ₹ e#

15- राजकीय महाविद्यालयों में

आधारभूत सुविधाओं हेतु व्यवस्था—

मूल 4,00.00]

पुनर्वि० -4,00.00]

₹ 4,00.00 लाख की कुल कमी में से, ₹ 3,00.00 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति निर्गत न होने के कारण और प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की कमी प्रस्ताव परिपक्व न होने के कारण हुई ।

16- राज्य विश्वविद्यालयों को चालू

भवन निर्माण एवं अन्य विकास

कार्यों हेतु अनुदान—

मूल 5,00.00]

पुनर्वि० -5,00.00]

₹ 5,00.00 लाख की कुल कमी में से, ₹ 3,00.00 लाख की कमी प्रस्ताव उपलब्ध न होने के कारण की गई और ₹ 2,00.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

18- डा०राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय

विधि संस्थान, लखनऊ—

मूल 0.01]

पूरक 27,70.00]

पुनर्वि० -13,70.01]

14,00.00 14,00.00

₹ 13,70.01 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

19- राज्य विश्वविद्यालयों में मूलभूत

सुविधाओं का विस्तार —

मूल 12,00.00]

पुनर्वि० -5,91.86]

6,08.14 4,98.14

-1,10.00

₹ 5,91.86 लाख का अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

21- अशासकीय महाविद्यालयों में

आधारभूत सुविधाओं का विस्तार—

मूल 5,00.00]

पुनर्वि० -5,00.00]

प्रावधान में ₹ 5,00.00 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई ।

' kh"kl

dly vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

lyk[k ₹ e#

22- राज्य विश्वविद्यालयों को
प्रोत्साहन अनुदान—

मूल	3,00.00	}			
पुनर्वि०	-3,00.00		

₹ 3,00.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं
(जून 2011)।

(vii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा
संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय—

01- सामान्य शिक्षा—

203- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा—

05- कतिपय राजकीय महाविद्यालयों के
निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किया जाना—

मूल	15,00.00	}	25,20.60	28,99.02	+3,78.42
पुनर्वि०	10,20.60				

प्रावधान में ₹ 10,20.60 लाख की वृद्धि कम बजट के कारण हुई ।

20- प्रदेश में निजी प्रबंध तंत्रों/

संस्थाओं द्वारा असेवित क्षेत्रों में
महाविद्यालय खोलने हेतु अनुदान—

मूल	10,00.00	}	9,70.00	10,40.00	+70.00
पुनर्वि०	-30.00				

₹ 30.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

24- पंचशील डिग्री कालेज, आगरा—

मूल	1.00	}	1,00.00	1,00.00	..
पुनर्वि०	99.00				

प्रावधान में ₹ 99.00 लाख की वृद्धि निधि की आवश्यकता के कारण हुई ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011) ।

vunpku I a[; k 75 &f' k{k k foHkkx %j kT; 'k{k d vud d'kku , oa i f' k{k.k i f' "kn½

ef[; 'kh"kZ dny vunpku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$ cpr&

%gtkj ₹ e½

jktLo&

2202- सामान्य शिक्षा

nRrer&

मूल 98,17,48

98,17,48

83,74,94

-14,42,54

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च, 2011)

1,04,77

i thxr&

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा
संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल 10,04

10,04

21,70

+11,66

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

fVli f.k; ka , oa Vhd;k; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 14,42.54 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 1,04.77 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी ।

(ii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kZ

dny vunpku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

% yk[k ₹ e½

2202- सामान्य शिक्षा-

80- सामान्य-

003- प्रशिक्षण-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें-

67,74.49

56,37.76

-11,36.73

'kh"lz

dly vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

¼ yk[k ₹ e#

800- अन्य व्यय-

05- राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान,

उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्मिकों

के वेतनादि एवं अन्य मदों हेतु

व्यवस्था-

मूल 2,54.93

1,96.50

1,96.50

..

पुनर्वि० -58.43

₹ 58.43 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

06- अवशेषों का भुगतान-

मूल 13,29.51

12,28.08

10,24.98

-2,03.10

पुनर्वि० -1,01.43

₹ 1,01.43 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से प्रावधान में ₹ 91.79 लाख की कमी अधिक बजट बजट प्रावधान के कारण की गई । ₹ 9.64 लाख के समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011) ।

(iii) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

2202- सामान्य शिक्षा-

80- सामान्य-

003- प्रशिक्षण-

03- परिषद का प्रारम्भिक शिक्षा

विभाग राज्य शिक्षा संस्थान,

इलाहाबाद-

मूल 1,97.19

1,94.65

2,31.99

+37.34

पुनर्वि० -2.54

₹ 2.54 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

08- परिषद का दृश्य श्रव्य

शिक्षा अनुभाग शिक्षा

प्रसार कार्यालय, इलाहाबाद-

मूल 17.89

29.49

29.49

..

पुनर्वि० 11.60

₹ 11.60 लाख की शुद्ध वृद्धि में से ₹ 11.61 लाख की वृद्धि तथा ₹ 0.01 लाख का अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

¼ yk[k ₹ e#

13- राजकीय प्रशिक्षण संस्थान

राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण
महाविद्यालय—

मूल	1,09.24]	1,16.05	1,14.19	-1.86
पुनर्वि०	6.81				

₹ 6.81 लाख की शुद्ध वृद्धि में से प्रावधान में ₹ 13.75 लाख की वृद्धि तथा ₹ 6.94 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

20- कालेज ऑफ टीचर एजुकेशन

(सी० टी० ई०)—

मूल	1,65.30]	2,01.41	1,85.90	-15.51
पुनर्वि०	36.11				

₹ 36.11 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 37.70 लाख की वृद्धि और ₹ 1.59 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

004- शोध—

03- परिषद का मनोविज्ञान तथा

शैक्षिक निदेशन विभाग

मनोविज्ञान शाखा इलाहाबाद—

मूल	2,09.36]	2,28.16	2,14.49	-13.67
पुनर्वि०	18.80				

₹ 18.80 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 19.65 लाख की वृद्धि और ₹ 0.85 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	1,02.72]	1,02.69	1,06.55	+3.86
पुनर्वि०	-0.03				

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011) ।

ivthxr&
nrRer&

- (iv) ₹ 21.70 लाख का वास्तविक व्यय वर्ष 2005-06 और 2006-07 के उचन्त लेखे के समाशोधन से सम्बंधित है । ₹ 10.04 लाख (₹ 21.70 लाख- ₹ 11.66 लाख) की अंतिम बचत में से कोई भी धनराशि समर्पित नहीं की गयी ।
- (v) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ –

'kh"lz	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&

¼ yk[k ₹ est

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा
संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–

01- सामान्य शिक्षा–

201- प्रारम्भिक शिक्षा–

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

10.03

21.70

+11.67

₹ 21.70 लाख का वास्तविक व्यय वर्ष 2005-06 और 2006-07 के उचन्त लेखे के समाशोधन से सम्बंधित हैं ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011) ।

vunpku l a[; k 76 & Je foHkkx (Je dY; k.k)

ef[; 'kh"klz dY; vunpku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr -

¼ g tkj ₹ es ½

jktLo&

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं

2230- श्रम तथा रोजगार

nRrer&

मूल	1,72,49,66	}	1,72,49,66	1,70,82,55	-1,67,11
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)					2,66,64

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) वास्तविक व्यय ₹ 1,70,82.55 लाख में उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02,2002-03, 2003-04,2004-05,2005-06 तथा 2006-07 से सम्बन्धित धनराशि ₹ 1,63.09 लाख सम्मिलित है।
- (ii) ₹ 3,30.20 लाख (₹ 1,67.11 लाख + ₹ 1,63.09 लाख) की अंतिम बचत में से ₹ 2,66.64 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।
- (iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'kh"klz dY; vunpku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr -

¼ yk[k ₹ es ½

2230- श्रम तथा रोजगार—

01- श्रम—

004- अनुसंधान तथा सांख्यिकी—

03- अनुसंधान प्रख्यापन एवं श्रम सम्बंधी आंकड़े—

मूल	1,87.37	}	1,76.12	1,76.97	+0.85
पुनर्वि०	-11.25				

₹ 11.25 लाख की कुल बचत में से, ₹ 7.35 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर, कम धनराशि, महंगाई भत्ता उपलब्ध न होने के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 4.04 लाख की कमी तथा ₹ 0.14 की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

वास्तविक व्यय ₹ 1,76.97 लाख मsa वर्ष 2001-02 से सम्बन्धित ₹ 00.89 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

'kh"kl dly vuqku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr -

¼ yk[k ₹ e½

101- औद्योगिक संबंध—

03- श्रम विनियमों का प्रवर्तन—

मूल	12,45.41	}	12,06.38	12,28.60	+22.22
पुनर्वि०	-39.03				

₹ 39.03 लाख की कुल बचत में से, ₹ 25.08 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर, कम धनराशि, पदों के रिक्त होने के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 13.95 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

वास्तविक व्यय ₹ 12,28.60 लाख मsa वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 से सम्बन्धित ₹ 22.39 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

102- कार्य की परिस्थितियां तथा सुरक्षा—

03- कारखानों के निरीक्षक—

मूल	6,16.93	}	5,82.38	5,93.17	+10.79
पुनर्वि०	-34.55				

₹ 34.55 लाख की कुल बचत में से, ₹ 22.01 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर, कम धनराशि, पदों के रिक्त होने के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 12.54 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

वास्तविक व्यय ₹ 5,93.17 लाख में वर्ष 2001-02, 2004-05 तथा 2005-06 से सम्बन्धित ₹ 11.29 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

103- सामान्य श्रम कल्याण—

03- सामान्य आवास योजनायें—

मूल	5,93.22	}	5,77.63	5,77.96	+0.33
पुनर्वि०	-15.59				

₹ 15.59 लाख की कुल बचत में से, ₹ 2.12 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर, कम धनराशि, पदों के रिक्त होने के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 21.29 लाख की कमी तथा ₹ 7.82 की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

वास्तविक व्यय ₹ 5,77.96 लाख मsa वर्ष 2001-02 तथा 2004-05 से सम्बन्धित ₹ 0.31 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

' kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +
cpr -

¼ yk[k ₹ e½

04- शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं के

अन्तर्गत श्रमिक कल्याण केन्द्र—

मूल 10,34.95

पुनर्वि० -28.80

10,06.15

10,18.49

+12.34

₹ 28.80 लाख की कुल बचत में से, ₹ 16.41 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर, कम धनराशि होने के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 12.39 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

वास्तविक व्यय ₹ 10,18.49 लाख में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05 तथा 2008-09 से सम्बन्धित ₹ 12.21 लाख उच्चत लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

2230- श्रम तथा रोजगार—

01- श्रम—

001- निदेशन तथा प्रशासन—

03- श्रमायुक्त का अधिष्ठान—

मूल 3,12.91

पुनर्वि० 10.98

3,23.89

3,24.04

+0.15

₹ 10.98 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 05.82 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः वास्तविक व्यय के आधार पर, महंगायी भत्ता उपलब्ध न होने के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 0.30 लाख की कमी तथा ₹ 17.10 की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

वास्तविक व्यय ₹ 3,24.04 लाख में वर्ष 2001-02 से सम्बन्धित ₹ 0.02 लाख उच्चत लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

101- औद्योगिक संबंध—

04- विवादों का निपटारा—

मूल 26,89.42

पुनर्वि० 3.36

26,92.78

27,49.85

+57.07

₹ 3.36 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 68.21 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः कम धनराशि, वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ। प्रावधान में ₹ 2.72 लाख की कमी तथा ₹ 74.29 की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

वास्तविक व्यय ₹ 27,49.85 लाख में वर्ष 2001-02, 2004-05 तथा 2006-07 से सम्बन्धित ₹ 92.14 लाख उच्चत लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

' kh"kl dly vuqku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; + cpr -

¼ yk[k ₹ e½

103- सामान्य श्रम कल्याण-

05- स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनायें-

मूल	98.80	}	92.22	1,09.42	+17.20
पुनर्वि०	-6.58				

₹ 6.58 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 6.88 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः कम धनराशि, वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ। प्रावधान में ₹ 0.30 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

वास्तविक व्यय ₹ 1,09.42 लाख में वर्ष 2001-02 से सम्बन्धित ₹ 17.38 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

800- अन्य व्यय-

03- व्यापार संघों का निबन्धन और

स्थायी आदेशों का प्रभावीकरण-

मूल	1,57.38	}	1,52.90	1,59.30	+6.40
पुनर्वि०	-4.48				

₹ 4.48 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 3.53 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त होने के कारण, वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ। प्रावधान में ₹ 1.15 लाख की कमी आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उपलब्ध धनराशि अभ्यर्पित किये जाने के कारण हुई तथा ₹ 0.20 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

वास्तविक व्यय ₹ 1,59.30 लाख में वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2004-05 से सम्बन्धित ₹ 6.44 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्याधिव्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

vunpku l a; k 77& Je foHkkx (l dk; kstu)

ef; 'kh"z	dy vunpku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr &
<i>¼ gtkj ₹ ea ½</i>			
jktLo&			
2230- श्रम तथा रोजगार			
nRrer&			
मूल	47,85,74		
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)	47,85,74	46,68,01	-1,17,73
			96,70
i wthxr&			
4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
nRrer&			
मूल	19,25		
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि	19,25	28,80	+9,55
			..

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &
jktLo&
nRrer&

- (i) वास्तविक व्यय ₹ 46,68.01 लाख में उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02,2002-03, 2003-04,2004-05,2006-07 तथा 2009-10 से सम्बन्धित धनराशि ₹ 7.90 लाख सम्मिलित है।
- (ii) ₹ 1,25.63 लाख (₹ 1,17.73 लाख + ₹ 7.90 लाख) की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 96.70 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित की जा सकी ।

(iii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

' kh"kl	clgy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +
			cpr -
		¼ yk[k ₹ ea ½	

2230- श्रम तथा रोजगार—

02- रोजगार सेवायें—

001- निदेशन तथा प्रशासन—

04- जिला रोजगार कार्यालय—

मूल	26,30.76	}	25,59.98	25,63.08	+3.10
पुनर्वि०	-70.78				

₹ 70.78 लाख की कुल बचत में से, ₹ 45.78 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः वास्तविक व्यय के आधार पर, बिल की धनराशि अधिक होने के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 25.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

वास्तविक व्यय ₹ 25,63.08 लाख में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 से सम्बन्धित ₹ 21.50 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित हैं।

800- अन्य व्यय—

03- अनु०जाति/ अनु०जनजाति और पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों हेतु शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र—

मूल	7,13.23	}	6,79.80	6,89.34	+9.54
पुनर्वि०	-33.43				

₹ 33.43 लाख की कुल बचत में से, ₹ 20.43 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः स्थानान्तरण न होने, मांग न होने, वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ। प्रावधान में ₹ 13.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

वास्तविक व्यय ₹ 6,89.34 लाख में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 से सम्बन्धित ₹ 10.95 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित हैं।

06- अवशेषों का भुगतान—

मूल	7,25.46	}	6,88.80	6,82.36	-6.44
पुनर्वि०	-36.66				

₹ 36.66 लाख की कुल बचत में से, ₹ 17.30 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ। प्रावधान में ₹ 19.36 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

वास्तविक व्यय ₹ 6,82.36 लाख में वर्ष 2006-07 से सम्बन्धित ₹ 0.01 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित हैं।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

' kh"kl

dgy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

¼ yk/k ₹ ea ½

2230- श्रम तथा रोजगार—

02- रोजगार सेवायें—

800- अन्य व्यय—

05- विकलांगों को रोजगार सहायता देने हेतु रोजगार

कार्यालय में विशिष्ट रोजगार कोषक का गठन—

मूल

1,45.84

1,93.23

2,14.76

+21.53

पुनर्वि०

47.39

₹ 47.39 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 9.97 लाख का अभ्यर्पण वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत न होने के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 57.36 लाख की वृद्धि पूरे वित्तीय वर्ष के लिये वेतन के भुगतान हेतु समुचित धनराशि न होने के कारण हुई।

वास्तविक व्यय ₹ 2,14.76 लाख में वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 से सम्बन्धित

₹ 24.59 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

i wthxr&

nRrer&

(v) वास्तविक व्यय ₹ 28.80 लाख में उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 से सम्बन्धित धनराशि ₹ 9.63 लाख सम्मिलित हैं।

(vi) ₹ 0.08 लाख (₹ 9.63 लाख - ₹ 9.55 लाख) की अंतिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vii) व्ययाधिक्य (अन्य शीर्षों के अल्प बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन हुआ :-

4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय—

203- रोजगार—

31- रोजगार निदेशालय

3.00

6.84

+3.84

वास्तविक व्यय ₹ 6.84 लाख में वर्ष 2006-07 से सम्बन्धित ₹ 3.84 लाख उचन्त लेखे के

समाशोधन के सम्मिलित है।

32- जिला रोजगार कार्यालय

14.00

17.73

+3.73

वास्तविक व्यय ₹ 17.73 लाख में वर्ष 2006-07 से सम्बन्धित ₹ 3.80 लाख उचन्त लेखे के

समाशोधन के सम्मिलित है।

54- अनु०जाति/ अनु०जनजाति और

पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों हेतु

शिक्षा एवं मार्गदर्शन केन्द्र

1.25

3.23

+1.98

वास्तविक व्यय ₹ 3.23 लाख में वर्ष 2005-06 से सम्बन्धित ₹ 1.98 लाख उचन्त लेखे के

समाशोधन के सम्मिलित है।

vunku l a; k 78 & l fpoky; iz kkl u foHkkx

ef; 'kh"KZ

dy vunku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ gtkj ₹ ea ½

jktLo&

2013- मंत्रि परिषद,

2052- सचिवालय&सामान्य सेवायें,

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें,

2075- विविध सामान्य सेवायें,

2220- सूचना तथा प्रचार,

2251- सचिवालय-सामाजिक सेवायें तथा

3451- सचिवालय-आर्थिक सेवायें

nRrer&

मूल	3,98,51,02	}
पूरक	..	

3,98,51,02

3,76,88,77

-21,62,25

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

21,33,02

i wthxr&

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	47,00,00	}
पूरक	..	

47,00,00

79,36

-46,20,64

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

46,20,64

fVli f. k; ka , oa VhdK; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 21,62.25 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 21,33.02 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी ।

(ii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

' kh"KZ dly vumku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; + cpr -

¼ yk[k ₹ e½

2013- मंत्रि परिषद-

101- मंत्रियों और उपमंत्रियों का वेतन-

03- मंत्रिगण, उपमंत्रिगण तथा सभा सचिव-

मूल	83.48] 73.87	73.73	-0.14
पुनर्वि०	-9.61			
₹ 9.61 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ ।				

04- भारत सरकार को देय आय कर की धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी-

मूल	25.00] 14.78	14.78	..
पुनर्वि०	-10.22			
₹ 10.22 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ ।				

102- आतिथ्य और अन्य भत्ते-

03- मंत्रियों और उपमंत्रियों के भत्ते-

मूल	5,00.40] 3,06.73	3,06.96	+0.23
पुनर्वि०	-1,93.67			

₹ 1,93.67 लाख की कुल बचत में से, प्रावधान में ₹ 1,85.00 लाख की कमी अनुमान से कम व्यय होने तथा मंत्रियों की संख्या कम होने के कारण हुई। ₹ 8.67 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ ।

108- दौरा खर्च-

03- मंत्रियों और उपमंत्रियों का यात्रा व्यय-

मूल	6,00.00] 5,68.18	5,24.97	-43.21
पुनर्वि०	-31.82			

₹ 31.82 लाख की कुल बचत में से, प्रावधान में ₹ 18.00 लाख की कमी यात्रा व्यय में अनुमान से कम व्यय होने के कारण थी। ₹ 13.82 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ ।

' kh"KZ

dly vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +
cpr -

¼ yk[[k ₹ e½

800- अन्य व्यय—

03- मंत्रियों और उपमंत्रियों के प्रकीर्ण व्यय—

मूल	2,15.01	1,01.58	75.77	-25.81
पुनर्वि०	-1,13.43			

₹ 1,13.43 लाख की कुल बचत में से, प्रावधान में ₹ 70.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं । ₹ 43.43 लाख का अभ्यर्पण मितव्ययिता तथा वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ ।

2052- सचिवालय&सामान्य सेवायें—

090- सचिवालय—

04- सचिवालय प्रलेखीकरण केन्द्र एवं

पुस्तकालय का विकास एवं विस्तार—

मूल	20.00	0.93	1.22	+0.29
पुनर्वि०	-19.07			

₹ 19.07 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ ।

07- सचिवालय का आधुनिकीकरण—

मूल	10,00.00	5,12.10	4,88.57	-23.53
पुनर्वि०	-4,87.90			

₹ 4,87.90 लाख का अभ्यर्पण उपकरण क्रय न किये जाने के कारण हुआ ।

11- ई-गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत सचिवालय में

कम्प्यूटर लैपटाप एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों का क्रय—

मूल	5,00.00	28.68	27.18	-1.50
पुनर्वि०	-4,71.32			

₹ 4,71.32 लाख का अभ्यर्पण कम्प्यूटर न खरीदे जाने के कारण हुआ ।

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान—

मूल	41,05.63	39,89.16	31,25.18	-8,63.98
पुनर्वि०	-1,16.47			

₹ 1,16.47 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ ।

वास्तविक व्यय ₹ 31,25.18 लाख में वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 से सम्बन्धित ₹ 1.72 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है ।

¼ yk[[k ₹ e½

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें—

003- प्रशिक्षण—

04- सचिवालय प्रशिक्षण एवं

प्रबंध संस्थान—

मूल	2,29.29	}	1,71.37	1,87.68	+16.31
पुनर्वि०	-57.92				

₹ 57.92 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त होने, मितव्ययिता एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति न मिलने के कारण हुआ ।

वास्तविक व्यय ₹ 1,87.68 लाख में वर्ष 2002-03 से सम्बन्धित

₹ 3.47 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है ।

2251- सचिवालय—सामाजिक सेवायें—

090- सचिवालय—

04- कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग—

मूल	25.35	}	16.75	16.01	-0.74
पुनर्वि०	-8.60				

₹ 8.60 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः आर्थिक मितव्ययिता एवं वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ ।

वास्तविक व्यय ₹ 16.01 लाख में वर्ष 2003-04 से सम्बन्धित ₹ 0.03 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है ।

3451- सचिवालय—आर्थिक सेवायें—

090- सचिवालय—

03- सचिवालय—

मूल	56,74.26	}	48,82.08	48,49.60	-32.48
पुनर्वि०	-7,92.18				

₹ 7,92.18 लाख की कुल बचत में से, ₹ 2,42.18 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः वेतन बकाया का

आहरण न होने, वास्तविक व्यय के आधार पर एवं मितव्ययिता के कारण हुआ । प्रावधान में

₹ 5,50.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011) ।

(iii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

'kh"KZ

clg vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

¼ yk[k ₹ e½

2013- मंत्रि परिषद-

104- मनोरंजन तथा सत्कार खर्च-

03- मनोरंजन तथा सत्कार खर्च-

मूल	1,80.00	}	2,17.24	2,83.23	+65.99
पुनर्वि०	37.24				

₹ 37.24 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 40.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं । ₹ 2.76 लाख का अभ्यर्पण मितव्ययिता के कारण हुआ ।

2052- सचिवालय&सामान्य सेवायें-

090- सचिवालय-

03- सचिवालय-

मूल	1,92,41.59	}	1,98,24.92	2,07,59.85	+9,34.93
पुनर्वि०	5,83.33				

₹ 5,83.33 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 3,81.67 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः मुख्यतः पदों के रिक्त होने, वाहन क्रय न होने, स्मार्ट कार्ड योजना के लागू न होने तथा वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ । प्रावधान में ₹ 9,65.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

2220- सूचना तथा प्रचार-

60- अन्य-

800- अन्य व्यय-

03- राजकीय उत्सवों के सम्बन्ध में व्यय-

मूल	55.00	}	72.44	72.40	-0.04
पुनर्वि०	17.44				

₹ 17.44 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 18.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं । ₹ 0.56 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्ययाधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

i wthxr&
nRrer&

(iv) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-
' kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +
cpr -

¼ yk[k ₹ ea ½

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

04- सचिवालय में सी0सी0टी0वी0 /

सर्विलांस कैमरा एवं सहवर्ती

उपकरणों की स्थापना-

पूरक 47,00.00

79.36

79.36

..

पुनर्वि0 -46,20.64

₹ 46,20.64 लाख का अभ्यर्पण सी0सी0टी0वी0 / सर्विलांस कैमरा एवं सहवर्ती उपकरणों की स्थापना के संबंध में कतिपय औपचारिकताओं की पूर्ति न होने के कारण हुआ ।

वृत्तिका 1 अ; क 79 & 1 एत दय; क.क फोहकx
 ¼ फोदकx , oa fi NMk oxl दय; क.क ½

ए; 'kh"z

दय वृत्तिका

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ gtlj ₹ ea ½

jktLo&

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
 तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं
 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

nRrer&

मूल	13,49,62,87	}	13,65,40,25	13,49,46,40	-15,93,85
पूरक	15,77,38				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

i wthxr&

4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य
 पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
 पर पूंजीगत परिव्यय तथा
 6235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिये कर्ज

nRrer&

मूल	98,67,20	}	2,05,25,74	1,34,71,53	-70,54,21
पूरक	1,06,58,54				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 15,93.85 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(ii) ₹ 15,93.85 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया
 ₹ 15,77.38 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +
			cpr -

¼ yk/k ₹ ea h

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02- समाज कल्याण-

101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-

04- विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिये

आश्रित कर्मशालाएं व प्रशिक्षण केन्द्र-

मूल	1,95.48	}	1,97.92	1,32.04	-65.88
पूरक	2.44				

वास्तविक व्यय ₹ 1,32.04 लाख में वर्ष 2001-02 तथा 2005-06 से सम्बन्धित ₹ 1.67 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

13- शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के

पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण योजना

24.12	23.66	-0.46
-------	-------	-------

वास्तविक व्यय ₹ 23.66 लाख में वर्ष 2001-02,2002-03 तथा 2009-10 से सम्बन्धित ₹ 0.43 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित हैं।

30- डा0 शकुन्तला मिश्रा उत्तर प्रदेश

विकलांग विश्वविद्यालय-

मूल	18,81.32	}	18,64.55	3,01.52	-15,63.03
पुनर्वि०	-16.77				

प्रावधान में ₹ 16.77 लाख की कमी सृजित पदों के विरुद्ध भर्ती प्रक्रिया होने तथा डा0 शकुन्तला मिश्रा विकलांग विश्वविद्यालय में निर्माण के कारण सभी पाठ्यक्रमों के प्रारम्भ न होने के कारण हुई। वास्तविक व्यय ₹ 3,01.52 लाख में वर्ष 2005-06 से सम्बन्धित ₹ 1.52 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित हैं।

31- बचपन, नर्सरी स्कूलों का संचालन-

मूल	1,00.00	}	87.00	81.01	-5.99
पुनर्वि०	-13.00				

प्रावधान में ₹ 13.00 लाख की कमी बचपन नर्सरी केन्द्रों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्ति न होने के कारण हुई।

वास्तविक व्यय ₹ 81.01 लाख में वर्ष 2009-10 से सम्बन्धित ₹ 0.40 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

'kh"KZ

dgy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +
cpr -

¼ yk[k ₹ ea ½

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों

तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण -

03- पिछड़े वर्गों का कल्याण -

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- मुख्यालय/मंडलीय/जिला

कार्यालय

7,19.60

7,43.76

+24.16

वास्तविक व्यय ₹ 7,43.76 लाख में वर्ष 2001-02,2002-03,2004-05,2005-06,2006-07,2007-08 तथा 2009-10 से सम्बन्धित ₹ 50.11 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित हैं।

277- शिक्षा-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

60,00.00

60,23.83

+23.83

वास्तविक व्यय ₹ 60,23.83 लाख में वर्ष 2001-02,2002-03 तथा 2004-05 से सम्बन्धित ₹ 23.83 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित हैं।

03- अन्य पिछड़े हुये जातियों के

दशमोत्तर कक्षा में अध्ययन करने

वाले छात्रों को छात्रवृत्ति

1,68,59.00

1,68,88.51

+29.51

वास्तविक व्यय ₹ 1,68,88.51 लाख में वर्ष 2001-02 तथा 2004-05 से सम्बन्धित ₹ 29.04 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित हैं।

05- पिछड़ी जातियों के कक्षा 1 से 10

तक के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं

अनावर्ती सहायता

6,36,16.96

6,40,96.56

+4,79.60

वास्तविक व्यय ₹ 6,40,96.56 लाख में वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2004-05 से सम्बन्धित ₹ 4,79.60 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित हैं।

800- अन्य व्यय-

04- पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी

विवाह एवं बीमारी हेतु आर्थिक सहायता

40,00.00

40,11.38

+11.38

वास्तविक व्यय ₹ 40,11.38 लाख में वर्ष 2008-09 से सम्बन्धित ₹ 16.03 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित हैं।

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr -
¼ yk[k ₹ ea h			
80- सामान्य-			
800- अन्य व्यय-			
03- पिछड़े वर्गों के लिये विशेषज्ञ समिति/ स्थाई आयोग का गठन	2,48.99	2,61.42	+12.43
वास्तविक व्यय ₹ 2,61.42 लाख में वर्ष 2001-02 से सम्बन्धित ₹ 46.98 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।			
i wthxr&			
nRrre&			
(v) ₹ 70,54.21 लाख की अंतिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।			
(vi) ₹ 70,54.21 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 1,06,58.54 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।			
(vii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-			
4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-			
03- पिछड़े वर्गों का कल्याण -			
190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-			
03- उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम के अंशकों का क्रय	1,00.00	..	-1,00.00
277- शिक्षा-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	11,71.80	1,76.79	-9,95.01
4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय -			
02- समाज कल्याण-			
101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-			
पुनर्वि0	6,53.26	5,47.00	-1,06.26

प्रावधान में रूपये 6,53.26 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

वृत्तिका 80 & लेखांकिका
 1/4 लेखांकिका, आवृत्ति प्रतिकर; कांक्षित; क.क 1/2

एक; 'क'क

द्वय वृत्तिका कर्तव्य 0; ;

वर्ष/क 0; ; \$
 cpr &

1/4 गतक ₹ ६१ 1/2

जक्तल

2013- मंत्रि परिषद,

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
 तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

नरर

मूल	30,82,75,95
पूरक	90,00,03

31,72,75,98

30,24,75,99

-1,47,99,99

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

वर्ष/क, आवृत्ति; &

जक्तल

नरर

- वास्तविक व्यय ₹ 30,24,75.99 लाख में उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02,2002-03, 2003-04,2004-05,2005-06,2006-07,2007-08,2008-09 तथा 2009-10 से सम्बन्धित धनराशि ₹ 9,37.10 लाख सम्मिलित हैं।
- ₹ 1,57,37.09 लाख (₹ 1,47,99.99 लाख + ₹ 9,37.10 लाख) की अंतिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी ।
- ₹ 1,57,37.09 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 90,00.03 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।
- बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'क'क

द्वय वृत्तिका कर्तव्य 0; ;

वर्ष/क 0; ; +
 cpr -

1/4 गतक ₹ ६१ 1/2

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
 तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

04- मंडलीय कार्यालयों का अधिष्ठान

4,21.06

3,47.45

-73.61

'kh"Kz	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr -
			¼ yk[k ₹ e ½
102- आर्थिक विकास—			
03- औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु निजी उद्यम प्रोत्साहन योजना	60.05	46.31	-13.74
277- शिक्षा—			
05- अनुसूचित जातियों के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा के फलस्वरूप घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु अशासकीय विद्यालयों को अनुदान	20.00	5.96	-14.04
06- चिकित्सा, अभियंत्रण तथा टेक्नालोजी विषय में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को पुस्तक व उपकरण क्रय हेतु अनावर्ती सहायता	25.00	13.03	-11.97
09- ज्योतिवारव फूले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय	10,02.46	8,07.69	-1,94.77
10- अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 10 तक पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता	4,08,80.00	3,21,21.76	-87,58.24
13- अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा—प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	68.92	51.00	-17.92
15- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को आर्थिक सहायता	70.50	0.64	-69.86
20- मैला उठाने, चमड़ा उतारने जैसे व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के दशमपूर्व कक्षाओं (कक्षा 1 से 10 तक) अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	6,39.91	40.47	-5,99.44
800- अन्य व्यय—			
03- अवशेषों का भुगतान	14,54.81	12,47.18	-2,07.63
07- अनुसूचित जाति तथा जन जाति आयोग	2,81.92	2,19.48	-62.44
80- सामान्य—			
800- अन्य व्यय—			
03- शैक्षिक कार्यक्रम	12,37.79	9,37.85	-2,99.94
04- पूर्व दशम कक्षाओं में पढ़ने वाले विमुक्त जातियों के अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति/ अनावर्ती सहायता (कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के लिये)	4,55.00	14.86	-4,40.14

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr -
		¼ yk[[k ₹ eg ½	
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—			
01- पुनर्वास—			
800- अन्य व्यय—			
03- कश्मीर से आये विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु सहायता	27.81	13.48	-14.33
02- समाज कल्याण—			
104- वृद्ध, अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण—			
03- वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासीय गृह	39.57	18.83	-20.74
04- भिक्षावृत्ति का निवारण	2,91.94	2,20.03	-71.91
105- नशाबंदी—			
03- अधिष्ठान	62.76	46.94	-15.82
04- मण्डलीय कार्यालय	2,15.32	1,85.92	-29.40
107- स्वैच्छिक संगठनों को सहायता—			
03- मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं एवं संगठनों को प्राविधि शिक्षण देने के लिये अनुदान	7,20.61	5,76.55	-1,44.06
200- अन्य कार्यक्रम—			
05- सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के युवक/युवतियों के लिये पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण	1,08.01	54.00	-54.01
06- सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की पुत्रियों की शादी एवं इलाज हेतु आर्थिक सहायता	35,00.00	27,32.36	-7,67.64
09- समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का कम्प्यूटरीकरण	2,00.00	41.78	-1,58.22
800- अन्य व्यय—			
03- आवासीय संस्थानों के पूर्णकालिक चिकित्सकों की व्यवस्था	15.43	7.53	-7.90
04- अवशेषों का भुगतान	11,38.72	3,12.60	-8,26.12

' kh"kZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr -
¼ yk[k ₹ e ½			
60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम—			
200- अन्य कार्यक्रम—			
03- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना—			
मूल	2,00,00.00	2,70,00.00	1,67,18.08
पूरक	70,00.00		
			-1,02,81.92
800- अन्य व्यय—			
03- गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के गरीबी की रेखा के नीचे आने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिये विशेष छात्रवृत्ति उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।	2,16.00	75.00	-1,41.00
(v) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-			
2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण—			
01- अनुसूचित जातियों का कल्याण—			
277- शिक्षा—			
03- औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन वास्तविक व्यय ₹ 5,02.99 लाख में वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2007-08 से सम्बन्धित ₹ 1,85.88 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।	3,37.95	5,02.99	+1,65.04
07- विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के वर्तमान पुस्तकालयों छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार (जिला योजना)—			
मूल	55,23.07	75,23.07	80,62.65
पूरक	20,00.00		
वास्तविक व्यय ₹ 80,62.65 लाख में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2007-08 तथा 2009-10 से सम्बन्धित ₹ 1,05.58 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।			+5,39.58
19- अनुसूचित जाति के दशामोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति वास्तविक व्यय ₹ 2,67,86.08 लाख में वर्ष 2008-09 से सम्बन्धित ₹ 54.08 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।	2,67,32.00	2,67,86.08	+54.08

' kh" kZ

dly vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +
cpr -

¼ yk[k ₹ e½

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—

02- समाज कल्याण—

200- अन्य कार्यक्रम—

07- आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गों (सामान्य)

के निर्धन अभिभावकों के आश्रित छात्रों को दशमोत्तर

छात्रवृत्ति एवं प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति

2,78,04.96

4,56,54.33

+1,78,49.37

08- आई0ए0एस0 / पी0सी0एस0 मुख्य

परीक्षा हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण

55.00

1,75.45

+1,20.45

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

vunpku l d; k 81 & l ekt dY; k.k foHkkx ¼ tutkfr dY; k.k ½

e[; 'kh"z	diy vunpku ; k fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr &	
		¼ gtkj ₹ ea ½		
jktLo&				
2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें,				
2215- जल पूर्ति तथा सफाई,				
2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण,				
2230- श्रम तथा रोजगार,				
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,				
2401- फसल कृषि कर्म,				
2402- मृदा तथा जल संरक्षण,				
2403- पशु पालन,				
2405- मछली पालन,				
2425- सहकारिता,				
2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,				
2702- लघु सिंचाई तथा				
2851- ग्राम तथा लघु उद्योग				
nRrer&				
मूल	41,81,87	42,31,87	27,04,64	-15,27,23
पूरक	50,00			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				..
i Hkkfj r&				
मूल	10	10	..	-10
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				..
i wthxr&				
4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,				
4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,				
4406- वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय,				

क्र.सं. ; 'क'क	विवरण ; क	अनुदान ; ;	वर्ष/क ; ; \$
	फु ; क		कप्र &
% कक ₹ क			
4515-	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,		
4575-	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय तथा		
6425-	सहकारिता के लिये कर्ज		
	मूल	39,18,75	
	पूरक	..	
		39,18,75	12,77,44
			-26,41,31

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ..

विवरण ; क , क वक ; क

कक

कक

- वास्तविक व्यय ₹ 27,04.64 लाख में उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2009-10 से सम्बन्धित धनराशि ₹ 14.35 लाख सम्मिलित है।
- ₹ 15,41.58 लाख (₹ 15,27.23 लाख + ₹ 14.35 लाख) की अंतिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- ₹ 15,41.58 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 50.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'क'क

विवरण

अनुदान ; ;

वर्ष/क ; ; +
कप्र -

% कक ₹ क

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-

02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-

796- जनजाति क्षेत्र उप योजना-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

9,24.20

78.42

-8,45.78

03- मुख्यालय अधिष्ठान

1,74.64

99.36

-75.28

05- एकीकृत जनजाति विकास

परियोजना का क्रियान्वयन

99.20

40.82

-58.38

06- जिला कार्यालय का जनजाति

विकास सम्बन्धी अधिष्ठान

1,41.41

7.55

-1,33.86

' kh"kl	clg vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr -
		¼ yk[k ₹ ea ½	
07- प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति जो इस समय अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल हैं के लिए सहायक अनुदान	20.00	6.53	-13.47
08- अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास	21.35	6.93	-14.42
09- अनुसूचित जनजातियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	4,17.83	3,55.98	-61.85
10- अनुसूचित जनजाति की छात्राओं हेतु बुक बैंक योजना के अन्तर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों हेतु अनुदान	10.00	2.33	-7.67
11- अनुसूचित जन जातियों के कक्षा 1 से 10 तक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता	6,67.02	4,38.78	-2,28.24
12- अनुसूचित जनजाति के छात्राओं हेतु यूनीफार्म एवं बाइसकिल अनुदान	50.00	32.13	-17.87
14- अनुसूचित जनजातियों की सहायता प्राप्त पाठशालाओं, पुस्तकालयों व छात्रावासों के सुधार/विकास	22.50	11.25	-11.25
15- अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जनजातियों की सहायता	11.00	1.38	-9.62
19- अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनायें	1,49.23	1,11.15	-38.08
20- अवशेषों का भुगतान—			
मूल	66.20		
पुनर्वि०	-10.20		
	56.00	59.51	+3.51
प्रावधान में ₹ 10.20 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के कारण हुई।			
2230- श्रम तथा रोजगार—			
03- प्रशिक्षण—			
796- जनजाति क्षेत्र उप योजना—			
03- अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना	37.40	..	-37.40

' kh"kl	clg vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr -
¼ yk[k ₹ ea ½			
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-			
02- समाज कल्याण-			
796- जनजाति क्षेत्र उप योजना-			
04- पुष्ठाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बालविकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाला पोषाहार (के050/रा050-के0+रा0)	10.00	0.48	-9.52
2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-			
796- जनजाति क्षेत्र उप योजना-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	22.50	10.85	-11.65
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।			
(v) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ :-			
2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-			
02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-			
796- जनजाति क्षेत्र उप योजना-			
18- अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवार की बालिकाओं के विवाह एवं गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु अनुदान-			
पूरक	50.00	50.00	1,18.50
वास्तविक व्यय ₹ 1,18.50 लाख में वर्ष 2009-10 से सम्बन्धित ₹ 3.20 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।			
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-			
02- समाज कल्याण-			
796- जनजाति क्षेत्र उप योजना-			
03- निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण तथा उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हेतु अनुदान-			
मूल	1,50.00		
पुनर्वि0	10.20		
		1,60.20	1,59.37
			-0.83
प्रावधान में ₹ 10.20 लाख की वृद्धि योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों में बढ़ोत्तरी के कारण हुई।			
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।			

i wthxr&
nRrer&

(vi) ₹ 26,41.31 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी ।

(vii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-
' kh"kl

clq vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr -

¼ yk[k ₹ ea ½

4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय—

02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण—

796- जनजाति क्षेत्र उप योजना—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

36,97.11

11,54.12

-25,42.99

4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय—

796- जनजाति क्षेत्र उप योजना—

03- अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण

संस्थानों की स्थापना

1,47.20

50.00

-97.20

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

वृत्तवार्षिक 2010-11 का प्रशासनिक व्यय

विवरण	अनुमानित व्यय	अनुमानित व्यय	अनुमानित व्यय	अनुमानित व्यय
₹	₹	₹	₹	₹
2010-11- अन्वय प्रशासनिक सेवायें				
मूल	31,03,24	31,03,24	29,09,03	-1,94,21
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)				2,21,65
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय				
मूल	2,48,43	2,48,43	2,78,51	+30,08
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)				9,71
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय				
मूल	12,31,84	12,31,84	3,24,97	-9,06,87
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)				9,06,87

(i) ₹ 1,94.21 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, ₹ 2,21.65 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था ।

(ii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन हुई :-

' kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +	cpr -
---------	----------	--------------	--------------	-------

¼ yk[k ₹ ee ½

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें-

104- सतर्कता-

03- सतर्कता आयोग एवं प्रशासनिक न्यायाधिकरण-

मूल	1,64.38	}	1,46.96	1,46.48	-0.48
पुनर्वि०	-17.42				

₹ 17.42 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः आर्थिक मितव्ययिता, बिल प्राप्त न होने इत्यादि के कारण हुआ । उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

i Hkkfj r&

(iii) व्यय प्रभारित विनियोग से ₹ 30.08 लाख अधिक हुआ, अधिक व्यय का नियामानुकूलन आपेक्षित है ।

(iv) ₹ 30.08 लाख की अन्तिम व्ययाधिक्य को देखते हुए, ₹ 9.71 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था ।

(v) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

' kh"kl	dy fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +	cpr -
---------	-------------	--------------	--------------	-------

¼ yk[k ₹ ee ½

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें-

104- सतर्कता-

05- लोक आयुक्त संगठन-

मूल	2,23.02	}	2,13.31	2,53.10	+39.79
पुनर्वि०	-9.71				

₹ 9.71 लाख का अभ्यर्पण आर्थिक मितव्ययिता, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न होने के कारण हुआ ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

i wthxr&

nRrer&

(vi) बचत निम्न के अधीन हुई :-

' kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

¼ yk[k ₹ ee ½

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

03- सतर्कता निदेशालय भवन-

मूल 12,31.83]

3,24.97

3,24.97

..

पुनर्वि० -9,06.86]

₹ 9,06.86 लाख का अभ्यर्पण निधि के अप्रयुक्त होने के कारण हुआ ।

वृत्तिका 1 अ; क 83 & लैकट दय; क.क फोहकx
 1/4 वृत्तिका प्रतिकर; का दस फय; स फो' क'क ?कVd ; कस्तुक 1/2

ए; 'क'क

दय वृत्तिका

कलरफोद 0; ;

वफ/कद 0; ; \$
 cpr &

1/4 गतक ₹ ए 1/2

जक्तल&

- 2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें,
- 2202- सामान्य शिक्षा,
- 2203- तकनीकी शिक्षा,
- 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,
- 2215- जल पूर्ति तथा सफाई,
- 2217- शहरी विकास,
- 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
 तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण,
- 2230- श्रम तथा रोजगार,
- 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,
- 2401- फसल कृषि कर्म,
- 2403- पशु पालन,
- 2404- डेरी विकास,
- 2425- सहकारिता,
- 2501- ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम,
- 2505- ग्राम रोजगार,
- 2506- भूमि सुधार,
- 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,
- 2702- लघु सिंचाई,
- 2810- अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत तथा
- 2851- ग्राम तथा लघु उद्योग

नरर&

मूल	52,14,86,87
पूरक	1,87,14,70

54,02,01,57

52,91,68,33

-1,10,33,24

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

ित्थर&

- 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा
 संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय,
- 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
 पर पूंजीगत परिव्यय,

ef; 'kh"z

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ gtkj ₹ ea ½

- 4215- जल पूर्ति तथा सफाई
पर पूंजीगत परिव्यय,
4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय,
4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित
जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों
के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय,
4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
4575- अन्य विशेष क्षेत्र के कार्यक्रमों
पर पूंजीगत परिव्यय,
4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
5054- सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय,
6225- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा
अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये कर्ज एवं
6425- सहकारिता के लिये कर्ज

nRrer&

मूल	38,84,88,04
पूरक	79,80,00

39,64,68,04

38,61,06,32

-1,03,61,72

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

fVli f. k; ka , oa Vhck; &

jktLo&

nRrer&

- (i) वास्तविक व्यय ₹ 52,91,68.33 लाख में उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02,2002-03, 2003-04,2004-05,2005-06,2006-07,2007-08,2008-09 तथा 2009-10 से सम्बन्धित धनराशि ₹ 10,08.47 लाख सम्मिलित है।
- (ii) ₹ 1,20,41.71 लाख (₹ 1,10,33.24 लाख + ₹ 10,08.47 लाख) की अंतिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी ।
- (iii) ₹ 1,20,41.71 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 1,87,14.70 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ ।

(iv) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

' kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr -
$\frac{1}{4}$ yk[k ₹ ea $\frac{1}{2}$			
2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-			
02- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
03- राजकीय आयुर्वेदिक /			
यूनानी चिकित्सालय	83.12	..	-83.12
04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
03- राजकीय आयुर्वेदिक /			
यूनानी चिकित्सालय	2,42.24	..	-2,42.24
04- अस्पताल और औषधालय	6,35.84	2,44.00	-3,91.84
05- चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
03- शिक्षा-			
मूल	47,74.41		
पूरक	0.01		
	47,74.42	30,10.85	-17,63.57
2217- शहरी विकास-			
04- गंदी बस्तियों का विकास-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र			
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	3,41,23.00	1,08,60.05	-2,32,62.95
05- अन्य शहरी विकास योजनायें-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र			
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	5,43,00.00	2,97,20.65	-2,45,79.35
2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों			
तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-			
01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
03- राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों			
के कक्षा 9-10 में अध्ययनरत अनुसूचित			
जाति की छात्राओं के लिये बुक बैंक			
की स्थापना	1,00.00	6.72	-93.28

' kh"lz	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr -
		¼ yk[k ₹ es ½	
04- राज्य सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9-10 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिये बुक बैंक की स्थापना	3,00.00	..	-3,00.00
05- छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ	45.00	39.27	-5.73
07- अनुसूचित जाति के छात्रावासों के निर्माणार्थ स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान	30.00	15.00	-15.00
10- अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के छात्रावासों का संचालन	4,19.22	1,37.64	-2,81.58
11- अनुसूचित जाति के कक्षा 9 व 10 में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता—			
मूल 4,00.00	1,75.00	3.98	-1,71.02
पुनर्वि० -2,25.00			
प्रावधान में ₹ 2,25.00 लाख की कमी वास्तविक व्यय के कारण हुआ।			
13- विभिन्न वर्गों की छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण	1,50.00	1,31.91	-18.09
15- अवशेषों का भुगतान	9,72.34	97.22	-8,75.12
80- सामान्य—			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—			
03- कोल जाति के लिए विशेष उत्थान कार्यक्रम	6,79.50	..	-6,79.50
2230- श्रम तथा रोजगार—			
02- रोजगार सेवायें—			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—			
03- अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र	1,45.85	36.67	-1,09.18
03- प्रशिक्षण—			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—			
03- आई०टी०आई० अलीगंज, लखनऊ में प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र	1,44.16	0.07	-1,44.09
04- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना	16,36.99	6,18.63	-10,18.36
05- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अल्पकालीन व्यावसायिक प्रशिक्षण	1,32.02	17.64	-1,14.38

' kh"lz	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr -
		¼ yk[k ₹ es ½	
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—			
02- समाज कल्याण—			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—			
03- नेत्रहीन, मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान (जिला योजना)—			
मूल	40,00.00	33,30.00	34,76.93
पुनर्वि०	-6,70.00		
			+1,46.93
प्रावधान में ₹ 6,70.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के कारण हुई।			
60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम—			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—			
03- वृद्धावस्था/किसान पेंशन (जिला योजना)	60,00.00	30,00.30	-29,99.70
04- वृद्धावस्था/किसान पेंशन (राज्य सेक्टर)	3,00,00.00	1,59,67.59	-1,40,32.41
2401- फसल कृषि कर्म—			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—			
मूल	43,67.50	31,74.50	28,13.90
पुनर्वि०	-11,93.00		
			-3,60.60
प्रावधान में ₹ 11,93.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के कारण हुई।			
04- गन्ना विकास योजना (जिला योजना)	1,40.00	56.32	-83.68
05- किसान मित्र योजना	14,25.62	7,73.55	-6,52.07
2403- पशु पालन—			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—			
05- पैरावेट्स प्रशिक्षण योजना	2,60.00	1,94.89	-65.11
06- अनुसूचित जातियों के लिए बैकयार्ड पोल्ट्री कार्यक्रम	4,00.00	2,74.91	-1,25.09
09- एकीकृत सूकर विकास हेतु सूकर पालक सहकारी समितियों का गठन (जिला योजना)	5,03.00	2,14.18	-2,88.82
10- सूकर प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास, सुदृढीकरण तथा प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराना (जिला योजना)	1,35.30	50.14	-85.16

' kh"lz	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr -
		¼ yk[k ₹ es ½	
2404- डेरी विकास-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
04- दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश सुविधा (जिला योजना)	2,00.00	1,33.33	-66.67
05- कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	50.00	39.89	-10.11
2501- ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम-			
01- एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	74,50.00	49,28.21	-25,21.79
02- सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	1,70.00	61.20	-1,08.80
05- बंजर भूमि विकास-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	67.33	15.70	-51.63
2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
03- ग्रामीण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण	44,10.00	23,24.67	-20,85.33
05- अम्बेडकर रोजगार योजना	4,00.00	2,95.20	-1,04.80
2702- लघु सिंचाई-			
02- भू-जल-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
04- एलूवियम क्षेत्रों में मध्यम गहरें नलकूपों का निर्माण	5,10.00	4,16.98	-93.02
2810- अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत-			
02- सौर-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
03- नान कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से अतिरिक्त उर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन-			
मूल	3,99.60		
पूरक	17,14.69	21,14.29	16,83.04
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।			-4,31.25

(v) व्ययाधिक्य (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ :-

' kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr -
		¼ yk/k ₹ es ½	
2202- सामान्य शिक्षा-			
01- प्रारम्भिक शिक्षा-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	5,60,00.00	7,48,82.36	+1,88,82.36
03- 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर सहायता अनुदान	..	21,00.00	+21,00.00
02- माध्यामिक शिक्षा-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
03- सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना	1,05,60.00	1,68,82.39	+63,22.39
2215- जल पूर्ति तथा सफाई-			
01- जलपूर्ति -			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
03- ग्रामीण पेयजल योजना-			
मूल	90,00.00		
पुनर्वि०	23,63.00		
	1,13,63.00	1,13,63.00	..
प्रावधान में ₹ 23,63.00 लाख की वृद्धि ग्रामीण पेय जल योजना लागू करने के कारण हुई।			
2217- शहरी विकास-			
04- गंदी बस्तियों का विकास-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
03- मूलभूत नगरीय सुविधायें एवं आवास	12,50.00	34,26.62	+21,76.62
2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-			
01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-			
मूल	4,28,32.37		
पुनर्वि०	-5,00.00		
	4,23,32.37	6,00,13.53	+1,76,81.16
वास्तविक व्यय ₹ 6,00,13.53 लाख में वर्ष 2001-02, 2004-05, 2005-06 तथा 2009-10 से सम्बन्धित ₹ 8.59 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।			
प्रावधान में ₹ 5,00.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुई।			

' kh"lz	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr -
¼ yk[k ₹ es ½			
08- अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व, प्रशिक्षण केन्द्र	1,36.41	1,82.36	+45.95
09- राजकीय छात्रावासों/राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण	5,00.00	5,52.06	+52.06
12- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय वास्तविक व्यय ₹ 60,28.28 लाख में वर्ष 2009-10 से सम्बन्धित ₹ 1.11 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।	35,00.71	60,28.28	+25,27.57
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—			
02- समाज कल्याण—			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	7,60,00.00	9,78,43.79	+2,18,43.79
05- महामाया गरीब बालिका आर्शीवाद योजना	1,10,00.00	1,13,39.05	+3,39.05
07- छात्र/छात्राओं को परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण	0.01	96.76	+96.75
2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—			
06- आवास योजना—			
मूल	2,50,00.00		
पूरक	1,00,00.00	3,50,00.00	3,52,34.41
वास्तविक व्यय ₹ 3,52,34.41 लाख में वर्ष 2009-10 से सम्बन्धित ₹ 4,07.15 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।			+2,34.41
2702- लघु सिंचाई—			
80- सामान्य—			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—			
04- पठारी क्षेत्रों की लघु सिंचाई योजना (जिला योजना)	1,00.00	1,81.18	+81.18
2851- ग्राम तथा लघु उद्योग—			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—			
04- पावर लूम का विकास—			
मूल	15.00		
पुनर्वि०	2,25.00	2,40.00	2,40.00
प्रावधान में ₹ 2,25.00 लाख की वृद्धि अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों को स्वरोजगार देने के कारण हुई।			..

' kh"lz	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr -
		¼ yk/k ₹ es ½	
06- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना वास्तविक व्यय ₹ 1,54.05 लाख में वर्ष 2006-07 से सम्बन्धित ₹ 0.05 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्ययाधिक्य/सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।	1,44.00	1,54.05	+10.05
in thxr&			
nRrer&			
(vi) वास्तविक व्यय ₹ 38,61,06.32 लाख में उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 से सम्बन्धित धनराशि ₹ 18,71.80 लाख सम्मिलित है।			
(vii) ₹ 1,22,33.52 लाख (₹ 1,03,61.72 लाख + ₹ 18,71.80 लाख) की अंतिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी ।			
(viii) ₹ 1,22,33.52 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 79,80.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।			
(ix) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-			
4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-			
02- तकनीकी शिक्षा-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
06- महामाया आई0टी0 पॉलिटेक्निकों की स्थापना - पूरक	12,00.00	12,00.00	9,00.00 -3,00.00
03- खेलकूद तथा युवा सेवा-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
03- अनुसूचित जाति के युवाओं के लिये ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण	31.88	22.98	-8.90
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-			
02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
03- स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन का निर्माण (जिला योजना)	15,00.00	6,26.87	-8,73.13
06- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण (जिला योजना)- मूल	15,00.00		
पुनर्वि0	-6,04.23	8,95.77	8,95.77 ..
प्रावधान में ₹ 6,04.23 लाख की कमी मुख्यतः वास्तविक व्यय के आधार पर हुई।			

' kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr -
		¼ yk[k ₹ es ½	
07- होम्योपैथी चिकित्सालय भवनों का निर्माण	1,62.49	1,40.03	-22.46
03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
04- राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, कन्नौज	20,00.00	..	-20,00.00
05- राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, उरई, जालौन	30,00.00	..	-30,00.00
4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-			
60- अन्य शहरी विकास योजनायें-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
03- मा0 कांशीरामजी शहरी गरीब आवास योजना-			
मूल 7,50,00.00			
पुनर्वि0 -63.78	7,49,36.22	3,15,96.45	-4,33,39.77
प्रावधान में ₹ 63.78 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।			
4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	19,50.00	5,00.00	-14,50.00
03- उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 में पूंजी निवेश	10.00	..	-10.00
05- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का कक्षा 12 तक उच्चीकरण	4,00.00	..	-4,00.00
06- अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावासों का निर्माण	1,00.00	89.54	-10.46
08- स्वैच्छिक संस्थाओं/विश्वविद्यालय/विद्यालय परिसर में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास	1,00.00	..	-1,00.00
09- कोचिंग केन्द्र भवन का निर्माण	2,00.00	..	-2,00.00
10- अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिये एकीकृत विकास योजना	7,50.00	2,52.97	-4,97.03

' kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr -
$\frac{1}{4}$ yk[k ₹ es $\frac{1}{2}$			
80- सामान्य-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
03- कोल जाति के लिये विशेष उत्थान कार्यक्रम	3,55.00	..	-3,55.00
5054- सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-			
04- जिला तथा अन्य सड़के-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
98- अम्बेडकर ग्राम विकास योजना उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।	56,00.00	49,74.54	-6,25.46
(x) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ :-			
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-			
03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
03- राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की स्थापना	8,88.00	30,18.00	+21,30.00
08- राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर	50,00.01	99,99.93	+49,99.92
4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
04- अस्वच्छ पेशे में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना	0.01	47.87	+47.86
07- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	15,00.00	42,26.16	+27,26.16
12- अनुसूचित जातियों में विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रतिभा विकास केन्द्र-			
पुनर्वि0	63.78	63.78	..
प्रावधान में ₹ 63.78 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
03- आई0टी0आई0 अलीगंज लखनऊ में प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र	80.01	2,44.54	+1,64.53

' kh"lz	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr -
		¼ yk[k ₹ es ½	
04- राज0 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	14,00.00	30,90.79	+16,90.79
05- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अवशेष निर्माण	7,00.00	14,53.33	+7,53.33
07- पूर्व से संचालित 14 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से अवशेष संस्थानों के भवन निर्माण	5,00.00	6,24.56	+1,24.56
4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय—			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—			
03- अनुसूचित जाति बाहुल्य आबादी वाले ग्रामों में सामुदायिक हाल/केन्द्र का निर्माण—			
मूल	2,00,00.00		
पूरक	67,80.00		
	2,67,80.00	3,27,31.85	+59,51.85
98- अम्बेडकर ग्राम विकास योजना वास्तविक व्यय ₹ 12,58,38.43 लाख में वर्ष 2009-10 से सम्बन्धित ₹ 14,80.30 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।	12,42,00.00	12,58,38.43	+16,38.43
4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय—			
60- अन्य—			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—			
04- बुन्देलखंड की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	39,00.00	46,36.52	+7,36.52
वास्तविक व्यय ₹ 46,36.52 लाख में वर्ष 2008-09 से सम्बन्धित ₹ 66.42 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।			
5054- सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—			
04- जिला तथा अन्य सड़के—			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—			
03- वर्ष 1995-96, 1997-98, 2002-03 तथा अप्रैल, 03 से अगस्त, 2003 तक के मध्य चयनित असंतुप्त अम्बेडकर ग्रामों के सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं के निर्माण के नये कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था	7,50,00.00	9,81,31.44	+2,31,31.44
05- डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्राम सभाओं मे कृषि विपणन के लिये नये सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था	0.01	64.74	+64.73
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।			

vunqu l a; k 84 & l keU; i z kkl u foHkkx

ef; 'kh"kl dy vunqu okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ gtlj ₹ ea ½

jktLo&

2053- जिला प्रशासन,

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें,

2075- विविध सामान्य सेवायें तथा

2250- अन्य सामाजिक सेवायें

nRrer&

मूल	2,90,69,79	}	2,91,11,74	2,21,81,91	-69,29,83
पूरक	41,95				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)

61,59,53

fVli f. k; ka , oa VhdK; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 69,29.83 लाख की अन्तिम बचत मे से, ₹ 61,59.53 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गई ।
(ii) ₹ 69,29.83 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया
₹ 41.95 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।
(iii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत अल्प व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के
अधीन हुई :-

'kh"kl dy vunqu okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr -

¼ yk[k ₹ ea ½

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें—

800- अन्य व्यय—

04- उ0 प्र0 नागरिक परिषद्—

मूल	11.53	}	1.38	2.55	+1.16
पुनर्वि0	-10.15				

₹ 10.15 लाख का अभ्यर्पण जनवरी 2011 में उ0 प्र0 नागरिक परिषद् के माननीय अध्यक्ष की नियुक्ति के फलस्वरूप प्रावधानित धनराशि की स्वीकृति निर्गत नहीं हो सकने के कारण हुआ ।

vunqu l a[; k 85 & l kołtfud m | e foHkkx

e[; 'kh"lz	dy vunqu	okLrfod 0 ; ;	vf/kd 0 ; ; \$
			cpr &
		¼ g tkj ₹ ea ½	
jktLo&			
3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें			
nRrer&			
मूल	4,20,80		
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)	4,20,80	4,06,69	-14,11
			14,53

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&
nRrer&

(i) ₹ 14,53 लाख अभ्यर्पित किये गये जबकि अंतिम बचत ₹ 14.11 लाख थी।

(ii) बचत(एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित)मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"lz	dy vunqu	okLrfod 0 ; ;	vf/kd 0 ; ; +
			cpr -

¼ yk[k ₹ ea ½

3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-

800- अन्य व्यय-

04- सार्वजनिक उद्यम विभाग(आडिट प्रकोष्ठ)-

मूल	14.45		
पुनर्वि०	-6.98		
		7.47	7.89
			+0.42

₹ 6.98 लाख का अभ्यर्पण आर्थिक मितव्ययिता तथा पद रिक्त होने के कारण हुआ ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

वृत्तिका I अंक 86 & I पृष्ठ फोल्ड

एक; 'क'क
द्वय वृत्तिका अक्षरों 0; ; व/क 0; ; \$
cpr &

¼ गतक ₹ ९ ½

वृत्तिका

2220- सूचना तथा प्रचार

नररर

मूल	1,47,82,97	}	1,47,90,97	78,54,79	-69,36,18
पूरक	8,00				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)					8,34,63

व/क , क , क , क ; &

वृत्तिका

नररर

- (i) ₹ 69,36.18 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 8,34.63 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी ।
- (ii) ₹ 69,36.18 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 8.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।
- (iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'क'क द्वय वृत्तिका अक्षरों 0; ; व/क 0; ; +
cpr -

¼ यक/क ₹ ९ ½

2220- सूचना तथा प्रचार-

01- फिल्म-

105- फिल्मों का निर्माण-

03- अधिष्ठान-

मूल	1,66.71	}	1,48.36	1,48.33	-0.03
पुनर्वि०	-18.35				
₹ 18.35 लाख का अभ्यर्पण मितव्ययिता तथा पद रिक्त होने के कारण हुआ।					

60- अन्य-

101- विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार-

05- अधिष्ठान-

मूल	91,34.75	}	78,97.81	17,96.44	-61,01.37
पुनर्वि०	-12,36.94				
₹ 12,36.94 लाख की कुल बचत में से, प्रावधान में ₹ 12,24.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं । ₹ 12.94 लाख का अभ्यर्पण मितव्ययिता तथा वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।					

¼ yk/k ₹ e ½

102- सूचना केन्द्र-

03- सूचना केन्द्र का अधिष्ठान-

मूल	3,63.21			
पुनर्वि०	-73.32	2,89.89	2,91.67	+1.78

₹ 73.32 लाख का अभ्यर्पण मितव्ययिता, भवन किराया देयक प्राप्त न होने, सेवा निवृत्ति के कारण खाली पदों पर नियुक्ति न होने, प्रशिक्षण का आयोजन न होना इत्यादि के कारण हुआ ।

103- प्रेस सूचना सेवायें-

03- प्रेस सूचना सेवायें कार्यक्रम-

मूल	72.76			
पुनर्वि०	-33.20	39.56	39.55	-0.01

₹ 33.20 लाख का अभ्यर्पण निष्प्रयोज्य टेलिप्रिन्टर का समापन के कारण हुआ ।

800- अन्य व्यय-

07- फिल्म विकास निधि की स्थापना-

मूल	50.00			
पुनर्वि०	-50.00

₹ 50.00 लाख का अभ्यर्पण परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ ।

08- मा० कांशीराम जन्म स्मृति समारोह-

मूल	4,00.00			
पुनर्वि०	-1,37.04	2,62.96	2,62.95	-0.01

₹ 1,37.04 लाख का अभ्यर्पण माननीय कांशीराम जन स्मृति समारोह से संबंधित विभागीय व्यय के अलावा कोई अन्य विभागीय मांग न होने के कारण हुआ ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011) ।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

2220- सूचना तथा प्रचार-

60- अन्य-

110- प्रकाशन-

03- अधिष्ठान

मूल	14,43.07			
पुनर्वि०	8,59.38	23,02.45	23,02.96	+0.51

वास्तविक व्यय ₹ 23,02.96 लाख में वर्ष 2001-02 तथा 2005-06 से सम्बन्धित

₹ 0.54 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित हैं ।

₹ 8,59.38 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 3,64.62 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त होने, वाहन का क्रय न होने, स्मार्ट कार्ड योजना का क्रियान्वित न होने, वास्तविक व्यय के कारण हुआ । प्रावधान में ₹ 12,24.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

वृत्तवर्ष 2009-10 के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत व्यय का विवरण

विवरण	अनुपूरक	अनुदान	कुल	अनुपूरक	अनुदान	कुल
2075- विविध सामान्य सेवायें तथा						
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण						
नरररर						
मूल	45,14,90		45,14,90	46,60,01	40,59,48	-6,00,53
पूरक	1,45,11		1,45,11			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि						..
i Hkkfjr						
मूल	10		10	10	..	-10
पूरक			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि						..
i wthxr						
4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय						
नरररर						
मूल	90,00		90,00	90,00	89,60	-0,40
पूरक			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि						..

विवरण

अनुपूरक

अनुदान

- ₹ 6,00.53 लाख की अंतिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- ₹ 6,00.53 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 1,45.11 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

' kh"kl

dly vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

¼ yk[k ₹ e ½

2075- विविध सामान्य सेवायें—

104- विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल

में पेंशन तथा पुरस्कार—

06- उत्तर प्रदेश के निवासी द्वितीय विश्वयुद्ध

के भूतपूर्व सैनिक एवं उनकी विधवाओं

को पेंशन—

मूल 33,75.00

पुनर्वि० -4,23.00

29,52.00

25,42.01

-4,09.99

प्रावधान में ₹ 4,23.00 लाख की कमी लाभार्थियों की कम संख्या के कारण हुई।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा

कल्याण कार्यक्रम—

200- अन्य कार्यक्रम—

05- अवशेषों का भूगतान

1,57.18

1,18.86

-38.32

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(iv) व्ययाधिक्य (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के

अधीन हुआ :-

2075- विविध सामान्य सेवायें—

104- विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल

में पेंशन तथा पुरस्कार—

10- कारगिल युद्ध से पूर्व शहीद हुए

सैनिकों की पत्नियों को सहायता—

मूल 0.50

पुनर्वि० 1,49.00

1,49.50

1,36.50

-13.00

प्रावधान में ₹ 1,49.00 लाख की वृद्धि कारगिल युद्ध से पूर्व शहीद हुए सैनिकों की पत्नियों को सहायता देने के कारण हुई।

800- अन्य व्यय—

03- राज्य स्तरीय पूर्व सैनिक

सम्मेलन का आयोजन—

मूल 3.00

पुनर्वि० 4.00

7.00

7.00

..

प्रावधान में ₹ 4.00 लाख की वृद्धि पूर्व सैनिकों के सम्मेलन का आयोजन के कारण हुई।

'kh"KZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +
cpr -

¼ yk[k ₹ e½

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा
कल्याण कार्यक्रम—

200- अन्य कार्यक्रम—

03- सैनिक कल्याण एवं
पुनर्वास निदेशालय—

मूल	9,36.23	}
पूरक	1,00.00	
पुनर्वि०	2,70.00	

13,06.23

11,69.42

-1,36.81

₹ 2,70.00 लाख की वृद्धि कार्यालय भवन तथा गेस्ट हाउस को सजाने तथा मरम्मत के लिये अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता तथा निदेशालय में कान्फ्रेन्स रूम को वातानुकूलित किये जाने का निर्णय लिये जाने के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

वृत्तिका I अंक 88 & I अंकित फॉर फॉर ¼ फंक्शन; ½

वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका 0 ; ;	वृत्तिका 0 ; ; \$
		वृत्तिका 0 ; ;	cpr &
		वृत्तिका ₹ ¼	
वृत्तिका			
2052- सचिवालय & सामान्य सेवायें			
वृत्तिका			
मूल	4,80,54		
पूरक	..	4,80,54	5,61,63
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)			+81,09
वृत्तिका ; का , वा वृत्तिका ; &			9,62
वृत्तिका			
वृत्तिका			

- (i) वास्तविक व्यय ₹ 5,61.63 लाख में उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 से सम्बन्धित धनराशि ₹ 90.75 लाख सम्मिलित है।
- (ii) ₹ 9.66 लाख (₹ 90.75 लाख - ₹ 81.09 लाख) की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 9.62 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित की जा सकी।
- (iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका 0 ; ;	वृत्तिका 0 ; ; +
			cpr -
		वृत्तिका ₹ ¼	
2052- सचिवालय & सामान्य सेवायें-			
091- संलग्न कार्यालय &			
03- संस्थागत वित्त निदेशालय &			
मूल	2,94.85		
पुनर्वि०	-20.59	2,74.26	2,68.46
₹ 20.59 लाख की कुल बचत में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 12.45 लाख की कमी पद रिक्त होने के कारण तथा ₹ 8.14 लाख का अभ्यर्पण स्थानान्तरण न होने तथा वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।			-5.80
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।			

वृत्तिका 1 अंक 89 & 1 अंकित फॉर फॉल्ल
 ¼ ऑफ.कट; द्वा ½

वर्ष; 'क'क	द्व वृत्तिका ; क फोफु; क्ख	ऑलरफोद 0; ; ; क ¼ गतल्ल ₹ ऑ ½	वर्ष/कद 0; ; \$ cpr &
जक्तल्ल			
2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर,			
2049- ब्याज अदायगियों,			
2052- सचिवालय&सामान्य सेवायें,			
2059- लोक निर्माण कार्य तथा			
2216- आवास			
नररर&			
मूल	4,08,88,39		
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)		4,08,88,39	4,08,05,04
			-83,35
िहकफ्र&			
मूल	65,44,39		
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)		65,44,39	65,34,81
			-9,58
िथ्र&			
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय तथा			
4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
नररर&			
मूल	5,29,41		
पूरक	16,95,53		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)		22,24,94	21,96,43
			-28,51
अनुदान के राजस्व प्रभाग एवं पूंजीगत प्रभाग के अन्तर्गत व्यय में आकस्मिकता निधि से फरवरी, 2011 में स्वीकृत अग्रिमों में से व्यय किये गये किन्तु वर्ष के समाप्ति तक निधि में वापस न किये गये क्रमशः ₹ 11,86,31 हजार तथा ₹ 12,00 हजार सम्मिलित नहीं हैं।			

वृत्तिका 1 क, आ, आधक; &

जक्तल्ल

नररर&

- (i) वास्तविक व्यय ₹ 4,08,05.04 लाख में उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02,2002-03, 2003-04,2004-05,2005-06,2006-07,2007-08,2008-09 तथा 2009-11 से सम्बन्धित धनराशि ₹ 2,38.62 लाख सम्मिलित है।

(ii) ₹ 3,21.97 लाख (₹ 83.35 लाख + ₹ 2,38.62 लाख) की अंतिम बचत को देखते हुये, मात्र ₹ 3,34.41 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित की जा सकी ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित)मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

' kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +	
			cpr -	
				¼ yk[k ₹ ea ½

2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर-

800- अन्य व्यय-

05- व्यवस्थापन आयोग का अधिष्ठान-

मूल	1,79.07			
पुनर्वि०	-1,51.86	27.21	69.18	+41.97
₹ 1,51.86 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।				

08- अवशेषों का भुगतान-

मूल	53,98.31			
पुनर्वि०	-33.21	53,65.10	46,05.70	-7,59.40
₹ 33.21 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।				

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

03- वाणिज्य कर विभाग के विभागीय भवन

तथा सहायता केन्द्रों के विभागीय भवनों

की मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य 50.00 44.57 -5.43

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्ययाधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर-

800- अन्य व्यय-

03- वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-

मूल	3,35,76.14			
पुनर्वि०	-1,23.55	3,34,52.59	3,42,93.24	+8,40.65

वास्तविक व्यय ₹ 3,42,93.24 लाख में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 से सम्बन्धित ₹ 1,32.77 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

₹ 1,23.55 लाख की कुल बचत में से, ₹ 1,14.70 लाख अभ्यर्पण मुख्यतः मितव्ययिता, वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ। प्रावधान में ₹ 8.85 लाख की कमी आवश्यकता से अधिक धनराशि होने के कारण हुआ।

04- वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-

मूल	10,68.69			
पुनर्वि०	-28.44	10,40.25	11,02.04	+61.79

वास्तविक व्यय ₹ 11,02.04 लाख में वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2004-05 से सम्बन्धित ₹ 58.28 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

₹ 28.44 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः मितव्ययिता, वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ ।

' kh"kl	dlj vupku	okLrfod 0 ; ;	vf/kd 0 ; ; +
			cpr -
		¼ yk[k ₹ ee ½	

06- वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण

संस्थान लखनऊ-

मूल	2,14.18			
पुनर्वि०	2.65	2,16.83	2,22.25	+5.42

वास्तविक व्यय ₹ 2,22.25 लाख में वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 से सम्बन्धित ₹ 5.58 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

₹ 2.65 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 8.85 लाख की वृद्धि प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ के अधिकारी/कर्मचारीगण को वेतन देने के लिये हुआ। ₹ 6.20 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः मंहगाई भत्ते के भुगतान में समायोजन, वास्तविक व्यय के आधार पर एवं मितव्ययिता के कारण हुआ।

07- उ० प्र० पंजीकृत व्यापारियों के लिये

जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना योजना	3,00.00	3,73.00	+73.00
--------------------------------	---------	---------	--------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

i Hkkfj r&

(v) ₹ 9.58 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 5.69 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(vi) बचत निम्न के अधीन हुई :-

' kh"kl	dlj fofu; ksx	okLrfod 0 ; ;	vf/kd 0 ; ; +
			cpr -
		¼ yk[k ₹ ee ½	

2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर-

800- अन्य व्यय-

03- वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-

मूल	10.00			
पुनर्वि०	-5.65	4.35	0.46	-3.89

₹ 5.65 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

वृत्तिका 1 अ; क 91 & 1 अककर फोरर फोहक
 ¼ L V k E i , o a i a t h d j . k ½

वृत्तिका 1 अ; क 91 & 1 अककर फोरर फोहक	वृत्तिका 1 अ; क 91 & 1 अककर फोरर फोहक	वृत्तिका 1 अ; क 91 & 1 अककर फोरर फोहक	वृत्तिका 1 अ; क 91 & 1 अककर फोरर फोहक
2030- स्टाम्प पंजीकरण तथा 2059- लोक निर्माण कार्य	1,09,96,68	1,45,68,73	1,47,89,48
मूल	35,72,05		
पूरक			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)			+2,20,75
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)			1,23,40
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4	4	..
मूल	..		
पूरक			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)			-4
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)			4
2,82,68	2,82,68	2,65,87	
मूल			
पूरक			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)			-16,81
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)			16,81

वृत्तिका 1 अ; क 91 & 1 अककर फोरर फोहक

वृत्तिका 1 अ; क 91 & 1 अककर फोरर फोहक

- वास्तविक व्यय ₹ 1,47,89,47,983 में उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 से सम्बन्धित धनराशि ₹ 1,65,374 सम्मिलित है। व्यय दत्तमत प्रावधान से ₹ 2,19,09,609 (₹ 2,20,74,983 - ₹ 1,65,374) से अधिक हुआ, अधिक व्यय का नियामानुकूलन अपेक्षित है।
- ₹ 2,19.10 लाख की अंतिम व्ययाधिक्य को देखते हुए ₹ 1,23.40 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।
- ₹ 2,19.10 लाख की अंतिम व्ययाधिक्य को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 35,72.05 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(iv) व्ययाधिक्य (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ :-

' kh"kl dy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr -

¼ yk[k ₹ ea ½

2030- स्टाम्प पंजीकरण-

02- स्टाम्प न्यायिकेतर-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- अधिष्ठान-

मूल	25.13			
पुनर्वि०	-1.84	23.29	27.97	+4.68

₹ 1.84 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः मांग न होने, कर्मचारियों से टी0ए0 बिल प्राप्त न होने के कारण हुआ। वास्तविक व्यय ₹ 27.97 लाख में वर्ष 2001-02 से सम्बन्धित ₹ 1.42 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

102- स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय-

03- अदालती स्टाम्प	4,00.00	4,63.28	+63.28
--------------------	---------	---------	--------

वास्तविक व्यय ₹ 4,63.28 लाख में वर्ष 2004-05 तथा 2007-08 से सम्बन्धित ₹ 1.42 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

02- स्टाम्प-गैर-न्यायिकेतर-

102- स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय-

03- गैर अदालती स्टाम्प	18,00.00	21,13.74	+3,13.74
------------------------	----------	----------	----------

वास्तविक व्यय ₹ 21,13.74 लाख में वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 से सम्बन्धित ₹ 0.08 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

800- अन्य व्यय-

03- निवेश प्रमाण-पत्र पर देय

स्टाम्प शुल्क का उत्तर

प्रदेश अधिवक्ता कल्याण

निधि समिति को संक्रमण

50.00	78.23	+28.23
-------	-------	--------

वास्तविक व्यय ₹ 78.23 लाख में वर्ष 2001-02 तथा 2005-06 से सम्बन्धित ₹ 0.13 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(v) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

2030- स्टाम्प पंजीकरण-

02- स्टाम्प-गैर-न्यायिकेतर-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- अधिष्ठान-

मूल	45.42			
पुनर्वि०	-1.20	44.22	36.74	-7.48

₹ 1.20 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः मांग न होने, कर्मचारियों से टी0ए0 बिल प्राप्त न होने के कारण हुआ। उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

वृत्तिका 1 अ; क 92 & 1 अदर फोहक

वृत्तिका ; क	वृत्तिका ; क	अदर 0 ; ;	वृत्तिका 0 ; ; \$
	; क		cpr &
	फोफु; क		
		¼ g tkj ₹ ea ½	
वृत्तिका 1			
2205- कला एवं संस्कृति			
वृत्तिका 1			
मूल	30,26,92	30,32,92	27,95,55
पूरक	6,00		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)			-2,37,37
वृत्तिका 2			
मूल	5	5	..
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)			-5
वृत्तिका 3			
4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा			
संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
वृत्तिका 3			
मूल	12,59,06	17,59,06	15,36,21
पूरक	5,00,00		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2011)			-2,22,85
			2,22,85

वृत्तिका 1 ; क , oa Vhd; &

वृत्तिका 1

वृत्तिका 1

(i) ₹ 2,37.37 लाख की अन्तिम बचत मे से, ₹ 2,36.87 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गई ।

(ii) ₹ 2,37.37 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 6.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

' kh"lZ dgy vupnku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr -

¼ yk[k ₹ ea ½

2205- कला एवं संस्कृति-

101- ललित कला शिक्षा-

09- कथक केन्द्र, लखनऊ के
विकास के लिये अनुदान-

मूल	40.50			
पुनर्वि०	-13.20	27.30	27.21	-0.09

प्रावधान में ₹ 13.20 लाख की कमी संबधित मद में वास्तविक व्यय के बाद उपलब्ध बचत के कारण हुई।

102- कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-

16- नये क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना 25.00 18.94 -6.06

103- पुरातत्व विज्ञान-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	90.03			
पुनर्वि०	-20.09	69.94	69.89	-0.05

₹ 20.09 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

800- अन्य व्यय-

12- अवशेषों का भुगतान-

मूल	2,50.03			
पुनर्वि०	-60.66	1,89.37	1,79.28	-10.09

₹ 60.66 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

2205- कला एवं संस्कृति-

103- पुरातत्व विज्ञान-

03- पुरातत्व निदेशालय-

मूल	3,41.84			
पुनर्वि०	16.38	3,58.22	3,62.19	+3.97

₹ 16.38 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 7.32 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः धनराशि कम होने, वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ। प्रावधान में ₹ 23.70 लाख की वृद्धि चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकता से कम प्रावधान होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

in the

nrer

(v) ₹ 2,22.85 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 5,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(vi) बचत निम्न के अधीन हुई :-

'kh"kl

clg vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

¼ yk[k ₹ ea ½

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा
संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-

04- कला तथा संस्कृति-

106- संग्रहालय-

09- महापुरुषों की मूर्तियों

का निर्माण-

मूल 30.00]

पुनर्वि० -29.19]

0.81

0.81

..

₹ 29.19 लाख की कुल बचत में से, ₹ 13.25 लाख अभ्यर्पण मूर्तियों का निर्माण न होने के कारण हुआ।

प्रावधान में ₹ 15.94 लाख की कमी निर्माण कार्य की अनुमानित लागत के वास्तविक व्यय के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-

03- प्रेक्षागृह/खुला मंच का निर्माण-

मूल 50.00]

पुनर्वि० -50.00]

..

..

..

₹ 50.00 लाख का अभ्यर्पण कोषागार की आपत्ति का निवारण न होने के कारण हुआ।

17- लोक एवं जनजाति कला तथा

सांस्कृतिक संस्थान में संस्कृति

संकुल का निर्माण-

मूल 60.00]

पुनर्वि० -60.00]

..

..

..

₹ 60.00 लाख का अभ्यर्पण कोई व्यय न होने के कारण हुआ।

(vii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा
संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-

04- कला तथा संस्कृति-

106- संग्रहालय-

11- भारतेन्दु नाट्य अकादमी

लखनऊ के भवन का निर्माण-

पुनर्वि० 38.34

38.34

38.34

..

प्रावधान में ₹ 38.34 लाख की वृद्धि निर्माण ईकाई की अनुमानित लागत के अवशेष देयों का प्रावधान न

होने के कारण हुई।

वृत्तगत विकास परियोजनाओं का वित्तिय प्रभाव

वृत्तगत विकास परियोजनाओं का वित्तिय प्रभाव (करोड़ों रुपये में)

वृत्तगत विकास

2700- मुख्य सिंचाई,

2701- मध्यम सिंचाई,

2702- लघु सिंचाई तथा

2711- बाढ़ नियंत्रण तथा जल विकास

परिचय

मूल	14,14,89,50	}
पूरक	..	

14,14,89,50	12,62,52,72	-1,52,36,78
-------------	-------------	-------------

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

वृत्तगत विकास

4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,

4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय तथा

4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

परिचय

मूल	39,88,10,22	}
पूरक	1,92,46,23	

41,80,56,45	30,94,29,93	-10,86,26,52
-------------	-------------	--------------

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

वृत्तगत विकास

मूल	18,40,00	}
पूरक	..	

18,40,00	12,81,52	-5,58,48
----------	----------	----------

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

वृत्तगत विकास

वृत्तगत विकास

परिचय

(i) ₹ 1,52,36.78 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(ii) बचत(अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित)मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	diy vupku	okLrfod 0; ; %y/[k ₹ e#	vf/kd 0; ; \$ cpr &
2700- मुख्य सिंचाई-			
14- राजघाट नहर प्रणाली (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	50.00	36.00	-14.00
80- सामान्य-			
800- अन्य व्यय-			
03- ब्याज	2,18,85.28	2,02,12.61	-16,72.67
04- जल उपभोक्ता समितियां	1,00.00	..	-1,00.00
2701- मध्यम सिंचाई-			
05- घाघर व गरई नहरें (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	1,35.46	97.68	-37.78
06- बेलन नहर (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	94.54	65.55	-28.99
07- केन नहर (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	1,79.37	1,15.66	-63.71
09- तुमरिया योजना (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	44.03	37.61	-6.42
16- ललितपुर नहर (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	26.72	17.04	-9.68
17- गुरसराय नहर (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	34.25	27.29	-6.96
18- रानीपुर नहरें (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	24.00	15.29	-8.71
20- जामिनी नहरें (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	55.33	36.47	-18.86

' kh"lZ	dy vupku	okLrfod 0; ; lyk[k ₹ e#	vf/kd 0; ; \$ cpr &
21- कर्मनाशा नहर (वाणिज्यिक)–			
101- रख-रखाव और मरम्मत–			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	78.19	51.22	-26.97
24- मेजा नहर (वाणिज्यिक)–			
101- रख-रखाव और मरम्मत–			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	1,69.24	1,34.46	-34.78
25- टाण्डा पम्प नहर (वाणिज्यिक)–			
101- रख-रखाव और मरम्मत–			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	1,09.80	89.44	-20.36
28- नरायनपुर पम्प नहर (वाणिज्यिक)–			
101- रख-रखाव और मरम्मत–			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	1,81.84	1,18.92	-62.92
29- जमानिया पम्प नहर (वाणिज्यिक)–			
101- रख-रखाव और मरम्मत–			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	88.49	68.81	-19.68
30- क्वानों पम्प नहर (वाणिज्यिक)–			
101- रख-रखाव और मरम्मत–			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	63.26	43.79	-19.47
33- देवकली पम्प नहर (वाणिज्यिक)–			
101- रख-रखाव और मरम्मत–			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	62.92	56.18	-6.74
34- सोम पम्प नहर (वाणिज्यिक)–			
101- रख-रखाव और मरम्मत–			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	37.71	32.53	-5.18
35- सरयू पम्प नहर (वाणिज्यिक)–			
101- रख-रखाव और मरम्मत–			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	65.22	36.69	-28.53
49- उत्तरौला पम्प नहर (वाणिज्यिक)–			
101- रख-रखाव और मरम्मत–			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	68.41	55.84	-12.57
55- ज्ञानपुर पम्प नहर (वाणिज्यिक)–			
101- रख-रखाव और मरम्मत–			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	58.57	48.91	-9.66
80- सामान्य–			
800- अन्य व्यय–			
03- ब्याज	3,01,59.48	43,75.94	-2,57,83.54

' kh"lZ	dy vupku	okLrfod 0; ; lyk/k ₹ e#	vf/kd 0; ; \$ cpr &
04- विविध कार्य अग्रिम	..	18,42.68	+18,42.68
बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन-देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या (iv) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।			
2701- मध्यम सिंचाई-			
27- भूपौली पम्प नहर (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	77.48	86.50	+9.02
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।			
36- अन्य सिंचाई योजनायें (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	2,06.70	3,05.16	+98.46
50- डुमरियागंज पम्प नहर (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	49.91	53.54	+3.63
64- कैनल कालोनी लखनऊ (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	17.19	92.17	+74.98
65- कैनल कालोनी ओखला (अवाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	11.54	36.53	+24.99
66- अन्य कालोनी (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	13.55	52.53	+38.98
76- जरौली पम्प नहर (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	20.00	48.49	+28.49
77- आवासीय एवं अनावासीय भवन (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- कार्यालय प्रमुख अभियन्ता	10.00	1,09.98	+99.98
05- गंगा सिंचाई पुरम (अधिकारी एवं कर्मचारी)			
आवासीय कालोनी	4.00	17.99	+13.99
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।			
80- सामान्य-			
799- उचन्त-			
03- भण्डार उचन्त	..	8,43.09	+8,43.09
बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन-देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या (iv) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।			

' kh"lZ	dy vupku	okLrfod 0; ; lyk/k ₹ e#	vf/kd 0; ; \$ cpr &
04- विविध कार्य अग्रमि	..	7,35.76	+7,35.76
बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन-देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या (iv) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।			
800- अन्य व्यय-			
07- मोटर गाड़ियों, पेट्रोल आदि हेतु	50.00	59.99	+9.99
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।			
11- कालन्दी कुंज (आगरा नहर)	50.00	1,06.50	+56.50
2702- लघु सिंचाई-			
02- सतही जल-			
800- अन्य व्यय-			
03- ब्याज	40,37.00	1,16,40.43	+76,03.43
2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः व्यय प्रावधान (₹ 40,37.00 लाख) से ₹ 29,75.72 लाख, प्रावधान (₹ 40,37.00 लाख) से ₹ 26,37.00लाख तथा प्रावधान (₹ 40,37.00 लाख) से ₹ 1,16,40.43 लाख अधिक था।			
03- रख-रखाव-			
103- नलकूप-			
03- अन्य रख-रखाव और व्यय	4,47,00.00	4,47,36.95	+36.95
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य/बिना प्रावधान के व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।			
80- सामान्य-			
799- उचन्त-			
03- भण्डार उचन्त	..	2,94.16	+2,94.16
बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन-देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या (iv) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।			
04- विविध कार्य अग्रमि	..	55.11	55.11
बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन-देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या (iv) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।			
800- अन्य व्यय-			
04- मोटर गाड़ियों हेतु पेट्रोल आदि का क्य	23.00	28.00	+5.00
2711- बाढ नियंत्रण तथा जल निकास-			
01- बाढ नियंत्रण-			
103- सिविल निर्माण-			
03- सिविल निर्माण	29,01.07	29,63.12	+62.05
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।			

(iv) mpllr yu&nu:-

लघु शीर्ष "उचन्त" अन्तिम लेखा शीर्ष नहीं हैं। लेन-देन पूरे समझे जाने तथा अन्तिम रूप से लेखे में दर्ज किये जाने से पूर्व जहाँ और अदायगियां या मूल्य के समायोजन आवश्यक होते हैं वहाँ अन्तरिम लेन-देन इसके अन्तर्गत होते हैं। तदनुसार, इस शीर्ष के अन्तर्गत जो लेन-देन अन्तिम शीर्ष में समायोजित नहीं हो पाते वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाये जाते हैं। उचन्त के तीन उप प्रभाग होते हैं, अर्थात् (1)स्टाक, (2)विविध निर्माण कार्य पेशगियां और (3)वर्कशाप उचन्त।

उचन्त लेन-देनों की प्रकृति और उनकी लेखा पद्धति नीचे दी जा रही है:-

(1) स्ट्राक:- इस शीर्ष में उस सामग्री का मूल्य नामें डाला जाता है जो स्ट्राक के लिए प्राप्त होती है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए नहीं। इसमें उस सामग्री का मूल्य जमा कर दिया जाता है जो निर्माण - कार्य के लिए दे दी जाती है या बेच दी जाती है या अन्य मण्डलों को अन्तरित कर दी जाती है। अतः यह शीर्ष नामें शेष दिखलायेगा जो स्ट्राक में रखी गयी सामग्री के खाता मूल्य तथा सामग्री के निर्माण से सम्बन्धित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, का सूचक होगा।

(2) विविध निर्माण कार्य-पेशगियां:-इस शीर्ष में उधार में बेची गयी सामग्री के मूल्य, जमा राशि निर्माण कार्य पर प्राप्त जमाराशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गयी नकद या सामग्री की हानि,सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशियों आदि के लिए नामें राशियां होती हैं। अतः इस शीर्ष के अन्तर्गत नामें शेष वसूली योग्य राशि का सूचक है।

(3) वर्कशाप उचन्त- विभागीय वर्कशापों में किये गये कार्य या अन्य कार्य प्रचालनों के प्रभार उनकी वसूली या उसके समायोजन हो जाने तक इस शीर्ष में नामें डाले जाते हैं।

2010-2011 के लेन-देन का विश्लेषण और आदि शेष तथा अन्त शेष का ब्यौरा परिशिष्ट-III में दिया गया है।

(4) लोक निर्माण विभाग की स्थापना, औजार और संयंत्र के प्रभारों का यथानुपात वितरण:- अन्य सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों आदि के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा किये कार्य के लिए विभाग के सकल प्रभारों से स्थापना, औजार और संयंत्र प्रभारों के लिये प्रतिशत वसूलियां काट ली जाती हैं और निवल प्रभार सम्बन्धित मुख्य लेखा शीर्षों में ऐसे प्रत्येक शीर्ष के विशेष स्थापनाओं (यदि कोई हो) द्वारा निष्पादित निर्माण कार्य पर होने वाले परिव्यय को छोड़कर वास्तविक निर्माण कार्य परिव्यय के अनुपात में वितरित कर दिये जाते हैं।

निर्देशन एवं प्रशासन और मशीनरी एवं उपस्कर प्रभारों की समीक्षा परिशिष्ट -IV में दी गयी है।

i wthxr&

nRrer&

(v) ₹ 10,86,26.52 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vi) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिव्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh"lz	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr &
<i>kyk[k #lk; ka e#</i>			
4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-			
04- टिहरी परियोजना (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें	46,00.02	2,63.82	-43,36.20
05- लोवर गंगा नहर (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें	17,74.37	13,92.75	-3,81.62
06- पूर्वी यमुना नहर (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें-			
मूल	22,08.03		
पुनर्वि०	-5,96.97		
	16,11.06	1,50.00	-14,61.06
प्रावधान में ₹ 5,96.97 लाख की कमी स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।			
09- शारदा सहायक (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें-			
मूल	1,77,26.12		
पूरक	11,09.58		
पुनर्वि०	-10,00.00		
	1,78,35.70	88,56.06	-89,79.64
प्रावधान में ₹ 10,00.00 लाख की कमी नाबार्ड द्वारा स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।			
11- गण्डक एवं नरायनी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें-			
मूल	83,15.88		
पुनर्वि०	-24,96.50		
	58,19.38	..	-58,19.38
प्रावधान में ₹ 24,96.50 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			

' kh"lZ	dy vupku	okLrfod 0; ; lyk/k ₹ e#	vf/kd 0; ; \$ cpr &
11- शाखायें	2,28.16	..	-2,28.16
16- टिहरी परियोजना (वाणिज्यिक)–			
051- निर्माण–			
10- नहरें	18,58.40	9,73.15	-8,85.25
17- सरयू नहर परियोजना (वाणिज्यिक)–			
051- निर्माण–			
10- नहरें	5,74,08.00	1,35,19.26	-4,38,88.74
18- बाणसागर बांध परियोजना (वाणिज्यिक)–			
051- निर्माण–			
10- नहरें	4,41,60.00	1,21,86.94	-3,19,73.06
12- वितरण प्रणाली	9,52.21	8,06.63	-1,45.58
20- कनहर सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)–			
051- निर्माण–			
10- नहरें–			
मूल	1,84,00.00		
पुनर्वि0	-4,50.00		
	1,79,50.00	45,62.04	-1,33,87.96
प्रावधान में ₹ 4,50.00 लाख की कमी भारत सरकार से परियोजना की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।			
21- अर्जुन सहायक परियोजना (वाणिज्यिक)–			
051- निर्माण–			
10- नहरें	2,07,92.00	1,79,36.44	-28,55.56
22- मध्यमगंगा नहर परियोजना–द्वितीय चरण (वाणिज्यिक)–			
051- निर्माण–			
10- नहरें	2,57,60.00	1,93,04.04	-64,55.96
23- बदायूं सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)–			
051- निर्माण–			
10- नहरें	69,00.00	..	-69,00.00
24- कचनौदा बांध परियोजना (वाणिज्यिक)–			
051- निर्माण–			
10- नहरें	1,38,00.00	1,24,20.01	-13,79.99
25- भौरट बांध परियोजना (वाणिज्यिक)–			
051- निर्माण–			
10- नहरें	46,00.00	10,00.11	-35,99.89

' kh"lZ	dy vupku	okLrfod 0; ; lyk[k ₹ e#	vf/kd 0; ; \$ cpr &
26- लोअर रोहिणी बांध परियोजना (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें	98,12.72	22,89.55	-75,23.17
30- क्योलारी बांध परियोजना (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें	3,51.44	2,49.46	-1,01.98
31- पूर्ण योजनाओं के अवशेष भू-प्रतिकर भुगतान (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें-			
मूल	22,08.00		
पुनर्वि०	-8.20		
	21,99.80	21,63.60	-36.20
प्रावधान में ₹ 8.20 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
80- सामान्य-			
052- मशीनरी तथा उपस्कर-			
07- नहरें/शाखा/राजवाहें/आल्पिका (राज्य वित्त पोषित)-			
मूल	20,86.52		
पुनर्वि०	-8,50.70		
	12,35.82	7,70.56	-4,65.26
प्रावधान में ₹ 8,50.70 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-			
07- लहचूरा शीर्ष कार्य का आधुनिकीकरण (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें	9,68.76	9,12.77	-55.99
08- दोहरीघाट पम्प नहर (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें	11,04.00	..	-11,04.00
25- टाण्डा पम्प नहर (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें	3,57.88	3,00.43	-57.45
27- भूपौली पम्प नहर (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें	23,00.00	..	-23,00.00

' kh"lZ	dy vupku	okLrfod 0; ; lyk[k ₹ e#	vf/kd 0; ; \$ cpr &
32- यमुना पम्प नहर (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें-			
मूल	18,40.00		
पुनर्वि०	-7,32.86		
	11,07.14	12,90.72	+1,83.58
प्रावधान में ₹ 7,32.86 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
34- सोन पम्प नहर (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें	15,64.00	3,13.50	-12,50.50
41- चिल्लीमल पम्प नहर (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें-			
मूल	24,58.10		
पुनर्वि०	-15,18.34		
	9,39.76	7,68.74	-1,71.02
प्रावधान में ₹ 15,18.34 लाख की कमी भारत सरकार से परियोजना की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।			
42- औगासी पम्प नहर (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें	21,02.20	..	-21,02.20
55- ज्ञानपुर पम्प नहर (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें	18,40.00	14,73.95	-3,66.05
69- चरखारी पम्प नहर (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें	21,71.20	5,33.65	-16,37.55
79- उमरहट पम्प नहर (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें	18,40.00	4,04.97	-14,35.03
81- पहाड़ी बांध परियोजना (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें	31,28.00	15,53.03	-15,74.97
82- विराट सागर बांध परियोजना (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें	92,00.00	..	-92,00.00

' kh"lZ	dy vupku	okLrfod 0; ; lyk/k ₹ e#	vf/kd 0; ; \$ cpr &
4711- बाढ-नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- बाढ नियंत्रण-			
052- मशीनरी तथा उपस्कर-			
03- नवीन सम्पूर्ति-			
मूल	92.00		
पुनर्वि०	-36.00	56.00	53.90
प्रावधान में ₹ 36.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			-2.10
04- मरम्मत-			
मूल	23.00		
पुनर्वि०	-9.00	14.00	13.52
प्रावधान में ₹ 9.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			-0.48
05- गाड़ी भाड़ा-			
मूल	23.00		
पुनर्वि०	-7.75	15.25	13.90
प्रावधान में ₹ 7.75 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			-1.35
103- सिविल निर्माण कार्य-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	3,45,92.00	1,74,69.61	-1,71,22.39
03- जल निकास-			
052- मशीनरी तथा उपस्कर-			
03- नवीन सम्पूर्ति-			
मूल	18.40		
पुनर्वि०	-18.40	..	2.01
प्रावधान में ₹ 18.40 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			+2.01
04- मरम्मत-			
मूल	13.80		
पुनर्वि०	-13.80	..	0.49
प्रावधान में ₹ 13.80 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			+0.49

' kh"lz	dy vupku	okLrfod 0; ; lyk[k ₹ e#	vf/kd 0; ; \$ cpr &
103- सिविल निर्माण कार्य—			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—			
मूल	22,08.00		
पुनर्वि०	-15,28.05	6,79.95	8.83
प्रावधान में ₹ 15,28.05 लाख की कमी भारत सरकार से परियोजना की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।			-6,71.12
03- जल निकास योजनायें (राज्य सेक्टर)—			
मूल	1,38.02		
पूरक	1,74.30	2,10.17	39.69
पुनर्वि०	-1,02.15		
प्रावधान में ₹ 1,02.15 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			-1,70.48
07- जल निकास योजनायें (नावार्ड पोषित)		43.67	..
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य/सम्पूर्ण प्रावधान के अपुयक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।			-43.67
(vii) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ—			
4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—			
04- टिहरी परियोजना (वाणिज्यिक)—			
051- निर्माण—			
12- वितरण प्रणाली—			
मूल	0.05		
पूरक	5,66.93	5,66.98	12,34.40
			+6,67.42
08- शारदा नहर (वाणिज्यिक)—			
051- निर्माण—			
11- शाखायें—			
मूल	25,79.26		
पूरक	55,71.83	1,06,47.59	92,63.30
पुनर्वि०	24,96.50		
प्रावधान में ₹ 24,96.50 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			+13,84.29

' kh"lZ	dy vupku	okLrfod 0; ; lyk/k ₹ e#	vf/kd 0; ; \$ cpr &
09- शारदा सहायक (वाणिज्यिक)–			
051- निर्माण–			
11- बियर–			
मूल	27,60.01	35,60.01	35,90.32
पूरक	8,00.00		
12- वितरण प्रणाली	0.01		+11.43
14- राजघाट नहर परियोजना (वाणिज्यिक)–			
051- निर्माण–			
11- शाखायें	0.01		+79.99
13- विवरण उपलब्ध नहीं			
पुनर्वि०	4,50.00	4,50.00	..
प्रावधान में ₹ 4,50.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
19- पूर्वी गंगा नहर परियोजना (वाणिज्यिक)–			
051- निर्माण–			
11- शाखायें	0.01		+1,69.63
27- ऊटारी बांध परियोजना (वाणिज्यिक)–			
051- निर्माण–			
11- शाखायें	10,47.88		+16,65.23
28- जमरार बांध परियोजना (वाणिज्यिक)–			
051- निर्माण–			
10- नहरें–			
मूल	8,38.12	37,70.07	30,37.18
पुनर्वि०	29,31.95		
प्रावधान में ₹ 29,31.95 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/बचत/बिना प्रावधान के व्यय के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (जून 2011)।			
80- सामान्य–			
799- उचन्त–			
03- भण्डार उचन्त	..	94,63.18	+94,63.18
बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन-देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या (x) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।			
04- विविध कार्य अग्रिम	..	53,30.95	+53,30.95
बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन-देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या (x) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।			

' kh"lZ	dy vupku	okLrfod 0; ; lyk/k ₹ e#	vf/kd 0; ; \$ cpr &
4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—			
78- लहचूरा बांध (वाणिज्यिक)—			
051- निर्माण—			
10- नहरें	9,85.32	80,28.20	+70,42.88
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।			
80- सामान्य—			
005- सर्वेक्षण तथा अनुसंधान—			
10- नहरें—			
मूल	0.01		
पुनर्वि०	4,77.00		
	4,77.01	4,02.52	-74.49
प्रावधान में ₹ 4,77.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।			
799- उचन्त—			
03- भण्डार उचन्त			
	..	73,31.07	+73,31.07
बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन—देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन—देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या (x) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।			
04- विविध कार्य अग्रिम			
	..	79,43.22	+79,43.22
बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन—देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन—देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या (x) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।			
4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—			
101- सतही जल—			
04- प्रस्यावतन योजनायें—			
मूल	10,70.57		
पुनर्वि०	11,89.92		
	22,60.49	18,35.47	-4,25.02
प्रावधान में ₹ 11,89.92 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
102- भू—जल—			
03- नलकूप योजनायें			
	2,33,48.96	2,37,90.69	+4,41.73
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।			
80- सामान्य—			
799- उचन्त—			
03- भण्डार			
	..	1,84,45.26	+1,84,45.26
बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन—देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन—देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या (x) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।			

'kh"lZ	dy vupku	okLrfod	vf/kd 0; ; \$
		0; ;	cpr &
		lyk/k ₹ e#	
04- विविध कार्य अग्रिम	..	27,13.78	+27,13.78
बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन-देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या (x) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।			
4711- बाढ़-नियंत्रण परियोजनाओं पर			
पूँजीगत परिव्यय-			
01- बाढ़ नियंत्रण-			
103- सिविल निर्माण कार्य-			
03- सीमान्त बांध राज्य सेक्टर एकमुश्त व्यवस्था-			
मूल	4,14.00	11,66.23	12,81.29
पूरक	6,18.62		
पुनर्वि०	1,33.61		
प्रावधान में ₹ 1,33.61 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।			
06- नदी में सुधार तथा कटाव निरोधक योजनायें-			
मूल	4,22.60	3,73.51	8,97.36
पुनर्वि०	-49.09		
प्रावधान में ₹ 49.09 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
07- अनपेक्षित आपातकालीन कार्य-			
मूल	5,52.00	6,57.55	6,56.71
पुनर्वि०	1,05.55		
प्रावधान में ₹ 1,05.55 लाख की वृद्धि अनपेक्षित बाढ़ द्वारा क्षतिग्रस्त निर्माण कार्यों के मरम्मत के कारण हुई।			
08- तट बंधों का निर्माण-			
मूल	0.10	17,20.43	16,50.56
पूरक	1,84.08		
पुनर्वि०	15,36.25		
प्रावधान में ₹ 15,36.25 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
22- सीमान्त बांधों का निर्माण			
(नाबार्ड पोषित)		0.01	2.93
25- सर्वेक्षण एवं अनुसन्धान-			
मूल	46.00	1,46.00	1,45.65
पुनर्वि०	1,00.00		
प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			

' kh"lZ	dy vuqku	okLrfod	vf/kd 0; ; \$
		0; ;	cpr &
		lyk[k ₹ e#	

03- जल निकास-

103- सिविल निर्माण कार्य-

04- जल व्यवस्था में सुधार .. 10.33 +10.33
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/बचत/बिना प्रावधान के व्यय के कारण सूचित नहीं नहीं किए गये हैं (जून 2011)।

799- उचन्त-

03- भण्डार उचन्त .. 1,35,26.92 +1,35,26.92
बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन-देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या (x) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।

04- विविध कार्य अग्रिम .. 5,63.98 +5,63.98
बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन-देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या (x) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।

i Hkkfjr&

(viii) ₹ 5,58.48 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(ix) बचत निम्न के अधीन हुई:-

' kh"lZ	dy fofu; kx	okLrfod	vf/kd 0; ; \$
		0; ;	cpr &
		lyk[k ₹ e#	

4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

33- सिंचाई विभाग की विभिन्न नहर/बाँध
परियोजनाओं के अनुबन्ध से अन्तर्ग्रस्त
देय डिक्लीटल राशियों का भुगतान-

051- निर्माण-

10- नहरें 18,40.00 12,81.52 -5,58.48
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (जून 2011)।

(xi) उचन्त के अन्तर्गत रुपये 6,53.18 करोड़ का व्यय सम्मिलित है।

उचन्त लेन-देन की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया अनुदान के राजस्व प्रभाग में दर्शायी गयी है।
2010-11 के अन्तर्गत आदि शेष और अन्त शेष के साथ लेन-देन का विश्लेषण परिशिष्ट v में दिया गया है।

वृत्तिका I अ; क 95 & फि पकड फोहकx 1/4vf/k" Bku½

ed; 'kh"z	dy vupku ; k fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr -	
<i>½gtkj ₹ e#</i>				
jktLo&				
2700- मुख्य सिंचाई तथा				
2701- मध्यम सिंचाई				
nRrer&				
मूल	19,72,40,02	19,83,79,69	19,69,09,07	-14,70,62
पूरक	11,39,67			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				..
i Hkkfj r&				
मूल	50,00	50,00	7,72	-42,28
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				..
i thxr&				
4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय				
nRrer&				
मूल	6.15	+6.15
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				..

fVli f.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) वास्तविक व्यय ₹19,69,09.07 में लाख वर्ष 2009-10 के आपत्ति पुस्तिका उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 2.06 लाख सम्मिलित हैं। ₹ 14,70.62 लाख अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 14,70.62 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया ₹ 11,39.67 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +	cpr -
				kyk/k ₹ e#

2700- मुख्य सिंचाई-

32- वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना (द्वितीय चरण) (वाणिज्यिक)-

800- अन्य व्यय-

97- वाह्य सहायतित परियोजनाएं

पूरक	11,39.67	11,39.67	1,29.37	-10,10.30
------	----------	----------	---------	-----------

2701- मध्यम सिंचाई-

02- मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- निदेशन	1,43,35.14	1,24,62.74		-18,72.40
------------	------------	------------	--	-----------

09- सिंचाई विकास एवं बाढ़ नियंत्रण

आयोग	25.56	..		-25.56
------	-------	----	--	--------

10- सिंचाई अभियांत्रिकी के अधीन टोल

फ्री काल सेन्टर	27.60	2.68		-24.92
-----------------	-------	------	--	--------

800- अन्य व्यय-

03- अवशेषों का भुगतान	2,84,73.52	2,19,63.59		-65,09.93
-----------------------	------------	------------	--	-----------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

2701- मध्यम सिंचाई-

02- मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

04- कार्यकारी अधिष्ठान	15,03,77.94	15,49,63.17		+45,85.23
------------------------	-------------	-------------	--	-----------

05- कार्यकारी अधिष्ठान (सिंचाई विभाग के

कार्यप्रभारितों/दैनिक वेतन भोगियों

एवं कार्यशालाओं के कार्मिकों हेतु

एकमुश्त व्यवस्था)-	40,00.00	73,85.21		+33,85.21
--------------------	----------	----------	--	-----------

08- उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन एवं

नियामक आयोग	0.24	2.30		+2.03
-------------	------	------	--	-------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

i Hkkfjr&

(v) ₹ 42.27 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vi) बचत निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dlj fofu; ksx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +
			cpr -
		%yk[k ₹ e#	

2701- मध्यम सिंचाई-

02- मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

04- कार्यकारी अधिष्ठान 50.00 7.72 -42.28

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

i wthxr&

nRrer&

(vii) ₹ 6.15 लाख का वास्तविक व्यय वर्ष 2009-10 के उचन्त लेखे के समाशोधन से सम्बन्धित है।

(viii) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"kl	dlj vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +
			cpr -
		%yk[k ₹ e#	

4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

02- मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- निदेशन .. 3.25 +3.25

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2011)।

i f j f ' k " V - I

(सन्दर्भ: विनियोग लेखे का सारांश पृष्ठ 18)

आकस्मिकता निधि से वर्ष 2010-11 की अवधि में स्वीकृत अग्रिमों में से किये गये व्यय, जिनकी वर्ष के अन्त तक निधि में आपूर्ति नहीं की गई, के ब्यौरे:-

de l a ; k	vunku dh l a ; k rFkk uke	ed ; ys [kk 'kh"KZ	vfxe l s 0 ; ; dh jkf'k	vfxe dh Lohd'fr dh frfFk
			%gtkj ₹ ehh	
1	26 गृह विभाग (पुलिस)	2055- पुलिस 4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	44535 33300	मार्च, 2011 अक्टूबर, 2011
2	50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	2053-जिला प्रशासन	106	मार्च, 2011
3	59-लोक निर्माण विभाग	4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	201260	मार्च, 2011
4	59-लोक निर्माण विभाग	2040- बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	118631 1200	फरवरी, 2011 फरवरी, 2011
; ksx			399032	

i f j f ' k " V & II

(सन्दर्भ - सारणी पृष्ठ 18)

वसूलियों के अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों का, जिन्हें व्यय में से कटौती करके लेखाओं में समायोजित किया गया है, अनुदान वार विवरण :-

dæ l æ ; k	vunku ; k fofu; ks dh l æ ; k vkj uke	vk; &0; ; d vupku	okLrfod vkadM\$	vk; &0; ; d vupkuka dh nyuk ea okLrfod vkadM\$ vf/kd \$ de &
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
% g t k j ₹ ea %				
1.	2- आवास विभाग पूँजीगत- दत्तमत	..	13,77	+13,77
2.	3- उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) पूँजीगत- दत्तमत	..	2,39,64	+2,39,64
3.	9- ऊर्जा विभाग पूँजीगत- दत्तमत	2,84,00,00	2,84,00,00	..
4.	10- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) पूँजीगत- दत्तमत	2,10,00	8,86,04	+6,76,04
5.	11- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) पूँजीगत- दत्तमत	2,41,71,03	2,89,66,19	+47,95,16
6.	12- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) पूँजीगत- दत्तमत	..	55	+55
7.	13- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) पूँजीगत- दत्तमत	..	4,69,61	+4,69,61

dæ l a; k	vupku ; k fofu; ksx dh l a; k vkj uke	vk; &0; ; d vupku	okLrfod vkdM\$	vk; &0; ; d vupku dh nyuk ea okLrfod vkdM\$ vf/kd \$ de &
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>g tkj ₹ ea</i>				
8.	14- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) पूँजीगत— दत्तमत	..	22	+22
9.	15- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) पूँजीगत— दत्तमत	..	36,00	+36,00
10.	18- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) पूँजीगत— दत्तमत	..	24,19,89	+24,19,89
11.	21- खाद्य तथा रसद विभाग पूँजीगत— दत्तमत प्रभारित	1,18,11,58,41 3,62,00,00	82,24,26,44 ..	-35,87,31,97 -3,62,00,00
12.	24- गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) राजस्व— दत्तमत	35,00,00	..	-35,00,00
13.	25- गृह विभाग (कारागार) राजस्व— दत्तमत पूँजीगत— दत्तमत	4,00	4,00	..
14.	26- गृह विभाग (पुलिस) पूँजीगत— दत्तमत	..	2,26,96	+2,26,96
15.	31- चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) पूँजीगत— दत्तमत	..	9,50,00	+9,50,00

दध ल ढ; क	वुणकु ; क फोडु; कख धल ल ढ; क वकु उके	वक; &0; ; द वुणकु	okLrfod vkdM\$	वक; &0; ; द वुणकु धल णुडुक ए okLrfod vkdM\$ vf/kd \$ de &
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>॥ g tkj ₹ ए ॥</i>				
16.	32- चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) पूँजीगत— दत्तमत	..	19	+19
17.	37- नगर विकास विभाग पूँजीगत— दत्तमत	2,92,51,20	3,40,24,01	+47,72,81
18.	38- नागरिक उडडुडुन विभाग पूँजीगत— दत्तमत	..	5,70,53	+5,70,53
19.	39- भाषा विभाग राजस्व— दत्तमत	40,00	..	-40,00
20.	40- नियोजन विभाग पूँजीगत— दत्तमत	..	4,71,88	+4,71,88
21.	44- पर्यटन विभाग पूँजीगत— दत्तमत	1,56,00,00	4,15,18	-1,51,84,82
22.	47- प्राविधिक शिक्षा विभाग पूँजीगत— दत्तमत	..	3,73,10	+3,73,10
23.	50- राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) पूँजीगत— दत्तमत	..	1,18,40	+1,18,40
24.	51- राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) राजस्व— दत्तमत पूँजीगत— दत्तमत	3,32,75,00	5,30,21,37	+1,97,46,37
		10,00,00	..	-10,00,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>₹ g tkj ₹ ea ½</i>				
25.	55- लोक निर्माण विभाग (भवन) पूँजीगत— दत्तमत	..	1,54,48,71	+1,54,48,71
26.	56- लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) पूँजीगत— दत्तमत	..	1,42,21	+1,42,21
27.	58- लोक निर्माण विभाग (संचार साधन—सड़कें) पूँजीगत— दत्तमत	2,86,48,81	15,78,90,54	+12,92,41,73
28.	72- शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) पूँजीगत— दत्तमत	..	1,14	+1,14
29.	73- शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) राजस्व— दत्तमत	20,00	..	-20,00
30.	83- समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) पूँजीगत— दत्तमत	..	46,09,53	+46,09,53
31.	94- सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) राजस्व— दत्तमत पूँजीगत— दत्तमत	..	61,02,93 6,59,52,85	+61,02,93 +6,59,52,85

dæ l æ; k	vupku ; k fofu; ksx dh l æ; k vkj uke	vk; &0; ; d vupku	okLrfod vkdM\$	vk; &0; ; d vupku dh nyuk ea okLrfod vkdM\$ vf/kd \$ de &
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

¼ g tkj ₹ ea ½

; ksx&

j kTkLo&

nRrer	3,68,39,00	5,91,28,30	+2,22,89,30
i Hkkfj r

i wthxr&

nRrer	1,30,84,39,45	1,16,52,76,86	-14,31,62,59
i Hkkfj r	3,62,00,00	..	-3,62,00,00

egk; ksx&

j kTkLo&	3,68,39,00	5,91,28,30	+2,22,89,30
i wthxr&	1,34,46,39,45	1,16,52,76,86	-17,93,62,59

i f j f ' k " V III

[सन्दर्भ: टिप्पणी (iv) पृष्ठ 407]

mp l r y u & n u & v u p n k u l a ; k 9 4 - f l p k b z f o H k k x 1 / 2 f u e k z k 1 / 2 j k t L o i H k k x

' k h " k z	1 v i s y 2 0 1 0 d k s v k f n ' k s k (u k e s +) (t e k +)	u k e s	t e k	f u o y	3 1 e k p z 2 0 1 1 d k s v l r ' k s k (u k e s +) (t e k -)
<i>1 / 2 y k [k # l k ; k a e a 1 / 2</i>					
2700-मुख्य सिंचाई—					
उचन्त स्टाक	+94.66	26,61.31	25,13.83	+1,47.48	+2,42.14
विविध निर्माण					
कार्य अग्रिम	+12,41.73	18,42.68	18,05.85	+36.83	+12,78.56
; k x	+13,36.39	45,03.99	43,19.68	+1,84.31	+15,20.70
2701-मध्यम सिंचाई—					
उचन्त स्टाक	+47,60.76	8,43.09	7,87.05	+56.04	+48,46.80
विविध निर्माण					
कार्य अग्रिम	-26,13.17	7,35.76	7,00.83	+34.93	-25,78.24
कार्यशाला उचन्त	+18,07.32	+18,07.32
; k x	+39,54.91	15,78.85	14,87.88	+90.97	40,45.88
2702-लघु सिंचाई—					
उचन्त स्टाक	8,95.72	2,94.16	2,51.73	+42.43	+9,38.15
विविध निर्माण					
कार्य अग्रिम	50,81.51	55.11	43.64	+11.47	+50,92.58
कार्यशाला उचन्त	-1,77.26	-1,77.26
; k x	+57,99.97	3,49.27	2,95.37	+53.90	+58,53.87

i j f ' k " V IV

[सन्दर्भ : टिप्पणी (iv) पृष्ठ 407]

funds ku , oa i z kkl u vksj e' khujh , oa mi Ldj l a = i Hkkj 2010-2011

1	2	3		4		5		6		7		8	
		vunku	okLrfod vkadM\$	vunku	okLrfod vkadM\$	vunku	okLrfod vkadM\$	vunku	okLrfod vkadM\$	vunku	okLrfod vkadM\$	vunku	okLrfod vkadM\$
1. 2700- मुख्य सिंचाई—													
	दत्तमत	2,95,15	3,13,52
2. 2701- मध्यम सिंचाई—													
	दत्तमत	7,87,15	4,80,52	16,87,67	17,48,16	12	12
	प्रभारित	50	8
3. 2702- लघु सिंचाई—													
	दत्तमत	5,82,48	6,44,03	3
4. 2711- बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास—													
	दत्तमत	45,38	45,28
5. 4700- मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय—													
	दत्तमत	28,31,40	15,93,06	20,87	7,71
	प्रभारित	18,40	12,82
6. 4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय—													
	दत्तमत	3,47,06	3,41,03	2,78,93	6	78	74

1	2	3		4		5		6		7		8	
		vunpku	okLrfod vkaclM\$	vunpku	okLrfod vkaclM\$	vunpku	okLrfod vkaclM\$	vunpku	okLrfod vkaclM\$	vunpku	okLrfod vkaclM\$	vunpku	okLrfod vkaclM\$
% yk[k ₹ ea %													
14.	2216- आवास—												
	दत्तमत		37,78		37,90	
	प्रभारित		45		43	
15.	3054- सड़क तथा सेतु—												
	दत्तमत		14,92,38		16,14,54	
	प्रभारित		5	
16.	4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय—												
	दत्तमत		51,93		1,97,15	
	प्रभारित		50		30	
17.	4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय—												
	दत्तमत		58,88		56,97	
	प्रभारित		33		33	
18.	4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय—												
	दत्तमत		1,98,00		1,96,08	
19.	5054- सड़क तथा सेतु पर पूंजीगत परिव्यय—												
	दत्तमत		40,23,52		51,79,92	
	प्रभारित		5,06		1,36	
<hr/>													
; ksx	nRrer		1,19,88,73		1,16,60,35		27,25,84		27,72,15		23,64		9,52
	i Hkkfjr		27,00		17,39		12		11	

fvli . kh	ctV ea ; Fkk i vkLupkfur	okLrfod vkdM\$
1. निदेशन एवं प्रशासन व्यय की सिंचाई निर्माण-कार्यों के लिये निर्माण कार्य परिव्यय से प्रतिशतता मद (1) से (8)	29	30
2. निदेशन एवं प्रशासन व्यय की लोक निर्माण-कार्यों के लिये निर्माण कार्य परिव्यय से प्रतिशतता मद (9) से (19)	16	14
3. निदेशन एवं प्रशासन व्यय की राज्य के सभी निर्माण-कार्यों के लिये निर्माण कार्य परिव्यय से प्रतिशतता मद (1) से (19)	23	9

वर्ष 2007-08 तथा उसके बाद के वर्षों के लिए निदेशन एवं प्रशासन प्रभारों की सिंचाई और
और लोक निर्माण-कार्यों के लिए निर्माण कार्य परिव्यय की प्रतिशतता की तुलना नीचे दिखायी गयी है:-

	o"kl	fueklk dk; L i fj0; ; iz kkl u i Hkkj	fun\$ ku , oa	ifr'krnk
	% yk[k ₹ ea %			
सिंचाई निर्माण कार्य मद (1) से (8)				
	2007-08	37,23,49	10,59,88	28
	2008-09	44,88,25	13,19,85	29
	2009-10	41,01,20	15,50,38	38
	2010-11	45,93,88	17,48,30	38
लोक निर्माण कार्य मद (9) से (19)				
	2007-08	71,58,73	3,19,46	4
	2008-09	84,75,26	4,69,43	6
	2009-10	78,14,12	4,42,75	6
	2010-11	70,83,86	10,23,96	14

i f j f ' k " V v

' kh" kZ	1 vi ſy 2010 dks vkfn ' kſk (ukes+) (tek+)	ukes	tek	fuoy	31 ekpZ2011 dks vUlr ' kſk (ukes+) (tek-)
½ yk[k ₹ ea ½					
4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय— उचन्त स्टाक विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+1,26,14.30	1,84,45.26	1,86,24.65	-1,79.39	+1,24,34.91
कार्यशाला उचन्त	-17,87.70	-17,87.70
; kx	+46,81.71	2,11,59.04	2,11,89.68	-30.64	+46,50.67
4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय— उचन्त स्टाक विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+41,16.19	1,35,26.92	1,37,20.64	-1,93.72	+39,22.47
कार्यशाला उचन्त	+0.59	+0.59
; kx	+60,69.90	1,40,90.90	1,40,35.15	+55.75	+61,25.65